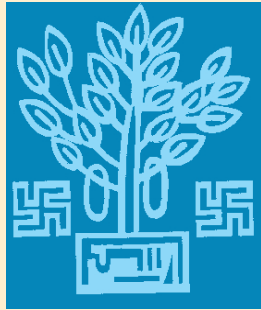




भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का
31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र



लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest



बिहार सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 1

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए प्रतिवेदन
सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र

बिहार सरकार
वर्ष 2020 का प्रतिवेदन संख्या 1

विषय सूची

विवरण	संदर्भ	
	कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
प्राक्कथन		v
विहंगावलोकन		vii
अध्याय-I		
परिचय		
इस रिपोर्ट के बारे में	1.1	1
लेखापरीक्षिती रूपरेखा	1.2	1
निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया	1.3	1
महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया (निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा)	1.4	2
निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिक्रिया	1.5	3
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई	1.6	4
लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली	1.7	4
राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	1.8	5
अध्याय-II		
निष्पादन लेखापरीक्षा		
स्वास्थ्य विभाग		
बिहार में मेडिकल शिक्षा	2.1	7
अध्याय-III		
अनुपालन लेखापरीक्षा		
पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग		
स्थानीय निकायों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन तथा अनुदानों की उपयोगिता	3.1	39
पथ निर्माण विभाग		
दीर्घकालीन आउटपुट एवं प्रदर्शन-आधारित पथ आस्तियां अनुरक्षण अनुबंध (ओ.पी.आर.एम.सी.) चरण-1 के तहत पथों का अनुरक्षण	3.2	65
अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग		
कपटपूर्ण निकासी	3.3	73

विवरण		संदर्भ	
		कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
समाज कल्याण विभाग			
सरकार को हानि		3.4	74
जल संसाधन विभाग			
संवेदक को अधिक भुगतान		3.5	76
पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग			
निष्फल व्यय		3.6	77
शिक्षा विभाग			
आधार सक्षम बाल अभिलेख डिजिटलीकरण पर निष्फल व्यय		3.7	79
ऊर्जा विभाग			
राजकीय कोष पर अतिरिक्त भार		3.8	81
नगर विकास एवं आवास विभाग			
नगरपालिका राजस्व का दुर्विनियोजन		3.9	83
कपटपूर्ण भुगतान		3.10	84
विद्युत शुल्क का अस्वीकार्य भुगतान		3.11	86
जान-बूझकर बरती गई लापरवाही के परिणामस्वरूप कूड़ेदान के क्रय पर हानि		3.12	87
परिशिष्ट			
1.1	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों/कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी	1.3	91
1.2	निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं में अनियमितताओं के विभिन्न प्रकार को दर्शाती विवरणी	1.3	92
1.3	मार्च 2018 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति	1.5	93
1.4	राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति दर्शाती विवरणी	1.8	94
2.1	निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाईयों की सूची	2.6	95
2.2	सात निश्चय के तहत 126 संस्थानों के निर्माण की स्थिति	2.7.1.6	96
2.3	केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत स्नातकोत्तर सीटों की बढ़ोतरी	2.7.2.1	101

विवरण		संदर्भ	
		कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
2.4	वर्ष 2013-18 के दौरान उपयोग की गयी सीटों का कॉलेज-वार विवरण	2.7.4	103
2.5	शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मियों के स्वीकृत बल एवं उपलब्धता	2.8.1	104
2.6	नमूना-जाँचित मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण समय (घंटे)	2.8.1.1	106
2.7	नमूना-जाँचित चिकित्सा संस्थानों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का विवरण	2.8.2	
(क)	चिकित्सा महाविद्यालय		108
(ख)	डेंटल कॉलेज		109
(ग)	आयुष कॉलेज		110
(घ)	जी.एन.एम. स्कूल		110
(ङ)	ए.एन.एम. स्कूल		113
2.8	चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरणों की कमी	2.8.4	115
2.9	ग्रामीण प्रशिक्षण/सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कार्यक्रम	2.8.5	116
2.10	चिकित्सा संस्थानों के निर्माण/प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताएं	2.9	118
2.11	आई. एन. सी. की स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अतिरिक्त प्रवेश/नामांकन	2.10.5	125
3.1	(अ) चयनित इकाईयों की सूची दर्शाती विवरणी (पं.रा.सं.)	3.1.4	126
	(ब) चयनित इकाईयों की सूची दर्शाती विवरणी (श.स्था.नि.)		126
3.2	राज्य द्वारा अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति	3.1.6	127
3.3	मु.मं.नि.यो. के अंतर्गत बिना नाली के पी.सी.सी. सड़कों के निर्माण को दर्शाती विवरणी	3.1.9.3	135
3.4	कार्यों के भौतिक निरीक्षण के दौरान पायी गई गंभीर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी	3.1.11	136

विवरण		संदर्भ	
		कंडिकाएँ	पृष्ठ / अभियुक्तियाँ
3.5	तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब	3.2.3.1	138
3.6	(अ) सेवा स्तर के लिए मॉर्थ (एम.ओ.आर.टी.एच.) विशिष्टियों का अनुपालन नहीं होना	3.2.3.2	139
	(ब) सेवा स्तर के लिए मॉर्थ (एम.ओ.आर.टी.एच.) विशिष्टियों का अनुपालन नहीं होना		139
3.7	वास्तविक सीमा रेखा से अधिक दर पर अनुबंध का निस्तारण	3.2.3.3	140
3.8	रोड मार्किंग कार्य पर अधिक भुगतान	3.2.3.5	141
3.9	पी.एम.कार्य पर अधिक भुगतान	3.2.3.6	142
3.10	पी.एम.कार्य पर अनियमित भुगतान	3.2.3.7	143
3.11	आरंभिक सुधार के मद संख्या 2.1 के अंतर्गत दोष पूर्ण देयता वाले पथों पर परिहार्य भुगतान	3.2.3.8	144
3.12	आपातकालीन कार्य के तहत अनियमित भुगतान	3.2.3.9	146
3.13	स्वीप खाते को बचत खाते में परिवर्तित करने के कारण सरकार को हुई हानि का विवरण	3.4	147
3.14	रेल के बजाय सड़क मार्ग से बोल्डर ढुलाई के कारण हुए अतिरिक्त व्यय का विवरण	3.5	150
3.15	कूड़ेदानों के क्रय में हानि	3.12	151

प्राक्कथन

यह प्रतिवेदन मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए संविधान के अनुच्छेद 151 के अन्तर्गत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्र सेवाओं के अन्तर्गत बिहार सरकार के विभागों के निष्पादन लेखापरीक्षा और अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

प्रतिवेदन में वैसे मामले शामिल हैं जिन्हें वर्ष 2017-18 के लेखाओं के नमूना लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया तथा साथ ही जो पूर्ववर्ती वर्षों में पाए गए परन्तु पूर्व लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल नहीं किए जा सके थे। प्रतिवेदन में वर्ष 2017-18 के बाद की अवधि से संबंधित मामलों को भी आवश्यकतानुसार अद्यतन कर शामिल किया गया है। इस प्रतिवेदन में निहित लेखापरीक्षा परिणाम सीमित नमूना-जाँच पर आधारित है। राज्य सरकार को सभी विभागों के कार्यकलाप की समीक्षा करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सदृश्य मामलें मौजूद नहीं हैं।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप लेखापरीक्षा संपादित किए गए हैं।

A stylized blue envelope icon with a triangular flap pointing upwards. The body of the envelope is a rounded rectangle. Centered on the front of the envelope is the text 'विहंगावलोकन' in a black, sans-serif font.

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

31 मार्च 2018 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सामान्य, सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्रों पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के इस प्रतिवेदन में 'बिहार में मेडिकल शिक्षा' का एक निष्पादन लेखापरीक्षा, स्थानीय निकायों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों के उपयोग और सिफारिशों के क्रियान्वयन और दीर्घकालीन आउटपुट एवं प्रदर्शन—आधारित पथ आस्तियां अनुरक्षण अनुबंध (ओ.पी.आर.एम.सी.) चरण-1 के तहत पथों का अनुरक्षण पर दो दीर्घ कंडिकाओं और सरकारी विभागों पर दस अनुपालन लेखापरीक्षा कंडिकाओं के निष्कर्ष शामिल हैं। महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों का सारांश नीचे दिया गया है।

निष्पादन लेखापरीक्षा

2. बिहार में मेडिकल शिक्षा

परिचय

मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया (एम.सी.आई.) के अनुशंसाओं पर भारत सरकार नये मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने और स्नातक (एम.बी.बी.एस.), स्नातकोत्तर (एम.डी./एम.एस. डिप्लोमा) और सुपर स्पेशियलिटी (डी.एम./एम.सी.एच.) पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए अनुमति प्रदान करता है। उसी प्रकार भारतीय दंत परिषद, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद और भारतीय नर्सिंग परिषद क्रमानुसार दंत महाविद्यालयों, होम्योपैथी महाविद्यालयों, आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों और नर्सिंग संस्थाओं को विनियमित करते हैं। ये विनियामक निकाय मेडिकल संस्थानों की स्थापना और चलाने के लिए सीटों की संख्या, पाठ्यक्रम, आधारभूत संरचना इत्यादि के संबंध में मानदंडों का निर्धारण करते हैं।

बिहार देश की कुल आबादी का 8.6 प्रतिशत के साथ भारत में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सरकारी डॉक्टर-नर्स-प्रसाविका आबादी अनुपात का राष्ट्रीय औसत प्रति एक लाख की आबादी के लिए 221 है जिसके विरुद्ध राज्य का औसत मात्र 19.74 था। नीति आयोग के अनुसार, बिहार को प्रमुख इनपुट्स/प्रोसेस डोमेन क्षेत्र में सबसे निचले पायदान पर रखा गया है जो स्वास्थ्य प्रणालियों, सेवा वितरण, प्रत्यायन इत्यादि से संबंधित है और स्वास्थ्य परिणाम अधिकार क्षेत्र में तीसरा न्यूनतम है जिसमें मृत जन्म दर, नवजात मृत्यु दर, पाँच वर्ष से कम आयु में मृत दर, मातृत्व मृत्यु दर, कुल जन्म दर, निम्न जन्म दर, जन्म के दौरान लिंगानुपात, प्रतिरक्षा विस्तार, संस्थागत प्रसव, क्षय मामलों और उपचार सफलता दर एवं एच.आई.वी. रोगी शामिल हैं।

(कंडिका 2.1 और 2.3)

(लेखापरीक्षा निष्कर्ष)

क्षमता वृद्धि के लिए योजना

बारहवीं पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में चिकित्सकों और नर्सों के लिए एक लाख की आबादी के लिए वांछनीय धनत्व की परिकल्पना की गई थी, जिसके विरुद्ध बिहार में रिक्विरियाँ शून्य प्रतिशत से 92 प्रतिशत के बीच थी। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि राज्य योजना, केन्द्र प्रायोजित योजना और सात निश्चय के तहत 2006-07 से 2016-17

के दौरान शुरू किये गये 12 मेडिकल कॉलेजों (एक दंत कॉलेज सहित) के निर्माण के विरुद्ध 2018 तक प्रभावी योजना की अनुपस्थिति के कारण सिर्फ दो मेडिकल कॉलेज क्रियाशील हुये। 61 के लक्ष्य (2020-21 तक कुल 126 नर्सिंग संस्थान) के विरुद्ध 2018 तक सिर्फ दो नर्सिंग संस्थानों को पूरा किया जा सका। बिहार सरकार ने विद्यमान मेडिकल कॉलेजों की सीटों को बढ़ाने के लिए प्रभावी प्रयत्न नहीं किया।

(कंडिका 2.7)

शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी का अभाव

मेडिकल शिक्षा के सभी शाखाओं में शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी की कमी निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध क्रमानुसार छः से 56 प्रतिशत और आठ से 70 प्रतिशत के बीच था।

(कंडिका 2.8.1)

शिक्षण घंटे की कमी

पांच मेडिकल कॉलेजों में वास्तविक शिक्षण घंटे में एम.सी.आई. के शर्तों के विरुद्ध 14 से 52 प्रतिशत के बीच कमी थी। शिक्षण घंटे में कमी का कारण संकायों का अभाव था।

(कंडिका 2.8.1.1)

मेडिकल, आयुष और नर्सिंग कॉलेजों में अपर्याप्त आधारभूत संरचना

मानदंडों के अनुसार, आधारभूत संरचनाओं का न्यूनतम स्तर अर्थात् पुस्तकों और पत्रिकाओं की पर्याप्त-संख्या के साथ पुस्तकालय, बैठक क्षमता, पर्याप्त जगह और सुविधाओं के साथ प्रयोगशालाएँ, श्रव्य-दृश्य साधन और पर्याप्त बैठक क्षमता के साथ सुसज्जित व्याख्यान हॉल/प्रदर्शन कक्ष, छात्रावास सुविधाएँ इत्यादि अपेक्षित है। संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान विनियमन संस्थाओं के मानदंडों के तुलना में आधारभूत संरचना (कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास इत्यादि) में उल्लेखनीय कमियाँ पायी गयी जिसने शैक्षणिक लक्ष्य के लिए एक गैर-अनुकूल वातावरण का सृजन किया।

(कंडिका 2.8.2)

मेडिकल कॉलेजों में उपकरण

नमूना-जाँचित पांच कॉलेजों में 2017-18 के दौरान मेडिकल कॉलेजों के 20 नमूना जाँचित विभागों में मेडिकल उपकरण की कमी 38 से 92 प्रतिशत के बीच थी। आई. जी.आई.एम.एस. पटना के दो विभागों, जी.एम.सी. बेतिया के आठ विभागों और डी.एम.सी. दरभंगा के एक विभाग में सभी प्रकारों के उपकरण में कमी थी। आगे, लेखापरीक्षा ने एक से नौ वर्षों से बेकार पड़े या खराब उपकरण के मामलों को पाया। मशीनें बेकार या खराब थी क्योंकि मशीनों को चलाने के लिए तकनीकी मानवबल की अनुपलब्धता थी और मरम्मत के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गये।

(कंडिका 2.8.4)

ग्रामीण इंटरनशिप

मेडिकल कॉलेजों साथ ही साथ सभी नर्सिंग संस्थानों के छात्रों को मानदंडों के अनुसार 2013-18 के दौरान ग्रामीण इंटरनशिप से पर्याप्त रूप से अवगत नहीं कराया गया।

(कंडिका 2.8.5)

वित्तीय प्रबंधन

सरकार संस्थानों को चलाने हेतु योजना और गैर-योजना शीर्षों के तहत मेडिकल शिक्षा के लिए निधि प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त, आधारभूत संरचनाओं के सृजन और उपकरणों की आपूर्ति के लिए बिहार मेडिकल सर्विसेज एण्ड इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड (बी.एम.एस.आई.सी.एल.) / बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड (बी.आर.पी.एन.एन.एल.) को निधियाँ प्रदान की गयी। यह देखा गया कि योजना शीर्ष के तहत केवल 75 प्रतिशत राशि को 2013-18 के दौरान व्यय किया गया जो राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू किये गये निर्माण कार्यों की खराब प्रगति के कारणवश है।

वर्धमान इंस्टीच्यूट्स ऑफ मेडिकल साइंस, पावापुरी और मधेपुरा में मेडिकल कॉलेज के निर्माण और अक्टूबर 2012 से मार्च 2017 के दौरान बेतिया और पटना के चार नमूना-जाँचित कॉलेजों में सुरक्षा, सफाई और गृह व्यवस्था उद्देश्यों के लिए मानवबल की आपूर्ति के अभिलेखों के लेखापरीक्षा संवीक्षा में उद्घाटित हुआ कि संविदा अनुबंध और संगत नियमों के धाराओं के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप ₹78.47 करोड़ तक का आधिक्य भुगतान/अस्वीकार्य भुगतान हुआ। कार्यकारी अभिकरणों ने ₹21.41 करोड़ के अधिक सेन्टेज प्रभारित किया।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि परामर्शियों को ₹7.35 करोड़ का भुगतान किया गया और यह सेन्टेज से भुगतान नहीं कर कार्य व्यय को प्रभारित किया गया था, परिणामस्वरूप राज्य राजकोष को हानि हुई।

आगे, लेखापरीक्षा ने एक से 12 वर्षों से लंबित ₹7.30 करोड़ के डी.सी. विपत्रों के गैर-प्रस्तुतीकरण और छात्रों जिन्होंने बीच में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम छोड़ दिया, से लिये गये बॉण्ड राशि के लेखांकन के लिए प्रावधानों के अभाव के मामलों को भी पाया।

(कड़िका 2.9)

निगरानी और पर्यवेक्षण

विभाग और मेडिकल संस्थानों की अधूरी निगरानी और पर्यवेक्षण में पाया गया जिसके परिणामस्वरूप अनियमित प्रवेश, जाली अंक-पत्रों पर प्रवेश, कपटपूर्ण तरीकों से प्रवेश, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना (पी.एम.सी., पटना) और राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, बेगुसराय (जी.ए.सी., बेगुसराय) में स्वीकृत सीटों से परे अनियमित प्रवेश और बी.सी.ई.सी.ई. अधिनियम, 1995 के कार्यान्वयन के लिए नियम/विनियमों का गैर-सूत्रीकरण हुआ।

(कड़िका 2.10)

अनुपालन लेखापरीक्षा

3.1 स्थानीय निकायों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन तथा अनुदानों की उपयोगिता

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) प्रदत्त अवधि 2015-20 के लिए केन्द्र राज्य राजकोषीय संबंधों के निर्दिष्ट पहलुओं पर सिफारिशें करने के लिए जनवरी 2013 में गठित किया गया था और उसने 15 दिसम्बर 2014 को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। चौ.वि.आ. के लिए राज्य वित्त आयोग के सिफारिशों पर आधारित स्थानीय निकायों (स्था.नि.)

के संसाधनों को संपूरकता देने में राज्यों को संचित निधि में वृद्धि करने के लिए जरूरी उपाय की अनुशंसा करना अनिवार्य था।

चौ.वि.आ. के सिफारिशों की क्रियान्वयन की स्थिति

कुल 22 सिफारिशों में से, 19 को राज्यों द्वारा कार्यान्वित किया जाना था, छः को भारत सरकार (भा.स.) द्वारा जबकि तीन को दोनों राज्य और भारत सरकार (भा.स.) द्वारा कार्यान्वित किया जाना था। बिहार सरकार ने राज्यों से संबंधित 22 सिफारिशों में से सिर्फ दो सिफारिशों को पूरी तरह से कार्यान्वित किया था।

(कंडिका 3.1.6)

योजना

योजना अपर्याप्त थी इसलिए कि जिला योजना समिति (जि.यो.स.) ने 2015-18 की अवधि के लिए ग्राम पंचायतों और नगर-पालिकाओं के योजनाओं को समेकित करते हुये जिला योजना तैयार नहीं किया। वर्ष 2017-18 के लिए ग्राम पंचायत विकास योजना (ग्रा.पं. वि.यो.) ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य विभागों/अभिकरणों द्वारा कार्यान्वित की गयी अन्य ग्रामीण क्षेत्र कार्यक्रमों के तकनीकी इनपुट सहित संसाधनों का अभिशरण करते हुए, तैयार नहीं किया गया।

(कंडिका 3.1.7.1)

वित्तीय प्रबंधन

बिहार सरकार ने ग्राम पंचायतों के लिए ₹9,041.65 करोड़ के हकदार मूल अनुदानों (मू. अनु.) को प्राप्त किया जबकि 2015-18 की अवधि के लिए ₹1,023.36 करोड़ के हकदार राशियों के विरुद्ध नगर-पालिकाओं के लिए ₹1,011.97 करोड़ का मूल अनुदान प्राप्त किया। बिहार सरकार ने अनिवार्य शर्तों के गैर-पूर्ति के कारण ग्राम पंचायतों के लिए 2016-18 की अवधि के लिए ₹878.56 करोड़ का निष्पादन अनुदान (नि.अनु.) प्राप्त नहीं किया।

(कंडिका 3.1.8.1)

2015-18 के वर्षों के लिए ग्राम पंचायतों को अनुदानों को हस्तांतरण करने में 11 से 261 दिन की देरी थी जबकि सिर्फ वर्ष 2015-16 (पहला किस्त) के लिए नगर-पालिकाओं को निधियाँ को हस्तांतरित करने में 21 से 39 दिन की देरी थी जिसने स्थानीय निकायों को देय ब्याज के रूप में राज्य के लिए ₹37.91 करोड़ की देयता का सृजन किया। पंचायती राज विभाग ने वर्ष 2015-16 के लिए मूल अनुदान के प्रथम किस्त के विलंबित विमोचन के लिए ग्राम पंचायतों को ₹8.12 करोड़ के दांडिक ब्याज का भुगतान किया।

(कंडिका 3.1.8.1)

17 से 147 दिन के लिए भारत सरकार को राज्य द्वारा उपयोगिता प्रमाण-पत्रों (स्थानीय निकायों को अनुदानों के विमोचन के संबंध में) के प्रस्तुतीकरण में देरी ने भारत सरकार द्वारा अनुदानों के आगामी किस्तों के विमोचन में देरी करने को अग्रसर किया। राज्य ने 2015-17 के दौरान स्थानीय निकायों को जारी अनुदानों ₹4621.85 करोड़ का उपयोगिता प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया। बिहार सरकार ने 2015-18 के दौरान प्राप्त अनुदानों के कुल राशियों के लिए भा.स. को उपयोगिता प्रमाण-पत्रों को प्रस्तुत किया जिसमें यह दिखाया गया था कि राशियों को समय पर जारी किया गया जबकि अनुदानों को विलंब के साथ जारी किया गया और स्थानीय निकायों को कुल राशियाँ जारी नहीं की गयी।

(कंडिका 3.1.8.2)

राज्य साथ ही साथ स्थानीय निकायों ने अपने संसाधनों से राजस्व के संग्रहण के लिए आवश्यक कदम (ग्राम पंचायत के लिए विशेष तौर पर) नहीं उठाया। कोषागार से अनुदानों

के गैर-निकासी, विभिन्न स्तर (ग्राम पंचायत, वार्ड, जिला परिषद, नगर-पालिका इत्यादि) पर अनुदान का गैर-उपयोग के मामले पाये गये।

(कंडिका 3.1.8.2, 3.1.8.3 एवं 3.1.8.4)

कार्यों का निष्पादन

नगर परिषद सीवान द्वारा भराव-क्षेत्र के लिए भूमि के अर्जन के लिए ₹3.15 करोड़ का अनियमित भुगतान। इसके अलावा, कार्यों को विभाजित करने के मामले और हाई मास्ट लाईट के क्रय में अनियमितताओं के मामलों भी पाये गये।

मुख्यमंत्री निश्चय योजना (मु.मं.नि.यो.) के तहत कार्य की प्रगति संतोषजनक नहीं थी क्योंकि सिर्फ 10 नमूना-जाँचित ग्राम पंचायतों और नगर-पालिकाओं में क्रमानुसार कार्यों का 15 और 24 प्रतिशत पूरा किया गया। राज्य स्तर पर नौ से 41 प्रतिशत कार्य पूरा किया गया।

(कंडिका 3.1.9)

मानव बल

पंचायती राज संस्थानों और नगर-पालिकाओं के सभी स्तरों पर मानव बल का विकट अभाव था। पंचायत सचिव ग्राम पंचायत स्तर पर सभी मामलों को देखने के लिए एकमात्र व्यक्ति था लेकिन राज्य स्तर पर 56 प्रतिशत पद खाली थे जबकि राज्य के नमूना-जाँचित नगर-पालिकाओं में 62 प्रतिशत खाली थे।

(कंडिका 3.1.10.3)

संयुक्त भौतिक सत्यापन का निष्कर्ष

भौतिक सत्यापन के दौरान मापी पुस्त के फर्जी बुकिंग के मामलों, अभिलेखों में निष्पादित दिखाये गये कार्यों को किया हुआ पाया नहीं गया, कार्यों के कम मात्रा उसी के लिए भुगतान के साथ अनुरूप किये हुये पाये गये।

(कंडिका 3.1.11)

ग्राम पंचायतों द्वारा मुख्यमंत्री निश्चय योजना के कार्यान्वयन के लिए समन्वय का अभाव

चौदहवें वित्त आयोग के सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए पर्यवेक्षण, समायोजन और सुगम करने के लिए अधिकृत प्राधिकारी वर्ग और समितियाँ अपर्याप्त थी क्योंकि सहयोग सेल का गठन नहीं किया गया जबकि ग्राम पंचायत स्तर पर निगरानी समिति और लोक निर्माण समिति कार्य की प्रगति के निगरानी और पर्यवेक्षण करने में संलग्न नहीं थे।

(कंडिका 3.1.12.3)

3.2 दीर्घकालीन आउटपुट एवं प्रदर्शन-आधारित पथ आस्तियां अनुरक्षण अनुबंध (ओ.पी.आर.एम.सी.) चरण-1 के तहत पथों का अनुरक्षण

पथ आस्तियों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए बिहार पथ आस्तियां अनुरक्षण नीति 2013 ने इनपुट आधारित अनुबंध के विद्यमान प्रणाली के बजाय ओ.पी.आर.एम.सी. प्रणाली को अपनाया। समीक्षा में उद्घाटित हुआ कि प्रारंभिक सुधार तथा सावधिक अनुरक्षण कार्यों के मदों के संबंध में उनके निष्पादन के समय को अनुबंध के तहत नियोक्ता (पथ निर्माण विभाग) द्वारा दर्शाया गया था। इससे प्रकट हुआ कि इनपुट पर आधारित प्रणाली के तहत पथों के अनुरक्षण की पुरानी प्रणाली आउटपुट आधारित प्रणाली (ओ.पी.आर.एम.सी.) के तहत अभी भी जारी थी।

पथ प्रमण्डल, बक्सर और शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के तहत सेवा-स्तर जांच के प्रतिवेदनों में प्रकट हुआ कि सेवा-स्तर के संबंध में अंतरराष्ट्रीय खुरदरापन सूचकांक (आई.आर.आई.) मान के निष्कर्ष पथों के कुछ खंडों में स्वीकार्य स्तर (3500 आई.आर.आई.) से ज्यादा थी इससे पथ उपयोगकर्ताओं को पथ के वांछित सेवा स्तर की गैर-उपलब्धता का संकेत मिल रहा है।

आगे ₹424.67 करोड़ मूल्य के कार्य नमूना-जाँचित प्रमण्डलों के तहत 13 पैकेजों में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किये हुये बिना शुरू किये गये। पथ प्रमंडल, मधुबनी में तीन पैकेजों के तहत पथ मार्किंग कार्य पर ₹3.57 करोड़ के अधिक भुगतान किया गया, पथ प्रमंडल, मोतिहारी एवं पथ प्रमंडल सीतामढ़ी के तहत आवर्ती अनुरक्षण कार्य पर ₹99.05 लाख का अधिक भुगतान किया गया। इसके अलावा चार नमूना-जाँचित प्रमंडलों ने उन पथों में प्रारम्भिक सुधार के तहत ₹92.72 लाख का परिहार्य भुगतान किया गया जो पहले से ही दोष दायित्व अवधि से थे, साथ ही चार नमूना जाँचित प्रमंडलों में सावधिक अनुरक्षण कार्य पर ₹3.38 करोड़ एवं दो नमूना जाँचित प्रमंडलों में आपातकालीन कार्यों पर ₹86.28 लाख का भुगतान अनियमित था।

लेखापरीक्षा कंडिकाएँ

लेखापरीक्षा ने गंभीर क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कमियों का अवलोकन किया जिससे राज्य सरकार के प्रभावशीलता पर असर पड़ता है। अनुपालन लेखापरीक्षा (10 कंडिकाएँ) से उत्पन्न कुछ महत्वपूर्ण निष्कर्ष प्रतिवेदन में चित्रित किये गये हैं। प्रमुख अवलोकन नियम एवं विनियमनों के साथ गैर-अनुपालन, औचित्य के विरुद्ध लेखापरीक्षा और पर्याप्त औचित्य के बिना व्यय एवं निरीक्षण/नियमन की विफलता के मामलों से संबंधित है जैसे नीचे वर्णित है:

- वित्तीय नियमों के अनुपालन की विफलता के कारण ₹2.89 करोड़ का गबन।
(कंडिका 3.3)
- स्वीप खाता को बचत खाता में परिवर्तित करने संबंधी महिला विकास निगम के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण सरकार को ₹5.15 करोड़ की हानि हुई।
(कंडिका 3.4)
- रेल मार्ग के स्थान पर सड़क मार्ग से लीड की अनियमित स्वीकृति दिये जाने के कारण ₹12.04 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।
(कंडिका 3.5)
- संबंधित भवन प्रमंडलों द्वारा पूर्ण किए गए छात्रावास भवनों को अधिकार में लेने के प्रति जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण उनके निर्माण पर व्यय तथा छात्रावास भवनों के नवीकरण पर बाद में व्यय की गई कुल ₹3.47 करोड़ की राशि निष्फल हुई।
(कंडिका 3.6)
- शिक्षा विभाग द्वारा आधार सक्षम बाल अभिलेख डिजिटलीकरण के रोके जाने के निर्णय के कारण खर्च हुए ₹1.98 करोड़ का व्यय निष्फल हुआ।
(कंडिका 3.7)

- बिहार अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) के द्वारा बिना परफॉरमेंस गारंटी प्राप्त किए अनुबंध निष्पादित करने की कार्रवाई एवं एजेंसी के विरुद्ध परफॉरमेंस गारंटी वसूली की दिशा में बिना किसी कानूनी कार्यवाही किए पुनः निविदा करने के कारण राजकीय कोष पर ₹5.93 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। पुनः, ब्रेडा ₹2.94 करोड़ की परफॉरमेंस गारंटी एजेंसी से वसूल नहीं सका।

(कंडिका 3.8)

- कार्यपालक पदाधिकारी के पर्यवेक्षण व नगर परिषद के लेखाओं के मिलान में कमी तथा निकाय-राजस्व के कुप्रबन्धन के कारण ₹85.45 लाख का दुर्विनियोजन।

(कंडिका 3.9)

- एल.ई.डी. लाईट के क्रय हेतु वित्तीय बोली के मूल्यांकन के दौरान न्यूनतम दर वाले निविदाकार द्वारा दिये गए दर को नगर परिषद अरवल द्वारा जान-बूझकर नहीं लिए जाने के परिणामस्वरूप ₹50.33 लाख राशि का अधिक व परिहार्य भुगतान।

(कंडिका 3.10)

- विद्युत शुल्क की छूट लेने में नगर निगमों के विफल रहने के फलस्वरूप ₹5.14 करोड़ राशि का अस्वीकार्य भुगतान हुआ।

(कंडिका 3.11)

- कूड़ेदान के क्रय में वित्तीय प्रावधानों का पालन न किये जाने एवं मूल्य संबंधी मोल-भाव में बरती गई अनियमितता के परिणामस्वरूप दो शहरी स्थानीय निकायों को ₹6.98 करोड़ की हानि।

(कंडिका 3.12)



अध्याय-I परिचय

अध्याय-I परिचय

1.1 इस रिपोर्ट के बारे में

यह प्रतिवेदन चयनित कार्यक्रमों और कार्यकलापों के निष्पादन लेखापरीक्षा तथा बिहार सरकार के सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों के अन्तर्गत विभागों के अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों से संबंधित हैं।

निष्पादन लेखापरीक्षा एक विस्तार क्षेत्र जिसमें उस सीमा तक, जहाँ तक एक संगठन, कार्यक्रम या योजना मितव्ययितापूर्वक, दक्षतापूर्वक तथा प्रभावकारितापूर्वक संचालित होती है, का एक स्वतंत्र मूल्यांकन/परीक्षण है। निष्पादन का उचित मानदंडों के विरुद्ध परीक्षण किया जाता है और उन मानदंडों से विचलन के कारणों का विश्लेषण किया जाता है।

अनुपालन लेखापरीक्षा सरकार के व्यय, प्राप्तियों, संपत्तियों और दायित्वों से संबंधित लेन-देन का परीक्षण सुनिश्चित करने के लिए भारत के संविधान के प्रावधानों, लागू कानूनों, नियमों, विनियमनों और सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी विभिन्न आदेशों तथा निर्देशों का अनुपालन किये जाने को संदर्भित करता है।

इस प्रतिवेदन का प्राथमिक उद्देश्य वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षाओं के संबंध में महत्वपूर्ण सार के लेखापरीक्षा निष्कर्षों को विधानमंडल के ध्यान में लाना है। लेखापरीक्षा निष्कर्षों से यह अपेक्षा है कि वह कार्यकारी को सुधारात्मक कार्यवाई करने के साथ-साथ नीतियों और निर्देशों के ढाँचों निर्माण हेतु सक्षम बनाएगा, जो संस्था के वित्तीय प्रबंधन को बेहतर रूप से आगे करेगा, इस तरह से अधिक अच्छा शासन और बेहतर सार्वजनिक सेवा देने में योगदान करेगा।

इस प्रतिवेदन में तीन अध्याय शामिल हैं। यह अध्याय, लेखापरीक्षा की योजना और सीमा के व्याख्या के साथ-साथ, विभागों के व्यय एवं लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन/लेखापरीक्षा प्रतिवेदन एवं उन पर की गई कार्यवाई पर सरकार की प्रतिक्रिया का संक्षिप्त विश्लेषण प्रदान करता है। अध्याय-II और III वर्ष 2017-18 के दौरान किए गए निष्पादन और अनुपालन लेखापरीक्षा पर विस्तृत निष्कर्षों और अवलोकनों को प्रस्तुत करता है।

1.2 लेखापरीक्षिती रूपरेखा

राज्य में 44 विभाग हैं, जिनमें से 39 विभाग सामान्य, सामाजिक एवं आर्थिक प्रक्षेत्रों से संबंधित हैं। वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹1,87,344.00 करोड़ के कुल बजट के विरुद्ध, राज्य ने कुल ₹1,40,947.00 करोड़ व्यय किया। जिसमें ₹1,83,723.78 करोड़ के बजट के विरुद्ध कुल ₹1,28,832.88 करोड़ का व्यय सामान्य, सामाजिक और आर्थिक प्रक्षेत्रों के तहत 39 विभागों से संबंधित थे।

1.3 निरीक्षण प्रतिवेदनों पर सरकार की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार लेनदेन की नमूना-जाँच द्वारा सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण का संचालन तथा निर्धारित नियमों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार महत्वपूर्ण लेखांकन एवं अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण को सत्यापित करता है। इन निरीक्षणों के पश्चात चार सप्ताह के अन्दर जवाब प्रस्तुत करने के अनुरोध के साथ, कार्यालय प्रमुख को लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) जारी किया जाता है। लेखापरीक्षा निरीक्षण के दौरान पाये गए महत्वपूर्ण अनियमितताओं का निपटान कार्य-स्थल पर नहीं किये जाने

की स्थिति में, इन्हें निरीक्षित कार्यालयों के प्रमुखों, अगले उच्च प्राधिकारियों को प्रतिलिपि के साथ जारी किया जाता है।

जब भी जवाब प्राप्त होते हैं, लेखापरीक्षा निष्कर्ष का या तो निपटान किया जाता है या अनुपालन के लिए अग्रेतर कार्रवाई की सलाह दी जाती है। इन निरीक्षण प्रतिवेदनों में चिह्नित किए गये महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्षों को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल करने की प्रक्रिया की जाती है, जो भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के तहत बिहार के राज्यपाल को प्रस्तुत किये जाते हैं।

वर्ष 2017-18 के दौरान, राज्य के 651 आहरण एवं संवितरण अधिकारी और तीन स्वायत्त निकायों का अनुपालन लेखापरीक्षा कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार द्वारा संचालित किया गया था।

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार के कार्यालय द्वारा गंभीर अनियमितताओं को लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की अर्धवार्षिक प्रतिवेदन के माध्यम से विभागों के प्रमुखों के भी ध्यान में लाया गया है।

सितम्बर 2017 तक 38 विभागों से संबंधित 3,018 आहरण एवं संवितरण अधिकारी को जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदनों की विस्तृत समीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 7,760 निरीक्षण प्रतिवेदन से संबंधित ₹2,81,420.43 करोड़ के वित्तीय निहितार्थ वाले 50,367 कंडिकाएं 31 मार्च 2018 के अंत तक लंबित रहे हैं जैसा कि तालिका 1.1 में दिखाया गया है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिका और अनियमितताओं के प्रकार की वर्ष-वार स्थिति परिशिष्ट-1.1 और परिशिष्ट-1.2 में क्रमशः वर्णित है:

तालिका 1.1
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन/कंडिकाएं

क्रम संख्या	अवधि	लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन (प्रतिशत)	लंबित कंडिकाओं की संख्या (प्रतिशत)	शामिल राशि (₹करोड़ में)
1	1 वर्ष से कम	544 (7)	4,984 (10)	39,964.79
2	1 से 3 वर्षों तक	2,845 (37)	20,263 (40)	1,22,655.75
3	3 वर्षों से अधिक से 5 वर्षों तक	1,459 (19)	9,320 (19)	72,352.98
4	5 वर्षों से अधिक से 8 वर्षों तक	2,912 (37)	15,800 (31)	46,446.91
	कुल	7,760	50,367	2,81,420.43

वर्ष 2017-18 के दौरान, 60 लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित की गईं जिनमें केवल 144 कंडिकाओं का निपटान किया गया।

विभागीय अधिकारी निर्दिष्ट समय सीमा के अन्दर लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों पर कार्रवाई करने में असफल रहें, परिणामस्वरूप उत्तरदायित्व का क्षरण हुआ।

यह अनुशंसा की जाती है कि सरकार लेखापरीक्षा अवलोकनों पर त्वरित एवं उचित प्रतिक्रिया सुनिश्चित करने के लिए मामलों को देखें।

1.4 महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा अवलोकनों के लिए सरकार की प्रतिक्रिया (निष्पादन लेखापरीक्षा/अनुपालन लेखापरीक्षा)

पिछले कुछ वर्षों में, लेखापरीक्षा ने विभिन्न कार्यक्रमों/गतिविधियाँ कार्यान्वयन तथा चयनित विभागों के आंतरिक नियंत्रणों के गुणवत्ता में महत्वपूर्ण कमियों पर सूचना दी

है, जिसका विभागों के कार्यक्रमों और कार्यकलापों की सफलता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। मुख्य ध्यान विशिष्ट कार्यक्रमों/योजनाओं की लेखापरीक्षा और कार्यकारी को सुधारात्मक कार्रवाई एवं नागरिकों को सेवा प्रदान करने में सुधार के लिए उचित सिफारिश प्रदान करने पर था।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा एवं लेखा विनियमन 2007 के प्रावधानों के अनुसार, विभागों को छः सप्ताह के अन्दर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों/प्रारूप कंडिकाओं पर उनकी प्रतिक्रिया भेजने की आवश्यकता है। यह विभागों के प्रमुख के व्यक्तिगत ध्यान में लाया गया कि राज्य विधानमंडल के समक्ष पेश किए जानेवाले भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में ऐसे कंडिकाओं के संभावित समावेश को ध्यान में रखते हुए, इस मामले में उनकी टिप्पणियाँ शामिल करना वांछनीय होगा। उन्हें प्रारूप निष्पादन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों और प्रारूप लेखापरीक्षा कंडिकाओं पर चर्चा करने के लिए महालेखाकार से मिलने की भी सलाह दी गई थी। प्रतिवेदन में शामिल होने के लिए प्रस्तावित इन प्रारूप प्रतिवेदनों और कंडिकाओं को विभागों के प्रमुखों को उनके जवाब प्राप्त करने के लिए भी भेजा गया।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के लिए, स्वास्थ्य विभाग का निष्पादन लेखापरीक्षा बिहार में स्वास्थ्य शिक्षा के पक्ष में और नगर एवं आवास विकास विभाग का स्थानीय निकायों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग अनुदान के उपयोगिता एवं अनुशंसाओं के क्रियान्वयन के पक्ष में जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं। आठ प्रारूप कंडिकाओं पर भी विभागों के जवाब प्राप्त नहीं हुए हैं।

1.5 निष्पादन/अनुपालन लेखापरीक्षा के संचालन के दौरान सरकार और लेखापरीक्षित इकाईयों की प्रतिक्रिया

नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ और सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 18 (1) (ब) अनुबंध करता है कि नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को यह प्राधिकार होगा कि वह कोई लेखे, बहियाँ और अन्य दस्तावेजों की मांग कर सकता है जो उन संव्यवहारों जिनकी लेखापरीक्षा की बाबत उसके कर्तव्यों का विस्तार है, के बारे में हो या उनका आधार हो या उनसे सुसंगत हो। इस प्रावधान को लेखा एवं लेखापरीक्षा विनियमन 2007 के नियम 181 द्वारा पुनः विस्तारित किया गया है, जो यह निर्धारित करता है कि प्रत्येक विभाग अथवा सत्त्व यह सुनिश्चित करने के लिए कि लेखापरीक्षा द्वारा अपेक्षित आकड़ें, सूचना तथा दस्तावेज उसे समय पर उपलब्ध कराए गए हैं, एक तंत्र स्थापित करेगा तथा कार्यान्वित करेगा।

ऐसे स्पष्ट प्रावधानों के बावजूद, लेखापरीक्षा के समक्ष अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के कई मामले हैं। ये लेखापरीक्षा के प्रभावशीलता को सीमित करते हैं। यद्यपि इस तरह के मामले प्रत्येक अवसर पर प्राधिकारियों के संज्ञान में लाए जाते हैं, परंतु संबंधित प्राधिकारियों द्वारा अनुवर्ती कार्रवाई एक समान शीघ्र एवं प्रभावी नहीं है।

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के लिए एक निष्पादन लेखापरीक्षा और दो दीर्घ कंडिकाएं इस प्रतिवेदन में शामिल की गई हैं। हालांकि बार-बार प्रयासों के बावजूद लेखापरीक्षा दलों द्वारा मांगे गए अभिलेख उपलब्ध नहीं कराये गए थे और कई मामलों में लेखापरीक्षा के दौरान जारी लेखापरीक्षा ज्ञापनों के जवाब उपलब्ध नहीं कराये गए थे। 135 इकाईयों में से 74 ने लेखापरीक्षा द्वारा माँगे गए कतिपय अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं किया, जिसका विवरण **परिशिष्ट-1.3** में है।

अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण गंभीर रूप से भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के संवैधानिक अधिदेश के कयावद को परिसीमित करता है और परिणामस्वरूप राज्य सरकार के पदाधिकारियों के जवाबदेही में कमी और धोखाधड़ी, दुर्विनियोजन, गबन आदि को छिपाया जा सकता है। राज्य सरकार को उचित कार्रवाई करने सहित अभिलेखों के अप्रस्तुतीकरण के प्रत्येक मामले को चिन्हित करते हुए, सतर्कता के दृष्टिकोण से संबंधित पदाधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने का आग्रह किया जाता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा और दो दीर्घ कंडिकाओं के संबंध में जारी 1,540 लेखापरीक्षा ज्ञापनों में से, 315 लेखापरीक्षा ज्ञापनों का कोई जवाब प्राप्त नहीं किया गया था तथा 51 लेखापरीक्षा ज्ञापनों के संबंध में केवल आंशिक जवाब प्राप्त किए गए थे जिनका विवरण परिशिष्ट-1.3 में है।

1.6 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर कृत कार्रवाई

लोक लेखा समिति की आंतरिक कार्यप्रणाली के लिए प्रक्रिया के नियम के अनुसार प्रशासनिक विभागों को नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा कंडिकाओं एवं समीक्षाओं पर स्वतः कार्रवाई प्रारंभ करनी थी, चाहे लोक लेखा समिति द्वारा इनकी जाँच की गई हो या नहीं। उन्हें लेखापरीक्षा द्वारा परीक्षित विस्तृत टिप्पणियों को विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुति के दो माह के भीतर की गई या प्रस्तावित सुधारात्मक कार्रवाई का वर्णन प्रस्तुत करने थे।

31 मार्च 2017 की अवधि तक का लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कंडिकाओं पर 30 सितम्बर 2018 तक कृत-कार्रवाई टिप्पणियों की प्राप्ति की वस्तुस्थिति तालिका 1.2 में दी गई है।

तालिका 1.2

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (सा.सा. एवं आ.प्र.) में सम्मिलित कंडिकाओं पर विभागीय कृत-कार्रवाई की प्राप्ति के संबंध में स्थिति

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष	30 सितम्बर 2018 तक लंबित कृत-कार्रवाई (कंडिकाओं की संख्या)	राशि मूल्य (₹ करोड़ में)	राज्य विधानमंडल में प्रस्तुत करने की तिथि	कृत-कार्रवाई की प्राप्ति की नियत तिथि
2014-15	2	2.72	18/03/2016	18/05/2016
2015-16	8	2420.80	27/03/2017	27/05/2017
2016-17	प्रतिवेदन सितम्बर 2018 तक राज्य विधानमण्डल में प्रस्तुत नहीं किया गया।			

उपर्युक्त तालिका लेखापरीक्षा अवलोकनों पर विभागों की धीमी प्रतिक्रिया को दर्शाता है।

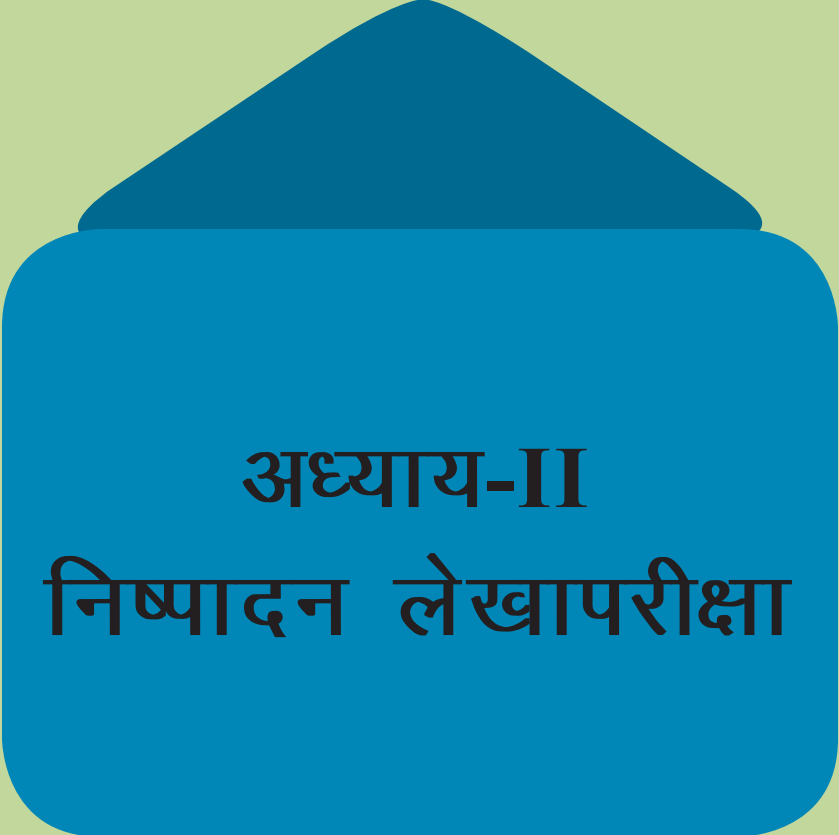
1.7 लेखापरीक्षा के परिणामस्वरूप वसूली

राज्य सरकारों के विभागों के लेखों के नमूना-जाँच के दौरान पाई गई वसूली से जुड़े लेखापरीक्षा निष्कर्षों को संबंधित प्राधिकारियों की पुष्टि एवं लेखापरीक्षा की सूचना देते हुए आवश्यक कार्रवाई के लिए संदर्भित किया जाता है।

वर्ष 2017-18 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा ₹327.60 करोड़ की वसूली के कुल 15 मामलों को चिह्नित किया गया और विभागों द्वारा इसे स्वीकार किया गया। हालांकि, विभाग ₹32.23 लाख की राशि से जुड़े सिर्फ एक मामले में वसूली कर सका।

1.8 राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन की प्रस्तुतीकरण की स्थिति

राज्य में पाँच स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंपा गया था, जिसमें से चार स्वायत्त निकायों के लेखाओं की लेखापरीक्षाओं को सौंपने का नवीकरण नहीं किया गया है। लेखापरीक्षा के सौंपने की स्थिति, लेखापरीक्षा के लेखाओं का प्रस्तुतीकरण, पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों का निर्गमन और विधानमंडल में इसकी प्रस्तुतीकरण **परिशिष्ट-1.4** में दर्शायी गई हैं।



અધ્યાય-II

નિષ્પાદન લેખાપરીક્ષા

अध्याय-II निष्पादन लेखापरीक्षा

स्वास्थ्य विभाग

बिहार में मेडिकल शिक्षा

2.1 परिचय

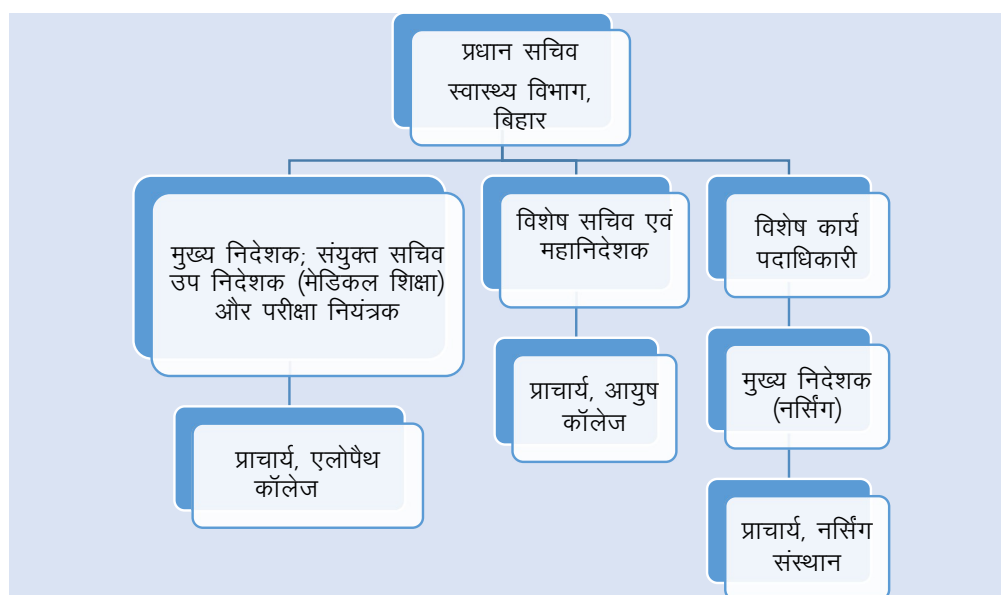
सर्व-जन स्वास्थ्य विस्तार क्षेत्र प्रावधान के संदर्भ में सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रमुख संवादों में से एक भारत में योग्य चिकित्सकों और अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों की पर्याप्त संख्या की कमी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच.ओ.) 1:1000 के जनसंख्या अनुपात के लिए एक डॉक्टर की अनुशंसा करता है। इस चुनौती का जवाब देने के लिए, आधुनिक चिकित्सा प्रणाली के साथ-साथ पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली, दोनों में स्नातक और स्नातकोत्तर प्रशिक्षण कार्यक्रमों की क्षमता बढ़ाने पर प्रमुखता से जोर दिया गया है। आधुनिक चिकित्सा पद्धति काफी हद तक भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद (भा.आ.प.) द्वारा विनियमित और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत शासित है जबकि पारंपरिक चिकित्सा पद्धति आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथी) भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (भा.चि.के.प.) और केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद (के.हो.प.) के माध्यम से विनियमित है। चिकित्सा की पारंपरिक भारतीय प्रणाली भारत सरकार (भा.स.) के आयुष के एक स्वतंत्र मंत्रालय के तहत शासित है।

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद नए मेडिकल कॉलेजों को शुरू करने और स्नातक, स्नातकोत्तर और सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश क्षमता को बढ़ाने के लिए अनुमति और मान्यता देने के लिए मामलों को केन्द्र सरकार को अनुशंसित करता है। उसी प्रकार, भारतीय दंत परिषद, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद (भा.चि.के.प.) और भारतीय नर्सिंग परिषद (भा.न.प.) क्रमानुसार दंत महाविद्यालयों, होम्योपैथी महाविद्यालयों, आयुर्वेदिक/यूनानी महाविद्यालयों और नर्सिंग संस्थाओं को विनियमित करते हैं। विनियामक संस्थाएँ संलग्न अस्पताल सहित मेडिकल संस्थानों में उपलब्ध बुनियादी ढाँचे के संबंध में मानदंड निर्धारित करती हैं।

2.2 संगठनात्मक ढांचा

बिहार में, स्वास्थ्य विभाग राज्य में मेडिकल संस्थानों के कार्य पद्धति के पर्यवेक्षण के लिए उत्तरदायी है। विभाग के प्रधान सचिव मेडिकल शिक्षा से संबंधित मामलों और नीतियों के प्रबंधन के लिए उत्तरदायी है। मेडिकल शिक्षा के लिए स्वास्थ्य विभाग का संगठनात्मक चार्ट इस प्रकार है:

सारणी सं.— 2.1 संगठनात्मक ढांचा



(स्रोत :- स्वास्थ्य विभाग)

बिहार सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के मूल ढांचा परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए बिहार मेडिकल सर्विसेज एंड इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड का सृजन किया (मई 2010)।

2.3 इस विषय को क्यों चुना गया?

राष्ट्रीय स्वास्थ्य योजना 2017 सभी विकास योजनाओं में निवारक और प्रचारक स्वास्थ्य सेवा उन्मुखीकरण द्वारा सभी के लिए स्वास्थ्य एवं हाल-चाल के उच्चतम संभव स्तर की प्राप्ति और अच्छी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवा का सार्वभौमिक पहुंच के रूप में इसके लक्ष्य को परिकल्पित करता है। इसे स्वास्थ्य सेवा वितरण के बढ़ते अभिगम, गुणवत्ता में सुधार और लागत में कमी करने के जरिये प्राप्त किया जायेगा।

बिहार राज्य स्वास्थ्य सूचकांकों को सुधारने में काफी पिछड़ गया जैसा 12वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित किया और जैसा अखिल भारतीय अवस्था में तुलना किया गया जो नीचे दिखाया गया है:

विवरण	2012-17 का लक्ष्य	वास्तविक आँकड़े (भारत)	वास्तविक आँकड़े (बिहार)
शिशु मृत्यु-दर (शि. मृ. द.)	25 तक	33	35
मातृक मृत्यु-दर (मा. मृ. द.)	100 तक	130	165
कुल प्रजनन शक्ति दर (कु.प्र.श. द.)	2.1 तक	2.2	3.2

(स्रोत :-रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया (नमूना पंजीकरण प्रणाली डाटा)

नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक प्रतिवेदन 2019 के अनुसार, 21 ज्यादा बड़े राज्यों के बीच में; बिहार ने समग्र प्रदर्शन सूचकांक गणना में सबसे ज्यादा नकरात्मक वृद्धिशील परिवर्तन दर्ज किया, प्रमुख इनपुट्स/प्रोसेस डोमेन में सबसे निचले पायदान पर रखा गया जो स्वास्थ्य प्रणालियों; सेवा वितरण, प्रत्यायन इत्यादि से संबंधित है और स्वास्थ्य परिणाम अधिकार क्षेत्र में तीसरा न्यूनतम जिसमें मृत जन्म दर, नवजात मृत्यु दर, पाँच वर्ष से कम आयु में मृत दर, मातृत्व मृत्यु दर, कुल प्रजनन दर, निम्न जन्म दर, जन्म के दौरान लिंगानुपात, प्रतिरक्षा विस्तार, संस्थागत प्रसव, क्षय मामले और उपचार सफलता दर तथा एच.आई.वी. रोगी शामिल है।

भारत के डॉक्टर-नर्स-प्रसाविका आबादी अनुपात एक लाख की आबादी के लिए 221 था जिसके विरुद्ध बिहार में अनुपात 19.74 था।

अपने सतत विकास लक्ष्य भारत सूचकांक आधारभूत प्रतिवेदन 2018 में नीति आयोग ने प्रति 1,00,000 की आबादी पर 550 की संख्या का सरकारी चिकित्सकों, नर्सों और प्रसाविका की संख्या के लिए 2030 के लिए एक राष्ट्रीय लक्ष्य तैयार किया। बिहार में डॉक्टर-नर्स-प्रसाविका औसत 221 के राष्ट्रीय औसत के विरुद्ध प्रति लाख 19.74 था।

इस विषय का चयन (राज्य में) मेडिकल कॉलेजों की स्थापना, मेडिकल कॉलेजों में क्षमता और बुनियादी ढांचे को बढ़ाने और गुणवत्ता मेडिकल शिक्षा प्रदान करने के संदर्भ में राज्य में पेशेवर स्वास्थ्यकर्मियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए बिहार सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का आकलन करने के लिए किया गया था।

2.4 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा का उद्देश्य मूल्यांकन करना था कि—

- नए मेडिकल कॉलेजों के शुरुआत के लिए योजनाओं के कार्यान्वयन, प्रवेश क्षमता में वृद्धि और सरकारी मेडिकल कॉलेजों के अद्यतन/मजबूत करने के लिए योजना ठोस थी और योजनाएँ प्रभावी रूप से लागू की गयी;
- मेडिकल और नर्सिंग संस्थानों में भौतिक आधारभूत संरचना, उपकरण और मानवबल, शिक्षण की प्रणाली (ग्रामीण इंटरनशिप/पुनश्चर्या पाठ्यक्रम इत्यादि) पर्याप्त, प्रभावी और प्रासंगिक मानदंडों के अनुरूप थे;
- निधि का प्रावधान पर्याप्त था और इसका इस्तेमाल दक्ष और प्रभावी था; और
- मेडिकल शिक्षा की निगरानी पर्याप्त, प्रभावी और विद्यमान थी।

2.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड निम्नलिखित से लिया गया है:

- भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, भारतीय दंत परिषद, केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद, भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद और भारतीय नर्सिंग परिषद के दिशा-निर्देशों और विनियमनों;
- भारतीय लोक स्वास्थ्य मानक के दिशानिर्देशों, सतत विकास लक्ष्य पर नीति आयोग द्वारा जारी दिशानिर्देशों/अनुदेशों/संकेतकों और 12 वीं पंचवर्षीय योजना;
- बिहार वित्तीय नियमों (बि.वि.नि.), बिहार कोषागार संहिता (बि.को.सं.), बिहार बजट मैनुअल और बिहार लोक निर्माण लेखा (बि.लो.नि.ले.), और विभागीय संहिता; और
- भारत सरकार और बिहार सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देश और अनुदेश।

2.6 लेखापरीक्षा कवरेज और कार्यप्रणाली

2013-18 की अवधि को सम्मिलित करते हुए अगस्त-नवम्बर 2018 के दौरान निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित किया गया। लेखापरीक्षा सरकारी एलोपैथी (आयुर्विज्ञान, दंत और भौतिक चिकित्सा तथा व्यावसायिक चिकित्सा), आयुष और नर्सिंग संस्थानों में मेडिकल शिक्षा पर केन्द्रित था। 47 राज्य सरकारी संस्थानों में से 23 संस्थानों¹ का यादृच्छिक नमूना के प्रतिस्थापन के बिना आकार के लिए संभाव्य आनुपातिक विधि (पी.पी.एस.डब्ल्यू.ओ.आर.) के आधार पर निष्पादन लेखापरीक्षा के लिए चयन किया गया। चयनित संस्थानों की सूची **परिशिष्ट-2.1** में है।

¹ नौ सरकारी मेडिकल कॉलेजों में से पांच, सात सरकारी आयुष कॉलेजों में से चार, एक दंत कॉलेज, एक भौतिक चिकित्सा एवं व्यवसायिक चिकित्सा कॉलेज और 29 नर्सिंग संस्थानों में से 12।

लेखापरीक्षा कार्यप्रणाली में दस्तावेज विश्लेषण, लेखापरीक्षा पृच्छा के जवाब, प्रश्नावली के जरिये सूचना का संग्रह और संयुक्त भौतिक सत्यापन शामिल है। एक अन्तर्गमन सम्मेलन प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के साथ अगस्त 2018 में आयोजित किया गया जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्य, कार्यप्रणाली, व्याप्ति और मानदंड का चर्चा किया गया। फरवरी 2019 में विभाग को प्रारूप प्रतिवेदन जारी किया गया। एक बहिर्गमन सम्मेलन लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर इसके विचारों को प्राप्त करने के लिए विभाग के साथ फरवरी 2019 में आयोजित भी किया गया। अप्रैल, जून, सितम्बर और अक्टूबर 2019 में स्मार-पत्र जारी करने के बावजूद विभाग द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

2.7 क्षमता वृद्धि के लिए योजना

वर्तमान प्रणाली का मूल्यांकन और भविष्य की आवश्यकताओं का आकलन योजना प्रक्रिया का एक भाग है। वर्तमान स्थिति और वांछित स्थिति के बीच विसंगति को उचित रूप से संबोधित करने के लिए मापा जाना चाहिए।

12वीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज (2013) ने प्रति एक लाख की आबादी के लिए फिजिशियन, आयुष डॉक्टर, दंत चिकित्सक और नर्सों के लिए क्रमानुसार 85, 49, 15 और 255 वांछनीय धनत्व को परिकल्पित किया। बिहार में आवश्यकता और इसकी उपलब्धता इस प्रकार थी:

तालिका सं.-2.1

डॉक्टर और नर्सों की आवश्यकता और उपलब्धता

ब्योरा	12 वीं पंचवर्षीय योजना के अनुसार आवश्यकता @	वास्तविक ऑकड़े के अनुसार उपलब्धता (31 मार्च 2018)*	कमी (प्रतिशत में)
फिजिशियन	89845	34992	61
आयुष डॉक्टर	51793	53918	शून्य
दंत चिकित्सक	15855	4886	69
नर्स	269535	21896	92

@ सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 28/08/2018 के प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार बिहार की जनसंख्या
* संघर्षण दर लेने के बाद राज्य काउंसिल के अनुसार डाटा (डॉक्टर के लिए 25 प्रतिशत और नर्सों के लिए 40 प्रतिशत)

मार्च 2018 को बिहार में राज्य सरकारी मेडिकल संस्थानों का ब्योरा इस प्रकार था:

तालिका सं.-2.2

मौजूदा सरकारी मेडिकल संस्थानों का ब्योरा

संस्थानों का प्रकार	संस्थानों की संख्या	स्नातक सीटों की संख्या
मेडिकल कॉलेज	9	950
दंत महाविद्यालय	1	40
भौतिक चिकित्सा और व्यवसायिक चिकित्सा कॉलेज	1	40
आयुष कॉलेज ²	7	140
नर्सिंग कॉलेज	1	40

² एक यूनानी कॉलेज (राजकीय टिब्बी कॉलेज, पटना), एक होम्योपैथी कॉलेज (सरकारी आर.बी.टी.एस. होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर) और पाँच आयुर्वेद कॉलेज (राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, पटना, अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेदिक कॉलेज, बेगूसराय, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज बक्सर, राजकीय आयुर्वेद कॉलेज, भागलपुर और राजकीय आयुर्वेद कॉलेज दरभंगा)।

12वीं पंचवर्षीय योजना में परिकल्पित अपेक्षित घनत्व के अनुसार शून्य से 92 प्रतिशत की रिक्तता थी।

संस्थानों का प्रकार	संस्थानों की संख्या	स्नातक सीटों की संख्या
सामान्य नर्सिंग एवं प्रसाविक (जी.एन.एम.)#	7	406
सहायक नर्स एवं प्रसाविका (ए.एन.एम.)	22	1530
पराचिकित्सा संस्थानों (मेडिकल कॉलेजों में)		996

एक सामान्य नर्सिंग एवं प्रसाविक विद्यालय और नर्सिंग कॉलेज एक संस्थान अर्थात् अर्थात् इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान में चल रहा है
(स्रोत स्वास्थ्य विभाग)

इसके अलावा एलोपैथ और आयुष कॉलेजों में 517 स्नातकोत्तर और 12 सुपर स्पेशियलिटी सीटें थीं।

विभाग ने मेडिकल संस्थानों और स्वास्थ्य सेवा कर्मियों के आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए कोई दीर्घकालीन रणनीतिक योजना नहीं बनाया था।

विभाग ने राज्य के लिए चिकित्सा संस्थानों और स्वास्थ्य कर्मी की आवश्यकता के मूल्यांकन करने के लिए कोई दीर्घकालीन रणनीति तैयार नहीं किया। तथापि 1,200 स्नातकों की प्रस्तावित वार्षिक क्षमता वाला बिहार में 12 चिकित्सा कॉलेज (एक दंत कॉलेज सहित) और 4,920–6,780 की वार्षिक क्षमता³ वाले 113 नर्सिंग संस्थान विकास की प्रक्रिया में थे। इसके अतिरिक्त 1,320–1,980 की क्षमता⁴ वाले 33 पारा-चिकित्सा संस्थानों को भी स्थापित किये जाने की योजना बनायी गयी थी, जैसा तालिका 2.3 में दिखाया गया है।

2.7.1 नये मेडिकल संस्थानों की स्थापना

पिछले दशक के दौरान, विभिन्न योजनाओं के तहत बिहार में चिकित्सा कॉलेजों/संस्थानों को स्थापित किये जाने की योजना बनायी गयी जैसा नीचे विस्तृत रूप में दिया गया है:

तालिका सं.-2.3

2006–2007 से प्रस्तावित मेडिकल संस्थानों का ब्योरा

संस्थानों के प्रकार	राज्य योजना के तहत (2006–2007)		केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत (2010–14)		सात निश्चय ⁵ के तहत (2016–17)	
	कॉलेजों की सं०	सीटों की कुल सं०	कॉलेजों की सं०	सीटों की कुल सं०	कॉलेजों की सं०	सीटों की कुल सं०
चिकित्सा महाविद्यालय	3 ^{##}	300	3	300	5	500
दंत महाविद्यालय	1	100	..		..	
नर्सिंग कॉलेज	..		..		16	640–960
सामान्य नर्सिंग एवं प्रसाविक (जी.एन.एम.)	..		10	600	23	920–1380
सहायक नर्स एवं प्रसाविका (ए.एन.एम.)	..		10	600	54	2160–3240
पारामेडिकल संस्थान	..		..		33	1320–1980

इन तीन में से दो कॉलेजों ने 2018 तक काम करना शुरू कर दिया जो कि नौ मेडिकल कॉलेजों में शामिल है जैसा कि तालिका 2.2 में दिखाया गया है

(स्रोत : स्वास्थ्य विभाग)

लेखापरीक्षा ने पाया कि:

- राज्य योजना के तहत प्रस्तावित तीन मेडिकल और एक दंत कॉलेजों में से, एक मेडिकल कॉलेज (पावापुरी) का निर्माण पांच वर्ष से ज्यादा के विलंब के साथ पूरा हुआ। शेष 10 वर्षों के विलंब के बाद भी निर्माणाधीन थे।

³ सात निश्चय के तहत 93 नर्सिंग संस्थान ने 40 से 60 सीटों के प्रवेश क्षमता के लिए योजना बनाया और केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत बाकी 20 संस्थानों में 60 सीटों के लिए योजना बनाया।

⁴ प्रत्येक पारा-मेडिकल संस्थान ने 40 से 60 सीटों के प्रवेश क्षमता के लिए योजना बनाई।

⁵ राज्य सरकार का मुख्य विकास केन्द्र बिन्दु लगभग सात संकल्प (सात निश्चय) पर है जिसमें उच्चतर तकनीकी शिक्षा शामिल है।

- केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत प्रस्तावित तीन मेडिकल कॉलेज का निर्माण दिसम्बर 2018 तक किया जाना था। तथापि, कार्य अभी तक शुरू नहीं (दिसम्बर 2018) हुआ था। 10 सामान्य नर्सिंग एवं प्रसाविक और 10 सहायक नर्स एवं प्रसाविका विद्यालयों में से सभी ए.एन.एम. विद्यालयों को तीन से चार वर्षों के विलंब से निर्मित किया गया और नौ जी.एन.एम. विद्यालयों को तीन से सात वर्षों के विलंब के साथ पूरा किया गया।
- सात निश्चय (मई 2020 तक निर्मित किये जाने थे) के तहत प्रस्तावित पाँच मेडिकल कॉलेजों का निर्माण कार्य अभी तक शुरू नहीं हुआ। 126 नर्सिंग/पारा मेडिकल संस्थानों में से, 61 को 2018-19 तक पूरा किया जाना था, तथापि सिर्फ दो को नवम्बर 2018 तक पूरा किया जा सका।

विवरणों का अनुवर्ती कंडिकाओं में चर्चा की गयी है।

2.7.1.1 राज्य योजना के तहत नए मेडिकल कॉलेजों की स्थापना

बिहार सरकार ने पावापुरी, मधेपुरा और बेतिया (₹328 करोड़ प्रति) में तीन मेडिकल कॉलेजों के निर्माण के लिए ₹984 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की। इनका निर्माण मार्च, 2010 तक किया जाना था। पावापुरी के मेडिकल कॉलेज के कार्यान्वयन को मार्च 2010 में बिहार राज्य पुल निर्माण निगम लिमिटेड को सौंपा गया और मधेपुरा एवं बेतिया के कार्यान्वयन को नवम्बर 2012 में बिहार मेडिकल सर्विसेज एवं इन्फ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपा गया। इन कार्यकारी एजेंसियों को कार्यों को सौंपने में तीन से पाँच वर्षों के विलम्ब के संदर्भ में कोई जवाब दर्ज नहीं पाया गया। कार्यकारी अभिकरणों द्वारा जुलाई 2010, सितम्बर 2013 और अगस्त 2013 में निविदा आमंत्रित किया गया और कार्यों को क्रमानुसार जनवरी 2011, अक्टूबर 2014 और मई 2017 में संवेदकों को दे दिया गया। बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा निविदा के निष्पादन और बी.आर.पी.एन.एन.एल. द्वारा कार्यान्वयन में विलंब था। परिणामस्वरूप, कार्य निर्धारित समय के भीतर पूरा नहीं किया जा सका और प्रशासनिक स्वीकृति को मई 2013 तक संशोधित कर ₹2,170 करोड़⁶ (221 प्रतिशत) कर दिया गया। इन कॉलेजों में से, सिर्फ एक कॉलेज यानि पावापुरी में मेडिकल कॉलेज का निर्माण ₹600 करोड़ (नवम्बर 2018) के व्यय के साथ सितम्बर 2016 में पूरा हुआ। जबकि शेष दो को अभी तक किया जाना (दिसम्बर 2018) था। इस प्रकार कॉलेजों को पूरा करने में विलंब के कारण कार्यकारी अभिकरणों को कार्यों को सौंपने, निविदा प्रक्रिया के साथ-साथ कार्यों के संपादन में भी विलंब हुआ जिसके कारण लागत भी अधिक हो गयी।

संबंधित जिला अस्पतालों एवं पावापुरी के मेडिकल कॉलेज के नवनिर्मित भवनों, जिन्हें 2013 से चरणबद्ध तरीके से हस्तगत किया गया, के आधारभूत संरचना का उपयोग द्वारा पावापुरी और बेतिया में शैक्षणिक सत्र 2013 से मेडिकल कॉलेजों में छात्र नामांकित किये गये। मधेपुरा के मेडिकल कॉलेज में शैक्षणिक गतिविधियाँ अभी तक शुरू किया जाना (दिसम्बर 2018) था।

2.7.1.2 राज्य योजना के तहत दंत कॉलेजों की स्थापना

चूंकि बिहार में पटना में सिर्फ एक सरकारी दंत कॉलेज एवं अस्पताल था, बिहार सरकार ने राज्य में दंत चिकित्सा सुविधा को सुधारने के उद्देश्य से पैठाना, नालन्दा में एक नये दंत कॉलेज एवं अस्पताल की स्थापना का निर्णय लिया (फरवरी 2007)। ₹ 55.80 करोड़

⁶ पावापुरी के लिए ₹ 613.11 करोड़ (मार्च 2010), मधेपुरा के लिए ₹ 781.25 करोड़ और बेतिया के लिए ₹ 775.34 करोड़ (मई 2013)।

की प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2007 में बिहार सरकार द्वारा प्रदान की गयी और कार्य को 2008-09 तक पूर्ण किया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने पाया कि 11 वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद भी, कार्य को अभी तक शुरू किया जाना (नवम्बर 2018) था जिसका कारण भूमि अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी नालन्दा को निधियों को विलंब से जारी करना (मार्च 2007 से जुलाई 2012) कार्यकारी अभिकरण अर्थात् बी.एम.एस.आई.सी.एल. के चयन (सितम्बर 2013) में देरी, निविदा प्रक्रिया को फरवरी 2014 में शुरू करना इस तथ्य के बावजूद कि भूमि का अधिग्रहण जिला प्रशासन द्वारा जून 2011 में कर लिया गया था और बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा तीन बार निविदा को रद्द करना इत्यादि था। बी.एम.एस.आई.सी.एल. की ओर से उचित तत्परता का अभाव था जैसे कि प्रथम निविदा प्रक्रिया में, निम्नतम निविदाकार को तकनीकी और वित्तीय मूल्यांकन के बाद को अयोग्य घोषित (मई 2015) कर दिया गया, दूसरी निविदा प्रक्रिया, जो मई 2015 में आमंत्रित की गयी, को बीड वैधता की समाप्ति के बाद निरस्त किया गया (मई 2016) और तीसरे मामले में, निविदा आमंत्रित किया गया (नवम्बर 2017) लेकिन बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा योग्यता मानदंड को अंतिम रूप नहीं किये जाने के कारण निरस्त कर दिया गया (मार्च 2018)। निविदा को चौथी बार (अप्रैल 2018) फिर से आमंत्रित किया गया और आखिरकार स्वीकृति पत्र नवम्बर 2018 में जारी किया गया। इस कार्य के प्रथम मात्रा के बिल (बी.ओ.क्यू.) ₹308.31 करोड़ के लिए अनुमोदित (अक्टूबर 2014) किया गया। तत्पश्चात कार्य के अनुरूप श्रेणी के लिए मात्रा का बिल ₹328.81 करोड़ के लिए संशोधित और अनुमोदित किया गया (नवम्बर 2017)। इन सभी प्रशासनिक और प्रक्रियागत देरी न सिर्फ ₹20.50 करोड़ की लागत से अधिक का कारण बना बल्कि नागरिकों को उल्लेखित अतिरिक्त दंत सुविधाओं से वंचित किया।

2.7.1.3 केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत मेडिकल कॉलेज की स्थापना

भारत सरकार ने ₹ 567 करोड़⁷ (₹189 करोड़ प्रति) की कुल लागत के साथ पूर्णिया, छपरा और समस्तीपुर में तीन नए मेडिकल कॉलेजों, प्रति कॉलेज के लिए 100 विद्यार्थियों की प्रवेश क्षमता के साथ, को मंजूरी (फरवरी/मार्च 2014) प्रदान की। योजनाओं को बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा संपादित किया जाना था और इसे दिसम्बर 2018 तक क्रियाशील बनाया जाना था। तथापि, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया (अप्रैल 2019) कि ये योजनाएँ सिर्फ प्रारंभिक अवस्था में थी, ₹145.46 करोड़⁸ के विमुक्ति के विरुद्ध ₹0.18 करोड़⁹ की अल्प राशि व्यय (अगस्त 2018) की गयी और निर्माण कार्य अभी तक (दिसम्बर 2018) शुरू किया जाना था। विलंब का कारण विभाग को भूमि के पहचान/हस्तांतरण (जून 2018) और छपरा और पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के लिए निविदा प्रक्रिया में विलंब था। समस्तीपुर में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज के मामले में, विस्तृत योजना प्रतिवेदन (डी.पी.आर.) को भारत सरकार द्वारा अनुमोदित नहीं (जुलाई 2017) किया गया चूंकि उपलब्ध भूमि क्षेत्रफल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान द्वारा उल्लेखित मानदंड से कम था। इसलिए, इसके बाद, एक नए स्थल का चयन किया गया और डी.पी.आर. की तैयारी प्रक्रियाधीन (दिसम्बर 2018) थी। इसने स्पष्ट तौर पर विभाग की तरफ से उचित अध्ययन की कमी को सूचित किया जैसा कि यह प्रस्तावित मानदंड के अनुसार भूमि की पहचान नहीं कर सका जिससे परियोजना के शुरुआत में देरी हुई।

पूर्णिया और छपरा के मेडिकल कॉलेजों के लिए निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार, निर्माण के संपादन के लिए नियत तिथि कार्य की शुरुआत से 36 महीनें थी। तथापि, कार्य

⁷ केन्द्र और राज्य के बीच अंश 75:25

⁸ छपरा और पूर्णियाँ में मेडिकल कॉलेज प्रत्येक के लिए 72.73 करोड़।

⁹ सिर्फ अगस्त 2018 तक छपरा में मेडिकल कॉलेज के लिए ₹0.18 करोड़ खर्च किये गये।

को अभी तक (दिसम्बर 2018) प्रदान नहीं किया गया। इस प्रकार बीत गये समय से इन कॉलेजों में मेडिकल शिक्षा को प्राप्त करने के अवसर से संबंधित छात्र वंचित होंगे।

2.7.1.4 केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत नर्सिंग संस्थानों की स्थापना

नर्सिंग कर्मियों की कुल उपलब्धता को बढ़ाने के उद्देश्य के साथ-साथ उनके असमान प्रसार को ठीक करने के लिए, भारत सरकार के केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत 10 सामान्य नर्सिंग एवं प्रसाविक विद्यालयों और 10 सहायक नर्स एवं प्रसाविका विद्यालयों, ₹150 करोड़¹⁰ के अनुमानित लागत के साथ प्रति के लिए 60 सीटों के साथ, स्थापना का निर्णय (2010-12) लिया गया। केन्द्र सरकार ने इन विद्यालयों के 1 जनवरी 2012 तक पूर्ण रूप से क्रियाशील होने की आशा की। राज्य सरकार को भूमि की उपलब्धता और 12-14 महीने के अंदर निर्माण की समाप्ति को आवश्यक करना था। यदि निर्माण में समय लगे, राज्य सरकार को किरायों के परिसरों से इन विद्यालयों को चलाने की संभावना को ढूँढना था।

लेखापरीक्षा ने देखा कि 10 ए.एन.एम. विद्यालयों को ₹42.23 करोड़ की लागत के साथ जुलाई 2015 से मई 2016 के दौरान पूरा किया गया था, जबकि ₹72.43 करोड़¹¹ की लागत से नौ जी.एन.एम. विद्यालयों को दिसम्बर 2015 से जुलाई 2019 के दौरान पूरा किया गया था। पूर्णिया में शेष एक जी.एन.एम. विद्यालय के मामले में, विलंब का कारण छात्रावास भवन समूह के लिए उचित भूमि की अनुपलब्धता थी। यद्यपि निर्माण के समापन में तीन से सात वर्षों की ज्यादा देरी हुई। 1 जनवरी 2012 तक किराये के परिसर में इन विद्यालयों को चलाने की संभावना को विभाग द्वारा खोजा नहीं गया। इसका कारण न तो अभिलेख में दर्ज पाया गया न ही विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया। इसलिए विभाग के निरुत्साहपूर्ण दृष्टिकोण के कारण, प्रतिवर्ष 1200 छात्रों को 2012-18 के दौरान नर्सिंग शिक्षा से वंचित रहना पड़ा।

2.7.1.5 राज्य सरकार के सात निश्चय के तहत मेडिकल कॉलेजों की स्थापना

बिहार सरकार ने बिहार में मेडिकल शिक्षा के लिए अतिरिक्त अवसर को सृजित करने के लिए “सात निश्चय” के तहत बेगूसराय, वैशाली, भोजपुर, मधुबनी और सीतामढ़ी में ₹2000 करोड़ (₹400 करोड़ प्रति) के अनुमानित लागत से पाँच मेडिकल कॉलेजों के निर्माण को अनुमोदित किया (मई 2016)। परियोजनाओं को बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा निष्पादित किया जाना था और प्रतिवर्ष 25 प्रतिशत के निर्धारित माईल-स्टोन के साथ चार वर्षों में पूरा किया जाना था। विभाग ने संबंधित जिलाधीशों को कॉलेजों के लिए उपयुक्त भूमि को पहचानने और उपलब्ध कराने हेतु अनुरोध (जुलाई 2016) किया। तीन स्थलों (मधुबनी, बेगूसराय और वैशाली) में भूमि को विभाग को हस्तांतरित किया गया (नवम्बर 2018) और डी.पी.आर. की तैयारी चल रही थी, और शेष दो स्थलों में, पहचान की गयी भूमि को अभी तक हस्तांतरित किया जाना था (दिसम्बर 2018)। इस गति से, परियोजनाएँ निर्धारित सिड्यूल से पीछे थी और निर्धारित समय तक पूरा नहीं हो सकती है, जिसने विलंबित अवधि के लिए छात्रों को मेडिकल शिक्षा से वंचित किया।

प्रस्तावित 12
मेडिकल कॉलेजों
(एक दंत कॉलेज
सहित) के विरुद्ध,
सिर्फ दो क्रियाशील
हुये।

¹⁰ प्रत्येक जी.एन.एम. विद्यालय के लिए 10 करोड़ और प्रत्येक ए.एन.एम. विद्यालय के लिए 5 करोड़। केन्द्र और राज्य के बीच बीच अंश 85:15

¹¹ जी.एन.एम. विद्यालय मधेपुरा के व्यय को शामिल नहीं किया गया है क्योंकि राजकीय मेडिकल कॉलेज, मधेपुरा में शामिल है।

2017-18 से
2020-21 तक
निर्मित किये जाने
वाले प्रस्तावित 126
नर्सिंग संस्थानों के
विरुद्ध, सिर्फ दो को
नवम्बर 2018 तक
पूरा किया गया।

2.7.1.6 सात निश्चय के तहत नए नर्सिंग और पारा मेडिकल संस्थानों की स्थापना

बिहार सरकार ने तकनीकी शिक्षा के लिए बेहतर वातावरण को सृजित करने, कर्मियों की कमी पहचानने और रोजगार उत्पन्न करने के लिए बिहार के सभी जिलों में “सात निश्चय” के तहत ₹1401.03 करोड़¹² की अनुमानित लागत में 5040-7560 की प्रवेश क्षमता के 126 संस्थानों के निर्माण को अनुमोदित किया (जुलाई 2016)। परियोजनाओं को बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा निष्पादित और चरणबद्ध तरीके¹³ से 2020-21 तक पूरा किया जाना था।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया (नवम्बर 2018) कि 126 संस्थानों के निर्माण में से (परिशिष्ट 2.2 में विवरण):

- सिर्फ दो¹⁴ पूरा किया गया (सितम्बर 2018 और नवम्बर 2018)
- 90 मामलों में, कार्य आदेशों को जारी किया गया लेकिन कार्य की गति ₹138.45 करोड़ (अगस्त 2018) के व्यय के बाद भी धीमी थी। कार्य की प्रगति 22 कार्यों में 0 से 10 प्रतिशत, 40 कार्यों में 11 से 50 प्रतिशत और 28 कार्यों में 51 से 98 प्रतिशत तक थी। विलंब के लिए मुख्यतया ठेकेदार की ओर से ढिलाई, अतिक्रमण मुक्त स्थल की उपलब्धता का अभाव और भूमि का अनुवर्ती बदलाव जिम्मेदार था।
- 22 मामलों में कार्य आदेशों को स्थल के बदलाव की आवश्यकता, पुराने भवन के निस्तारण की आवश्यकता इत्यादि के कारण जारी नहीं किया गया था।
- 12 कार्यों के मामलों में, निविदायें मुख्यतया विभाग द्वारा भूमि के गैर पहचान और कार्यकारी अभिकरणों द्वारा डी.पी.आर. की गैर-तैयारी के कारण देर से आमंत्रित की गयी थी।

सरकार की अपनी प्रतिबद्धता के अनुसार, शैक्षणिक गतिविधियाँ को छात्रों के 2440-3661 की प्रवेश क्षमता के साथ 2018-19 तक 61 संस्थानों में शुरू करना था। तथापि, कोई भी शैक्षणिक गतिविधि मार्च 2019 तक इन संस्थानों में शुरू नहीं हो सका।

2.7.2 विद्यमान मेडिकल कालेजों की प्रवेश क्षमता में वृद्धि

2.7.2.1 केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि

केन्द्र प्रायोजित योजना (मार्च 2009) “राज्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सुदृढ़ीकरण/उन्नयन” के तहत पूर्व और पारा नैदानिक विषयों¹⁵ में संकाय की कमी को पहचानने के उद्देश्य के साथ तकनीकी मूल्यांकन समिति (टी.ई.सी.)¹⁶ के अनुशंसा के

¹² 33 पारामेडिकल संस्थानों के लिए ₹329.34 करोड़ 16 विज्ञान स्नातक नर्सिंग कॉलेज के लिए ₹423.96 करोड़, 23 जी.एन.एम. विद्यालयों के लिए ₹307.14 करोड़ और 54 ए.एन.एम. विद्यालयों के लिए ₹340.59 करोड़

¹³ 2017-18 -30, 2018-19 -31, 2019-20 -32, और 2020-21 -33

¹⁴ पारा मेडिकल संस्थान रोहतास और ए.एन.एम. विद्यालय, जगदीशपुर

¹⁵ पूर्व-नैदानिक विषयों में शरीर रचना विज्ञान, शरीर क्रिया, विज्ञान, जीव रसायन, सामुदायिक चिकित्सा शामिल है। परा-नैदानिक विषयों में पैथोलॉजी, औषध विज्ञान और कीटाणु-विज्ञान शामिल है।

¹⁶ अनुमोदन के लिए सशक्त समिति को आगे प्रस्तुत करने के लिए प्रस्तावों के मूल्यांकन करने को विशेष निदेशक सामान्य स्वास्थ्य सेवा, भा.स. द्वारा अध्यक्षता

अनुसार ₹74.43 करोड़¹⁷ की लागत पर छः मेडिकल कॉलेजों¹⁸ में 199 स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि किया जाना था और आश्वस्त करना था कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों/जिला स्तर में विशेषज्ञ उपलब्ध हो। परियोजना के अवयवों में उपकरण का क्रय, छात्रावास से संबंधित निर्माण कार्य, प्रदर्शन कक्षाएँ, शल्य चिकित्सा कक्षाएँ, शिक्षण शय्या, कौशल प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय आदि शामिल थे। निर्माणों को संबंधित मेडिकल कॉलेजों द्वारा निष्पादित किया जाना था। कुल 63 स्नातकोत्तर सीटों (32 प्रतिशत) को योजनाबद्ध 199 सीटों के विरुद्ध छः मेडिकल कॉलेजों में बढ़ाया गया (नवम्बर 2018) जैसा कि नीचे वर्णित है:

तालिका सं.-2.4

केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत स्नातकोत्तर सीटों की वृद्धि

क्र. सं.	कॉलेज का नाम	बढ़ायी जाने वाली सीटों की सं.	बढ़ी हुयी सीटों की सं.	स्वीकृत राशि (₹ करोड़ में)	व्यय (₹ करोड़ में)
1	डी.एम.सी.	39	13	7.09	2.65
2	एन.एम.सी.	58	26	18.79	6.43
3	पी.एम.सी.	4	0	2.69	0.34
4	जे.एल.एन.एम.सी.	58	4	23.49	8.58
5	एस.के.एम.सी.	26	10	18.12	4.66
6	ए.एन.एम.एम.सी.	14	10	4.25	0.23
	कुल	199	63	74.43	22.89

सिर्फ 63 स्नातकोत्तर सीटों को 199 सीटों की योजना के विरुद्ध छः मेडिकल कॉलेजों में नवम्बर 2018 तक बढ़ाया गया।

लेखापरीक्षा ने तीन¹⁹ मेडिकल कॉलेजों के अभिलेखों का नमूना-जाँच किया जिसमें 101 स्नातकोत्तर सीटों को बढ़ाया जाना था जिसके विरुद्ध सिर्फ 39 सीटों (39 प्रतिशत) को बढ़ाया जा सका। सीटों की वृद्धि के संबंध में विभागवार सूचना **परिशिष्ट 2.3** में उपलब्ध है। आगे, यह पाया गया कि यद्यपि इन कॉलेजों में तीन से चार विभागों ने आधारभूत संरचना, उपकरण और संकाय पर ₹4.51 करोड़ का व्यय किया लेकिन कोई सीट नहीं बढ़ायी गयी। सीटों के गैर-वृद्धि के लिए सम्पूर्ण आधारभूत संरचना, उपकरण और संकाय का अभाव को जिम्मेदार ठहराया गया जैसा कि तकनीकी मूल्यांकन समिति द्वारा अनुशंसित था यद्यपि ₹6.53 करोड़ की राशि अव्ययित पड़ी हुई थी (नवम्बर 2018)। कॉलेजों को काम खुद करना था और राशि को इन मेडिकल कॉलेजों में स्नातकोत्तर सीटों के गैर-वृद्धि/आरंभ पर के मामलों में भारत सरकार को वापस किया जाना था, फिर भी, कॉलेज निर्माण को पूरा करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं कर सका और पी.एम.सी. पटना के द्वारा ₹1.14 करोड़ के कुल अव्ययित शेष को वापस कर दिया गया (अगस्त 2015 और मार्च 2018) था।

इसलिए, कॉलेजों द्वारा उपकरण के क्रय और निर्माण कार्यों के लिए निधि की उपलब्धता के बावजूद, राज्य स्नातकोत्तर डॉक्टरों के लिए सीटों की बढ़ी हुई संख्या के लाभों से वंचित था।

¹⁷ केन्द्र और राज्य के बीच अंश: 75:25

¹⁸ अनुग्रह नारायण मगध मेडिकल कॉलेज, गया (ए.एन.एम.सी.एच. गया)-14, श्री कृष्ण मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर (एस.के.एम.सी. मुजफ्फरपुर)-26, जवाहर लाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, भागलपुर (जे.एल.एन.एम.सी., भागलपुर)-58, दरभंगा मेडिकल कॉलेज, दरभंगा (डी.एम.सी. दरभंगा)-39, पटना मेडिकल कॉलेज, पटना (पी.एम.सी. पटना)-4 और नालंदा मेडिकल कॉलेज, पटना (एन.एम.सी. पटना)-58

¹⁹ पी.एम.सी. पटना, एन.एम.सी. पटना और डी.एम.सी. दरभंगा

2.7.2.2 स्नातक सीटों की वृद्धि

बारहवीं पंचवर्षीय योजना ने विद्यमान सरकारी मेडिकल कॉलेजों को सुदृढ़ बनाने हेतु परिकल्पना किया ताकि सीटों को 250 के अधिकतम स्तर तक बढ़ाया जा सके। राज्य में विद्यमान मेडिकल कॉलेज को एम.सी.आई. के मानदंडों के अनुसार आधारभूत संरचना चिकित्सा उपकरण और शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मिकों के मामले में सुदृढ़ किया जाना था।

लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, बिहार सरकार ने छः²⁰ मेडिकल कॉलेजों में विभिन्न श्रेणियों के शिक्षण कर्मचारी के 3639 पदों को सृजित करने का निर्णय लिया (जुलाई 2014)। विभाग ने सिर्फ 1171 (32 प्रतिशत) सहायक प्रोफेसरों की भर्ती के लिए बी.पी.एस.सी. को मांग पत्र भेजा (फरवरी 2016) और वह भी कैबिनेट निर्णय के 19 महीनों के बाद। शेष कर्मियों के भर्ती की ओर कोई कदम नहीं उठाने का अभिलेख पर कोई वजह नहीं था। बी.पी.एस.सी. को विभाग द्वारा महत्वपूर्ण सूचनाओं जैसे आवेदकों की जांच के लिए पैनल चयन, बैकलॉग विवरण, रोस्टर समायोजन इत्यादि के विलंबित प्रस्तुतीकरण के कारण, विज्ञापन को सिर्फ अप्रैल 2017 बी.पी.एस.सी. से प्रस्ताव भेजने के एक साल से ज्यादा के बाद, में प्रकाशित किया जा सका और भर्ती पूरी नहीं हो सकी (दिसम्बर 2018)। इसलिए, इन मेडिकल कॉलेजों की विद्यमान सीटों का बढ़ाया नहीं जा सका जिसके परिणामस्वरूप छात्रों को मेडिकल शिक्षा प्राप्त करने से वंचित होना पड़ा।

2.7.2.3 आयुष में प्रवेश क्षमता बढ़ाने के लिए उपक्रम का अभाव

2005 में शुरू की गयी राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, सभी के स्वास्थ्य के लिए राष्ट्रीय लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से भारतीय लोक स्वास्थ्य प्रणालियों को मजबूत करने पर जोर का नवीकरण किया है। एन.आर.एच.एम. ने प्रा.स्वा.के. और सा.स्वा.के. पर आयुष डॉक्टरों को साथ ढूँढने के उद्देश्य के साथ "मुख्यधारा आयुष और स्थानीय स्वास्थ्य परंपराओं को पुनः सशक्त करने" की रणनीति को अपनाया और उनकी सेवाओं को रोगियों के लिए विकल्पों का विस्तार करने के लिए इस्तेमाल किया।

राजकीय टिब्बी²¹ कॉलेज (जी.टी.सी.) पटना और राजकीय आयुर्वेदिक कॉलेज (जी. ए.सी.) पटना की स्नातक प्रवेश क्षमता प्रत्येक 40 है। सी.सी.आई.एम. द्वारा निर्धारित निम्नतम मानदंड 60 सीटों तक के लिए था। तो भी, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2013-18²² के दौरान 40 सीटों की पेशकश की गयी थी। न तो कॉलेजों ने ही विभाग ने 40 से 60 तक सीटों की संख्या बढ़ाने के लिए कोई आवश्यक कदम उठाया, जिसने पांच वर्षों की इस अवधि के दौरान यूनानी और आयुर्वेदिक स्नातक पाठ्यक्रम में प्रवेश मांगने के अवसर से 180²³ क्षमतावान छात्रों को वंचित किया।

आगे, भारत सरकार ने राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान पटना को आयुर्वेद के लिए एक आदर्श संस्थान के रूप में घोषित किया और कम से कम पांच विभागों में 100 स्नातक सीटों और स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम की परिकल्पना किया (2006)। राजकीय आयुर्वेदिक संस्थान पटना दो विभागों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम को पहले से ही चला रही थी। हालाँकि, शिक्षण संकाय को कमी और अपेक्षित मान्यता की अनुपलब्धता के कारण, सीटों को बढ़ाया नहीं जा सका जैसा परिकल्पना की गयी थी।

²⁰ ए.एन.एम.एम.सी. गया, डी.एम.सी. दरभंगा, जे.एल.एन.एम. भागलपुर, एन.एम.सी. पटना, पी.एम.सी. पटना और एस.के. एम.सी. मुजफ्फरपुर

²¹ यूनानी पाठ्यक्रमों के लिए

²² जी.टी.सी. पटना 2013-18 (पांच वर्षों) और जी.ए.सी. पटना 2014-18 (चार वर्षों)

²³ जी.टी.सी. पटना 100 सीटें और जी.ए.सी. पटना 80 सीटें

लेखापरीक्षा द्वारा ध्यान दिलाये जाने पर, प्राचार्य जी.टी.सी., पटना ने कहा कि (दिसम्बर 2018) 60 स्नातक सीटों को प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपक्रम पहले ही लिये जा चुके थे। प्राचार्य जी.ए.सी. पटना ने स्वीकार किया (अक्टूबर 2018) कि कॉलेज में न्यूनतम मानक की 60 सीटें थी, फिर भी उन्होंने 100 स्नातक सीटों के लिए आवेदन किया है। जवाब इस तथ्य की पुष्टि करता है कि कॉलेज में पहले से ही 60 सीटों की क्षमता थी। फलस्वरूप, 20 और सीटें जिनके लिए संसाधन उपलब्ध थे प्रत्येक वर्ष उपयोग में नहीं लाई जा सकी।

2.7.2.4 गैर-क्रियाशील आयुर्वेद कॉलेज

बिहार सरकार के 110 सीटों²⁴ वाली पाँच में से चार आयुर्वेद कॉलेजों में, सी.सी.आई.एम. मानदंडों के गैर-अनुपालन के कारण 10 वर्षों से ज्यादा से प्रवेश नहीं लिया गया था। इन कॉलेजों का मौजूदा बुनियादी ढांचा बेकार था।

110 सीटों वाली पांच आयुर्वेद कॉलेजों में चार में, एक दशक से अधिक समय तक प्रवेश नहीं हुआ।

राजकीय अयोध्या शिव कुमारी आयुर्वेद महाविद्यालय, बेगूसराय (जी.ए.सी. बेगूसराय) के नमूना-जांच के दौरान लेखापरीक्षा ने पाया कि भारत सरकार ने विभिन्न कमियाँ जैसे कि शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मों का अभाव, अस्पताल में पर्याप्त आधारभूत संरचना सुविधाएँ यथा शिक्षण विभाग के लिए क्षेत्र, पुस्तकालय एवं विच्छेदन हॉल, शयनों की संख्या एवं शयन अधिभोग, क्रियाशील प्रसूति गृह, उपकरण जैसे एक्स-रे, ई.सी.जी. और यू.एस.जी. की अनुपस्थिति के कारण सी.सी.आई.एम. के अनुशंसा पर स्नातक पाठ्यक्रम प्रवेश के अनुमति नहीं देने का निर्णय लिया (अगस्त 2008)। अनुवर्ती सालों (2009-18) में भी, सी.सी.आई.एम. ने फिर से मुआयना किया (पिछले मुआयना अप्रैल 2017 में) और इसी तरह की कमियों को इंगित किया। यद्यपि कॉलेज ने इन कमियों को ठीक करने के अनुरोध के साथ विभाग को इसके बारे में सूचित किया, विभाग उपचारात्मक कदम उठाने में विफल रहा और परिणामतः, भारत सरकार ने प्रत्येक वर्ष में प्रवेश की अनुमति से इंकार कर दिया। फलस्वरूप, कॉलेज बेकार रहा और क्षमतावान छात्र 2008-18 के दौरान 300 स्नातक सीटों से वंचित थे।

2.7.2.5 भारत सरकार द्वारा प्रवेश के लिए अनुमति की गैर-मंजूरी

लेखापरीक्षा ने अन्य मामलों को भी पाया जहाँ संबंधित विनियामक संस्थाओं के मानदंडों के साथ गैर-अनुपालन के कारण प्रवेश नहीं दिया गया, जैसा नीचे वर्णित है:

- सी.सी.आई.एम. द्वारा इंगित की गयी कमियों जैसे जी.ए.सी. पटना में उच्चतर संकाय के अपेक्षित संख्या और यथार्थतः क्रियाशील आयुर्वेदिक अस्पताल की उपलब्धता के गैर-परिशोधन के कारण, भारत सरकार द्वारा 2013-14 में प्रवेश के लिए अनुमति नहीं दी गयी।
- भारत सरकार ने कमियों जैसे प्राचार्य सहित शिक्षण कर्मियों की कमी, शिक्षण और आंतरिक मूल्यांकन कार्यक्रम के गैर-संपादन और आधारभूत संरचना जैसे कुर्सियों, गतिशील दंत वैन, दंत सामग्री का अभाव, उपग्रह दंत केन्द्रों की गैर-स्थापना, दंत कुर्सियों का घटिया अनुरक्षण, गैर-क्रियाशील पुस्तकालय और ई-पुस्तकालय एवं फोटोग्राफिक अनुभाग की गैर-उपलब्धता के कारण भारतीय दंत परिषद के अनुशंसा पर 2015-16 में स्नातक पाठ्यक्रम में छात्रों के प्रवेश के लिए पटना दंत कॉलेज को अनुमति नहीं दिया।

²⁴ बक्सर-40, भागलपुर-20, दरभंगा-20 और बेगूसराय-30

2.7.3 तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं का आवर्धन

बिहार के पांच²⁵ मेडिकल कॉलेजों को सात से आठ सुपर स्पेशियलिटी विभागों में गुणवत्तापूर्ण मेडिकल शिक्षा के लिए तृतीयक स्वास्थ्य सेवाओं और सुविधाओं के आवर्धन के लिए भारत सरकार द्वारा प्रधान मंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पी.एम.एस.एस.वाई.) में पहचान की गयी। राज्य को भवनों के निर्माण के लिए अतिक्रमण मुक्त स्थल प्रदान करना था। निम्नलिखित दो नमूना-जाँचित राजकीय मेडिकल कॉलेजों में, लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि:

- पी.एम.सी., पटना के लिए, दोनो भारत सरकार और राज्य सरकार ने पी.एम.एस.एस.वाई. (मार्च 2017) के तहत निष्पादित किये जाने वाले कार्यों पर सहमति व्यक्त की। केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग (के.लो.नि.वि.) ने सुपर स्पेशियलिटी वाले विभागों के उन्नयन के लिए निविदा (दिसम्बर 2017) जारी किया। यद्यपि निविदा खोलने की तिथि चार बार बढ़ाई गयी और अंततः निविदा रद्द कर दिया गया इसलिए कि कॉलेज अतिक्रमण मुक्त भूमि को प्रदान करने में विफल रहा। परिणामतः 18 महीने बीत जाने के बाद भी कार्य शुरू नहीं किया जा सका।
- डी.एम.सी. दरभंगा में, निर्माण कार्य को मई 2018 तक पूरा किया जाना था। तो भी, कार्य इसलिए पूरा नहीं किया जा सका कि कॉलेज विद्युत लाइनों, खंभों, विद्यमान सेवाओं, जलापूर्ति लाइनों के स्थानांतरण, स्टोर, कैटीन, प्रतीक्षालय/बरामदा के निराकरण इत्यादी में विलंब के कारण अतिक्रमण मुक्त स्थल को हस्तांतरित करने में असमर्थ था।

प्राचार्य, पी.एम.सी. पटना ने तथ्यों को स्वीकार किया (अक्टूबर 2018)। प्राचार्य, डी.एम.सी. दरभंगा ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि कॉलेज ने सुपर स्पेशियलिटी वाले अस्पताल की स्थापना के लिए भूमि प्रदान किया था और अन्य कार्यों को केन्द्रीय अभिकरणों द्वारा किया जाना था। आगे, अगस्त 2017 में शिक्षण और गैर-शिक्षण पदों को सृजित करने के लिए मुख्य निदेशक के साथ पत्राचार किया गया। हालाँकि, अक्टूबर 2018 तक इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

2.7.4 सीटों का कम उपयोग

22 से 53 प्रतिशत विद्यार्थियों ने बीच में दंत, भौतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी के स्नातक पाठ्यक्रमों को छोड़ा।

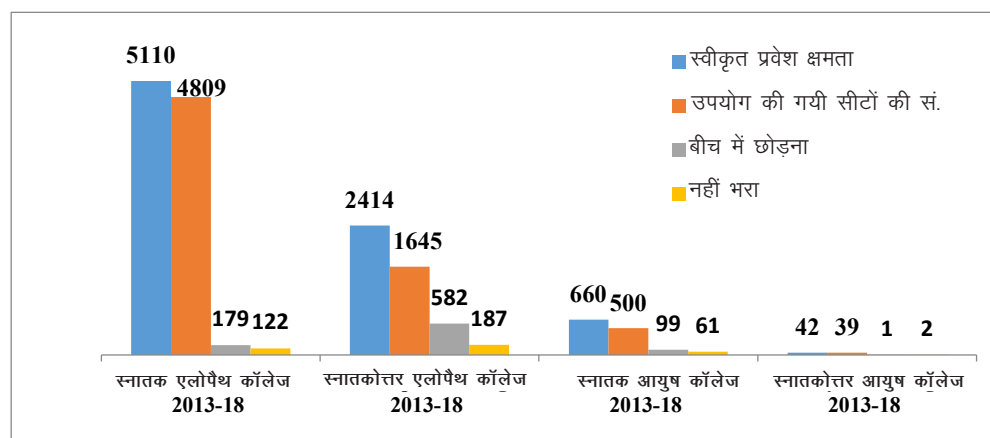
राज्य सरकार के नियंत्रणाधीन नौ मेडिकल कॉलेज, एक दंत कॉलेज, एक भौतिक चिकित्सा एवं व्यवसायिक चिकित्सा और तीन आयुष मेडिकल कॉलेज 5770 स्नातकों और 2456 स्नातकोत्तरों सीटों की प्रवेश क्षमता के साथ 2013-18 के दौरान क्रियाशील थे। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि स्नातक स्तर पर 183 सीटें भरी नहीं जा सकी और 278 विद्यार्थियों ने स्नातक स्तर पर पाठ्यक्रम छोड़ दिया जबकि स्नातकोत्तर स्तर पर 189 सीटें भरी नहीं जा सकी और 583 विद्यार्थियों ने स्नातकोत्तर (विवरण परिशिष्ट-2.4 में) स्तर के बीच में पाठ्यक्रम छोड़ दिया। आगे यह पाया गया कि बीच में स्नातक पाठ्यक्रमों को छोड़ने वाले छात्रों का प्रतिशत दंत, भौतिक चिकित्सा, आयुर्वेदिक और होम्योपैथी में ज्यादा था (22 से 53 प्रतिशत के बीच)।

सीटों के कम उपयोग के लिए सीटों का गैर-आवंटन, परामर्श सेवा के आखिरी दौर तक प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों की गैर-उपस्थिति और दंत, आयुष, भौतिकी चिकित्सा क्षेत्र में

²⁵ एस.के. एम.सी. मुजफ्फरपुर और डी.एम.सी. दरभंगा नवम्बर 2013, जे.एल.एन.एम.सी. भागलपुर, ए.एन.एम.एम.सी. गया और पी.एम.सी. पटना-अगस्त 2016

नामांकित छात्रों का मुख्यतया एलोपैथी पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के कारण बीच में पाठ्यक्रम छोड़ना इत्यादि जिम्मेदार था।

सारणी सं.-2.2 सीटों का कम उपयोग



(स्रोत: कॉलेजों द्वारा प्रदत्त डाटा)

इस प्रकार उपरोक्त लेखापरीक्षा निष्कर्षों ने साफ तौर पर इंगित किया कि मेडिकल संस्थानों की संख्या के साथ-साथ मेडिकल संस्थानों में सीटों की संख्या के संबंध में राज्य की आवश्यकता के दीर्घ कालीन मूल्यांकन के लिए संपूर्ण योजना का अभाव था। प्रस्तावित मेडिकल संस्थानों की स्थापना में देरी, प्रवेश क्षमता में गैर-वृद्धि और मेडिकल कॉलेजों में विद्यमान मेडिकल संस्थानों के सीटों के कम उपयोग ने मेडिकल शिक्षा के अवसर से क्षमतावान छात्रों को वंचित किया।

अनुशंसाएं:

विभाग को—

- महत्वपूर्ण अड़चनों की पहचान और विलंब के बिना मेडिकल कॉलेजों के सभी चल रहे निर्माण कार्यों की पूर्णता को सुनिश्चित करना चाहियें;
- प्राथमिकताओं पर नियामक प्राधिकरणों के मानदंडों को पूरा करने के लिए प्रयास करना चाहिए, ताकि जहाँ भी योजना बनायी गयी है वहाँ कॉलेजों में सीटें पूरी तरह से उपयोग की ओर बढ़ायी जा सकें; और

2.8 मेडिकल शिक्षा की गुणवत्ता

2.8.1 शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी का अभाव

विनियामक निकायों विभिन्न मेडिकल शिक्षा पाठ्यक्रमों के लिए न्यूनतम शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी निर्धारित करता है। नमूना-जाँचित मेडिकल और नर्सिंग संस्थानों में 31 मार्च 2018 को शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी की स्वीकृत कार्मिक संख्या और मानव-बल का विवरण इस प्रकार था (परिशिष्ट-2.5 में कॉलेजवार विवरण):

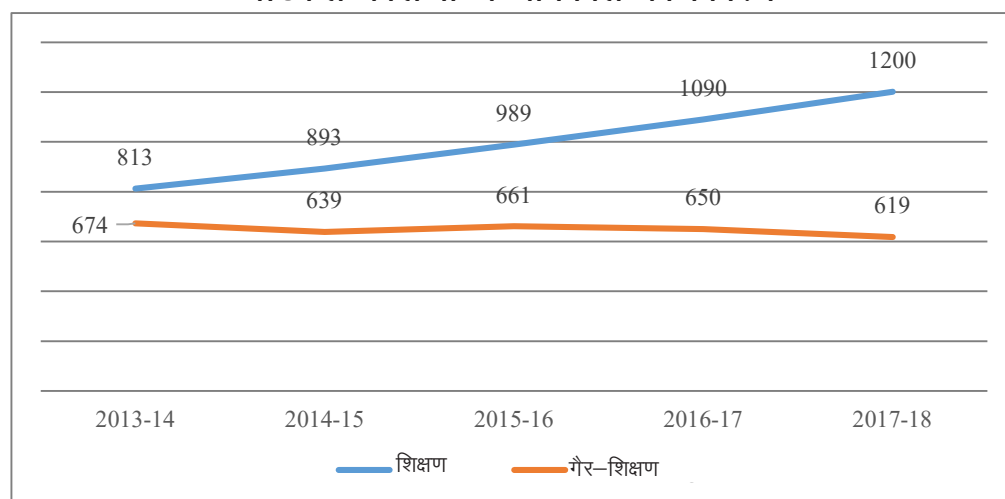
तालिका सं.-2.5
शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मचारी की स्वीकृत कार्मिक संख्या और उपलब्धता

क्र. स.	संस्थान	स्वीकृत कार्मिक सं.		मानव-बल (कोष्ठक में आँकड़े संविदात्मक कर्मचारियों को दर्शाते हैं)		रिक्तियों की सं० (कोष्ठक में आँकड़े स्वीकृत कार्मिक सं. के संबंध में रिक्त पदों की प्रतिशतता को दर्शाते हैं)	
		शिक्षण	गैर-शिक्षण	शिक्षण	गैर-शिक्षण	शिक्षण	गैर-शिक्षण
1	मेडिकल कॉलेज ²⁶	1864	773	932 (258)	302 (91)	932 (50)	471(61)
2	आयुष कॉलेज	277	433	150 (8)	128 (1)	127(46)	305 (70)
3	भौतिक चिकित्सा कॉलेज	18	शून्य	8 (0)	शून्य	10(56)	शून्य
4	दंत कॉलेज	50	105	47 (43)	61 (30)	3 (6)	44 (42)
5	नर्सिंग संस्थान	121	139	63 (26)	128 (52)	58 (48)	11 (8)

(स्रोत: संबंधित संस्थानों द्वारा प्रदत्त डाटा)

उपरोक्त तालिका से यह देखा जा सकता है कि मेडिकल शिक्षा के सभी क्षेत्रों में शिक्षण संकाय के साथ-साथ गैर-शिक्षण कर्मचारी वर्ग का अभाव क्रमशः छः से 56 प्रतिशत और आठ से 70 प्रतिशत के बीच था। बिहार भौतिक चिकित्सा एवं व्यवसायिक चिकित्सा कॉलेज में गैर-शिक्षण कर्मचारी वर्ग का कोई पद स्वीकृत नहीं था।

सारणी - 2.3
मेडिकल कॉलेजों में मानवबल का विवरण



(स्रोत: स्वास्थ्य विभाग)

2013-18 की अवधि के लिए मानवबल की अवस्था के वर्षवार समीक्षा ने उद्घाटित किया कि गैर-शिक्षण कर्मचारी वर्ग के संबंध में गिरावट देखी गयी। आगे, 13 मेडिकल संस्थानों²⁷ में 2013 से 2018 तक मानवबल की प्रतिशतता में कमी थी।

1:10 के शिक्षक-विद्यार्थी अनुपात के भारतीय नर्सिंग परिषद मानदंड के विरुद्ध, लेखापरीक्षा ने समीक्षा किया कि नमूना-जाँचित जी.एन.एम. और ए.एन.एम. विद्यालयों में अनुपात क्रमशः 1:13 से 1:50 और 1:20 से 1:100 के बीच थी। संकाय के अभाव के परिणाम स्वरूप शिक्षण घंटे में कमी हुई जिससे शिक्षा की गुणवत्ता प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुई।

²⁶ आई.जी.आई.एम.एस. पटना को छोड़कर

²⁷ पी.एम.सी. पटना, एन.एम.सी. पटना, डी.एम.सी. दरभंगा, आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर, जी.टी.सी. पटना, जी.ए.सी. पटना, जी.ए.सी. बेगूसराय, पी.एम.सी.एच. पटना और डी.एम.सी.एच. दरभंगा में दो जी.एन.एम. विद्यालय और बिहारशरीफ, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और सहरसा में चार ए.एन.एम. विद्यालय

2.8.1.1 शिक्षण घंटे में कमी

भारतीय चिकित्सा परिषद स्नातक मेडिकल शिक्षा के विभिन्न विषयों के लिए न्यूनतम शिक्षण घंटे का निर्धारण करता है। सात पूर्व-नैदानिक और परा-नैदानिक विषयों के शिक्षण घंटे से संबंधित पांच²⁸ मेडिकल कॉलेजों के अभिलेखों के नमूना-जाँचित में उद्घाटित हुआ कि वास्तविक शिक्षण घंटे में कमी एम.सी.आई. मानदंडों के विरुद्ध 14 से 52 प्रतिशत के बीच थी जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है।

तालिका सं.-2.6
शिक्षण घंटे में कमी

क्र. सं.	विषय पूर्व-नैदानिक और परा-नैदानिक विषयों का नाम	एम.सी. आई. द्वारा निर्धारित घंटे	2013-15 ²⁹ के दौरान नामांकित बैचों के लिए औसत शिक्षण घंटे	शिक्षण घंटे की कमी	कमी की प्रतिशतता
1	शरीर रचना विज्ञान	650	427	223	34
2	शरीर क्रिया विज्ञान	480	232	248	52
3	जीव रसायन	240	170	70	29
4	पैथोलॉजी	300	185	115	38
5	औषध विज्ञान	300	203	97	32
6	कीटाणु विज्ञान	250	151	99	40
7	उत्तरीक दवाईया	100	86	14	14

(एम.सी.आई. का विनियमन और नमूना-जाँचित मेडिकल कॉलेजों द्वारा प्रदत्त सूचना)

शिक्षण घंटे में कॉलेजवार कमी 23 प्रतिशत से 48 प्रतिशत (परिशिष्ट-2.6) के बीच थी। आगे, शिक्षण घंटे की कमी को राजकीय राय बहादुर तुनकी शाह होम्योपैथी मेडिकल कॉलेज (आर.बी.टी.एस.) मुजफ्फरपुर, भौतिक और व्यवसायिक चिकित्सा का बिहार कॉलेज (बी.सी.पी.ओ.) पटना और राजकीय टिब्बी कॉलेज पटना में भी देखा गया। प्राचार्य, जी.एम.सी. बेतिया ने सूचित किया (जनवरी 2020) कि शिक्षण घंटों में कमी का कारण शिक्षण संकाय की भारी कमी थी।

2.8.1.2 उपस्थिति में कमी

मेडिकल शिक्षा को विनियमित करने वाले संस्थाओं के मानदंड किसी विशेष विषय को उत्तीर्ण करने के लिए न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अपेक्षित करता है। तीन कॉलेजों³⁰ के उपस्थिति अभिलेखों के समीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा के मामले पाये जहाँ विद्यार्थियों को परीक्षा में शामिल होने की अनुमति दी गयी यहाँ तक की जब 75 प्रतिशत की उपस्थिति प्राप्त नहीं की गयी थी। प्राचार्य, बी.पी.सी.ओ. और आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर ने जवाब दिया कि भविष्य में कार्रवाई की जायेगी।

2.8.1.3 मेडिकल संस्थानों में रिक्त पदों की भर्ती

- स्वास्थ्य विभाग ने 1171 सहायक प्रोफेसरों के चयन की प्रक्रिया आरंभ किया (फरवरी 2016) जिसकी चर्चा कंडिका संख्या 2.7.2.2 में की गयी है।

²⁸ डी.एम.सी. दरभंगा, जी.एम.सी. बेतिया, आई.जी.आई.एम.एस. पटना और पी.एम.सी. पटना

²⁹ पूर्व-नैदानिक विषयों को पहले और दूसरे सेमेस्टर में पढ़ाया जाता है जबकि परा-नैदानिक विषयों को तीसरे से पाँचवे सेमेस्टर के दौरान पढ़ाया जाता है। लेखापरीक्षा ने 2013-15 के दौरान नामांकित बैचों के लिए शिक्षण घंटे की जांच की।

³⁰ बी.सी.पी.ओ. पटना, आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर और आई.जी.आई.एम.एस. पटना

- स्वास्थ्य विभाग ने आठ होम्योपैथी व्याख्याताओं और 86 आयुर्वेद व्याख्याताओं के नियुक्ति के लिए बिहार लोक सेवा आयोग को एक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया (अप्रैल 2015)। यद्यपि, इसने चयन नियमों के सूत्रीकरण के बिना आठ होम्योपैथी व्याख्याताओं (दिसम्बर 2015) और 86 आयुर्वेद व्याख्याताओं (जून 2015) के चयन के लिए प्रस्ताव भेजा जो बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापन के लिए पूर्व-अपेक्षित था। विभाग ने सिर्फ चयन नियम फरवरी 2017 में लाया जिससे विज्ञापन में दो साल से अधिक की देरी हो गयी क्योंकि इसे होम्योपैथी व्याख्याताओं के लिए सिर्फ अगस्त 2017 में और आयुर्वेद व्याख्याताओं के लिए सितम्बर 2017 में प्रकाशित किया जा सका। व्याख्याताओं का चयन भी अभी तक प्रक्रियाधीन था (जनवरी 2019)।

अनुशंसा

विभाग को चयन प्रक्रिया शीघ्र निबटाना चाहिए और नियमित एवं आवधिक चयन के लिए एक प्रणाली विकसित करना चाहिए।

2.8.2 मेडिकल, आयुष और नर्सिंग संस्थानों में अपर्याप्त आधारभूत संरचना

मेडिकल, दंत, आयुष और नर्सिंग कॉलेजों/विद्यालयों को विनियमित करने वाले निकाय इन संस्थाओं के साथ-साथ संलग्न अस्पताल में अपेक्षित आधारिक संरचना अर्थात् पुस्तकों एवं पत्रिकाओं के पर्याप्त संख्या के साथ पुस्तकालय, बैठक क्षमता, पर्याप्त जगह और सुविधाओं के साथ प्रयोगशालाएँ, श्रव्य-दृश्य साधनों और पर्याप्त बैठक क्षमता के साथ सुसज्जित व्याख्यान कक्ष/प्रदर्शन कक्ष; उपकरण और छात्रावास सुविधाएँ इत्यादि के न्यूनतम स्तर के संबंध में मानदंड निर्धारित करते हैं।

लेखापरीक्षा दल के साथ में मेडिकल, आयुष और नर्सिंग कॉलेजों के प्रतिनिधियों ने नमूना-जाँचित संस्थानों का संयुक्त भौतिक सत्यापन किया (अगस्त –नवम्बर 2018)। विनियामक संस्थाओं के मानदंडों के प्रतिकूल आधारिक संरचना (कक्षा, पुस्तकालय, प्रयोगशाला, छात्रावास इत्यादि) में सत्यापन के दौरान पाई गई महत्वपूर्ण कमियाँ **परिशिष्ट-2.7** में वर्णित हैं। अपर्याप्त आधारिक संरचना ने घटिया शैक्षणिक वातावरण उत्पन्न किया और शिक्षा की गुणवत्ता को प्रभावित कर सकता है। पाई गई महत्वपूर्ण कमियाँ इस प्रकार थी:-

- एम.सी.आई. विनियमन ने परिकल्पना किया कि ई-कक्षा का प्रावधान होना चाहिए और व्याख्यान कक्ष में शिक्षण के लिए ई-कक्षा/आभासी कक्षा में रूपांतरण के लिए सुविधाएँ अवश्य होनी चाहिए। तीन³¹ नमूना-जाँचित मेडिकल कॉलेज में शिक्षण के लिए ई-कक्षा/आभासी कक्षा के लिए कोई सुविधा नहीं थी जिसने विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षण और सीखने के तरीकों के लाभ से वंचित किया।
- आई.एन.सी. के दिशा निर्देश ने परिकल्पित किया कि ए.एन.एम. विद्यालय के साथ संलग्न अस्पताल में प्रसूति विज्ञान और स्त्री रोग के 30-50 के शयनों सहित 150 शयन होने चाहिए। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि पांच³² ए.एन.एम. विद्यालयों के संलग्न अस्पतालों में 150 से कम शयन थे जबकि पांच³³ ए.एन.एम. विद्यालयों के प्रसूति विज्ञान एवं स्त्री रोग के शयन निर्धारित अनुपात की तुलना में कम था। प्राचार्य, ए.एन.एम. विद्यालय, बिहारशरीफ ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि विद्यालय पुराना (1970 में स्थापना) था और शुरुआत से विद्यालय सदर अस्पताल के साथ संलग्न था।

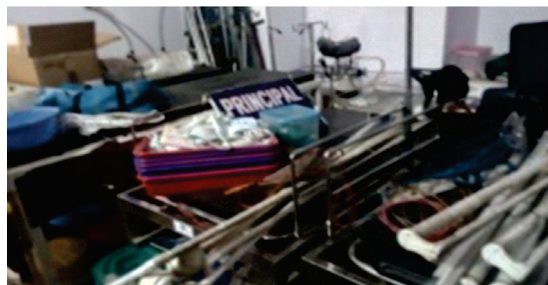
³¹ जी.एम.सी. दरभंगा, एन.एम.सी. पटना और जी.एम.सी. बेतिया।

³² ए.एन.एम. विद्यालयों (समस्तीपुर(82), सीतामढ़ी (75), बेगूसराय (108), भागलपुर (104) और गया (65)।

³³ ए.एन.एम. विद्यालयों समस्तीपुर-19, सीतामढ़ी (20), बेगूसराय (28), छपरा (25) और बिहारशरीफ (20)।

यह तथ्य बना हुआ है कि शयनों की संख्या आई.एन.सी. मानदंडों के अनुसार नहीं थे और मान्यता के निरस्तीकरण की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता है।

- आठ³⁴ नमूना-जाँचित नर्सिंग विद्यालयों में, आई.एन.सी. के उल्लेखित न्यूनतम मानदंडों की तुलना में कम स्थल के कारण कक्षाओं में भीड़ थी और कमी 37.74 से 79.17 प्रतिशत के बीच थी। पांच³⁵ नर्सिंग विद्यालयों में श्रव्य-दृश्य उपादान नहीं थे जबकि तीन³⁶ नर्सिंग विद्यालयों में ऐसे उपादान निर्माण कार्य के कारण 2015-16 से स्थापित नहीं किये गये थे।



जी.एन.एम. डी.एम.सी. दरभंगा में जगह की कमी ए0एन0एम0 विद्यालय समस्तीपुर में असंस्थापित श्रव्य दृश्य उपादान

- दो³⁷ मेडिकल कॉलेजों, पटना दंत कॉलेज (पी.डी.सी.) और जी.ए.सी. में प्रयोज्य मानदंडों के अनुसार पुस्तकालय में अपर्याप्त बैठक क्षमता थी और कमी 25 से 67 प्रतिशत के बीच थी। जी.एम.सी. बेतिया में अपर्याप्त पुस्तकें और 79 प्रतिशत की कमी थी। डी.एम.सी. दरभंगा में, पुस्तकें फर्श पर बिखरी पड़ी हुई थी। प्राचार्य, जी.एम.सी. बेतिया ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि निधि की गैर-उपलब्धता के कारण अपेक्षित पुस्तकें क्रय नहीं की गयी थी। जवाब मान्य नहीं है क्योंकि कार्यालय व्यय शीर्ष के तहत पर्याप्त राशि (29 से 84 प्रतिशत) को 2013-15 और 2016-17 के दौरान प्रत्यर्पण किया गया था।



जी.एन.एम. डी.एम.सी. दरभंगा में पुस्तकालय

- 12 नमूना जाँचित नर्सिंग विद्यालयों में से पांच³⁸ के (जैसा आई.एन.सी. द्वारा निर्धारित था) पुस्तकालय में अपर्याप्त बैठक क्षमता थी और कमी 50 से 90 प्रतिशत के बीच

³⁴ जी.एन.एम. विद्यालय, डी.एम.सी.एच. दरभंगा (जी.एन.एम.डी.एम.सी.एच.) बेगूसराय, बिहारशरीफ, छपरा, गया, सहरसा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में ए.एन.एम. विद्यालय।

³⁵ छपरा, गया, सहरसा, बेगूसराय और सीतामढ़ी में ए.एन.एम. विद्यालय

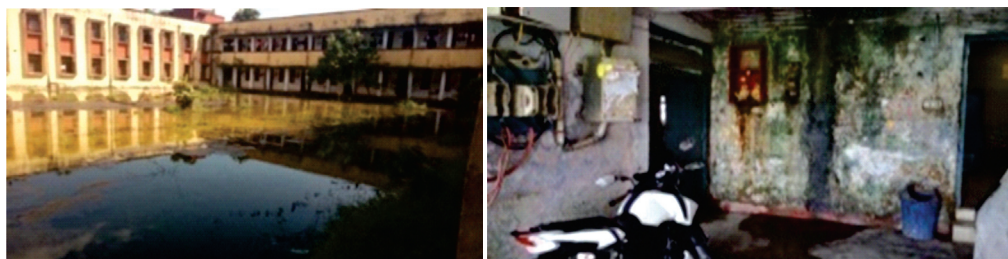
³⁶ जी.एन.एम. विद्यालय, पी.एम.सी.एच. पटना (जी.एन.एम., पी.एम.सी.एच.) बिहारशरीफ और समस्तीपुर में ए.एन.एम. विद्यालय

³⁷ पी.एम.सी. पटना और डी.एम.सी. दरभंगा।

³⁸ नर्सिंग का कॉलेज आई.जी.आई.एम.एस. पटना, जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच. भागलपुर सहरसा और समस्तीपुर में ए.एन.एम. विद्यालय

थी। पांच³⁹ नर्सिंग विद्यालयों के पुस्कालयों में बैठक व्यवस्था नहीं थी। नौ नर्सिंग विद्यालयों⁴⁰ में, पुस्तकों के अद्यतन संस्करण उपलब्ध नहीं थे।

- एम.सी.आई. विनियमन ने परिकल्पना किया कि मेडिकल कॉलेज में एक अच्छी तरह से सुसज्जित केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला होना चाहिए, जो कॉलेज के अध्यक्ष के नियंत्राधीन होगा। आई.जी.आई.एम.एस. पटना और एन.एम.सी. पटना के अतिरिक्त किसी नमूना-जाँचित मेडिकल कॉलेज में केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला नहीं था जो इन कॉलेजों में अनुसंधान कार्य को प्रभावित कर सकता है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकरणों ने यह परिकल्पना भी किया कि सभी अनुसंधानों के लिए विशेषतः सामान्य संग्रहण केन्द्र के साथ-साथ भली-भांति सुसज्जित और अद्यतन केन्द्रीय प्रयोगशालाएँ होने चाहिए लेकिन तीन⁴¹ नमूना-जाँचित मेडिकल कॉलेजों में केन्द्रीय प्रयोगशालाएँ नहीं थे।
- नमूना-जाँचित एक जी.एन.एम. और तीन ए.एन.एम. विद्यालयों⁴² में कौशल प्रयोगशाला नहीं चल रही थी क्योंकि पर्याप्त स्थल का अभाव था जैसा मानदंडों में निर्धारित था। आगे, ए.एन.एम. विद्यालय, समस्तीपुर में कौशल प्रयोगशाला के सभी उपकरण और रसायनिक तत्व बहुत खराब अवस्था में कमरों में रखे गये थे और कोई प्रायोगिक कक्षाएँ संचालित नहीं की गई।
- डी.एम.सी. दरभंगा में, छात्रावास की अवस्था बहुत विकट थी इसलिए कि कमरा नम एव अंधकारमय था, नाले का पानी बिजली के तारों पर रिस रहा था और छत एवं दीवारें नम और क्षतिग्रस्त थी। छात्रावास के चारों ओर जल-जमाव था और झाड़ियाँ उग रही थी।



जी.एन.एम. डी.एम.सी. दरभंगा का छात्रावास

- छात्रावासों में सीटों की उपलब्धता दो⁴³ जी.एन.एम. में पर्याप्त नहीं थे। जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में, छः से आठ लड़कियाँ डी.एम.सी.एच. दरभंगा के स्टाफ नर्सों द्वारा छात्रावास कमरों के अनधिकृत अधिभोग के कारण प्रत्येक चार शयन वाले कमरों में ठहराए गये। छात्रावास का परिवेश अस्वास्थ्यकर था।
- दो सौ पचास छात्र नर्सिंग कॉलेज आई.जी.आई.एम.एस. पटना में अध्ययन कर रहे थे। यद्यपि छात्रावास का प्रावधान अनिवार्य था, सिर्फ 98 छात्रों (49 कमरों, दो सीटर) के लिए प्रावधान था, जिसके परिणामस्वरूप सभी छात्रों को छात्रावास में ठहराया नहीं जा सका।
- नमूना-जाँचित ए.एन.एम. विद्यालयों (सहरसा और छपरा को छोड़कर) में, पृथक आवासीय सुविधा नहीं थी और छात्रों को कुछ कमरों में शैक्षणिक भवन में ठहराया

³⁹ जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच., बेगूसराय, बिहारशरीफ, छपरा और सीतामढ़ी में ए.एन.एम. विद्यालय

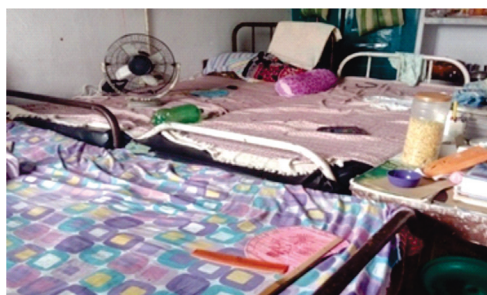
⁴⁰ एन.एम.सी.एच. पटना, पी.एम.सी.एच. पटना, डी.एम.सी.एच. दरभंगा में जी.एन.एम. विद्यालय, बेगूसराय, भागलपुर, बिहारशरीफ, सहरसा, समस्तीपुर और सीतामढ़ी में ए.एन.एम. विद्यालय

⁴¹ एन.एम.सी. पटना, डी.एम.सी. दरभंगा और जी.एम.सी. बेतिया

⁴² जी.एन.एम.डी.एम.सी.एच., बिहारशरीफ, गया और समस्तीपुर में ए.एन.एम. विद्यालय

⁴³ नर्सिंग कॉलेज आई.जी.आई.एम.एस. पटना और जी.एन.एम.डी.एम.सी.एच.

गया। सभी नमूना-जाँचित विद्यालयों (सीतामढ़ी को छोड़कर) में छः से 14 छात्र अस्वास्थ्यकर अवस्था में एक कमरा में रह रहे थे। ए.एन.एम. विद्यालय, सीतामढ़ी में, 21 छात्रों को शैक्षणिक भवन के 10 कमरों में ठहराया गया जो परित्यक्त और खतरनाक था। इसके अतिरिक्त, 70 छात्रों को परिसर के बाहर दो हॉल में ठहराया गया जो भी खराब अवस्था में था। ए.एन.एम. विद्यालय, भागलपुर को छोड़कर, कोई नमूना-जाँचित विद्यालयों में स्नानगारों एवं शौचालयों की पर्याप्त संख्या नहीं थी।



जी.एन.एम. जी.एम.सी. दरभंगा का छात्रावास



ए.एन.एम. विद्यालय, भागलपुर का छात्रावास

- ए.एन.एम. विद्यालय, गया का छात्रावास जीर्ण अवस्था में था। छत एवं दीवारों से प्लास्टर गिर रहे थे। स्नानागार की छत एवं दीवारों नम थी प्रभारी प्राचार्य एवं संरक्षक ने सूचित किया (सितम्बर 2018) कि विद्यालय को छत से वर्षा के पानी के रिसाव के कारण वर्षा ऋतु में बंद किया गया था।



ए.एन.एम. विद्यालय, गया का छात्रावास भवन



ए.एन.एम. विद्यालय, गया का छात्रावास भवन

- आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर में, छात्राओं को छात्रावास प्रदान नहीं किया गया।
- जी.ए.सी., पटना में, बालिका छात्रावास के सिर्फ 10 से 44 प्रतिशत शयनों को 2013-18 के दौरान उपयोग किया गया। राजेन्द्र नगर में स्थित बालिका छात्रावास में कोई मनोरंजन सुविधाएँ, सामूहिक कमरा और भोजनालय नहीं था जो कॉलेज से लगभग चार कि.मी. दूर था और छात्रों के लिए कोई परिवहन सुविधाएँ नहीं थी। छात्रों के अनुरोध पर, उन्हें खराब अवस्था में शैक्षणिक भवन में अवस्थित तीन कमरों में ठहराया गया (30 बालिकाएँ)। प्राचार्य, जी.ए.सी. पटना ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि छात्रावास को छात्रों के अनुरोध के अनुसार आवंटित किया गया और स्थिति सुधारने के लिए, आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
- जंगली घासों/अवांछित पौधे/लंबी घासों जी.ए.सी. पटना के औषधीय वाटिका में उग आये थे जिसने औषधीय पौधे की वृद्धि पर प्रतिकूल प्रभाव डाला और खराब अनुरक्षण को इंगित किया। यह छात्रों को प्रायोगिक कक्षाओं के शिक्षा देने में प्रभावित कर सकता है। जी.ए.सी. पटना ने जवाब दिया (अक्टूबर 2018) कि नवीकरण कार्य के लिए वन विभाग को निधि प्रदान किया और आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

अनुशंसाएं:

- विभाग को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को सुगम करने के लिए सक्रिय वातावरण जैसे कि पर्याप्त पुस्तकें एवं पत्रिकाओं के साथ पुस्कालय, श्रव्य-दृश्य साधनों से सुसज्जित कक्षाएँ और उचित छात्रावास का सृजन सुनिश्चित करना चाहिए।
- नर्सिंग संस्थानों में आधारिक संरचना सुधारने के लिए विभाग द्वारा विशेष प्रयास किये जाने की आवश्यकता है।

2.8.3 अंतर्वासी शयनों के न्यूनतम अधिभोग से कम

भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद एक मेडिकल कॉलेज के साथ संलग्न अस्पताल में अंतर्वासी शयनों के औसत उपयोग एक न्यूनतम 75 प्रतिशत अनुबंधित करना है।

तीन⁴⁴ नमूना-जाँचित मेडिकल कॉलेजों में, 2013-18 के दौरान अंतर्वासी शयनों का अधिभोग 75 प्रतिशत के न्यूनतम उल्लेखित मानदंड के विपरीत 25 से 31 प्रतिशत के बीच था। यह छात्रों के नैदानिक प्रशिक्षण को प्रभावित कर सकता है।

तालिका सं.-2.7**नमूना-जाँचित शिक्षण अस्पतालों का शयन अधिभोग**

वर्ष	उपलब्ध शयनों की कुल सं.	शयनों के 75 प्रतिशत अधिभोग के लिए न्यूनतम आवश्यकता	वास्तविक अधिभोग	न्यूनतम आवश्यकता के संदर्भ में अधिभोग में कमी (प्रतिशत)
2013-14	2328	637290	440303	31
2014-15	2328	637290	453820	29
2015-16	2461	673699	480947	29
2016-17	2455	672056	491486	27
2017-18	2515	688481	514471	25

(मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रदत्त डाटा)

2.8.4 मेडिकल कॉलेजों में उपकरण की कमी

मेडिकल कॉलेज विनियमन 1999 यथा एम.सी.आई. के अगस्त 2017 को संशोधित, के लिए न्यूनतम मानक आवश्यकताएँ मेडिकल कॉलेजों के विभिन्न विभागों के लिए उपकरण के न्यूनतम आवश्यकता को निर्धारित करता है।

चयनित पांच⁴⁵ मेडिकल कॉलेजों के 20⁴⁶ नमूना-जाँचित विभागों में, निर्धारित मानदंडों के विरुद्ध मेडिकल उपकरण की गैर-उपलब्धता/कमी 2017-18 (परिशिष्ट-2.8) के दौरान 38 से 92 प्रतिशत के बीच में थी। आई.जी.आई.एम.एस. पटना के दो⁴⁷ विभागों, जी.

⁴⁴ डी.एम.सी. दरभंगा, आई.जी.आई.एम.एस. पटना और एन.एम.सी. पटना

⁴⁵ जी.एम.सी. बेतिया, डी.एम.सी. दरभंगा, आई.जी.आई.एम.एस. पटना और पी.एम.सी. पटना

⁴⁶ आई.जी.आई.एम.एस. पटना का एक विभाग (औषध विज्ञान), जी.एम.सी. बेतिया का एक विभाग (नेत्र विज्ञान) और एन.एम.सी. पटना के तीन विभागों (हड्डी रोगविज्ञान, त्वचा विज्ञान, कर्णपासाकंठ विज्ञान) ने सूचना प्रस्तुत नहीं किया

⁴⁷ त्वचा विज्ञान और मनोरोग चिकित्सा

एम.सी. बेतिया के आठ⁴⁸ विभागों और डी.एम.सी. दरभंगा के एक⁴⁹ विभाग में सभी प्रकार के उपकरणों (नैदानिक और गैर-नैदानिक) की कमी थी। उपकरण मेडिकल कॉलेजों और बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा क्रय किये जाते हैं। उपकरणों की कमी के बावजूद, ये कॉलेज (आई.जी.आई.एम.एस., पटना को छोड़कर) 2013-18 के दौरान आवंटित राशि ₹38.87 करोड़ में से सिर्फ ₹31.70 करोड़ (82 प्रतिशत) व्यय कर सके। उपकरण की कमी का मेडिकल छात्रों के प्रायोगिक प्रशिक्षण और शिक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यह देखा गया कि विभाग के पास अक्टूबर 2018 तक मेडिकल उपकरण की प्राप्ति के लिए कोई विशिष्ट योजना नहीं थी। औषधि एवं मेडिकल उपकरण की प्राप्ति के लिए एक नियमावली-2018 केवल अक्टूबर 2018 में अधिसूचित किया गया जो प्राप्ति और योजना नीति को उल्लिखित करता है।

2.8.4.1 निष्क्रिय और खराब-उपकरण

लेखापरीक्षा ने एक से नौ वर्षों के बीच की अवधि के लिए निष्क्रिय या खराब पड़े हुये उपकरण के मामलों का अवलोकन किया जैसा नीचे तालिका में दर्शाया गया है :-

तालिका-2.8

निष्क्रिय और खराब उपकरण

क्र. स.	लेखापरीक्षा सारांश	निष्क्रिय या खराब पड़े हुये उपकरणों/मदों का नाम	निष्क्रिय या खराब पड़े होने के बाद की अवधि	उपकरण/मदों की लागत (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
1	आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर	अल्ट्रासाउंड मशीन, एक्स-रे मशीन इत्यादि	2009-10	19.52	इन मदों को भवन के पूर्णता के पहले नये मेडिकल कॉलेज का स्थापित करने के लिए क्रय किया गया था। मशीनों को संचालित करने के लिए तकनीकी मानवबल का अभाव था और ये निष्क्रिय पड़ी थी (सितम्बर 2018)।
2	पटना मेडिकल कॉलेज पटना	पैथोलोजी विभाग में स्वचालित इलेक्ट्रोफोरेसिस	अक्टूबर 2016	28.00	मशीन खराब था और विभाग ने इसके बारे में कॉलेज प्रशासन को सूचित किया (अक्टूबर 2016), लेकिन इसकी मरम्मत के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया (अक्टूबर 2018)।
		स्त्री रोग विभाग में अल्ट्रासाउंड मशीन	जनवरी 2017	लागू नहीं	मशीन खराब था और विभाग ने इसके बारे में कॉलेज प्रशासन को सूचित किया (मई 2017), लेकिन इसकी मरम्मत के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया (अक्टूबर 2018)।
		क्षय एवं छाती विभाग में टी.एम.टी. मशीन	जनवरी 2014	लागू नहीं	मशीन खराब थे लेकिन मरम्मती के लिए कॉलेज प्रशासन द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया (अक्टूबर 2018)।
3	डी.एम.सी. दरभंगा	11 ई.सी.जी. मशीन	फरवरी 2014	12.65	मशीनों को कॉलेज द्वारा अपेक्षित नहीं होने के बावजूद बी.एम.एस.आई.सी.एल. द्वारा मेडिकल कॉलेज को आपूर्ति किया गया (फरवरी 2014)।

⁴⁸ रेडियो निदान, विकृति विज्ञान, हड्डी रोग विज्ञान, त्वचा रोग विज्ञान, क्षय एवं छाती, दवा, फॉरेंसिक चिकित्सा और मनोरोग चिकित्सा

⁴⁹ मनोरोग चिकित्सा

क्र. स.	लेखापरीक्षा सारांश	निष्क्रिय या खराब पड़े हुये उपकरणों/मदों का नाम	निष्क्रिय या खराब पड़े होने के बाद की अवधि	उपकरण/मदों की लागत (₹ लाख में)	अभ्युक्तियाँ
4	नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना	बी स्कैन- ए+बी प्रोब	अगस्त 2015	14.49	मशीनों को मेडिकल कॉलेज द्वारा क्रय किया गया था (अप्रैल 2012) और अगस्त 2015 से खराब थे।
5	जी.एम.सी. बेतिया	प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग में कोलोनोस्कोप	2014	लागू नहीं	मशीनों को इसके क्रय के बाद से संस्थापित नहीं किया गया था।
		सक्शन मशीन, डी. एवं सी. सेट, फेटल डॉप्लर, बी.पी. उपकरण, प्रत्येक दो संख्याओं में	लागू नहीं	लागू नहीं	क्रियाशील नहीं
		शरीर रचना विज्ञान विभाग में शवगृह	मई 2017	लागू नहीं	क्रियाशील नहीं
6	जी.टी.सी. पटना	एक्स-रे मशीन	2011-12	लागू नहीं	मशीन तकनीशियन/रेडियों ग्राफर के अनुपलब्धता के कारण भंडार कक्ष में बेकार पड़े थे।

जैसा उपरोक्त तालिका से देखा जा सकता है, मशीन/उपकरण बेकार या खराब था क्योंकि उनके संचालन के लिए तकनीकी मानवबल की अनुपलब्धता थी, मशीनों को बिना आवश्यकता के आपूर्ति किया गया या उपकरण की मरम्मत के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाया गया। बेकार मशीनों का मेडिकल छात्रों के प्रशिक्षण पर प्रतिकूल प्रभाव होगा।

2.8.5 ग्रामीण इंटरनशिप

मेडिकल कॉलेज में ग्रामीण इंटरनशिप

एम.बी.बी.एस. उपाधि देने के लिए, एम.सी.आई. एक-वर्षीय अनिवार्य आवर्ती इंटरनशिप सहित सामुदायिक चिकित्सा के लिए दो महीनों के समय के सफल पूर्णता को अनुबंधित करता है। सामुदायिक चिकित्सा में प्रशिक्षुएँ रोग-प्रतिरक्षण कार्यक्रमों, परिवार कल्याण योजना प्रक्रिया, स्थानिक प्रचलित रोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों अन्य अभिकरणों जैसे जलापूर्ति, खाद्य वितरणों और परिवेश/सामाजिक अभिकरणों के साथ संपर्क, व्यक्तिगत/समुदाय को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अनावरण प्राप्त करते हैं और प्रबंधकीय दक्षता और पारामेडिकल सदस्य एवं अन्य स्वास्थ्य पेशेवरों के कर्तव्यों को प्रत्यायोजन प्राप्त करते हैं। इसके लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों इत्यादि से संलग्न किये जाने की आवश्यकता है और ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों, आशा उप-केन्द्रों इत्यादि के साथ कम से कम एक सप्ताह का ग्रामीण जुड़ाव करना है। प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में इसके लिए उसके साथ तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (प्रा.स्वा.के.) ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र (ग्रा.स्वा.के.) संलग्न होने थे। उसी प्रकार दंत कॉलेजों में, डी.सी.आई. द्वारा अपेक्षित, प्रशिक्षुओं को समुदाय से संबंधित दंत स्वास्थ्य स्वरूपों के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए तीन महीने की ग्रामीणसेवा के पीछे लगा रहना था। आगे, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्षेत्र अभ्यास/इंटरनशिप नर्सिंग संस्थानों के छात्रों के लिए भी आवश्यक थी।

नमूना-जाँचित संस्थानों में इंटर्नशिप कार्यक्रमों (सामुदायिक चिकित्सा/ग्रामीण सेवा) की समीक्षा में निम्नलिखित कमियाँ (परिशिष्ट 2.9 में विवरण) उद्घाटित हुआ।

- मामले पाये गये जहाँ प्रशिक्षुओं को सामुदायिक स्वास्थ्य शिक्षा, ग्रामीण समुदाय स्वास्थ्य मुद्दों एवं विद्यमान स्थानिक रोगों के निराकरण और नियंत्रण और स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रम के संपर्क में नहीं थे और उन्हें अन्य अभिकरणों के साथ संपर्क प्रदर्शित करने के लिए मेडिकल कॉलेज द्वारा प्रशिक्षण नहीं दिया गया।
- ग्रामीण इन्टर्नशिप के दौरान संबंधित संस्थाओं/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों द्वारा पर्याप्त रूप से अधिभोग सुविधा प्रदान नहीं किये गया।
- ग्रामीण इन्टर्नशिप के दौरान उपस्थिति में कमी पायी गयी।

2.9 वित्तीय प्रबंधन

संस्थानों को उनके काम-काज के लिए योजना एवं गैर-योजना शीर्षों के तहत मेडिकल शिक्षा के लिए निधियाँ प्रदान की गयी। इसके अतिरिक्त, बी.एम.एस.आई.सी.एल./बी.आर.पी.एन.एन.एल. को आधारिक संरचना के सृजन और उपकरण की प्राप्ति के लिए निधियाँ प्रदान की गयी। 2013-14 से 2017-18 के दौरान योजना एवं गैर-योजना के तहत मेडिकल शिक्षा के लिए बजट का प्रावधान और किये गये व्यय इस प्रकार था:

तालिका सं.-2.9
बजट आवंटन और वास्तविक व्यय

(रैंकरोड़ में)

वर्ष	योजना			गैर-योजना		
	बजट	व्यय	अभ्यर्पण	बजट	व्यय	अभ्यर्पण
2013-14	374.51	225.88 (60)	148.63 (40)	336.94	293.38 (87)	43.56 (13)
2014-15	521.92	207.59 (40)	314.33 (60)	380.67	304.53 (80)	76.14 (20)
2015-16	598.38	521.50 (87)	76.88 (13)	463.28	431.39 (93)	31.89 (7)
2016-17	854.77	755.35 (88)	99.42 (12)	572.96	488.02 (85)	84.94 (15)
2017-18	703.40	593.00 (84)	110.40 (16)	662.00	597.55 (90)	64.45 (10)
कुल	3052.98	2303.32 (75)	749.66 (25)	2415.85	2114.87 (88)	300.98 (12)

कोष्ठक प्रतिशत में आँकड़े को दर्शाता है

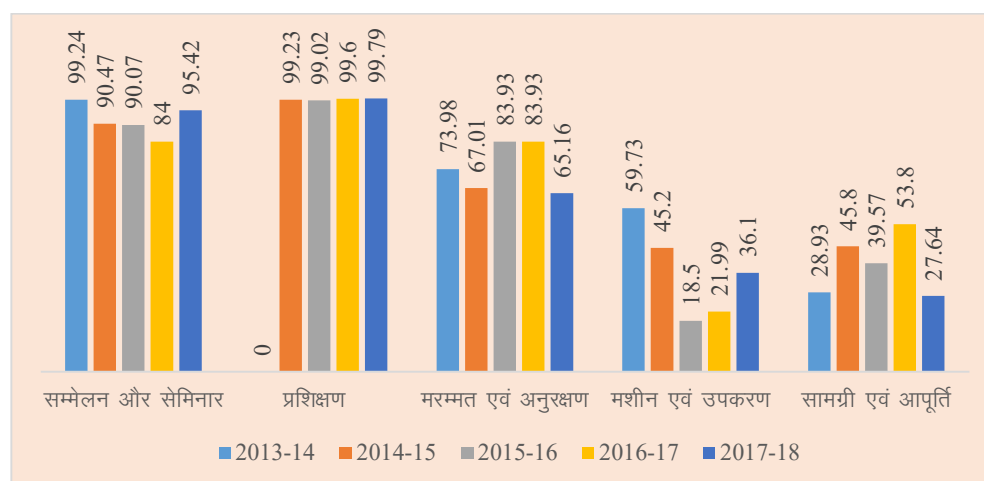
(स्रोत: स्वास्थ्य विभाग)

वर्ष 2013-18 के दौरान मेडिकल शिक्षा के तहत ₹5468.83 करोड़ के कुल बजट प्रावधान के विरुद्ध, सिर्फ ₹4418.19 करोड़ (81 प्रतिशत) व्यय किया गया जिससे ₹1050.64 करोड़ (19 प्रतिशत) अभ्यर्पित हो गयी।

शीर्ष-वार अभ्यर्पण की समीक्षा में उद्घाटित हुआ कि प्रयोजन शीर्ष 'प्रशिक्षण' और 'सम्मेलन कार्यशाला एवं 'संगोष्ठी', के तहत 2013-18 के दौरान निधियों का अभ्यर्पण 84 से 100 प्रतिशत के बीच था। निधियों के अभ्यर्पण की शीर्षवार स्थिति जो प्रत्यक्ष रूप से मेडिकल शिक्षा से संबंधित है निम्नलिखित सारणी से देखी जा सकती है:

सारणी सं.— 2.4 चयनित लेखाशीर्षों में अभ्यर्पण

(प्रतिशत में आँकड़ें)



(स्रोत: स्वास्थ्य विभाग)

आगे यह अवलोकन किया गया कि सिर्फ 75 प्रतिशत राशि को इस अवधि के दौरान योजना शीर्ष के अधीन व्यय किया गया जो पूर्व में चर्चा की गयी राज्य सरकार के विभिन्न योजनाओं के तहत शुरू किये गये निर्माण कार्यों के खराब प्रगति के कारण हैं। लेखापरीक्षा ने निर्माण कार्यकलाप और कॉलेजों का चलाने के दौरान निम्नलिखित वित्तीय अनियमितताएँ को पाया (*परिशिष्ट-2.10 में विवरण*):

तालिका सं.— 2.10 मेडिकल संस्थानों के निर्माण गतिविधियों में वित्तीय अनियमितताएँ

(₹ करोड़ में)

क्र० सं०	कार्य/संस्थान का नाम	अनियमितता की राशि	कारण
1	पावापुरी और मधेपुरा में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण	78.09	अनुबंध के अनुच्छेदों और प्रासंगिक नियमों के गैर-अनुपालन के परिणामस्वरूप अधिक भुगतान/अस्वीकार्य भुगतान हुआ।
2	मधेपुरा, बेतिया और पावापुरी में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण	7.35	पर्यवेक्षण परामशियों को भुगतान की गयी शुल्क कार्य व्यय को प्रभारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप राज्य कोष में हानि हुयी।
3	मधेपुरा और पावापुरी में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण	21.41	बी.आर.पी.एन.एन.एल. और बी.एम.एस.आई.सी.एल. को सेंटेंज शुल्क का आधिक्य भुगतान।
4	बेतिया में मेडिकल कॉलेज का निर्माण	45.71	कार्य मार्च 2007 में अनुमोदित लेकिन नवम्बर 2016 में प्रदान किया गया। प्रत्येक चरण में विलंब था और इसने निविदा के मूल्यांकन में छः से 15 महीना लिया। निविदा को तीन बार निरस्त किया गया। दूसरे और तीसरे निविदा आमंत्रण सूचना के अनुसार मात्रा का बिल की लागत में अंतर ₹45.71 करोड़ (दरों की अनुसूची में बदलाव के कारण) था। हालाँकि, कार्य का क्षेत्र चौथे एन.आई.टी. में कम कर दिया गया। मात्रा के बिल के कुछ मदों के नमूना जाँच लगभग 10 प्रतिशत की सीमा तक के वृद्धि उद्घाटित हुये।
5	10 ए.एन.एम. विद्यालयों का निर्माण	3.20	बी.एम.एस.आई.सी.एल. ने निर्माण के लिए ₹45.42 करोड़ प्राप्त किया जिसमें विरुद्ध ₹42.22 करोड़ व्यय किये गये (मई 2018) शेष राशि वापस नहीं की गयी।

नमूना-जाँचित मेडिकल संस्थानों के लेखापरीक्षा के दौरान निम्नलिखित वित्तीय अनियमितताओं पर भी ध्यान दिया गया:

तालिका सं.- 2.11
नमूना-जाँचित मेडिकल संस्थाओं में वित्तीय अनियमितताएँ

क्र० सं०	कार्य/संस्थान का नाम	राशि (करोड़ में)	अनियमितता
1	मेडिकल कॉलेज (वी.आई.एम.एस.), पावापुरी और जी.एम.सी., बेतिया	190.50	कॉलेज और अस्पताल को अपने आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व उत्पन्न करना था। 2013-18 के दौरान, पावापुरी और बेतिया में मेडिकल कॉलेज और अस्पताल का आवर्ती व्यय क्रमशः ₹83.58 करोड़ और ₹108.01 करोड़ था। यद्यपि, पावापुरी में मेडिकल कॉलेज द्वारा उत्पन्न कुल राजस्व सिर्फ ₹1.09 करोड़ था। आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए राजस्व कैसे उत्पन्न किया जायेगा, इसकी कोई योजना तैयार नहीं की गयी थी। बेतिया मेडिकल कॉलेज और अस्पताल के राजस्व उत्पत्ति लेखापरीक्षा को प्रदत्त नहीं किया गया।
2	डी.एम.सी. दरभंगा, एन.एम.सी. पटना, जी.ए.सी. पटना और आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर	7.30	ए.सी. विपत्रों का आहरण 2005-18 के दौरान ₹43.58 करोड़ था लेकिन ₹7.30 करोड़ के डी.सी. विपत्र उपस्थापित नहीं किये (नवम्बर 2018)।
3	पी.एम.सी. पटना और डी.एम.सी. दरभंगा	0.15	एक स्नातकोत्तर छात्र से प्राप्त (अप्रैल 2018) ₹15 लाख की बॉड राशि इसके उपयोग के लिए किसी निर्देशों के अभाव में बेकार पड़े थे। डी.एम.सी. में, 107 दाखिल (2017-18) स्नातकोत्तर छात्रों में से 98 छात्रों से बॉड नहीं लिया गया था।
4	पी.एम.सी. पटना, एन.एम.सी. पटना, डी.एम.सी. दरभंगा, ए.एन.एम.एम.सी. गया, एस.के.एम.सी. मुजफ्फरपुर और जे.एल.एन.एम.सी. भागलपुर	2.76	राज्यांश (25 प्रतिशत) की कुल राशि 2009-13 की अवधि के दौरान केन्द्र प्रायोजित योजना में केन्द्रांश (75 प्रतिशत) के विरुद्ध विमुक्त नहीं की गयी।
5	जी.ए.सी. पटना	2.95	कॉलेज द्वारा प्राप्त (2010-13) भारत सरकार निधियों की राशि ₹2.95 करोड़ के लिए पृथक बैंक खाता संधारित नहीं किया गया। कोई रोकड़ बही भी संधारित नहीं की गयी। आगे, ₹0.33 करोड़ की राशि का विचलन 2012-13 में वेतन भुगतान के लिए किया गया।
6	पी.एम.सी. पटना, एन.एम.सी. पटना और डी.एम.सी. दरभंगा,	15.18	₹28.57 करोड़ की अनुमोदित राशि के विरुद्ध, कॉलेज ₹15.96 करोड़ (₹2.57 करोड़ के ब्याज सहित) के विमुक्त राशि का उपयोग नहीं कर सका परिणामस्वरूप 2013-18 के दौरान भारत सरकार द्वारा शेष राशि का गैर-विमोचन हुआ।
7	जी.टी.सी. पटना, जी.ए.सी. पटना, पी.डी.सी. पटना और जी.एम.सी. बेतिया	0.38	संस्थानों को प्रदत्त सेवाएँ जैसे सुरक्षा, सफाई और अन्य गृह व्यवस्था को सेवा कर से छूट प्राप्त थी। तथापि, कॉलेजों द्वारा अक्टूबर 2012 से मार्च 2017 के दौरान प्रदत्त सेवाओं के लिए सेवा कर का भुगतान किया गया (जुलाई 2013 से जुलाई 2017)।

अनुशंसाएँ

विभाग को:-

- संविदा के नियम एवं शर्तों के अनुपालन के साथ कार्यों के यथासमय क्रियान्वयन एवं समापन सुनिश्चित करना चाहिए;
- कार्यों पर किये गये व्यय की जाँच करना चाहिए और कार्यकारी अभिकरणों द्वारा शेष भुगतान की वापसी को सुनिश्चित करना चाहिए;
- जांच करना चाहिए कि कार्यकारी अभिकरण द्वारा प्रभारित प्रतिशत सही है और कार्यों को कोई आधिक्य भुगतान प्रभारित नहीं किया गया हो; और

- छात्रों से बॉर्ड का लेना सुनिश्चित करना चाहिए और इसके लेखांकन एवं उपयोग के लिए दिशा-निर्देश जारी करना चाहिए।

2.10 निगरानी एवं पर्यवेक्षण

मेडिकल कॉलेज और अस्पताल, आयुष कॉलेज और अस्पताल, विभाग में सेवारत सभी अधिकारियों का नियंत्रण मेडिकल कॉलेजों की स्थापना और विनियमन, मेडिकल योग्यता का प्रावधान और विनियमन, सभी अधिवासित भवनों को प्रशासनिक प्रभार इत्यादि स्वास्थ्य विभाग के कार्य है, जैसा कार्यपालिका नियमावली, 1979 अनुबंधित करता है।

2.10.1 राजकीय टिब्बी कॉलेज पटना में अनियमित/जाली प्रवेश

जी.टी.सी. पटना में, बी.यू.एम.एस. पाठ्यक्रम के लिए 40 की प्रवेश क्षमता के साथ, एक तिहाई छात्रों को पूर्व-टिब अभिसंस्करण से प्रवेश दिया जाना था जो नवम्बर 2016 से 10 छात्रों के लिए सीमित था। यद्यपि लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि प्रति वर्ष कॉलेज ने 2013-18 के दौरान पूर्व टिब पाठ्यक्रम से 14 छात्रों को प्रवेश दिया। इस प्रकार, 62 छात्रों के विरुद्ध जो पूर्व-टिब पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त कर सकते थे, कॉलेज ने 70 छात्रों को प्रवेश दिया

फर्जी अंक पत्रों के साथ छात्रों को राजकीय टिब्बी कॉलेज में प्रवेश दिया गया है।

लेखापरीक्षा ने पूर्व-टिब अभिसंस्करण पाठ्यक्रम से सभी 70 प्रार्थियों के दस्तावेजों की प्रामाणिकता को सत्यापित करने का प्रयास किया और 66 छात्रों के संबंध में संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से प्रतिक्रियाएँ प्राप्त की। 15 छात्रों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को संबंधित कॉलेजों और विश्वविद्यालय द्वारा जारी किया हुआ नहीं पाया गया। प्रार्थियों द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के प्रामाणिकता की जांच के बिना छात्रों का प्रवेश बहुत चिंता का विषय है। प्राचार्य जी.टी.सी. पटना ने जवाब दिया (फरवरी 2019) से इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है।

सी.सी.आई.एम. द्वारा जैसा निर्धारित क्षमता के आधिक्य में पूर्व-टिब पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रवेश इसलिए मानदंडों के अनुसार नहीं था और प्रवेश परीक्षा के द्वारा प्रवेश ढूँढ़ रहे छात्रों को उपलब्ध अवसर की कीमत पर भी था।

2.10.2 नर्सिंग विद्यालयों में संदेहपूर्ण पहचान के साथ दाखिल छात्र

लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार संयुक्त प्रवेश प्रतियोगी परीक्षा बोर्ड (बि.सं.प्र.प.बो.) ने ए.एन.एम. विद्यालय समस्तीपुर में 2011 में दाखिल दो छात्रों और 2011 एवं 2012 के दौरान जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में दाखिल दो छात्रों के मामलों को दिसम्बर 2011 एवं फरवरी 2013 में फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला (फो.वि.प्र.) को सौंपा। फो.वि.प्र. के जांच प्रतिवेदन ने पुष्टि किया (फरवरी-जून 2015) कि इन छात्रों के हस्तलिपि के प्रति दो नमूने, एक प्रवेश के समय लिया गया और दूसरा परामर्श सेवा के समय लिया गया, ने मेल नहीं खाया। तीन छात्र अपने पाठ्यक्रम की समाप्ति के बाद उत्तीर्ण हुये और एक ने बीच में छोड़ दिया। दाखिला को निरस्त करने और कानूनी कार्रवाई करने के लिए कदम उठाने को संबंधित प्राधिकरणों को बि.सं.प्र.प.बो. (दिसम्बर 2016 और सितम्बर 2017) के आदेशों के बावजूद, तीन छात्रों के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी जो उत्तीर्ण हुये थे।

अयोग्य छात्रों को संस्थानों में प्रवेश मिला और उत्तीर्ण हुये, तथापि उनके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गयी।

प्राचार्य ए.एन.एम. विद्यालय, समस्तीपुर ने जवाब दिया कि छात्र के विरुद्ध कार्रवाई प्रक्रियाधीन थी। प्राचार्य, जी.एन.एम.डी.एम.सी.एच. ने जवाब दिया कि इस मामले में अनुसंधान बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड पटना द्वारा किया गया था।

इसी प्रकार जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच. में, एक छात्र को जी.एन.एम. पाठ्यक्रम जारी रखने की अनुमति दी गयी, यद्यपि, लेखापरीक्षा ने उसके दस्तावेजों में फोटोग्राफों और हस्ताक्षरों में विसंगति का अवलोकन किया। मामले को सत्यापन के लिए बि.स.प्र.प्र.ओ. (नवम्बर 2018) में भेजा गया।

2.10.3 पटना मेडिकल कॉलेज में स्नातकोत्तर सीटों में अनियमित प्रवेश

पी.एम.सी. पटना में, लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014 के दौरान, छः विभागों⁵⁰ में प्रवेश क्षमता की तुलना में 13 ज्यादा स्नातकोत्तर सीटें थी। आगे 14 छात्रों को दो विभागों⁵¹ में प्रवेश दिया गया जहाँ केन्द्र सरकार/एम.सी.आई. द्वारा कोई सीट स्वीकृत नहीं थी। एम.सी.आई. ने इन 27 अनियमित रूप से दाखिल छात्रों के प्रवेश पर आपत्ति किया (दिसम्बर 2015)। प्राचार्य, पी.एम.सी. पटना ने जवाब दिया (फरवरी 2019) कि ऐसे सीटों का प्रवेश एम.सी.आई. वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार पिछले 40 वर्षों से किया जा रहा था। आगे, प्राचार्य ने कहा (फरवरी 2019) कि एम.सी.आई. ने सूचित मामले के प्रकाश में निरीक्षण किया लेकिन निर्णय बहुप्रतीक्षित था।

2.10.4 2014 में मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश के लिए एम.सी.आई. मानदंड में ढील देने का सरकार का अनियमित निर्णय

एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रमों में प्रवेश को आई.एम.सी. अधिनियम के धारा 33 के तहत शक्तियों के प्रयोग में एम.सी.आई. द्वारा रचित स्नातक मेडिकल शिक्षा, 1997 पर विनियमनों द्वारा विनियमित किया जाता है। उक्त विनियमन का धारा 5 क्रमानुसार सामान्य, अ.जा./अ.ज.जा. या अन्य पिछड़ा वर्ग तथा निःशक्तजन श्रेणी प्रार्थियों के लिए कम से कम 50, 40 और 45 प्रतिशत अंकों की आवश्यकता को अनुबंधित करता है।

लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि 2014 में बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड द्वारा संचालित एम.बी.बी.एस. परीक्षा में अ.जा./अ.ज.जा. और निःशक्तजन श्रेणी के 67 छात्रों ने न्यूनतम अर्हता प्रतिशत अंकों को प्राप्त नहीं किया। उपरोक्त सीटों को भरने के लिए राज्य सरकार/विभाग ने अ.ज./अ.ज.जा. और निःशक्तजन श्रेणी प्रार्थियों के लिए एम.सी.आई. द्वारा उल्लेखित न्यूनतम अर्हता मानदंड क्रमानुसार 40 और 45 से 32 प्रतिशत में ढील देने का निर्णय लिया और एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुमति दी। एम.सी.आई. ने ऐसे ढील के लिए अनुमति से इंकार किया (सितम्बर 2014)। सरकार का निर्णय एम.सी.आई. द्वारा रचित प्रावधानों के विपरीत था जिसके परिणामस्वरूप पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अयोग्य प्रार्थी योग्य बने।

छात्रों और एम.सी.आई. द्वारा भी दायर अदालती मामलों में, उच्च न्यायालय पटना ने कहा (सितम्बर 2015 और दिसम्बर 2015) कि कोई राज्य एम.सी.आई. विनियमों का अनादर नहीं कर सकता और राज्य सरकार द्वारा निर्गत आदेशों को दरकिनार कर दिया। यद्यपि यह विचार करते हुये कि छात्रों की तरफ से कोई गलती नहीं थी जो दाखिल किये गये थे, माननीय अदालत ने विचार रखा कि छात्रों के शैक्षणिक कैरियर को बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए, यदि उन्होंने अपने एम.बी.बी.एस. पाठ्यक्रम करते हुये आवश्यक निपुणता प्राप्त किया हो।

⁵⁰ निश्चेतना, शिशु स्वास्थ्य, विकृति विज्ञान, प्रसूति एवं स्त्री रोग, रेडियो निदान और हड्डी रोग विज्ञान

⁵¹ एम.डी. मनोरोग चिकित्सा, एम.डी./एम.एस. प्रसूति एवं स्त्री रोग

2.10.5 बी.ए.एम.एस. पाठ्यक्रम में अनियमित प्रवेश

भारत सरकार ने सत्र 2008–09 (जैसा कंडिका 2.7.2.4 में विस्तृत है) से छात्रों के प्रवेश से जी.ए.सी. बेगूसराय को मना किया (अगस्त 2008)। लेखापरीक्षा ने अवलोकन किया कि भारत सरकार के आदेशों के उल्लंघन में; कॉलेज ने शैक्षिक सत्र 2008–2009 के लिए 25 छात्रों को दाखिल किया। सी.सी.आई.एम. ने भी अनुमति नहीं होने के बावजूद दाखिला लेने वाले कॉलेजों के मुद्दे को उठाया (अक्टूबर 2008) परिणामस्वरूप, विभाग (जून 2009) के निर्देश पर, ऐसे छात्रों को जी.ए.सी. पटना में समायोजित किया गया।

विभाग द्वारा कमजोर पर्यवेक्षण निम्नलिखित से भी सुस्पष्ट है:

- दो जी.एन.एम. और सात ए.एन.एम. विद्यालयों के नमूना-जांच में उद्घाटित हुआ कि आई.एन.सी. द्वारा स्वीकृत 838 के प्रवेश क्षमता के विरुद्ध, 1942 छात्रों को बी.सी.ई. सी.ई. बोर्ड द्वारा जारी आवंटन पत्रों के आधार पर 2015–18 के दौरान दाखिल किया गया, जबकि बोर्ड ने कहा (जनवरी 2019) कि काउंसलिंग सीटों की संख्या के संबंध में विभाग द्वारा दी गयी सूचना के आधार पर किया गया। विभाग ने इस संबंध में कोई टिप्पणी प्रस्तुत नहीं किया **(परिशिष्ट-2.11)**।
- पी.एम.सी. पटना, एन.एम.सी. पटना और जी.ए.सी. पटना में, या तो पाठ्यक्रम और प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरण, अनुशासन के प्रवर्तन और अन्य शैक्षिक मामलों के प्रारूप बनाने के लिए कोई कॉलेज समिति नहीं थी या समिति ने साल⁵² में न्यूनतम चार बैठकों की अपेक्षित संख्या के विरुद्ध 2013–18 के दौरान शून्य से तीन के बीच बैठकों की अपर्याप्त संख्या का आयोजन किया।
- दस नमूना-जाँचित नर्सिंग विद्यालयों (बेगूसराय और भागलपुर में ए.एन.एम. विद्यालयों को छोड़कर) में से किसी में पाठ्यक्रम परिचालन और परीक्षा की निगरानी के लिए विद्यालय प्रबंधन समिति नहीं था।
- बी.पी.सी.ओ., पटना में भौतिक चिकित्सा और व्यवसायिक चिकित्सा के लिए कोई विनियामक निकाय एवं प्रबंधन समिति नहीं था।
- मानदंडों के अनुसार, जी.एन.एम. स्कूल के प्राचार्य सहित सभी नर्सिंग संकायों को नैदानिक शिक्षण के लिए नैदानिक क्षेत्र में एक दिन में कम से कम चार घंटों बिताना चाहिए। यद्यपि, जी.एन.एम. विद्यालय डी.एम.सी.एच. में, प्राचार्य ने कहा (अक्टूबर 2018) कि इस मानदंड का अनुसरण नहीं किया और मानदंडों के अनुसार कार्रवाई की जायेगी।
- 2015 में, बि.सं.प्र.प्र.प. बोर्ड ने सभी प्रार्थियों जो स्नातक प्रवेश परीक्षा में उपस्थित हुये थे, को एक गलत प्रश्न के लिए अंक प्रदान करते हुये मेधा सूची तैयार किया, जबकि स्नातकोत्तर प्रवेश परीक्षा में समान अवस्था में, मेधा सूची सात गलत प्रश्नों के अंको को कम करने बाद बनाई गयी। इस प्रकार, समान अवस्था में दो विभिन्न दृष्टिकोण अपनाए गये जो बोर्ड और सरकार द्वारा बी.सी.ई.सी.ई. अधिनियम 1995 के प्रावधानों के क्रियान्वयन के लिए नियमों/विनियमनों के गैर-सूत्रीकरण के कारणवश था। बी.सी.ई.सी.ई. बोर्ड ने जवाब दिया (सितम्बर 2019) कि मेधा सूची को तैयार करना बोर्ड का विशेष अधिकार है।

⁵² वर्ष 2014–15 को छोड़कर जब एन.एम.सी. पटना ने चार सभाओं का आयोजन किया।

- नमूना-जाँचित संस्थानों में मजबूत रैगिंग-विरोधी उपाय नहीं थे। इन सभी संस्थानों में आकस्मिक जांच, रैगिंग-विरोधी दल का गठन, व्यवसायिक परामर्शदाताओं की व्यस्तता, नवछात्रों के लिए संयुक्त संवेदीकरण कार्यक्रम का संगठन नहीं किया गया। इस प्रकार, विनियामक निकायों के मानदंडों का अनुपालन नहीं किया गया।

अनुशंसाएँ

विभाग को:

- विनियामक निकायों के मानदंडों का सख्ती से अनुपालन करना चाहिए;
- परामर्श प्रक्रियाओं को मजबूत करना चाहिए और प्रवेश के समय दस्तावेजों की सच्चाई से पूर्ण रूप से जांच करनी चाहिए एवं धोखाधड़ी मामलों पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना चाहिए;
- भौतिक चिकित्सा और व्यवसायिक चिकित्सा पाठ्यक्रम के लिए विनियामक निकाय और निबंधन परिषद के सृजन के लिए कदम उठाने चाहिए; और
- बी.सी.ई.सी.ई. अधिनियम 1995 के प्रावधानों के कार्यान्वयन के लिए नियमों और विनियमों के निर्माण के लिए कदम उठाने चाहिए।

2.11 निष्कर्ष

बिहार देश की कुल आबादी के 8.6 प्रतिशत के हिसाब से भारत में तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है। सरकारी चिकित्सक-नर्स-प्रसाविका आबादी अनुपात का राष्ट्रीय औसत एक लाख की आबादी के लिए 221 है जिसके विरुद्ध राज्य का औसत मात्र 19.74 था। बिहार में चिकित्सकों, नर्सों और अन्य पराचिकित्सक कर्मियों, के विकट अभाव के बावजूद, प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मों की उपलब्धता में अंतर को ध्यान दिलाने के लिए मेडिकल संस्थानों की आवश्यकता के मूल्यांकन के लिए कोई दीर्घकालीन रणनीतिक योजना नहीं थी। 2006-07 से 2016-17 की अवधि के दौरान, बिहार सरकार ने 12 मेडिकल कॉलेजों, 113 नर्सिंग संस्थानों और 33 पराचिकित्सक संस्थानों के स्थापना की योजना बनाई। हालाँकि, नए मेडिकल कॉलेजों के निर्माण और उत्तरवर्ती क्षमता वृद्धि के लिए आरंभ किये गये परियोजनाओं में अत्यधिक विलंब हुआ। 2007-08 के दौरान शुरू किये परियोजनाएँ (मधेपुरा और बेतिया में मेडिकल कॉलेज, नालंदा में दंत कॉलेज और कई नर्सिंग संस्थान) एक दशक के बाद भी पूरी नहीं की जा सकी। सी0सी0आई0एम0 के मानदंडों के गैर-अनुपालन के कारण पांच आयुर्वेद कॉलेजों में से चार में पिछले 10 वर्षों में दाखिला आरंभ नहीं किया गया। मेडिकल कॉलेजों में सीट बढ़ाने की योजनाओं को पर्याप्त आधारिक संरचना और शिक्षण कर्मों के अभाव में अमल में नहीं लाया गया जा सका। बिहार में मेडिकल संस्थानों की गंभीर कमी के बावजूद, विद्यमान संस्थाएँ भी छः से 56 प्रतिशत के बीच शिक्षण कर्मों और आठ से 70 प्रतिशत के बीच गैर-शिक्षण कर्मों के रिक्त पदों के साथ चल रही थी जिसके चलते शिक्षण समय में कमी हुआ।

कम वित्तीय प्रबंधन 2013-18 के दौरान योजना शीर्ष के तहत 25 प्रतिशत की बचत से सुस्पष्ट था, निर्माण परियोजनाओं में अत्याधिक विलंब के कारण था।

लेखापरीक्षा ने अपर्याप्त आधारिक संरचना जैसे भीड़-भाड़ से भरी कक्षाओं और पुस्तकालयों, प्रयोगशालाओं, अपेक्षित उपकरण और पुस्तकों की अनुपस्थिति और छात्रावासों में दयनीय अवस्थाओं के मामलों का अवलोकन किया जिसने न सिर्फ विनियामक प्राधिकारण द्वारा

निर्धारित मानदंडों का उल्लंघन किया बल्कि शैक्षणिक काम—काजों के लिए गैर अनुकूल वातावरण का सृजन किया। महत्वकांक्षी मेडिकल छात्रों का ग्रामीण इंटरनशिप विभिन्न कमियों से पीड़ित है जिसके चलते प्रशिक्षु ग्रामीण परिदृश्य के समग्र प्रदर्शन और भविष्य में स्वतंत्र रूप से कार्य करने की क्षमता से वंचित हुये।

विभाग द्वारा मेडिकल संस्थानों की कम निगरानी और पर्यवेक्षण सुस्पष्ट था इसलिए कि लेखापरीक्षा ने मामले पाये जहाँ छात्रों को जाली अंकपत्रों के आधार पर या कपटपूर्ण प्रथा का सहारा लेने पर साथ ही साथ स्वीकृत सीटों से ज्यादा में छात्रों के दाखिले को मंजूरी दी गयी।



અધ્યાય-III

અનુપાલન લેખાપરીક્ષા

अध्याय-III अनुपालन लेखापरीक्षा

पंचायती राज विभाग तथा नगर विकास एवं आवास विभाग

3.1 स्थानीय निकायों द्वारा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं का कार्यान्वयन तथा अनुदानों की उपयोगिता

3.1.1 परिचय

वित्त आयोग (वि.आ.) का गठन संविधान के अनुच्छेद 280 के अंतर्गत प्रत्येक पाँच वर्ष या इससे पूर्व किया जाता है। यह केंद्र एवं राज्यों के बीच करों की निवल प्राप्तियों के वितरण तथा उन सिद्धांतों जिन पर राज्यों को सहायता अनुदान दिया जाना है, के अतिरिक्त स्थानीय निकायों (स्था.नि.) के संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्यों की संचित निधि में वृद्धि हेतु आवश्यक उपायों की अनुशंसा करता है।

चौदहवें वित्त आयोग (चौ.वि.आ.) का गठन 2015-20 की अवधि के लिए केंद्र-राज्य वित्तीय संबंधों के विनिर्दिष्ट पहलुओं पर अनुशंसाएं करने के लिए जनवरी 2013 में किया गया था तथा इसने अपना प्रतिवेदन 15 दिसंबर 2014 को समर्पित किया था। चौ.वि.आ. ने स्था.नि. को केवल बुनियादी सेवाएँ⁵³ प्रदान करने के लिए निधियों के निश्चित हस्तांतरण की अनुशंसा की थी तथा इसने 28 अनुशंसाएं की थीं जिसे भारत सरकार द्वारा स्वीकृत (24 फरवरी 2015) किया गया था। चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के आलोक में, ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) एवं नगरपालिकाओं को अनुदानों का वितरण संबंधित राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) द्वारा संसाधनों के वितरण हेतु अनुशंसित फार्मूले के अनुसार किया जाना था।

3.1.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि क्या:

- चौ.वि.आ. की स्वीकृत अनुशंसाओं को बिहार सरकार द्वारा कुशल एवं प्रभावी तरीके से कार्यान्वित किया गया था;
- चौ.वि.आ. अनुदानों के मितव्ययी, कुशल एवं प्रभावी तरीके से उपयोग किए जाने के लिए पर्याप्त योजना बनायी गयी थी;
- अनुदानों का उपयोग वांछित अवसंरचनाओं के निर्माण के लिए प्रभावपूर्ण रूप से किया गया था; तथा
- पर्याप्त तथा प्रभावी अनुश्रवण तंत्र एवं आंतरिक नियंत्रण प्रणाली लागू थे।

3.1.3 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंडों के स्रोत निम्नांकित थे:

- चौ.वि.आ. का प्रतिवेदन, पंचम राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) का प्रतिवेदन तथा चौ.वि.आ. अनुदानों की विमुक्ति एवं उपयोगिता हेतु भारत सरकार द्वारा निर्गत मार्गदर्शिका।

⁵³ जलापूर्ति, सेंटिक प्रबंधन सहित स्वच्छता, सीवेज, स्टार्म जल निकासी, नाली, गलियों में रोशनी, स्था.नि. की सड़कें एवं फुटपाथ, पार्क इत्यादि।

- अनुदान संस्वीकृति एवं आवंटन पत्र, भारत सरकार एवं बिहार सरकार द्वारा चौ.वि. आ. की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु निर्गत किए गए आदेश, निर्देश।
- मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना (मु.मं.ग्रा.पे.ज.यो.), मुख्यमंत्री गली-नाली पक्कीकरण योजना (मु.मं.ग.ना.प.यो.) तथा मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना (मु.मं.श.पे.नि. यो.) के लिए राज्य मार्गदर्शिका।
- बिहार पंचायत राज अधिनियम (बि.पं.रा.अ.), 2006
- बिहार नगरपालिका अधिनियम (बि.न.अ.), 2007
- बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.), 2005
- बिहार कोषागार संहिता (बि.को.सं.), 2011

3.1.4 लेखापरीक्षा का क्षेत्र एवं कार्यप्रणाली

लेखापरीक्षा ने आकार के समानुपातिक प्रायिकता (पी.पी.एस.) विधि से चयनित 12 प्रखंडों⁵⁴ के 206 ग्रा.पं. में से 52 तथा 140 नगरपालिकाओं में से 18 (**परिशिष्ट-3.1**) के 2015-16 से 2017-18 की अवधि के अभिलेखों का नमूना जाँच (अगस्त-अक्टूबर 2018) किया था। वर्ष 2016-17 के बाद से चौ.वि.आ. से अत्यधिक वित्त पोषित मुख्यमंत्री निश्चय योजना (मु.मं.नि.यो.), एक राज्य प्रायोजित योजना से संबंधित लेखाओं एवं अभिलेखों की भी जाँच की गई थी। चयनित नगरपालिकाओं, चयनित जिलों के जिला परिषदों (जि.प.), जिला पंचायत राज पदाधिकारी (जि.पं.रा.प.) कार्यालय तथा चयनित पंचायत समितियों (पं.स.) के अभिलेखों की जाँच, चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं को कार्यान्वित किए जाने में अनुश्रवण एवं सहयोग करने हेतु, ग्रा.पं. स्तर पर क्षमता निर्माण एवं सरकार को उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) को प्रेषित किए जाने के संदर्भ में उनके निष्पादन के आकलन के लिए की गई थी।

इसके अतिरिक्त, योजना संचिकाओं की संवीक्षा (छोड़े गए/अपूर्ण कार्य, अधिक प्राक्कलित राशि एवं मापी मूल्य वाले कार्य) के उपरांत चयनित 229 कार्यों के ग्रा.पं./नगरपालिकाओं के अधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक निरीक्षण किए गए थे तथा विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में फोटोग्राफिक साक्ष्य भी लिए गए थे।

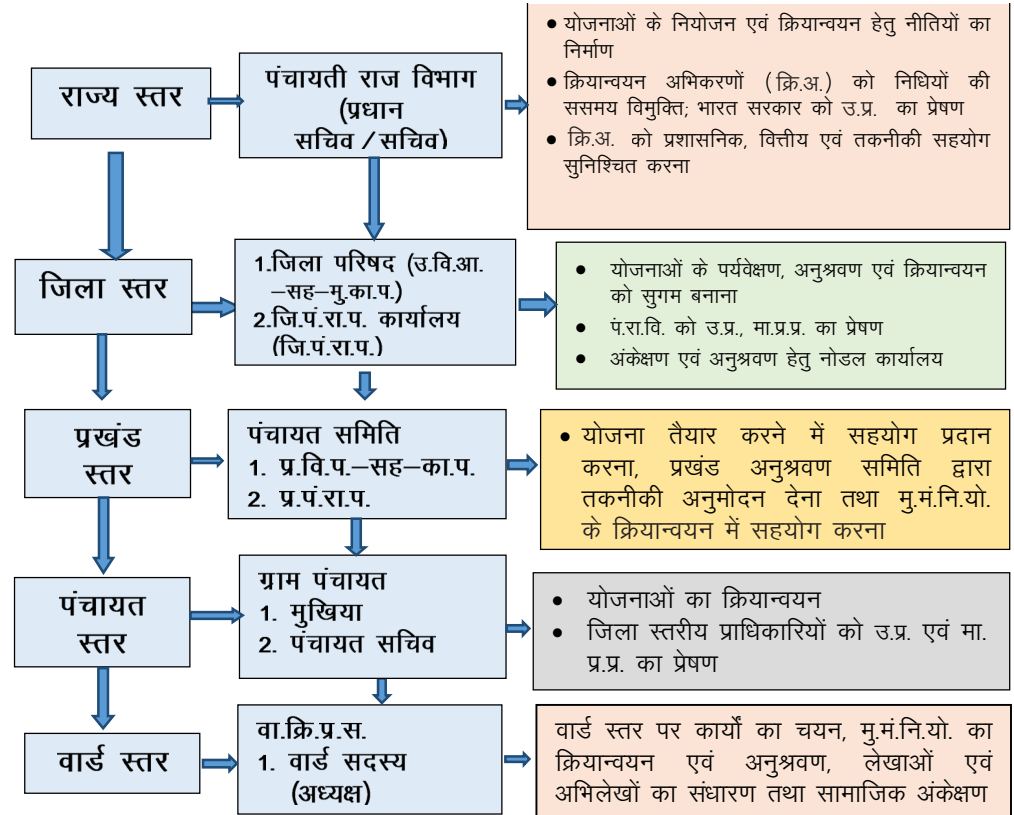
पंचायती राज विभाग (पं.रा.वि.) के संयुक्त सचिव तथा नगर विकास एवं आवास विभाग (न.वि.आ.वि.) के विशेष सचिव के साथ 11 सितंबर 2018 को एक अंतर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, मानदंडों, कार्यक्षेत्रों एवं कार्यविधि पर चर्चा की गई थी। प्रतिवेदन में शामिल लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनकी टिप्पणियों/जवाबों के लिए राज्य सरकार को प्रारूप प्रतिवेदन 25 फरवरी 2019 को प्रेषित किया गया था। पं.रा.वि. एवं न.वि.आ.वि. विभागों के साथ 26 मार्च 2019 को एक बहिर्गमन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई थी। पं.रा.वि. से प्राप्त जवाबों को प्रतिवेदन में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है। जुलाई 2019 एवं जनवरी 2020 में स्मार प्रेषित किए जाने के बावजूद न.वि.आ.वि. से जवाब प्राप्त नहीं हुए थे।

3.1.5 संगठनात्मक ढांचा

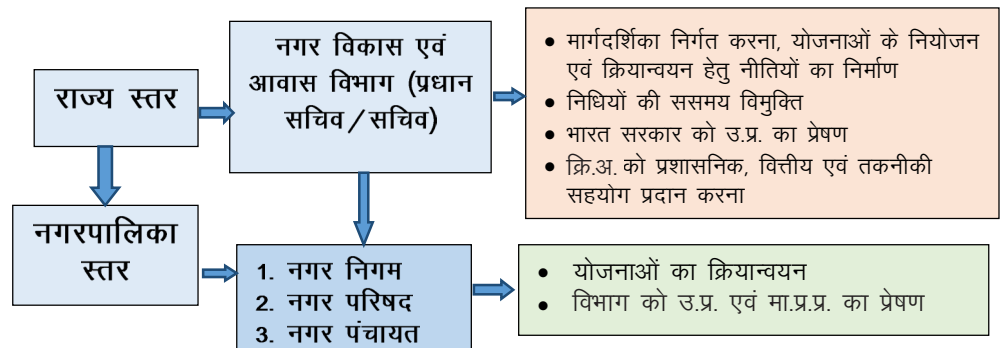
स्था.नि. के संदर्भ में चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन एवं निधियों की उपयोगिता के लिए विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं एवं उनकी जिम्मेदारियों तथा संस्थागत ढांचे को निम्नांकित **चार्ट-3.1 एवं 3.2** में दर्शाया गया है:

⁵⁴ 38 जिलों के 534 प्रखंडों में कुल 8,386 ग्रा.पं.

चार्ट-3.1 हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व (पं.रा.सं.)



चार्ट-3.2: हितधारकों की भूमिका एवं उत्तरदायित्व (नगरपालिका)



(स्रोत: पं.रा.वि. तथा न.वि.आ.वि का वार्षिक प्रतिवेदन; बि.पं.रा.अ., 2006 एवं बि.न.अ., 2007)

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

3.1.6 चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

बिहार सरकार द्वारा राज्यों से संबंधित 22 अनुशंसाओं में से केवल दो का कार्यान्वयन पूर्ण रूप से किया गया था।

चौ.वि.आ. ने स्था.नि. से संबंधित विभिन्न मुद्दों पर 28 अनुशंसाएं की थीं एवं तदनुसार भारत सरकार ने राज्यों द्वारा अनुशंसाओं के कार्यान्वयन हेतु मार्गदर्शिका निर्गत (अक्टूबर 2015) किया था। 28 अनुशंसाओं में से, 19 का कार्यान्वयन राज्यों द्वारा किया जाना था, छः का भारत सरकार द्वारा जबकि तीन का कार्यान्वयन राज्यों एवं भारत सरकार दोनों द्वारा किया जाना था। नोडल विभागों के संबंधित संचिकाओं, क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण इकाईयों

के अभिलेखों तथा उनसे प्राप्त तथ्यों एवं आंकड़ों की संवीक्षा में लेखापरीक्षा ने पाया कि बिहार सरकार ने राज्यों से संबंधित 22 अनुशंसाओं में से केवल दो का कार्यान्वयन पूर्ण रूप से किया था। चौ.वि.आ. की कुछ अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति का एक सार निम्नांकित तालिका 3.1 में दिया गया है:

तालिका-3.1
चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र० सं०	अनुशंसाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1.	अनुदानों का व्यय स्था.नि. को सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत केवल बुनियादी सेवाओं पर किया जाना चाहिए।	लागू किया गया।
2.	स्था.नि. का लेखाबहियों का संधारण मदवार यथा: स्व-करों एवं गैर-करों, राज्य, वि.आ. एवं अन्य एजेंसियों आदि से प्राप्त अनुदानों में किया जाना चाहिए।	नमूना-जाँचित ग्रा.पं. द्वारा लेखाबहियों का संधारण नहीं किया गया था। लागू नहीं किया गया।
3.	प्रत्येक ग्रा.पं. एवं नगरपालिका में अनुदान राशि का हिस्सा निर्धारित मानदंड के अनुसार होना चाहिए।	लागू किया गया।
4.	निष्पादन अनुदान (नि.अ.) निम्नांकित मुद्दों के समाधान हेतु उपलब्ध कराए गए हैं: (i) अंकेक्षित लेखाओं के माध्यम से स्था.नि. की प्राप्तियों एवं व्यय पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना; एवं (ii) स्व-राजस्व में वृद्धि।	ग्रा.पं. ने लेखाबहियों का संधारण नहीं किया था तथा उनके पास स्वयं के स्रोत से कोई राजस्व नहीं था। नगरपालिकाओं ने बिहार नगरपालिका अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए थे। लागू नहीं किया गया।
5.	नि.अ. की पात्रता हेतु, पंचायतों को अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे जो दो वर्षों से अधिक पूर्व के नहीं होंगे तथा उन्हें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में स्व-राजस्व में भी वृद्धि करनी होगी जो अंकेक्षित लेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित होगी।	ग्रा.पं. में अंकेक्षित लेखा एवं स्व-राजस्व का स्रोत नहीं था। लागू नहीं किया गया।
6.	ग्रा.पं. को नि.अ. के संवितरण के लिए राजस्व में वृद्धि पर आधारित विस्तृत प्रक्रिया को राज्य सरकार द्वारा मार्च 2016 तक अधिसूचित किया जाना चाहिए।	राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया था। लागू नहीं किया गया।
7.	यदि निधियों के अनुप्रयोग में अनियमितता पाई जाती है या इंगित की जाती है तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए।	लेखापरीक्षा द्वारा कई अनियमितताएं इंगित की गई थीं। संबंधित लेखापरीक्षित इकाईयों एवं प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन प्रतीक्षित थे। लागू नहीं किया गया।
8.	राज्य सरकार को बेटरमेंट कर के अध्यारोपण के लिए नियमावली तैयार करना चाहिए।	बिहार सरकार ने बेटरमेंट कर के अध्यारोपण के लिए नियमावली तैयार नहीं किया था। लागू नहीं किया गया।
9.	राज्य, विज्ञापन शुल्क के अध्यारोपण एवं इस स्रोत से स्व-राजस्व में वृद्धि के लिए स्था.नि. को सशक्त करने हेतु कदम उठा सकते हैं।	पं.रा.वि. ने विज्ञापन कर के अध्यारोपण हेतु ग्रा.पं. को सशक्त करने के लिए कदम नहीं उठाया था। केवल पटना नगर निगम ने विज्ञापन कर के अध्यारोपण हेतु नियमावली तैयार (जुलाई 2012) किया था एवं कर संग्रह किया था। लागू नहीं किया गया।
10.	राज्य सरकार पंचायतों को स्थानीय उत्पादक परिसंपत्तियों को सौंपने हेतु कदम उठा सकती है।	बिहार सरकार ने उत्पादक परिसंपत्तियों की उपलब्धता का पता लगाने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया था। लागू नहीं किया गया।
11.	रॉयल्टी से प्राप्त आय का कुछ भाग उन स्था.नि. के साथ साझा किया जाना चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में खनन किया जाता है।	बिहार सरकार ने नियमावली तैयार नहीं किया तथा स्था.नि. के साथ रॉयल्टी से प्राप्त आय को साझा नहीं किया। लागू नहीं किया गया।

(स्रोत: चौ.वि.आ. प्रतिवेदन, पं.रा.वि., न.वि.आ.वि. एवं नमूना-जाँचित इकाईयों द्वारा प्रदत्त सूचना)

स्था.नि. से संबंधित चौ.वि.आ. की सभी 28 अनुशंसाओं एवं उन पर की गई कार्रवाई का विवरण प्रतिवेदन के **परिशिष्ट-3.2** में दिया गया है।

विभागों ने अपने जवाब (मार्च 2019) में बताया कि चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के समुचित कार्यान्वयन हेतु निर्देश निर्गत किए गए हैं। हालाँकि, चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के नहीं / आंशिक कार्यान्वयन के लिए विशिष्ट कारण उपलब्ध नहीं कराए गए। चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के कार्यान्वयन नहीं किए जाने के निहितार्थों की चर्चा उत्तरवर्ती कंडिकाओं में की गई है।

3.1.7 योजना

3.1.7.1 चौ.वि.आ. अनुदानों की उपयोगिता के लिए योजना

चौ.वि.आ. ने विधिवत गठित ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं को दो भागों में सहायता अनुदान यथा: (i) बुनियादी अनुदान⁵⁵ (बु.अ.) एवं (ii) निष्पादन अनुदान⁵⁶ (नि.अ.) की अनुशंसा किया था। चौ.वि.आ. ने नि.अ. की पात्रता हेतु ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं के लिए क्रमशः दो एवं तीन⁵⁷ पात्रता शर्तों का अनुशंसा किया था। आगे, भारत सरकार ने ग्रा.पं. द्वारा नि.अ. की प्राप्ति के लिए दो पात्रता मानदंडों⁵⁸ का निर्धारण (सितंबर 2017) किया था।

चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित एवं विमुक्त अनुदानों की वर्षवार विवरणी निम्न प्रकार है:

तालिका-3.2

2015-20 के दौरान चौ.वि.आ. अनुदान की पात्रता एवं बिहार सरकार द्वारा प्राप्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बु.अ. (ग्रा.पं.)		नि.अ. (ग्रा.पं.)		बु.अ. (नगरपालिका)		नि.अ. (नगरपालिका)	
	अनुशंसित	विमुक्ति	अनुशंसित	विमुक्ति	अनुशंसित	विमुक्ति	अनुशंसित	विमुक्ति
2015-16	2,269.18	2,269.18	0	0	256.83	255.00	0	0
2016-17	3,142.08	3,142.08	412.15	0	355.63	351.86	104.96	104.22
2017-18	3,630.39	3,630.39	466.41	0	410.90	405.11	118.78	0
2018-19	4,199.71	4,199.71	529.67	0	475.34	473.67	134.89	0
2019-20	5,674.70	5,674.70	693.55	0	642.28	637.78	176.62	0
कुल	18,916.06	18,916.06	2,101.78	0	2,140.98	2,123.42	535.25	104.22

(स्रोत: चौ.वि.आ. प्रतिवेदन, पं.रा.वि. तथा न.वि.अ.वि., बिहार सरकार का अनुदान स्वीकृति एवं आवंटन पत्र तथा उ.प्र.)

स्था.नि. को चौ.वि.आ. अनुदान उन्हें सौंपे गए कार्यों के अंतर्गत बुनियादी सेवाओं के सुचारु एवं प्रभावी रूप से नियोजन एवं वितरण के लिए था तथा पंचायतों एवं नगरपालिकाओं

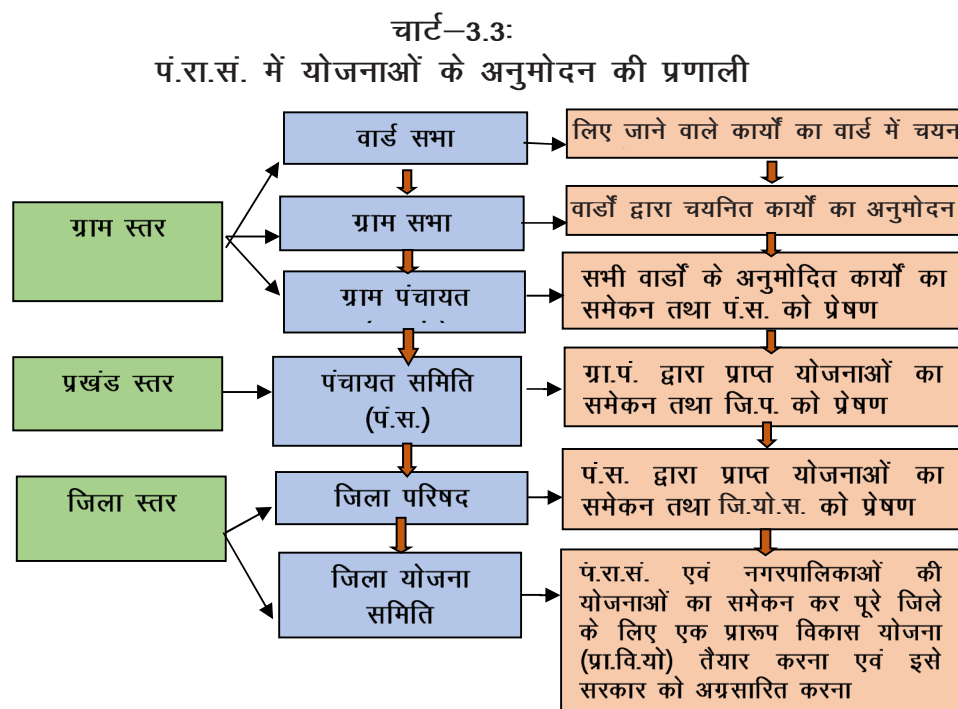
⁵⁵ बुनियादी अनुदान, स्था.नि. को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने में सहयोग एवं मजबूती के लिए उपलब्ध कराए जाते हैं।

⁵⁶ निष्पादन अनुदान, अंकेक्षित लेखाओं तथा आय एवं व्यय के विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराने एवं स्व-राजस्व में वृद्धि को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से दिए जाते हैं।

⁵⁷ स्था.नि. को अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे जो स्था.नि. द्वारा नि.अ. के दावा किए जाने वाले वर्ष से दो वर्षों से पूर्व के नहीं होंगे; तथा उन्हें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में स्व-राजस्व में भी वृद्धि करनी होगी और यह वृद्धि अंकेक्षित लेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित होनी चाहिए। आगे, नगरपालिकाओं को प्रत्येक वर्ष बुनियादी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तर मानकों (एस.एल.बी) को आकलित एवं प्रकाशित करना आवश्यक होगा।

⁵⁸ (i) पंचायत राज मंत्रालय (पं.रा.मं.) के प्लान प्लस पोर्टल पर ग्रा.पं.वि.यो. को अपलोड किया जाना; एवं (ii) पं.रा.मं. के वेबसाइट पर प्रक्षेत्रवार व्यय को अपलोड किया जाना।

द्वारा समस्त व्यय लागू नियमों एवं नियमावलियों⁵⁹ के अनुसार समुचित योजना बनाने के उपरांत किया जाना था। पं.रा.सं. में योजनाओं के अनुमोदन की प्रक्रिया निम्नांकित चार्ट-3.3 में दर्शायी गई है:



(स्रोत : बि.पं.रा.अ., 2006)

• जिला योजना समिति (जि.यो.स.)

जि.यो.स. (स्था.नि. के निर्वाचित सदस्य) को स्था.नि. द्वारा तैयार किए गए योजनाओं का समेकन करने तथा सूचनाओं को संग्रह, संकलित एवं अद्यतन कर पूरे जिले के लिए एक प्रारूप विकास योजना (प्रा.वि.यो.) तैयार करने तथा इसे राज्य सरकार को समर्पित करने का कार्य सौंपा गया था। नमूना-जाँचित जिलों में जि.यो.स. का गठन, पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के क्रमशः वर्ष 2016 एवं 2017 में हुए चुनाव के उपरांत फरवरी 2018 में किया गया था। इस प्रकार, 2016 एवं 2017 के दौरान कोई जि.यो.स. नहीं थी जिसके कारण ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं द्वारा क्रियान्वयन के लिए अनुमोदित की गई विकास योजनाओं का समेकन जिला स्तर पर नहीं किया जा सका तथा इसलिए प्रा.वि.यो. तैयार नहीं किया जा सका एवं विभागों को समर्पित नहीं किया जा सका।

• ग्राम पंचायत विकास योजना (ग्रा.पं.वि.यो.)

पं.रा.वि. ने जिला स्तरीय पदाधिकारियों को द्विवर्षीय वार्षिक योजना (2017-19) एवं पंचवर्षीय परिप्रेक्ष्य योजना के साथ ग्रा.पं.वि.यो. तैयार किए जाने का निर्देश (सितंबर 2017) दिया था। आगे यह बताया गया था कि जि.पं.रा.प., प्रखंड पंचायत राज पदाधिकारी (प्र.पं.रा.प.) एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी (प्र.वि.प.) को ग्रा.पं.वि.यो. तैयार किए जाने में व्यक्तिगत अभिरुचि लेनी चाहिए। बेगूसराय जिले के अंतर्गत आठ नमूना-जाँचित ग्रा.पं. ने ग्रा.पं.वि.यो. तैयार नहीं किया था तथा शेष 44 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में, पंचायत सचिवों

⁵⁹ न.वि.आ.वि. तथा पं.रा.वि., बिहार सरकार द्वारा तैयार किए गए अधिनियम एवं नियमावलियाँ, जो पं.रा.सं. एवं नगरपालिकाओं में लागू हैं यथा: बिहार पंचायत राज अधिनियम, बिहार नगरपालिका अधिनियम, बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली एवं बिहार बजट हस्तक आदि।

द्वारा केवल वर्ष 2017-18 के लिए ग्रा.पं.वि.यो. तैयार किए गए थे। नमूना-जॉंचित प्रखंडों में, 206 ग्रा.पं. में से 108 के ग्रा.पं.वि.यो. को जनवरी 2019 तक पं.रा.मं. के प्लान प्लस⁶⁰ पोर्टल पर अपलोड किया गया था। राज्य स्तर पर, वर्ष 2017-18 के लिए 8,386 ग्रा.पं. में से केवल 4,170 ग्रा.पं. (49.73 प्रतिशत) के ग्रा.पं.वि.यो. अपलोड (जनवरी 2019) किए गए थे। इस प्रकार, ग्रा.पं.वि.यो. तैयार किए जाने का उद्देश्य पूरा नहीं हो सका क्योंकि बिना एकीकृत सहभागी योजना प्रक्रिया के वर्ष 2017-18 में पहले से ही क्रियान्वित कार्यों को भी ग्रा.पं.वि.यो. में शामिल किया गया था।

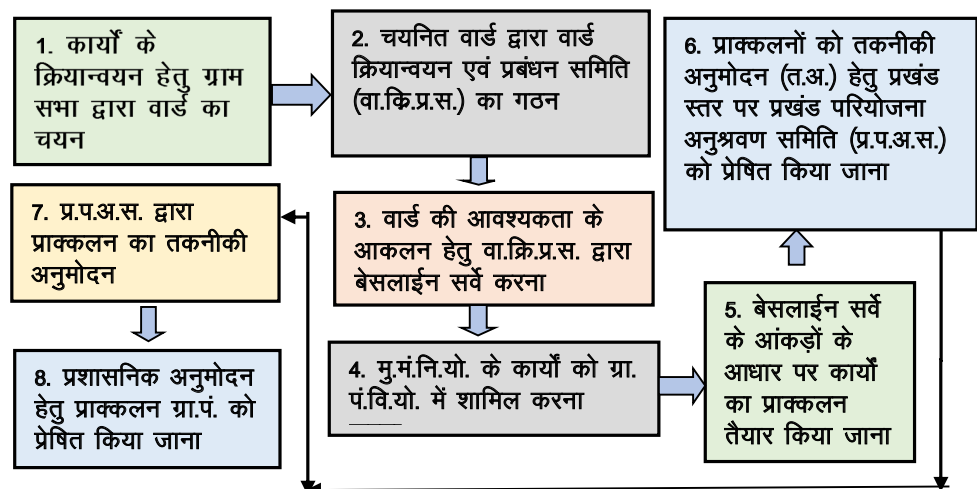
ग्रा.पं.वि.यो. को प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड नहीं किए जाने से बिहार सरकार, नि.अ. की प्राप्ति हेतु पात्रता मानदंडों में से एक को पूरा करने में विफल रहा।

पं.रा.वि. ने जवाब (मार्च 2019) दिया कि वर्ष 2017-18 के लिए ग्रा.पं.वि.यो. को वर्ष 2018-19 में प्लान प्लस पोर्टल पर अपलोड किया जा रहा है। ग्रा.पं.वि.यो. के प्लान प्लस पोर्टल पर ससमय अपलोड नहीं किए जाने के कारण, राज्य ग्रा.पं. के लिए नि.अ. की प्राप्ति हेतु पात्रता मानदंडों में से एक मानदंड को पूरा करने में विफल रहा तथा तदनुसार 2016-18 के दौरान ₹ 878.56 करोड़ प्राप्त नहीं किया।

3.1.7.2 ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं में मु.मं.नि.यो. के क्रियान्वयन हेतु योजना

बिहार सरकार ने सात संकल्पों (निश्चयों) के साथ मु.मं.नि.यो. प्रारंभ (दिसंबर 2015) किया था। मु.मं.नि.यो. के दो निश्चयों (i) 5,013 ग्रा.पं.⁶¹ में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल योजना तथा (ii) ग्रामीण क्षेत्रों के सभी क्लस्टरों में नाली के साथ बारहमासी सड़क संपर्कता उपलब्ध कराने हेतु मुख्यमंत्री गली नाली पक्कीकरण योजना का क्रियान्वयन ग्रा.पं. द्वारा किया जाना था वहीं 2020 तक सभी परिवारों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु शहरी क्षेत्रों में एक निश्चय 'पेयजल योजना' (मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना) का क्रियान्वयन नगरपालिकाओं, बिहार राज्य जल पर्षद (बि.रा. ज.प.) एवं बिहारशहरी आधारभूत संरचना विकास निगम (बुडको) द्वारा किया जाना था। ग्रा.पं. में मु.मं.नि.यो. के क्रियान्वयन के लिए योजना प्रक्रिया को निम्नांकित चार्ट-3.4 में दर्शाया गया है:

चार्ट-3.4
ग्रा.पं. में मु.मं.नि.यो. की योजना प्रक्रिया



(स्रोत: मु.मं.नि.यो. मार्गदर्शिका, बिहार सरकार)

⁶⁰ प्लान प्लस पंचायती राज मंत्रालय का एक सॉफ्टवेयर है जो योजना कार्यविधि, विभिन्न स्रोतों से निधि प्रवाह के अभिसरण एवं योजना प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने को अभिग्राहित करता है।

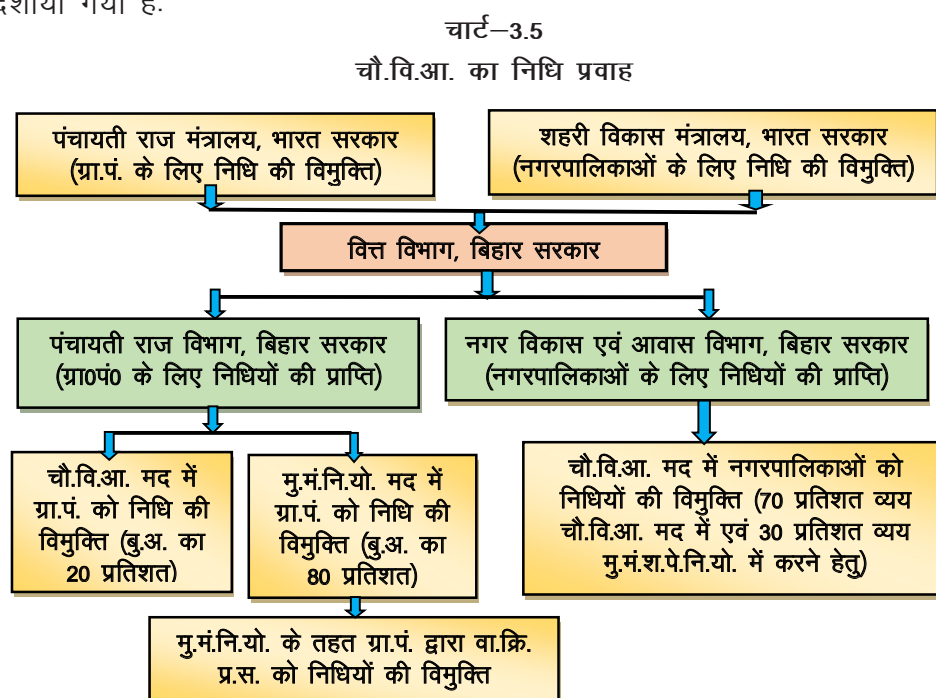
⁶¹ 3,378 ग्रा.पं. में जल की गुणवत्ता आयरन, फ्लोराईड एवं आर्सेनिक से प्रभावित थी जहां कार्यों का क्रियान्वयन पी.एच.ई.डी. द्वारा किया जाना था।

नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में, ग्रामीण कार्य विभाग एवं प्रखंडों के प्रशिक्षकों तथा ग्रा.पं. स्तर के अन्य कर्मियों के सहयोग के बिना ही वार्ड सदस्य एवं विकास मित्र द्वारा बेसलाईन सर्वे किया गया था। बेसलाईन सर्वे में, आंकड़ों का संकलन विभाग द्वारा निर्धारित प्रपत्र में नहीं किया गया था तथा इसे कार्यकारी प्राक्कलन से संबद्ध नहीं किया गया था। मु.मं.नि.यो. के अंतर्गत योजना तैयार करने में कमियों के कारण, कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितताएं, निधियों की उपलब्धता के बावजूद कार्यों को प्रारंभ नहीं किया जाना, सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में ग्रा.पं. की विफलता आदि मामले पाए गए जिसने मु.मं. नि.यो. के क्रियान्वयन को असंतोषजनक बनाया, जैसा कि कड़िका 3.1.9 में चर्चा किया गया है।

इसलिए, योजना के क्रियान्वयन हेतु नियोजन पर्याप्त नहीं था क्योंकि 2015-18 की अवधि के लिए जि.यो.स. ने योजनाओं का समेकन नहीं किया था एवं अन्य विभागों / अभिकरणों द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में क्रियान्वित ग्रामीण क्षेत्रों की अन्य योजनाओं के तकनीकी इनपुट सहित संसाधनों के अभिसरण से वर्ष 2017-18 के लिए ग्रा.पं.वि.यो. तैयार नहीं किए गए थे।

3.1.8 वित्तीय प्रबंधन

स्था.नि. को चौ.वि.आ. अनुदानों के निधि प्रवाह प्रणाली को निम्नांकित चार्ट-3.5 में दर्शाया गया है:



(स्रोत: चौ.वि.आ. अनुशंसा, पं.रा.वि. तथा न.वि.आ.वि., बिहार सरकार का अनुदान स्वीकृति एवं आवंटन पत्र)

बिहार सरकार ने यह निर्णय (फरवरी-अगस्त 2016) लिया था कि मु.मं.नि.यो. के लिए वित्त-पोषण, ग्रा.पं. द्वारा योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति में चौ.वि.आ. अनुदानों के 80 प्रतिशत (2016-18 के दौरान ₹5,417.97 करोड़) तथा नगरपालिकाओं द्वारा क्रियान्वयन की स्थिति में चौ.वि.आ. अनुदानों के 30 प्रतिशत राशि (2015-18 के दौरान ₹303.58 करोड़) से किया जाएगा तथा शेष निधियों को पंचम रा.वि.आ. अनुदानों एवं राज्य योजना अनुदानों⁶² से पूरा किया जाएगा।

⁶² 16-18 के दौरान पंचम रा.वि.आ. से ₹1,794.51 करोड़ एवं राज्य योजना से ₹2,245 करोड़ विमुक्त किया गया था।

3.1.8.1 चौ.वि.आ. अनुदानों की विमुक्ति एवं उपयोगिता

चौ.वि.आ. ने प्रत्येक राज्य के लिए प्रत्येक वर्ष के लिए अनुदान का आकलन किया था एवं बुनियादी सेवाएं प्रदान करने को समर्थन एवं मजबूती के लिए बु.अ. एवं नि.अ. की अनुशंसा किया था। ग्रा.पं. के संदर्भ में बु.अ. एवं नि.अ. का अनुपात 90:10 तथा नगरपालिकाओं के मामले में 80:20 है।

ग्रा.पं. को अनुदान की विमुक्ति

2015-18 के दौरान चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित एवं ग्रा.पं. द्वारा प्राप्त अनुदानों का विवरण निम्नांकित तालिका 3.3 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.3
अनुशंसित एवं विमुक्त की गई अनुदान

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बुनियादी अनुदान			निष्पादन अनुदान		
	अनुशंसित	भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को विमुक्त	बिहार सरकार द्वारा ग्रा.पं. को विमुक्त	अनुशंसित	भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को विमुक्त	बिहार सरकार द्वारा ग्रा.पं. को विमुक्त
2015-16	2,269.18	2,269.18	2,269.18	0	0	0
2016-17	3,142.08	3,142.08	3,129.87	412.15	0	0
2017-18	3,630.39	3,630.39	3,624.13	466.41	0	0
कुल	9,041.65	9,041.65	9,023.18	878.56	0	0

(स्रोत: चौ.वि.आ. प्रतिवेदन, पं.रा.वि. तथा न.वि.आ.वि., बिहार सरकार का अनुदान स्वीकृति एवं आवंटन पत्र और उ.प्र.)

चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के अनुसार, राज्य को केंद्र सरकार द्वारा उनके खाते में अनुदानों की प्राप्ति के 15 दिनों के अंदर स्था.नि. को विमुक्त कर देना चाहिए जिसमें विफलता के लिए राज्य को अपनी निधियों से आर.बी.आई. की दर से स्था.नि. को दंडात्मक ब्याज का भुगतान करना होगा। पं.रा.वि. ने वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए क्रमशः 2 से 44 ग्रा.पं. को बु.अ. की ₹ 12.21 करोड़ एवं 6 से 21 ग्रा.पं. को ₹ 6.25 करोड़ राशि विमुक्त नहीं किया था। विलंब का कारण ग्रा.पं. के बैंक खातों में त्रुटियां, बैंक खातों का गलत आई.एफ.एस.सी. कोड एवं लोक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पी.एफ.एम.एस.) में तकनीकी फॉल्ट बताए गए थे। इसके कारण दिसंबर 2018 तक ₹1.64 करोड़ की देयता का सृजन हुआ जैसा कि निम्नांकित तालिका 3.4 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.4
ग्रा.पं. को अनुदानों की विमुक्ति नहीं

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदानों का विवरण	अनुदानों की राशि	ग्रा. पं. की संख्या	भारत सरकार से प्राप्ति की तिथि	दिसंबर 2018 तक आर.बी.आई. की दर (@ 6.75 प्रतिशत) से दंडात्मक ब्याज
2016-17	चौ.वि.आ. अनुदान (20 प्रतिशत)	0.15	2 से 4	21 दिसंबर 2016 एवं 9 मार्च 2017	0.01
	चौ.वि.आ. अनुदान (80 प्रतिशत)	12.06	41 से 44		1.19
2017-18	चौ.वि.आ. अनुदान (20 प्रतिशत)	1.18	6 से 21	21 जून 2017 एवं 24 नवंबर 2017	0.09
	चौ.वि.आ. अनुदान (80 प्रतिशत)	5.07	8 से 20		0.35
कुल		18.46			1.64

(स्रोत : पं.रा.वि. का संस्वीकृत पत्र, बैंक एडवाइस एवं रोकड़बही)

आगे, ग्रा.पं. को अनुदान की विमुक्ति में 11 से 261 दिनों का विलंब था। पं.रा.वि. ने ग्रा.पं. को ₹ 8.12 करोड़ का भुगतान दंडात्मक ब्याज के रूप में किया था। ₹ 37.32 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के भुगतान हेतु एक अतिरिक्त देयता थी जिसे निम्नांकित तालिका 3.5 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.5
अनुदानों की विमुक्ति में विलंब

(₹ करोड़ में)

वर्ष	चौ.वि.आ. अनुदान का विवरण	विभाग द्वारा प्राप्ति की तिथि	स्था.नि. को विमुक्ति की तिथि	अनुदानों के विमुक्ति की तिथि (दिन में)	विलंब से विमुक्ति की गई राशि	आर.बी.आई. की दर (@ 6.75 प्रतिशत) से दंडात्मक ब्याज
2015-16	प्रथम किस्त	2 जुलाई 2015	ग्रा.पं. को सीधे अंतरण की बजाए निधि जि.प. के माध्यम से भेजा गया	15-172	1,134.09	8.12
2016-17	प्रथम एवं द्वितीय किस्त	21 दिसंबर 2016-9 मार्च 2017	20 जनवरी 2017-22 सितंबर 2017	15-261	3,129.87	26.84
2017-18	प्रथम एवं द्वितीय किस्त	21 जून 2017-24 नवंबर 2017	19 जुलाई 2017-22 दिसंबर 2017	11-157	3,624.13	10.48
कुल						45.44

(स्रोत : पं.रा.वि. का संस्वीकृति पत्र, बैंक एडवाइस एवं रोकड़बही)

ग्रा.पं. अनिवार्य शर्तों को पूरा नहीं कर सके तथा इस प्रकार ₹878.56 करोड़ का नि.अ. प्राप्त नहीं कर सके।

पं.रा.वि. ने जवाब (जनवरी 2019) दिया कि ग्रा.पं. को अनुदानों की विमुक्ति में कोई विलंब नहीं था क्योंकि पूरी राशि बैंक को उपलब्ध करा दी गई थी परंतु, ग्रा.पं. के बैंक खातों में विसंगतियों एवं पी.एफ.एम.एस. में तकनीकी त्रुटियों के कारण अनुदानों की राशि की विमुक्ति विलंब से किया गया था। विभाग का जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि भारत सरकार से अनुदान प्राप्ति के 15 दिन के अंदर सीधे ग्रा.पं. के खाताओं में अनुदानों को विमुक्त किया जाना विभाग की जिम्मेदारी थी।

आगे, बिहार सरकार द्वारा 2016-18 की अवधि के लिए नि.अ. की ₹878.56 करोड़ प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि ग्रा.पं. अनिवार्य शर्तों यथा, अंकेक्षित लेखाओं की उपलब्धता तथा स्व-राजस्व के स्रोत में वृद्धि, को पूरा नहीं कर सके थे।

पं.रा.वि. ने बताया (मार्च 2019) कि नि.अ. के लिए अनिवार्य शर्तों के अनुपालन के लिए कदम उठाए गए थे। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि समेकित अंकेक्षित लेखा तैयार नहीं किए जा सके थे एवं ग्रा.पं. द्वारा करारोपण के लिए नियमावली अब तक तैयार नहीं किए गए थे जैसा कि अनुवर्ती कंडिका 3.1.10 में बताया गया है।

नगरपालिकाओं को अनुदानों की विमुक्ति

अनुशंसित एवं नगरपालिकाओं द्वारा प्राप्त अनुदानों का विवरण निम्नांकित तालिका 3.6 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.6
अनुदानों की विमुक्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बुनियादी अनुदान			निष्पादन अनुदान		
	अनुशंसित	भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को विमुक्ति	बिहार सरकार द्वारा श.स्था.नि. को विमुक्ति	अनुशंसित	भारत सरकार द्वारा बिहार सरकार को विमुक्ति	बिहार सरकार द्वारा श.स्था.नि. को विमुक्ति
2015-16	256.83	255.00	255.00	0	0	0
2016-17	355.63	351.86	351.86	104.96	104.22	104.22
2017-18	410.90	405.11	405.11	118.78	0	0
कुल	1,023.36	1,011.97	1,011.97	223.74	104.22	104.22

(स्रोत : न.वि.आ.वि. का संस्वीकृति एवं आवंटन पत्र)

अनुदानों की विलंब से विमुक्ति के कारण बिहार सरकार ₹0.59 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

भारत सरकार ने नगरपालिकाओं हेतु 2015-18 की अवधि के लिए बु.अ. की ₹11.39 करोड़ तथा वर्ष 2016-17 के लिए नि.अ. की ₹0.74 करोड़ राशि कम विमुक्त किया था जिसके लिए कोई कारण न.वि.आ.वि. के अभिलेखों में नहीं था। बिहार सरकार 2017-18 के लिए नि.अ. की ₹118.78 करोड़ प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि राज्य नि.अ. की प्राप्ति के लिए अनिवार्य शर्तों⁶³ को पूरा नहीं कर सका। न.वि.आ.वि. ने 2015-16 के लिए अनुदानों की प्रथम किस्त को नगरपालिकाओं के सीधे बैंक खाताओं में अंतरित नहीं किया था तथा इसके बजाए इसे बिहार शहरी विकास प्राधिकार (बूडा) को विमुक्त किया था तथा बूडा ने निधियों को आर.टी.जी.एस. के माध्यम से नगरपालिकाओं को उपलब्ध कराया था। इस प्रकार, चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसा किए जाने के बावजूद राज्य स्था.नि. को निधियों के अंतरण में समय-सीमा का पालन करने में विफल रहा था। नगरपालिकाओं द्वारा वर्ष 2015-16 में अनुदान के प्रथम किस्त की ₹128.42 करोड़ राशि की प्राप्ति में 21-39 दिनों के विलंब के कारण बिहार सरकार ₹0.59 करोड़ के दंडात्मक ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी था।

3.1.8.2 उपयोगिता प्रमाणपत्रों (उ.प्र.) का प्रेषण

चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के अनुसार, भारत सरकार द्वारा राज्यों को द्वितीय एवं अनुवर्ती अनुदान की विमुक्ति विगत किस्तों के लिए विहित प्रपत्र में उ.प्र. (ग्रा.पं./ नगरपालिकाओं को अनुदानों की विमुक्ति से संबंधित प्रमाणपत्र) की प्राप्ति होने पर किया जाना था।

बिहार सरकार ने 2015-18 के दौरान प्राप्त अनुदानों की पूरी राशि के विरुद्ध भारत सरकार को उ0प्र0 का प्रेषण, ग्रा.पं. के लिए 17 से 147 दिन के विलंब से तथा नगरपालिकाओं के लिए 23 से 135 दिन के विलंब से किया था। आगे, ग्रा.पं. को विमुक्त किए गए अनुदानों के लिए समर्पित किए गए उ.प्र. में, आवंटन की तिथि को अनुदानों के अंतरण की तिथि के रूप में दर्शाया गया था जबकि आवंटन की तिथि एवं विमुक्ति की तिथि में अंतराल था। इसके अतिरिक्त, भारत सरकार को प्रेषित किए गए उ.प्र. के अनुसार, अनुदान की पूरी राशि को विहित समय-सीमा में ग्रा.पं. को अंतरित दर्शाया गया था जबकि बिहार सरकार द्वारा अनुदानों की पूरी राशि विमुक्त नहीं किए जाने एवं अनुदानों के अंतरण में विलंब के मामले पाए गए जिनकी चर्चा पूर्ववर्ती कंडिका 3.1.8.1 में की गई है। ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं के विरुद्ध दिसंबर 2018 को लंबित उ.प्र. का सार निम्नांकित तालिका 3.7 में दिया गया है:

तालिका-3.7
वर्षवार लंबित उ.प्र.

(₹ करोड़ में)

वर्ष	ग्रा0पं0			नगरपालिका		
	विमुक्त की गई राशि	प्राप्त उ.प्र.	लंबित उ.प्र.	विमुक्त की गई राशि	प्राप्त उ.प्र.	लंबित उ.प्र.
2015-16	2,277.30	1,107.60	1,169.70	255.01	211.47	43.54
2016-17	3,142.08	1.39	3,140.69	456.06	188.14	267.92
कुल	5,419.38	1,108.99	4,310.39	711.07	399.61	311.46

(स्रोत : पं0रा0वि0 तथा न0वि0आ0वि के अभिलेख)

आगे, दो नगर परिषदों (नासरीगंज एवं सहरसा) में ₹2.82 करोड़ के उ.प्र. प्रेषित किए गए थे जो ₹2.35 करोड़ के वास्तविक व्यय से अधिक थे, जो यह दर्शाता है कि उ.प्र. वास्तविक तथ्यों के आधार पर तैयार नहीं किए गए थे।

⁶³ अंकेक्षित वार्षिक लेखाओं का प्रेषण किया जाना जो दो वर्षों से पूर्व के नहीं हों, पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में स्व-राजस्व में वृद्धि दर्शाना जो अंकेक्षित लेखाओं में प्रदर्शित हों, प्रतिवर्ष बुनियादी नगरीय सेवाओं से संबंधित सेवा स्तर मानकों को प्रकाशित किया जाना।

उ.प्र. के प्रेषण में अनियमितताओं के कारणों की जाँच एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध समुचित कार्रवाई किए जाने की आवश्यकता है।

पं.रा.वि. ने पं.रा.सं. द्वारा प्राप्त अनुदानों का योजनावार एवं वित्तीय वर्षवार उ.प्र. तैयार करने के लिए चाटर्ड एकाउंटेंटों (सी.ए.) को नियुक्त किया था (अगस्त 2017) तथा इसे अंकेक्षण प्रतिवेदन के साथ संलग्न किया जाना था। हालांकि, सी.ए. द्वारा 2015-18 के दौरान किसी भी वर्ष का अंकेक्षण कार्य पूरा नहीं किया गया था तथा यह ग्रा.पं. को विमुक्त हुए अनुदानों के लिए जि.प. द्वारा उ.प्र. प्रेषित नहीं किए जाने का कारण था। विवरण कंडिका 3.1.10.5 में है। पं.रा.वि. ने सी.ए. फर्मों को अंकेक्षण प्रतिवेदनों को समर्पित करने की समय-सीमा को बढ़ा दिया था।

• अनुदानों एवं ब्याज का उपयोग नहीं किया जाना

नमूना-जाँचित छः जि.प. में से तीन जि.प.⁶⁴ ने वर्ष 2015-16 के लिए चौ.वि.आ. अनुदान के प्रथम किस्त के जमा पर ₹34.06 लाख बैंक ब्याज प्राप्त किया था जो 15 अक्टूबर 2018 तक अनुपयोगी पड़ा था। नमूना-जाँचित 11 ग्रा.पं. ने मु.मं.नि.यो. के लिए ब्याज सहित उपलब्ध ₹10.38 करोड़⁶⁵ का अनुदान वा.क्रि.प्र.स. को विमुक्त नहीं किया था जबकि सात ग्रा.पं. द्वारा नौ वा.क्रि.प्र.स. को विमुक्त किए गए ₹80.10 लाख की अनुदान राशि का संबंधित वा.क्रि.प्र.स. द्वारा उपयोग नहीं किया गया था। आगे, एक नगर परिषद (न.प.) किशनगंज ने चौ.वि.आ. अनुदान की ₹15.60 करोड़⁶⁶ राशि का उपयोग नहीं किया था तथा नमूना-जाँचित पाँच नगरपालिकाओं⁶⁷ ने भी मु.मं.श.पे.नि.यो. के क्रियान्वयन हेतु चौ. वि.आ. अनुदान की ₹7.45 करोड़ (चौ.वि.आ. अनुदान की 30 प्रतिशत) राशि का उपयोग नहीं किया था जैसा कि निम्नांकित तालिका 3.8 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.8
अनुदानों एवं बैंक ब्याज का उपयोग नहीं किया जाना

(₹ करोड़ में)

इकाइयों का नाम	अनुदान का शीर्ष/ब्याज	राशि	राशि अवरुद्ध रहने का समय
जि.प.	2015-16 के लिए प्रथम किस्त पर ब्याज	0.34	सितंबर 2015
ग्र.पं.	मु.मं.नि.यो.	10.38	फरवरी 2017
वार्ड	मु.मं.नि.यो.	0.80	सितंबर 2017
नगरपालिका	चौ.वि.आ. एवं मु.मं.श.पे.नि.यो.	23.05	फरवरी 2016 से मार्च 2018
कुल		34.57	

(स्रोत : नमूना-जाँचित इकाइयों का बैंक खाता/विवरणी, रोकड़बही)

चौ.वि.आ. की मार्गदर्शिका में अनुदानों के जमा पर प्राप्त ब्याज के उपयोग हेतु कोई प्रावधान नहीं था तथा विभागों ने भी अनुदानों के जमा पर प्राप्त ब्याज के उपयोग हेतु कोई दिशा-निर्देश निर्गत नहीं किए थे। ब्याज राशि बैंक खाताओं में पड़ी हुई थी।

⁶⁴ गया-₹0.81 लाख, समस्तीपुर-₹14.57 लाख तथा वैशाली-₹18.68 लाख

⁶⁵ ग्रा.पं.- महमदपुर पोझा (₹ 0.86 करोड़), ग्रा.पं.- रसलपुर तुर्की (₹ 1.17 करोड़), ग्रा.पं.- इस्माईलपुर (₹0.90 करोड़), ग्रा.पं.-विशनपुर बलभद्र (₹0.88 करोड़), ग्रा.पं.-वाजितपुर मेयारी (₹0.99 करोड़), ग्रा.पं.-बनवारीपुर (₹0.95 करोड़), ग्रा.पं.-कीरतपुर (₹0.97 करोड़), ग्रा.पं.-संजात (₹0.96 करोड़), ग्रा.पं.-मनियप्पा (₹0.87 करोड़), ग्रा.पं.-मटिहानी-1 (₹1.09 करोड़) तथा ग्रा.पं.- रेबरा (₹0.74 करोड़)

⁶⁶ 2016-17 का द्वितीय किस्त (बु.अ.), 2016-17 का प्रथम एवं द्वितीय किस्त (नि.अ.), 2017-18 का प्रथम एवं द्वितीय किस्त (बु.अ.)

⁶⁷ फतुहा-₹1.25 करोड़, मोकामा-₹1.81 करोड़, नवगछिया-₹1.74 करोड़, मसौढ़ी-₹1.53 करोड़ तथा शेरघाटी-₹1.12 करोड़

3.1.8.3 नगरपालिकाओं द्वारा अनुदानों की निकासी में विलंब/निकासी नहीं

न.वि.आ.वि. ने 2015-16 के द्वितीय किस्त के बाद से नगरपालिकाओं को चौ.वि.आ. अनुदानों की विमुक्ति कोषागार के माध्यम से इस निर्देश (23 दिसंबर 2015) के साथ किया था कि आवंटन की निकासी कर उनके व्यक्तिगत खातों (पी.एल.) में यथाशीघ्र जमा कर ली जाए। हालांकि, यह पाया गया कि सभी नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं में, आवंटन की निकासी 5 से 253 दिन के विलंब से किया गया था।

चार नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं⁶⁸ में, 2015-17 की अवधि के लिए ₹6.37 करोड़ का आवंटन पूर्व में विमुक्त अनुदानों के उ.प्र. समर्पित नहीं किए जाने, पी.एल. खातों के प्रचालन में नहीं रहने, प्रक्रियात्मक विलंब आदि के कारण निकासी नहीं किया जा सका तथा राशि वित्त विभाग को प्रत्यर्पित कर दिया गया था।

3.1.8.4 स्था.नि. के स्वयं स्रोतों से राजस्व का संग्रहण

ग्रा.पं. के पास कर एवं गैर-कर राजस्व नहीं थे क्योंकि पं. रा.वि. ने करारोपण के लिए नियमावली तैयार नहीं किया था।

चौ.वि.आ. ने यह अनुशंसा किया था कि स्था.नि. को अपने स्व-राजस्व के स्रोतों में वृद्धि करनी चाहिए। पंचम रा.वि.आ. ने भी सैरात, खनिज, मोबाईल टॉवर, ग्रा.पं. द्वारा संग्रहित भू-राजस्व की निवल प्राप्ति आदि को, ग्रा.पं. के राजस्व के स्रोत के रूप में शामिल किए जाने की अनुशंसा (फरवरी 2016) की थी। हालांकि, ग्रा.पं. के पास कर राजस्व एवं गैर-कर राजस्व नहीं थे क्योंकि पं.रा.वि. ने करारोपण के लिए नियमावली तैयार नहीं किया था तथा ग्रा.पं. क्षेत्रों में उपलब्ध उत्पादक परिसंपत्तियों को ग्रा.पं. को हस्तांतरित किए जाने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया था।

पं.रा.वि. ने जवाब दिया (फरवरी 2019) कि बिहार पंचायत (लेखा, अंकेक्षण, बजट एवं करारोपण) नियमावली तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन था। लेखापरीक्षा ने पाया कि उक्त नियमावली के तैयार किए जाने की कार्रवाई विभाग स्तर पर तीन वर्षों से अधिक समय से प्रक्रियाधीन था।

चौ.वि.आ. ने यह अनुशंसा किया था कि विभिन्न प्रकार के करों⁶⁹ के अध्यारोपण के लिए नगरपालिकाओं में वर्तमान नियमों की समीक्षा एवं विस्तार किया जाना चाहिए। नगरपालिकाओं को स्व-राजस्व के स्रोतों में वृद्धि के लिए अपने सेवा शुल्कों को तर्कसंगत बनाना चाहिए ताकि लाभुकों आदि से कम-से-कम प्रचालन एवं रख-रखाव लागत की वसूली की जा सके।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 18 नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं में से 11 ने रिक्त भूमि कर का अध्यारोपण नहीं था तथा प्रत्येक पाँच वर्ष पर संपत्ति कर का पुनरीक्षण नहीं किया था जबकि विज्ञापन कर, बेटरमेंट कर एवं मनोरंजन कर का अध्यारोपण किसी भी नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं द्वारा नहीं किया गया था। आठ नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं में, सेवाएँ (घर-घर अपशिष्ट संग्रहण एवं जलापूर्ति) उपलब्ध कराए गए थे परंतु, 2015-18 की अवधि के लिए लाभुकों से ₹1.35 करोड़⁷⁰ के उपभोक्ता शुल्कों की वसूली नहीं की गई थी।

आगे, राज्य सरकार ने एक राज्य स्तरीय संपत्ति कर बोर्ड (वर्ष 2013 में अधिसूचित) स्थापित नहीं किया था जो राज्य के सभी नगरपालिकाओं में संपत्ति कर के आकलन के लिए एक स्वतंत्र एवं पारदर्शी व्यवस्था स्थापित करने में सहयोग करता।

⁶⁸ औरंगाबाद —₹1.63 करोड़, छपरा —₹3.01 करोड़, नासरीगंज —₹0.27 करोड़ तथा सीवान — ₹1.46 करोड़,

⁶⁹ संपत्ति कर, उप-नगरीय पंचायतों द्वारा रिक्त भूमि कर, बेटरमेंट कर, विज्ञापन कर तथा मनोरंजन कर

⁷⁰ इस्लामपुर —₹0.11 करोड़, खगौल —₹0.94 करोड़ तथा किशनगंज —₹0.30 करोड़

इस प्रकार, ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाएं स्वयं के स्रोतों से राजस्व के मोबीलाइजेशन में विफल रहे हालांकि रा.वि.आ. ने भी इसकी अनुशंसा की थी। इसलिए, विभाग स्था.नि. द्वारा पर्याप्त राजस्व सृजन को सुनिश्चित करने में असमर्थ थे।

3.1.9 कार्यों का क्रियान्वयन

बिहार सरकार के कार्यकारी निर्देशों के अनुसार, ग्रा.पं. द्वारा चौ.वि.आ. अनुदानों से लिए गए कार्यों का क्रियान्वयन विभागीय किया जाना था जबकि मु.मं.नि.यो. (मु.मं.ग्रा.पे.यो. एवं मु.मं.ग.ना.प.यो.) से लिए गए कार्यों का क्रियान्वयन, वार्ड क्रियान्वयन एवं प्रबंधन समितियों (वा.क्रि.प्र.स.) द्वारा स्थानीय श्रमिकों, पलंबरों एवं तकनीशियनों की सहायता से किया जाना था तथा उनके द्वारा कार्यों के लिए सामग्रियों का क्रय बाजार सर्वेक्षण के उपरांत किया जाना था। मुखिया, प्र.वि.प. एवं जि.पं.रा.प. कार्यालय द्वारा सामग्रियों की प्राप्ति के लिए आपूर्ति शृंखला को स्थापित किया जाना था।

नगरपालिकाओं को मु.मं.श.पे.नि.यो. के अंतर्गत कार्यों का क्रियान्वयन ई-निविदा के माध्यम से करना था। मु.मं.श.पे.नि.यो. के अंतर्गत कार्यों के भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को विभाग के वेबसाइट पर अपलोड किया जाना था।

3.1.9.1 मु.मं.नि.यो. एवं चौ.वि.आ. के अंतर्गत कार्यों का भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

राज्य में मु.मं.नि.यो. के अंतर्गत लिए गए 48,325 कार्यों में से, जनवरी 2019 तक मु.मं.ग्रा.पे.यो. के अंतर्गत केवल 8.61 प्रतिशत कार्य तथा मु.मं.ग.ना.प.यो. के अंतर्गत 40.74 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण हुए थे जिसे निम्नांकित तालिका 3.9 में दर्शाया गया है:

तालिका-3.9
कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)

मद	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रगति					
	वार्ड स्तर पर उपलब्ध निधि (2016-18)	व्यय (2016-18)	2016-17		2017-18		कुल	
			लिए गए कार्य	पूर्ण कार्य	लिए गए कार्य	पूर्ण कार्य	लिए गए कार्य	पूर्ण कार्य (प्रतिशत)
मु.मं.ग्रा.पे.यो.	277.41	17.65	3,464	313	17,372	1,481	20,836	1,794 (8.61)
मु.मं.ग.ना.प.यो.	2,144.97	121.87	3,430	1,532	24,059	9,666	27,489	11,198 (40.74)
कुल	2,422.38	139.52	6,894	1,845	41,431	11,147	48,325	12,992 (26.88)

(स्रोत : www.biharprd.bih.nic.in का निश्चयसॉफ्ट डाटा)

पं.रा.वि. के निर्देशानुसार, मु.मं.नियो. के अंतर्गत वर्ष 2020 तक शत प्रतिशत वार्डों का आच्छादन किया जाना था जबकि 31 मार्च 2018 तक 50 प्रतिशत वार्डों का आच्छादन करना था। 52 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के वर्ष 2016-18 के लिए 380 वार्डों के आच्छादन के लक्ष्य के विरुद्ध 2017-18 के दौरान 41 ग्रा.पं. द्वारा केवल 255 वार्डों (67 प्रतिशत) का ही आच्छादन किया गया था जबकि शेष 11 ग्रा.पं. में ₹10.38 करोड़ की निधि की उपलब्धता के बावजूद कोई कार्य नहीं लिया गया था। आगे, उपरोक्त 41 ग्रा.पं. में से, 20 ग्रा.पं. में, केवल 13 से 47 प्रतिशत वार्डों का आच्छादन किया गया था जो कि 50 प्रतिशत के निर्धारित लक्ष्य से कम था।

नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में, मु.मं.ग्रा.पे.यो. एवं मु.मं.ग.ना.प.यो. के अंतर्गत लिए गए 560 कार्यों में से 84 कार्य (15 प्रतिशत) पूर्ण हुए थे। ग्रा.पं. में कार्यों की कम पूर्णता के मुख्य कारणों में वा.क्रि.प्र.स. के सदस्यों को प्रशिक्षण का अभाव एवं कार्यों के क्रियान्वयन हेतु तकनीकी

सहायता की कमी, प्रखंड एवं जिला स्तरीय प्राधिकारियों और समितियों से समन्वय की कमी तथा संबंधित हितधारकों के बीच जागरूकता कार्यक्रम की कमी थी जैसा कि अनुवर्ती कंडिकाओं 3.1.10 एवं 3.1.12 में चर्चा की गई है।

111 श.स्था.नि.⁷¹ में, दिसंबर 2020 तक 7,72,054 घरों को पाईपड जलापूर्ति उपलब्ध कराया जाना था परंतु मई 2019 तक केवल 2,46,115 घरों को ही जलापूर्ति का कनेक्शन उपलब्ध कराया गया था। 10 नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं⁷² में से, छः ने मु.मं.श.पे.नि. यो. के अंतर्गत 78 जलापूर्ति के कार्य लिए थे जिसमें से 2016-18 की अवधि के दौरान 19 कार्य पूर्ण हुए थे। शेष चार नगरपालिकाओं ने 27,033 घरों वाले⁷³ वार्डों में जलापूर्ति सुविधाएं उपलब्ध नहीं होने के बावजूद जलापूर्ति का कार्य नहीं लिया था, हालांकि इन नगरपालिकाओं के लिए अनुदान कर्णांकित थे। नगरपालिकाओं ने विलंब का कारण प्रशासनिक मामले एवं निविदा प्रक्रिया में विलंब बताया।

नमूना-जाँचित ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं में चौ.वि.आ. अनुदान से लिए गए कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति निम्नांकित तालिका 3.10 में दर्शाई गई है:

तालिका-3.10

चौ.वि.आ. अनुदानों के तहत क्रियान्वित किए गए कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति

(₹ करोड़ में)

इकाई	शीर्ष	वित्तीय प्रगति		भौतिक प्रगति							
		2015-18 के दौरान उपलब्ध निधि	2015-18 के दौरान व्यय	2015-16		2016-17		2017-18		कुल	
				लिए गए कार्य	पूर्ण कार्य	लिए गए कार्य	पूर्ण कार्य	लिए गए कार्य	पूर्ण कार्य	लिए गए कार्य	पूर्ण कार्य
ग्रा.पं.	मु.मं.नि.यो. (80 प्रतिशत)	#51.62	24.30	-*	-*	0	0	560	84	560	84
ग्रा.पं.	चौ.वि.आ. (20 प्रतिशत)	23.06	19.42	448	410	223	198	150	123	821	731
श.स्था.नि.	मु.मं.श.पे.नि.यो. (30 प्रतिशत)	#50.41	3.30	-*	-*	27	18	51	1	78	19
श.स्था.नि.	चौ.वि.आ. (70 प्रतिशत)	110.79	39.77	316	312	430	384	145	123	891	819

(स्रोत : नमूना-जाँचित इकाईयों के अभिलेख)

* मु.मं.नि.यो. तथा मु.मं.श.पे.नि.यो. 2016-17 से प्रारंभ हुआ था।

चौ.वि.आ. अनुदान का एक भाग, पंचम रा.वि.आ. एवं राज्य योजना के अंतर्गत अनुदान सहित। राशियों को मदवार अलग-अलग नहीं किया जा सका क्योंकि स्था.नि. को समेकित राशि विमुक्त की गई थी।

पं.रा.वि. ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए कार्यों की कम पूर्णता, विशेषकर मु.मं.नि.यो. के अंतर्गत, के कारणों को स्वीकार (मार्च 2019) किया और बताया कि कार्यों की प्रगति में सुधार के लिए समय-समय पर निर्देश निर्गत किए गए हैं।

3.1.9.2 श.स्था.नि. द्वारा क्रय में अनियमितताएँ

हाई मास्ट लाईट (एच. एम. एल.) के क्रय में अनियमितताएँ

- न.प. अरेराज बोर्ड ने पूर्व आपूर्तिकर्ता, मेसर्स पाण्डेय इलेक्ट्रॉनिक्स (फर्म) से फरवरी 2015 में उनके द्वारा आपूर्ति किए गए एच. एम. एल. के दर से यानी ₹4.25 लाख प्रति

⁷¹ मु.मं.श.पे.नि.यो. योजना के लिए श.स्था.नि. स्वयं कार्यकारी एजेंसी थे।

⁷² शेष आठ नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं में, मु.मं.श.पे.नि.यो. का क्रियान्वयन बि.रा.ज.प. तथा बुडको द्वारा किया जाना था।

⁷³ फतुहा (6,382), मसौढ़ी (8,237), मोकामा (5,719) तथा शेरघाटी (6,695)

पीस की दर से एच. एम. एल. क्रय करने का निर्णय लिया (जून 2015) था। न.प. ने फर्म से निम्नांकित तालिका 3.11 में दर्शाए गए विवरणानुसार 12 एच. एम. एल. का क्रय किया था:

तालिका-3.11

एच. एम. एल. की प्राप्ति का विवरण

क्र. सं.	आपूर्ति आदेश संख्या एवं तिथि	मात्रा	प्रति एच.एम. एल.का दर	इनवाइस संख्या एवं तिथि	राशि (₹ 6.50 लाख प्रति पीस)
1.	201; दिनांक-09.05.2016	5	4.25	33; दिनांक-28.06.2016	39.00 लाख
2.	234; दिनांक-31.05.2016	1	4.25		
3.	52; दिनांक-18.04.2017	3	6.50	50; दिनांक-20.05.2017	19.50 लाख
4.	186; दिनांक-31.03.2018	3	6.50	58; दिनांक-16.04.2018	19.50 लाख

हालाँकि न.प. ने ₹4.25 लाख प्रति पीस की दर से एच. एम. एल. क्रय करने का निर्णय लिया था तथा इसी दर से छ: एच. एम. एल. के लिए कार्यादेश निर्गत किए गए थे, परन्तु इन छ: एच. एम. एल. के लिए ₹6.50 लाख की दर से भुगतान किया गया। आगे, ₹6.50 लाख की दर से छ: अतिरिक्त एच. एम. एल. क्रय किए गए थे। ₹4.25 लाख से ₹6.50 लाख की दर में वृद्धि का कोई कारण अभिलेखों में नहीं पाया गया। इस प्रकार, न0प0 ने फर्म को ₹51 लाख के स्वीकार्य भुगतान की बजाए ₹78 लाख का भुगतान किया था जो ₹27 लाख के अधिक भुगतान के रूप में परिणत हुआ। न.प. द्वारा ₹27 लाख में से, करों (वैट, आयकर एवं लेबर सेस) के मद में ₹1.05 लाख की कटौती के उपरांत फर्म को ₹25.95 लाख का भुगतान किया गया था। इस संबंध में न तो न.प. ने और न ही विभाग ने कोई जवाब दिया।

न.प. खगौल ने दो एच. एम. एल. के क्रय के लिए निविदा (जनवरी 2017) आमंत्रित किया था। निविदा प्रक्रिया में सात फर्मों ने भाग लिया था तथा कार्य का आवंटन एक फर्म⁷⁴ को ₹3.77 लाख के लिए किया गया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि निविदा का मूल्यांकन निष्पक्ष एवं पारदर्शी नहीं था क्योंकि निविदा में दस्तावेजों एवं दरों को उपलब्ध नहीं कराए जाने के आधार पर अयोग्य घोषित किए गए छ: फर्मों में से, दो फर्मों⁷⁵ ने अपने निविदा में प्रासंगिक दस्तावेज एवं दर उपलब्ध कराए थे तथा ये अभिलेखों में उपलब्ध थे। यद्यपि उन पर विचार नहीं किया गया था। इसलिए, किसी एक ठेकेदार को अनुचित लाभ पहुंचाने के लिए निविदा प्रक्रिया के पक्षपातपूर्ण होने की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। द्वितीय न्यूनतम निविदादाता द्वारा उद्धृत किए गए दर पर विचार किए जाने पर ₹1.22 लाख बचाया जा सकता था। का.प. ने जवाब (फरवरी 2019) दिया कि भूलवश न्यूनतम निविदादाता द्वारा समर्पित किए गए आयकर प्रमाणपत्र को तुलनात्मक विवरणी में शामिल नहीं किया जा सका।

अपशिष्ट भराव क्षेत्र स्थल के लिए भूमि के क्रय में अनियमितताएँ

न.वि.आ.वि. ने नगरपालिकाओं को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन एवं विकास कार्यों के लिए सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं रहने की स्थिति में निम्नांकित शर्तों के अधीन निजी भूमि के क्रय की अनुमति (नवंबर 2015) दिया था: (i) भूमि का क्रय अधिकतम बाजार मूल्य पर किया जाना था; (ii) बाजार मूल्य जिला निबंधन कार्यालय द्वारा एक विशेष प्रकार की भूमि के लिए निर्धारित दर के अनुसार होगा; (iii) भूमि का क्रय नगरपालिका के स्वयं स्रोत से या भूमि को गिरवी रखकर बाजार ऋण द्वारा किया जाना था; तथा (iv) भूमि का क्रय समाचारपत्र में अभिरुचि की अभिव्यक्ति (ई.ओ.आई.) का प्रकाशन कर करना था तथा भुगतान आर.टी.जी.एस. के माध्यम से किया जाना था।

⁷⁴ मेसर्स दुधवा पावर इंडस्ट्रीज

⁷⁵ मेसर्स लक्ष्मी कंस्ट्रक्शन एवं इलेक्ट्रीकल वर्क्स तथा मेसर्स सना सारा इंटरप्राइजेज

नगर परिषद सीवान ने अपशिष्ट भरावक्षेत्र के लिए 5 से 7 एकड़ की भूमि क्रय करने का निर्णय (जून 2013) लिया एवं समाचारपत्र में ई.ओ.आई. विज्ञापित (मई 2017) किया। दो इच्छुक दलों: (i) श्री मोइउद्दीन खान (ii) पाँच लोगों का एक समूह⁷⁶, ने न.प. को अपनी भूमि बेचने में रुचि प्रकट की थी। गुलाम मोइउद्दीन खान द्वारा उद्धृत किया गया दर न्यूनतम मूल्य पंजी (एम.वी.आर.) के अनुसार था जबकि दूसरे दल ने एम.वी.आर. से दो प्रतिशत कम दर उद्धृत किया था।

न.प. के कार्यपालक अधिकारी (का.अ.) ने जिला निबंधक, सीवान से भूमि का बाजार मूल्य प्राप्त किया था तथा अंचल अधिकारी (सी.ओ.), नौतन (सीवान) से भूमि की अवस्थिति को सुनिश्चित किया था। सी.ओ. ने बताया था (जुलाई 2017) कि भूमि का संपूर्ण हिस्सा एक कृषि (धनहर)/बंजर भूमि था जो आँगाता गाँव की मुख्य सड़क (ईस्ट सोलिंग) से 500 मीटर दूर अवस्थित था। धनहर भूमि का बाजार मूल्य ₹6,000 प्रति डेसीमल तथा ग्रामीण भूमि के लिए ₹44,000 प्रति डेसीमल था, जैसा कि निबंधक, सीवान ने प्रतिवेदित किया था। न.प. ने 909.234 डेसीमल भूमि का क्रय किया था तथा ₹6,000 की दर से ₹54.55 लाख राशि के स्वीकार्य भुगतान के विरुद्ध ₹3.68 करोड़ (₹44,000 की दर से) का भुगतान किया था। परिणामस्वरूप ₹3.15 करोड़⁷⁷ का अधिक भुगतान हुआ तथा भूमि के निबंधन हेतु स्टाम्प शुल्क के रूप में ₹27.58 लाख का परिहार्य भुगतान हुआ।

आगे, भूमि का क्रय न.प. द्वारा स्वयं के स्रोतों या भूमि को गिरवी रखकर प्राप्त ऋण की बजाए चौ.वि.आ. अनुदान से किया गया था। न.वि.आ.वि. (मार्च 2019) ने मामले की जाँच करने का आश्वासन दिया था।

3.1.9.3 ग्रा.पं. द्वारा कार्यों के क्रियान्वयन में अनियमितताएँ

● उच्चतर पदाधिकारियों के अनुमोदन से बचने के लिए कार्यों का विभक्तिकरण पं०रा०वि. ने संकल्प (नवंबर 2014) द्वारा ग्रा.पं. द्वारा कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन की सीमा ₹5 लाख निर्धारित की थी। ₹5 लाख से ₹10 लाख की प्राक्कलित राशि वाले कार्यों का अनुमोदन प्र.वि.प. द्वारा दिया जाना था। इस प्रावधान का उल्लंघन कर, उच्चतर प्राधिकारी के अनुमोदन से बचने के लिए ₹21.82 लाख की प्राक्कलित राशि वाले तीन कार्यों को छः कार्यों में विभक्त किया गया था। विवरण निम्नांकित तालिका 3.12 में दर्शाए गए हैं:

तालिका-3.12
योजनाओं का विभक्तिकरण

(राशि ₹ में)

क्र० सं०	ग्रा०पं० का नाम	कार्य का नाम	योजना संख्या (अनुमोदन की तिथि)	प्राक्कलित राशि	दोनों योजनाओं की कुल प्राक्कलित राशि
1	हथियावां (गया)	ग्राम हथियावां में मस्जिद से महेन्द्र मिस्त्री से श्रीराम पांडे चौराहा तक सड़क का निर्माण	1/15-16 (अक्टूबर 2015) 7/15-16 (दिसंबर 2015)	4,91,672 3,96,800	8,88,472
2	हेमारा (गया)	ग्राम खुदई में मेन रोड से हाई स्कूल तक सड़क का निर्माण	1/16-17 (जुलाई 2017) 2/16-17 (जुलाई 2017)	4,97,900 1,05,100	6,03,000
3	इस्माईलपुर (वैशाली)	ग्राम चेहरा खुर्द में वासुदेव सिंह के घर से हाई स्कूल की ओर पी.सी.सी. सड़क का निर्माण	1/17-18 (अप्रैल 2017) 3/17-18 (जून 2017)	4,99,500 1,91,000	6,90,500
	कुल				21,81,972

(स्रोत : नमूना-जाँचित इकाईयों के अभिलेख)

⁷⁶ श्री विजय कुमार श्रीवास्तव, विजय शंकर शाही, बिपिन बिहारी श्रीवास्तव, नवीन प्रसाद एवं बागेश्वर शाही

⁷⁷ ₹ 30 लाख रोकी गई थी।

ग्रा.पं. ने अपने जवाबों (अगस्त-अक्टूबर 2018) में बताया कि कनीय अभियंता (क.अ.) द्वारा प्राक्कलन तैयार किए गए थे। जवाब स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹5.00 लाख से ₹10.00 लाख की प्राक्कलित राशि वाले कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन के लिए सक्षम प्राधिकार प्र.वि.प. थे तथा प्र.वि.प. के अनुमोदन से बचने के लिए कार्यों का विभक्तिकरण किया गया था।

- बिहार सरकार के निर्देशानुसार, मु.मं.ग्रा.पे.यो. का क्रियान्वयन लोक स्वास्थ्य एवं अभियंत्रण विभाग (पी.एच.ई.डी.) के द्वारा उन ग्रा.पं./वार्डों में किया जाना था जहां जल की गुणवत्ता आर्सेनिक, फ्लुराईड एवं आयरन से प्रभावित थी तथा जल की आपूर्ति गुणवत्ता सुधार के बाद किया जाना था। यह पाया गया कि नमूना-जाँचित चार ग्रा.पं.⁷⁸ के चार वार्डों में जल की गुणवत्ता प्रभावित थी, परंतु जलापूर्ति कार्य का क्रियान्वयन पी.एच.ई.डी. की बजाए वा.क्रि.प्र.स. द्वारा किया गया था। ग्रा.पं. ने बताया (अगस्त 2018) कि जल की गुणवत्ता प्रभावित वार्डों की सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी थी। इस प्रकार, इन वार्डों में पेयजल उपलब्ध कराने का योजना का उद्देश्य विफल रहा।

• बिना नाली के पी.सी.सी. सड़कों का निर्माण

मु.मं.ग.ना.प.यो. योजना की मार्गदर्शिका के अनुसार, पी.सी.सी. सड़क का निर्माण नाली के साथ किया जाना था। लेखापरीक्षा ने पाया कि 10 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. के 18 वार्डों में पी.सी.सी. सड़कों का निर्माण बिना नाली के किया गया था तथा अपशिष्ट जल की निकासी के लिए नाली का प्रावधान नहीं किया गया था। इसके फलस्वरूप, योजना मार्गदर्शिका का उल्लंघन कर ₹0.77 करोड़ (परिशिष्ट-3.3) के व्यय से 25 कार्य क्रियान्वित किए गए थे। यह लेखापरीक्षित इकाईयों के साथ किए गए कार्यों के संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान भी पाया गया।



ग्रा.पं. कुरमावां (गया) के वार्ड संख्या-9 में बिना नाली के पी.सी.सी. सड़क का निर्माण;
योजना संख्या- 01/2017-18

• मस्टर रॉल में अनियमितताएँ

बिहार कोषागार संहिता (बि.को.सं.) में यह प्रावधान है कि विभागीय रूप से लगाए गए मजदूरों की मजदूरी का भुगतान मस्टर रॉल पर श्रमिकों के नाम, उनके द्वारा किए गए कार्य दिवसों की संख्या एवं प्रत्येक को देय राशि दर्शाते हुए किया जाना चाहिए। लेखापरीक्षा ने पाया कि नमूना-जाँचित दो ग्रा.पं. (पुरुषोत्तमपुर अन्नु एवं श्रीपुरगाहर पश्चिम) एवं एक नगरपालिका (न.प. मोकामा) में 10 कार्यों में कार्य के लिए मस्टर रॉल का संधारण नहीं किया गया था तथा ₹10.93 लाख⁷⁹ की मजदूरी का भुगतान हस्त रसीद/सादे कागज पर दर्शाया गया था। आगे, ग्रा.पं. कानुबिशनपुर के दो कार्यों में मजदूरों को

⁷⁸ एकंगरसराय (वार्ड सं. 4)-₹11 लाख, मंडाछ (वार्ड सं. 7)-₹8.70 लाख, ग्यासपुर (वार्ड सं. 2)-₹9.95 लाख एवं कानुबिशनपुर (वार्ड सं. 5)-₹10 लाख

⁷⁹ ग्रा.पं.-पुरुषोत्तमपुर अन्नु (एक कार्य-₹0.90 लाख); ग्रा.पं.-श्रीपुरगाहर पश्चिम (तीन कार्य-₹2.44 लाख); एवं न.प.-मोकामा (छ: कार्य-₹7.59 लाख)

₹1.17 लाख का भुगतान किया गया था। यद्यपि, मस्टर रॉल पर मजदूरों के हस्ताक्षर नहीं पाए गए। आगे, सात ग्रा.पं.⁸⁰ में ₹1.83 करोड़ का भुगतान अभिकर्ता को किया गया था परंतु इसके लिए संबंधित योजना संचिकाओं में मस्टर रॉल एवं अभिश्रव संलग्न नहीं पाए गए। ग्रा.पं. ने जवाब (अक्टूबर 2018) दिया कि मस्टर रॉल एवं अभिश्रव संलग्न कर दिए जाएंगे।

विभाग ने जवाब (मार्च 2019) दिया कि ये मामले क्रियान्वयन इकाइयों से संबंधित हैं तथा इसलिए इन मामलों को संबंधित इकाइयों के साथ उठाया जाएगा एवं तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

3.1.10 योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए ग्रा.पं./नगरपालिकाओं की क्षमता

3.1.10.1 संस्थागत व्यवस्थाएं

तिहत्तरवें एवं चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम ने यह परिकल्पित किया था कि पं.रा.सं. के लिए 29 कार्य एवं नगरपालिकाओं के लिए 18 कार्य को निधियों तथा कर्मियों के साथ राज्य सरकार के समुचित विधान के माध्यम से अंततः पं.रा.सं. एवं नगरपालिकाओं को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। आगे, बि.पं.रा.अ. की धारा 22 ग्रा.पं. द्वारा (i) कृषि गतिविधियों का विस्तार (ii) पशुपालन एवं डेयरी (iii) मत्स्यपालन गतिविधियों का विकास (iv) सामाजिक वानिकी (v) लघु उद्योगों (vi) पेयजल (vii) ग्रामीण स्वच्छता एवं पर्यावरण (viii) गैर-परंपरागत उर्जा स्रोतों का विकास (ix) सार्वजनिक उद्यान एवं खेल मैदान (x) शिक्षा (प्राथमिक एवं उच्चतर माध्यमिक स्तर सहित) इत्यादि, कार्यों के निष्पादन का प्रावधान करता है।

बीस विभागों ने पं.रा.सं. को प्रत्यायोजित करने हेतु अपनी गतिविधियों को कार्यवार एवं स्तरवार तैयार कर मापन किया था तथा अधिसूचित (सितंबर 2001) किया था। यद्यपि, ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं को सौंपे गए कार्यों के निष्पादन के लिए पर्याप्त निधियों एवं कर्मियों का हस्तांतरण नहीं किया गया था। चतुर्थ रा.वि.आ. ने भी रेखांकित किया (जून 2010) था कि पं.रा.सं. को महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व एवं संसाधन नहीं दिए गए थे।

ग्रा.पं. द्वारा किए जानेवाले 29 कार्यों में से, केवल छः कार्य (पेयजल, ग्रामीण सड़कें, गैर-परंपरागत उर्जा स्रोत, गरीबी उन्मूलन योजनाएं, शिक्षा, सामुदायिक परिसंपत्तियों का रखरखाव) ग्रा.पं. द्वारा किए जा रहे थे। शेष 23 कार्य बिहार सरकार के दूसरे विभागों द्वारा किए जा रहे थे। आगे, लेखापरीक्षा ने पाया कि नगरपालिकाओं द्वारा किए जाने वाले 18 कार्यों में से, उनके द्वारा 13 कार्य किए जा रहे थे तथा शेष पाँच कार्य बिहार सरकार के संबंधित कार्यकारी विभागों एवं अर्ध सरकारी निकायों द्वारा किए जा रहे थे।

3.1.10.2 भवन एवं अवसंरचना

पंचायत सरकार भवन (पं.स.भ.) रिसेप्शन, कंप्यूटरीकृत सेवा केंद्र, स्टोर, पैन्ट्री, शौचालय आदि युक्त बहुउद्देशीय कार्यालय भवन हैं। बिहार सरकार ने प्रत्येक ग्रा.पं. में चरणबद्ध तरीके से पं.स.भ. के निर्माण का निर्णय (अगस्त 2012) लिया था। 52 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में से, 25 में पंचायत भवन (पुराने भवन) नहीं थे तथा चार ग्रा.पं. में ये क्षतिग्रस्त अवस्था में थे जबकि पं.स.भ. का निर्माण केवल पाँच ग्रा.पं. में हुआ था। सभी नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में (ग्रा.पं. एकंगरसराय को छोड़कर) योजनाओं तथा कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति को

ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं को सौंपे गए कार्यों को कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त निधियों एवं कर्मियों के हस्तांतरण नहीं किए गए थे।

⁸⁰ औंगारी-₹3.96 लाख, धुरगांव-₹3.73 लाख, एकंगरसराय-₹1.38 करोड़, मंडाछ-₹11.03 लाख, रामदिरी-2-₹9.55 लाख, शिवसिंगपुर-₹13.55 लाख एवं श्रीपुरगाहर पश्चिम-₹2.75 लाख

विभाग के वेबसाईट पर अपलोड करने के लिए इंटरनेट सुविधा नहीं थी। प्रारंभ में, 13वें वि.आ. अनुदान/विश्व बैंक ऋण की वित्तीय सहायता से 1,765 ग्रा.पं.⁸¹ में पं.स.भ. का निर्माण 2015-16 तक किया जाना था। यद्यपि, 1,222 भवन (69 प्रतिशत) ही पूर्ण हुए थे (दिसंबर 2019)।

3.1.10.3 मानवबल

ग्रा.पं. स्तर पर सभी गतिविधियों की देखरेख के लिए पंचायत सचिव एकमात्र व्यक्ति है जबकि मु.मं.नि.यो. के लिए फेसिलिटेटर के रूप में नामित प्र.पं.रा.प., लेखाओं की जाँच करने, ग्रा.पं. द्वारा क्रियान्वित योजनाओं का अनुश्रवण करने तथा मु.मं.नि.यो. के अंतर्गत आंकड़ों को फेसिलिटेट एवं संकलित करने के लिए उत्तरदायी है। विभाग ने सूचित किया (दिसंबर 2018) कि प्र.पं.रा.प. के 528 पदों एवं पंचायत सचिवों के 8,419 पदों के विरुद्ध रिक्तियां क्रमशः 253 (48 प्रतिशत) एवं 4,718 (56 प्रतिशत) थीं। आगे, कार्यों की प्रगति को देखरेख करने तथा विभाग को उ.प्र. समर्पित करने के लिए जिला परिषद जिम्मेदार है। विभागों ने जि.प. एवं नगरपालिकाओं में रिक्तियों से संबंधित सूचना उपलब्ध नहीं कराया।

प्र.पं.रा.प. एवं पंचायत सचिवों के 48 एवं 56 प्रतिशत पद रिक्त थे।

पं.रा.सं. के सभी स्तरों एवं नगरपालिकाओं में मानवबल की अत्यंत कमी थी। नमूना-जाँचित स्था.नि. में स्वीकृत पद एवं कार्यरत बल का सार निम्नांकित तालिका 3.13 में दिया गया है:

तालिका-3.13

नमूना-जाँचित स्था.नि. में 31 मार्च 2018 को स्वीकृत बल एवं कार्यरत बल

विवरण	नमूना-जाँचित इकाई स्तर		
	स्वीकृत पद	कार्यरत बल	रिक्त पद (प्रतिशत)
जि.प.	810	123	85
प्र.पं.रा.प.	105	35	67
पंचायत सचिव	203	98	52
नगरपालिका	2,069	787	62

(स्रोत : पं.रा.सं., जि.पं.रा.प. कार्यालय एवं नगरपालिकाओं द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

पं.रा.वि. ने पंचायत सचिवों की नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को प्रस्ताव प्रेषित (फरवरी 2013 एवं दिसंबर 2016) किया था परंतु फरवरी 2019 तक नियुक्ति प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी। यद्यपि, पं.रा.वि. ने जवाब (मार्च 2019) दिया कि पंचायत सचिवों की रिक्तियों को भरने के लिए दिसंबर 2018 में परीक्षा आयोजित किया गया था।

3.1.10.4 प्रशिक्षण

ग्रा.पं. के पंचायत सचिवों एवं मु.मं.नि.यो. के लिए नवगठित वा.क्रि.प्र.स. के सदस्यों को 2015-18 के दौरान लेखाओं के संधारण, अभिलेखों के रखरखाव एवं योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। नगरपालिकाओं के कर्मियों को भी लेखाओं के संधारण के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया था। इसकी बजाए विभाग लेखाओं के संकलन के लिए चार्टर्ड एकाउंटेंट (सी.ए.) की सेवाओं पर निर्भर थे। आगे, नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में मु.मं.नि.यो. के क्रियान्वयन के लिए एक्सपोजर भ्रमण एवं जागरूकता के कार्यक्रम भी आयोजित नहीं किए गए थे। यद्यपि, वर्ष 2016 में पं.रा.सं. के निर्वाचन के उपरांत, निर्वाचित प्रतिनिधियों को जिला एवं प्रखंड स्तर पर पं.रा.सं. की

⁸¹ 1,435 एवं 330 पं.स.भ. का निर्माण क्रमशः 13वें वि.आ. निधि से एवं विश्व बैंक के ऋण सहायता से किया जा रहा था।

कार्यप्रणाली पर राजीव गाँधी पंचायत सशक्तीकरण अभियान के अंतर्गत प्रशिक्षण दिया गया था। हालाँकि, लेखाओं के संधारण एवं अभिलेखों के रखरखाव के लिए कोई प्रशिक्षण प्रदान नहीं किया गया था। मस्टर रॉल में अनियमितताओं एवं जियो-टैगिंग के जवाब में वार्ड सचिवों ने बताया (सितंबर 2018) कि इस संबंध में कोई प्रशिक्षण उपलब्ध नहीं कराया गया था।

3.1.10.5 लेखा एवं लेखापरीक्षा

ग्रा.पं.: बिहार सरकार ने पंचायत राज अधिनियम, 2006 के अधिनियमित होने के उपरांत ग्रा.पं. द्वारा लेखाओं के संधारण के लिए लेखा नियमावली नहीं बनाया था। सी.ए.जी. ने पं.रा.सं. के लिए मानक लेखांकन प्रणाली (मा.ले.प्र.) निर्धारित (2002) किया था जिसे जनवरी 2009 में सरलीकृत किया गया था। यद्यपि, बिहार सरकार ने मा.ले.प्र. अपनाया (अप्रैल 2010) था परंतु, पं.रा.सं. ने लेखाओं का संधारण मा.ले.प्र. में नहीं किया था जबकि 13वें वि.आ. द्वारा इसे नि.अ. प्राप्त करने हेतु अनिवार्य बना दिया गया था। ग्रा.पं. ने प्रत्येक योजना के लिए एकल प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित अलग-अलग लेखाओं का संधारण किया था जिसमें ग्रा.पं. की संपूर्ण परिसंपत्तियाँ शामिल नहीं थीं तथा वे लेखाबहियों का संधारण करने तथा 12वें वि.आ. एवं पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि (बी.आर.जी.एफ.) योजना से इसके लिए विशिष्ट अनुदानों के बावजूद स्था.नि. के वित्त के डाटाबेस तैयार करने में असमर्थ थे।

पं.रा.वि. ने वर्ष 2015-18 के लिए पं.रा.सं. के योजनावार एवं इकाईवार अंकेक्षण हेतु 85 सी.ए. फर्मों को नियुक्त किया था। प्रखंड स्तर एवं जिला स्तर पर अंकेक्षण प्रतिवेदनों का संकलन नोडल सी.ए. फर्मों⁸² द्वारा किया जाना था। सी.ए. फर्मों द्वारा प्रतिवेदनों को समर्पित किए जाने में विलंब पाया गया। सी.ए. ने अक्टूबर 2019 तक सभी पं.रा.सं.⁸³ के लिए संकलित अंकेक्षित प्रतिवेदन समर्पित नहीं किए थे जो उ.प्र. समर्पित नहीं किए जाने एवं इस प्रकार नि.अ. प्राप्त नहीं होने के रूप में परिणत हुआ।

संदर्भ की शर्तों (टी.ओ.आर.) के अनुसार, पं.रा.वि. कार्य के पूर्ण होने में विलंब होने पर असाईनमेंट के अधिकतम 10 प्रतिशत दंड की कटौती कर सकता है। हालांकि, विलंब का कारण, सी.ए. फर्मों के नियंत्रण के बाहर होने की स्थिति में, समुचित समय विस्तार स्वीकृत किया जाएगा। सी.ए. फर्मों द्वारा प्रतिवेदनों के समर्पित नहीं किए जाने का कारण सी.ए. फर्मों का नोडल सी.ए. फर्म के साथ समन्वय की कमी था। हालांकि, पं.रा.वि. ने अंकेक्षित प्रतिवेदनों के विलंब से समर्पित किए जाने/समर्पित नहीं किए जाने के लिए कोई दंड नहीं लगाया था।

नगरपालिकाओं ने बि.न.अ., 2007 के प्रावधानों के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय विवरण तैयार नहीं किए थे। बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली वर्ष 2014 में तैयार किए गए थे जिसमें नगरपालिका लेखाओं का संधारण कोडिफिकेशन पैटर्न में किए जाने का प्रावधान था परंतु, तदनुसार लेखा तैयार नहीं किए गए थे। न.वि.आ.वि. ने नगरपालिकाओं के लेखाबहियों का संधारण वास्तविक आधारित द्वि-प्रविष्टि प्रणाली में किए जाने हेतु 11 सी.ए. फर्मों को नियुक्त (जून 2014 से अक्टूबर 2016) किया था।

⁸² प्रखंड के अंतर्गत सभी ग्रा.पं. के एवं इसी प्रकार जिला स्तर पर अंकेक्षण प्रतिवेदनों को संकलित करने का उत्तरदायित्व शहरी क्षेत्र में अंकेक्षण कार्य कर रहे फर्म को दिया गया था।

⁸³ 38 जिलों के 3 वर्ष के लेखाओं के विरुद्ध, 32 लेखा अक्टूबर 2019 तक प्राप्त नहीं हुए थे।

डी.एल.एफ.ए. के 314 स्वीकृत बल के विरुद्ध 21 लेखापरीक्षक उपलब्ध थे।

विभाग ने वर्ष 2014-17 के लिए 140 नगरपालिकाओं के लेखाओं के आंतरिक अंकेक्षण हेतु 17 सी.ए. फर्मों को नियुक्त (मार्च 2016) किया था। आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन की संवीक्षा में यह पाया गया कि सी.ए. ने टी.ओ.आर. में प्रावधानित सभी कार्यक्षेत्रों का आच्छादन⁸⁴ नहीं किया था।

चौ.वि.अ. की अनुशंसाओं के अनुसार बिहार सरकार ने स्था.नि. के लेखाओं के लेखापरीक्षा पर तकनीकी मार्गदर्शन एवं सहयोग (त.मा.स.) भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक को सौंप (दिसंबर 2015) दिया था तथा जनवरी 2017 से स्था.नि. का लेखापरीक्षा त.मा.स. व्यवस्था के अंतर्गत प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार द्वारा किया गया था एवं प्राथमिक लेखापरीक्षक की भूमिका वित्त विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत गठित स्थानीय निधि लेखापरीक्षा निदेशालय (डी.एल.एफ.ए.) को सौंप दिया गया था। प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार कार्यालय द्वारा जनवरी 2017 से जून 2019 के दौरान 1020 स्था. नि. इकाईयों (नगरपालिका 76 इकाईयाँ एवं 944 पं.रा.सं.) के लेखाओं का नमूना-जाँच किया गया था तथा डी.एल.एफ.ए. से प्राप्त 26 प्रतिवेदनों पर त.मा.स. दिया गया था। यद्यपि, डी.एल.एफ.ए. के पास मानवबल की अत्यंत कमी थी तथा 314 स्वीकृत पदों के विरुद्ध केवल 45 लेखापरीक्षक कार्य कर रहे थे तथा स्थिति और गंभीर हो गई थी क्योंकि उपरोक्त 45 कर्मियों में से 24 दूसरे विभागों में प्रतिनियुक्ति पर थे। इसके परिणामस्वरूप, डी.एल.एफ.ए. द्वारा कुल 9,103 स्था.नि. इकाईयों में से केवल 1,095 (12 प्रतिशत) का ही अंकेक्षण किया गया था।

ग्रा.पं. के वार्ड: वा.क्रि.प्र.स. के सचिवों ने मु.मं.नि.यो. के तहत आवश्यक लेखाबहियों का संधारण नहीं किया था तथा वा.क्रि.प्र.स. को कोई मार्गदर्शक सहयोग प्राप्त नहीं था। वा.क्रि.प्र.स. को लेखापाल-सह-आई.टी. सहायकों की सेवाएं उपलब्ध नहीं कराया गया था तथा सचिवों (10वीं पास) को लेखाओं एवं अभिलेखों के संधारण हेतु प्रशिक्षण भी उपलब्ध नहीं कराया गया था, यद्यपि यह योजना मार्गदर्शिका के अंतर्गत आवश्यक था। परिणामस्वरूप, वा.क्रि.प्र.स. के अभिलेखों का संधारण नहीं किया गया था तथा वा.क्रि.प्र.स. के लेखाओं का अंकेक्षण सी.ए. द्वारा नहीं किया गया था। हालांकि, पं.रा.वि. ने मु.मं.नि. यो. के अंतर्गत 2,096 तकनीकी सहायकों एवं 2,096 लेखापाल-सह-आई.टी. सहायकों (चार ग्रा.पं. के लिए एक) की नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारंभ (जुलाई 2018) किया था जो प्रक्रियाधीन (मार्च 2019) था।

इसलिए, पं.रा.सं. के सभी स्तरों पर क्षमता निर्माण एवं नगरपालिकाओं के लिए लेखांकन अवसंरचना उपलब्ध कराने, पर्याप्त मानवबल की तैनाती, कार्यालय भवनों, अभिलेखों के संधारण एवं कार्यों के क्रियान्वयन के लिए प्रशिक्षण प्रदान करने आदि हेतु उठाए गए कदम पर्याप्त नहीं थे।

3.1.11 भौतिक सत्यापन के निष्कर्ष

नमूना-जाँचित ग्रा.पं./नगरपालिकाओं द्वारा 2015-18 के दौरान चौ.वि.आ. एवं मु.मं.नि. यो. के अंतर्गत क्रियान्वित किए गए 229 कार्यों⁸⁵ का लेखापरीक्षा द्वारा स्थानीय निकायों के पदाधिकारियों के साथ संयुक्त भौतिक सत्यापन (सं.भौ.स.) किया गया था। सं.भौ.स. का निष्कर्ष **परिशिष्ट-3.4** में दिया गया है। सं.भौ.स. के दौरान पाई गई कुछ अनियमितताएं निम्न प्रकार हैं:

⁸⁴ ई-टेंडरिंग एवं ई-निलामी सहित सामग्रियों की प्राप्ति, तुलन पत्र, मासिक प्राप्ति एवं व्यय लेखा आदि पर कोई टिप्पणी नहीं।

⁸⁵ ग्रा.पं.: चौ.वि.आ. - 65 कार्य, मु.मं.नि.यो. - 85 कार्य; एवं नगरपालिका: चौ.वि.आ. - 74 कार्य, मु.मं.श.पे.नि.यो. - 5 कार्य

• **मापी पुस्तिका (मा.पु.) में जाली प्रविष्टि**

ग्रा.पं. धुरगांव, नालंदा में योजना सं. 23/15-16 (चौ.वि.आ.), ₹2.73 लाख की प्राक्कलित राशि का ईट सोलिंग कार्य उस स्थल पर नहीं पाया गया जिसके लिए प्राक्कलन तैयार किया गया था। बजाए इसके किसी अन्य स्थल के कार्य को लेखापरीक्षा को दिखाया गया तथा यह बताया गया कि कार्य का नाम लिखने में गलती हुई थी। मा.पु. में ₹2.55 लाख के कार्य की प्रविष्टि थी। हालांकि, संबंधित क.अ. ने बताया कि यह एक जाली मा.पु. था तथा उसने किए गए कार्य के मूल्य की मापी नहीं की थी एवं मा.पु. में उसके जाली हस्ताक्षर किए गए थे।



• **कार्य स्थल पर कार्य नहीं पाया जाना**

ग्रा.पं. अजयपुर, नालंदा में योजना सं. 5/15-16 (चौ.वि.आ.) ₹0.62 लाख का ट्यूबवेल उस स्थल पर नहीं पाया गया जहां संबंधित योजना संचिका में, स्थल के नजदीक दीवार के नजदीक पर कार्य का क्रियान्वयन दर्शाया गया था।



• **मापी पुस्तिका में दर्ज कार्य मूल्य से कम मात्रा में कार्य किया जाना**



ईट सोलिंग का कार्य 900 वर्गफुट की जगह केवल 240 वर्गफुट में किया गया था जिसके लिए ₹0.44 लाख का भुगतान किया गया था। (ग्रा0पं0 धुरगांव, नालंदा का योजना सं0 6/15-16)

ईट सोलिंग का कार्य 900 वर्गफुट की जगह केवल 175 वर्गफुट में किया गया था जिसके लिए ₹0.48 लाख का भुगतान किया गया था। (ग्रा0पं0 धुरगांव, नालंदा का योजना सं0 7/15-16)

● किसी व्यक्ति विशेष को योजना का लाभ दिया जाना

न.पं. इस्लामपुर ने ₹5.16 लाख (योजना सं० 02/16-17) के व्यय से वार्ड सं० 2 में 50 घरों में जलापूर्ति के लिए लघु समरसिबल टैंक का अधिष्ठापन कराया था। हालांकि, एक व्यक्ति ने अधिष्ठापन स्थल पर यह कहते हुए बलपूर्वक कब्जा कर लिया था कि यह उसकी निजी भूमि थी तथा उसने अन्य घरों को जलापूर्ति करने की अनुमति नहीं दिया।



● पानी टंकी का निर्माण नहीं

नौ नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में मु.मं.ग्रा.पे.नि.यो. के अंतर्गत लिए गए 19 कार्यों में से, केवल एक कार्य (ग्रा.पं. एकंगरसराय का वार्ड सं. 4) में जल मीनार का निर्माण पाया गया हालांकि मानक प्राक्कलन में जल के संग्रहण एवं आपूर्ति के लिए प्रावधान किया गया था। जलापूर्ति, बिना जल के संग्रहण तथा बिना अधिकृत विद्युत संयोजन एवं मीटरिंग के किया गया था।

● अधूरे कार्य

तीन ग्रा.पं.⁸⁶ के चार वार्डों में, मु.मं.ग्रा.पे.नि.यो. के अंतर्गत लिए गए जलापूर्ति के कार्य, ₹24.60 लाख के व्यय के पश्चात् बोरिंग कार्य करके विगत छः माह से अधूरा छोड़ दिया गया था।



मु.मं.ग्रा.पे.नि.यो. के अंतर्गत लिए गए जलापूर्ति कार्य को बोरिंग कार्य के बाद अधूरा छोड़ दिया गया था। (ग्रा.पं. गंगसारा, समस्तीपुर का वार्ड सं. 09) दिनांक-30 अगस्त 2018



मु.मं.ग्रा.पे.नि.यो. के अंतर्गत लिए गए जलापूर्ति कार्य को बोरिंग कार्य के बाद अधूरा छोड़ दिया गया था। (ग्रा.पं. श्रीपुरगाहर पश्चिम, समस्तीपुर का वार्ड सं. 05) दिनांक-30 अगस्त 2018

इसके अतिरिक्त, योजनाओं के साईन बोर्ड नहीं लगाए जाने, कार्य पूर्ण नहीं किए जाने, निर्मित सड़क पर गड्ढे, कार्य में प्रयुक्त मदों की विशिष्टताओं में परिवर्तन आदि अनियमितताएं भी पाए गए थे।

3.1.12 अनुश्रवण एवं समन्वय

चौ.वि.आ. ने अनुदान प्राप्त करने वाले स्था.नि. के अनुश्रवण एवं समवर्ती मूल्यांकन करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय अनुश्रवण समिति (एच.एल.एम.सी.)

⁸⁶ गाहर पश्चिम (वार्ड सं० 1 एवं 5), गंगसारा (वार्ड सं० 9) तथा रेबरा (वार्ड सं० 5)

के गठन की अनुशंसा (दिसंबर 2014) यह सुनिश्चित करने हेतु किया था कि निधियों का उपयोग चौ.वि.आ. द्वारा अनुशंसित उद्देश्यों के लिए किए गए थे। चौ.वि.आ. की पंचाट अवधि के 11 माह की समाप्ति के पश्चात् बिहार सरकार ने नवंबर 2015 में एच.एल.एम.सी. का गठन किया था। एच.एल.एम.सी. की बैठक की कार्यवृत्त से यह पाया गया कि एच.एल.एम.सी. ने नि.अ. के लिए मानदंडों, स्था.नि. को निर्धारित 15 दिन के अंदर अनुदानों की विमुक्ति पर चर्चा किया तथा अनुदानों की प्राप्ति में विलंब से बचने के लिए मार्गदर्शिका के अनुसार भारत सरकार को उ.प्र. प्रेषित किए जाने पर जोर दिया था परंतु चौ.वि.आ. की मार्गदर्शिका के अनुसार अनुदानों की उपयोगिता के संबंध में स्था.नि. के निष्पादन का मूल्यांकन नहीं किया गया था तथा चौ.वि.आ. की अनुशंसाओं के क्रियान्वयन की स्थिति पर भी चर्चा नहीं की गई थी।

3.1.12.1 जिला एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों द्वारा ग्रा.पं. का अनुश्रवण

ग्रा.पं. कार्यालयों के निरीक्षण तथा योजनाओं के अनुश्रवण एवं समन्वय के लिए प्र.पं. रा.प., प्र.वि.प., जिला विकास आयुक्त एवं जिलाधिकारी के साथ प्रखंड एवं जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति सक्षम प्राधिकार थे। उपरोक्त प्राधिकारियों ने निरीक्षण टिप्पणियां तैयार नहीं की थीं तथा इससे किए गए निरीक्षणों की वास्तविक संख्या एवं उनके द्वारा पाई गई कमियों, यदि कोई हो, को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका। हालांकि, 20 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में से 10 के पंचायत सचिवों ने बताया कि योजनाओं का निरीक्षण केवल प्रखंडों के प्र.वि.प. द्वारा किया गया था।

3.1.12.2 मु.मं.श.पे.नि.यो. के लिए अनुश्रवण एवं गुणवत्ता नियंत्रण प्रणाली

मु.मं.श.पे.नि.यो. के क्रियान्वयन के पर्यवेक्षण एवं कार्यों की प्रगति के अनुश्रवण के लिए राज्य स्तर पर एक समन्वय एवं अनुश्रवण समिति⁸⁷ का गठन किया जाना था। मु.मं.श.पे.नि.यो. के क्रियान्वयन एवं निरीक्षण, गुणवत्ता के अनुश्रवण तथा शिकायतों के निष्पादन के लिए राज्य गुणवत्ता नियंत्रकों एवं जिला गुणवत्ता नियंत्रकों की नियुक्ति किया जाना था। समन्वय एवं अनुश्रवण समिति का गठन अगस्त 2018 में किया गया था परंतु इसकी कोई बैठक नहीं हुई थी तथा गुणवत्ता नियंत्रकों की नियुक्ति भी नहीं की गई थी (दिसंबर 2018)।

• तीसरे पक्ष के निरीक्षण का नहीं होना

मु.मं.श.पे.नि.यो. के अंतर्गत प्रमुख अवयवों यथा: पाईप, पम्प, मोटर, ट्रांसफॉर्मर इत्यादि की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के लिए तीसरे पक्ष के निरीक्षण की अनिवार्यता थी। इस उद्देश्य से नगरपालिकाओं द्वारा विभाग से सहयोग प्राप्त किया जाना था। न.वि.आ.वि. ने बताया (मार्च 2019) कि सेवानिवृत्त अभियंताओं का एक पैनल एक वर्ष से कार्य कर रहा था परंतु वर्तमान में पैनल द्वारा मु.मं.श.पे.नि.यो. हेतु क्रय किए गए सामग्रियों के लिए तीसरे पक्ष का निरीक्षण नहीं किया जा रहा है।

3.1.12.3 ग्रा.पं. द्वारा मु.मं.नि.यो. के क्रियान्वयन के लिए समन्वय की कमी

- मु.मं.नि.यो. की प्रगति एवं इसके सामाजिक, भौगोलिक एवं पर्यावरणीय प्रयोज्यता की समीक्षा के लिए विभाग स्तर पर प्रधान सचिव, पं.रा.वि. के अंतर्गत एक **क्रियान्वयन एवं अनुश्रवण (क्रि.अ.) कोषांग** का गठन किया जाना था। आगे, क्रि.अ. कोषांग की सहायता के लिए आई.टी. विशेषज्ञ, सेवानिवृत्त अभियंता, वित्त प्रबंधक आदि वाले

⁸⁷ प्रधान सचिव/सचिव-अध्यक्ष; प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्यद-सचिव; मुख्य अभियंता, पी.एच.ई.डी.-सदस्य; संबंधित नगरपालिका के प्रतिनिधि-सदस्य से बना

एक योजना अनुश्रवण इकाई का गठन किया जाना था। हालांकि, क्रि.अ. का गठन अगस्त 2018 में किया गया था जबकि अनुश्रवण इकाई का गठन सितंबर 2018 में किया गया था। क्रि.अ. कोषांग एवं अनुश्रवण इकाई के गठन में विलंब के कारण 2016-18 के दौरान लिए गए कार्यों की अनुश्रवण एवं समीक्षा नहीं हो सकी।

- गया के अतिरिक्त नमूना-जाँचित जिलों में ग्रा.पं. स्तर पर क्रियान्वयन की सुगमता के लिए एक संसाधन केंद्र के रूप में जि.पं.रा.प. कार्यालय में इंजीनियरिंग एवं लेखा कर्मियों वाले **सहयोगी कोषांग** की स्थापना नहीं की गई थी। गया में सहयोगी कोषांग का गठन (नवंबर 2017) किया गया था परंतु उसमें इंजीनियरिंग एवं लेखा कर्मी नहीं थे तथा इसने संसाधन केंद्र के रूप में कार्य नहीं किया था क्योंकि इसकी कार्यप्रणाली रिपोर्टिंग के उद्देश्यों तक सीमित थी।
- मु.मं.नि.यो. के क्रियान्वयन हेतु ग्रा.पं. स्तर पर **लोक निर्माण समिति** वा.क्रि. प्र.स. के साथ सहयोग करेगा तथा वा.क्रि.प्र.स. इसके मार्गदर्शन में कार्य करेगी। 35 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में से 17 में समिति का गठन नहीं किया गया था जबकि 18 ग्रा.पं. में जहां समिति का गठन किया गया था, इसने मु.मं.नि.यो. के अंतर्गत लिए गए कार्यों का पर्यवेक्षण नहीं किया था।
- बि.पं.रा.अ., 2006 की धारा 10 के अंतर्गत आवश्यक **निगरानी समिति** का गठन, कार्यों की गुणवत्ता को सुनिश्चित किए जाने एवं उस ग्राम से संबंधित कार्यों के पर्यवेक्षण किए जाने तथा ग्राम सभा की बैठकों में प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु किया जाना था। मु.मं.नि.यो. की मार्गदर्शिका में भी प्रत्येक वार्ड के लिए इस समिति के गठन का प्रावधान है। 52 नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में से 22 में समिति का गठन नहीं किया गया था तथा जहां समिति का गठन किया गया था, वहां जैसा कि ग्रा.पं. ने बताया इसके द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किया गया था। इस प्रकार, वार्ड/ग्रा.पं. द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों का स्वतंत्र आकलन एवं अनुश्रवण नहीं किया जा सका।
- कार्यों के पूर्ण होने के एक माह के अंदर ग्रा.पं. को सूचित करते हुए वार्ड सभा द्वारा **सामाजिक अंकेक्षण** किया जाना था। 52 ग्रा.पं. में से 48 ने बताया कि सामाजिक अंकेक्षण नहीं किया गया था। शेष चार ग्रा.पं. द्वारा सामाजिक अंकेक्षण कराए जाने से संबंधित कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया था।

उपरोक्त पृष्ठभूमि में, यह स्पष्ट था कि राज्य के साथ-साथ जिला स्तरीय प्राधिकारियों के द्वारा समन्वयन की पूरी कमी थी जबकि ग्रा.पं. स्तरीय प्राधिकारियों की भूमिका सीमित थी।

पं.रा.वि. ने जवाब दिया (26 मार्च 2019) कि इन मामलों को संबंधित ग्रा.पं. के समक्ष उठाया जाएगा।

3.1.13 निष्कर्ष

बिहार सरकार, चौ.वि.आ. की सभी अनुशंसाओं को पूरी तरह कार्यान्वित करने में समर्थ नहीं था। राज्य सरकार निष्पादन अनुदान की प्राप्ति के लिए लेखाबहियों को तैयार किए जाने एवं उसके ससमय अंकेक्षण कराने में असमर्थ था। आगे, स्था.नि. स्व-राजस्व के स्रोतों के संग्रहण में काफी हद तक विफल रहे हालांकि इस बारे में रा.वि.आ. द्वारा भी अनुशंसा की गई थी। इसके परिणामस्वरूप 2016-18 की अवधि के लिए ग्रा.पं. हेतु ₹878.56 करोड़ के निष्पादन अनुदान की प्राप्ति नहीं हुई थी एवं नगरपालिकाओं के लिए नि.अ. की ₹119.52 करोड़ की कम/नहीं प्राप्ति हुई। 2016-18 के दौरान ग्रा.पं. को अनुदान की विमुक्ति में हुए 11 से 261 दिन के विलंब के परिणामस्वरूप पं.रा.वि. पर

ग्रा.पं. को भुगतेय ब्याज के रूप में ₹37.32 करोड़ की देयता सृजित हुई। आगे, भारत सरकार को प्रेषित किए गए उ.प्र. में, ग्रा.पं. के लिए भारत सरकार से प्राप्त पूरी राशि को निर्धारित समय के अंदर हस्तांतरित दर्शाया गया था जबकि लेखापरीक्षा में अनुदानों को विमुक्त नहीं किए जाने एवं विलंब से विमुक्त किए जाने के मामले पाए गए थे।

योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए नियोजन पर्याप्त नहीं था क्योंकि 2015-18 की अवधि के लिए जि.यो.स. ने योजनाओं का समेकन नहीं किया था। पं.रा.सं. एवं नगरपालिकाओं में मानवबल की अत्यंत कमी थी। नमूना-जाँचित प्रखंडों में पंचायत सचिव के 52 प्रतिशत पद एवं नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं में 62 प्रतिशत पद रिक्त थे। राज्य एवं जिला स्तरीय प्राधिकारियों द्वारा पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण में की कमी थी।

मु.मं.नि.यो. के अंतर्गत कार्यों की प्रगति गति नहीं पकड़ सकी थी तथा नमूना-जाँचित ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं द्वारा लिए गए कार्यों के केवल क्रमशः 15 एवं 24 प्रतिशत कार्य ही पूर्ण किए गए थे जबकि राज्य स्तर पर केवल नौ से 41 प्रतिशत कार्य पूर्ण हुए थे। अनुदानों की अनिकासी, अनुदानों का उपयोग नहीं किया जाना, ग्रा.पं. को अनुदानों की विमुक्ति नहीं किया जाना आदि दृष्टांत पाए गए।

संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान मापी पुस्तिका में जाली प्रविष्टियां, प्रारंभ किए गए कार्यों को पूरा नहीं किए जाने एवं अधूरे छोड़ दिए गए कार्यों के मामले पाए गए।

पथ निर्माण विभाग

3.2 दीर्घकालीन आउटपुट एवं प्रदर्शन-आधारित पथ आस्तियां अनुरक्षण अनुबंध (ओ.पी.आर.एम.सी.) चरण-1 के तहत पथों का अनुरक्षण

3.2.1 परिचय

बिहार पथ आस्तियां अनुरक्षण नीति 2013 के द्वारा ओ.पी.आर.एम.सी. के माध्यम से पथ परिसंपत्तियों के अनुरक्षण की परिकल्पना की गई।

बिहार में पथ परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए फरवरी 2013 में बिहार पथ आस्तियां अनुरक्षण नीति 2013 लागू की गई। नीति में इनपुट आधारित वर्तमान अनुबंध प्रणाली के स्थान पर दीर्घकालीन आउटपुट और प्रदर्शन-आधारित पथ आस्तियां अनुरक्षण अनुबंध (ओ.पी.आर.एम.सी.) के माध्यम से पथ परिसंपत्तियों के अनुरक्षण की परिकल्पना की गई थी। पथ निर्माण विभाग ने ओ.पी.आर.एम.सी. को प्रशासित किया।

ओ.पी.आर.एम.सी. (चरण-1) के तहत बिहार में वृहद जिला पथों और राज्य राजमार्गों के 9,064.32 कि.मी. के अनुरक्षण के लिए ₹2579.17 करोड़ की प्रशासनिक स्वीकृति (सितंबर 2013) पथ निर्माण विभाग द्वारा प्रदान की गई। 49 पथ निर्माण प्रमंडलों में ₹2,386.68 करोड़ के अनुबंध मूल्य पर विभिन्न एजेंसियों को एक से अधिक पथ वाले प्रत्येक पैकेज के लिए 75 पैकेजों में संविदा दी गई थी (नवंबर 2013 से अक्टूबर 2016)। इन संविदाओं के अन्तर्गत तब से ₹2,151.67 करोड़ (90 प्रतिशत) की राशि खर्च की गई थी (मार्च 2019)।

ये लेखापरीक्षा निष्कर्ष चार⁸⁸ प्रमंडलों से संबंधित चार पैकेजों और अभियंता प्रमुख कार्यालय, पथ निर्माण विभाग के कार्यालय से संकलित की गई संबंधित सूचना (मई-जून 2018) पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, सात⁸⁹ पथ प्रमंडलों में 10 पैकेजों के लेखा परीक्षा निष्कर्षों, जहां अनुपालन लेखा परीक्षा (जनवरी से मार्च 2019) की गयी थी,

⁸⁸ मोतिहारी, नूतन राजधानी पथ प्रमंडल, पटना, शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा तथा पथ प्रमंडल, बक्सर

⁸⁹ अररिया, बेतिया, किशनगंज, मोतिहारी, मधुबनी, पीपरा (सुपौल) तथा सीतामढ़ी

को भी शामिल किया गया है। नमूना जाँच हुए 14 पैकेजों के अन्तर्गत 1,675.40 किलोमीटर पथ सम्मिलित हैं।

3.2.2 ओ.पी.आर.एम.सी. की अवधारणा

ओ.पी.आर.एम.सी. में कार्य के निम्नलिखित घटक सम्मिलित हैं:—

- **सामान्य अनुरक्षण (ओ.एम.)**— अनुबंध के पांच वर्षों की अवधि में समानुपातिक मासिक एकमुश्त के रूप में भुगतान।
- **प्रारंभिक सुधार (आई.आर.)**— पथ को हस्तक्षेप स्तर से नीचे तक लाने के लिए कार्य को प्रारंभ करने की सूचना की तिथि से पहले 6/9 कार्य महीनों के भीतर पूरा किया जाना है। प्रारंभिक सुधार कार्य एक स्थिर एकमुश्त कार्य है जिसे मापी एवं वास्तविक कार्य निष्पादन के आधार पर भुगतान किया जाना है।
- **सावधिक अनुरक्षण (पी.एम.)**— यह प्रथम से चतुर्थ वर्ष के लिए स्थिर एकमुश्त कार्य होता है जिसके मापी और वास्तविक कार्य निष्पादन के आधार पर भुगतान किया जाता है।
- **लघु सुधार (एम.आई.)**— इसमें प्रथम से द्वितीय वर्ष के भीतर संपादित होने वाले विभिन्न कार्यों के मद जिनकी मापी एवं भुगतान प्रभारी अभियंता द्वारा अनुमोदित की जानी है सम्मिलित हैं। केवल प्रभारी अभियंता द्वारा प्रमाणित पूर्ण कार्य की वास्तविक मात्रा का भुगतान किया जाना है।
- **आपातकालीन कार्य**— इसमें आपातकालीन कार्य के लिए अनंतिम राशि शामिल है जिसे प्रभारी अभियंता द्वारा निर्देशित किया जा सकता है। प्रभारी अभियंता द्वारा स्वीकृत केवल वास्तविक पूर्ण कार्य की मात्रा का ही भुगतान किया जाना है।

पारंपरिक पथ निर्माण और अनुरक्षण संविदाओं के अन्तर्गत, संवेदक उन कार्यों के निष्पादन के लिए जिम्मेदार थे जो सामान्य रूप से नियोजक द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, और संवेदक को विभिन्न कार्य मदों के इकाई मूल्य के आधार पर भुगतान किया जाता था।

यद्यपि ओ.पी.आर.एम.सी. के अन्तर्गत संवेदकों को सीधे "इनपुट" या भौतिक कार्यों के लिए नहीं, वरन् निर्दिष्ट सेवा स्तरों अर्थात्, पूर्व-निर्धारित पथ मानकों के प्रारंभिक सुधार (आई.आर.) और सावधिक अनुरक्षण (पी.एम.) को प्राप्त करने के लिए भुगतान किया जाता है। संवेदक पथों की स्थितियों के सतत अनुश्रवण एवं नियंत्रण के लिए तथा उन कार्यों, सेवाओं और क्रियाओं को निरूपित करने और उन्हें पूरा करने के लिए जिम्मेदार था, जिन्हें वह संविदा में वर्णित सेवा स्तरों को प्राप्त करने और बनाए रखने के लिए आवश्यक मानता है। सेवा स्तरों को पथ उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण से निर्धारित किया जाता है और इसमें यात्रा की औसत गति, सवारी की सुविधा, सुरक्षा विशेषताएँ आदि जैसे कारक शामिल होते हैं।

3.2.3 लेखापरीक्षा टिप्पणियाँ

3.2.3.1 तकनीकी स्वीकृति के बिना कार्य शुरू करना

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 126 के अनुसार, छोटे कार्यों और मरम्मत के अलावा किया जाने हेतु प्रस्तावित प्रत्येक कार्य के लिए एक विस्तृत प्राक्कलन तैयार होना और सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित होना चाहिए। यह अनुमोदन प्राक्कलन की तकनीकी स्वीकृति के रूप में जाना जाता है और यह काम शुरू होने से पहले प्राप्त किया जाना चाहिए।

कार्य को बिना तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए प्रारंभ किया गया जो संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था

10 पथ प्रमंडलों⁹⁰ के अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि ओ.पी.आर.एम.सी. के नमूना जांचित ₹424.67 करोड़ मूल्य के 13 पैकेज (14 पैकेजों में से) तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना शुरू किए गए थे जो संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन था और ₹392.48 करोड़ (परिशिष्ट-3.5) का भुगतान संवेदकों को किया गया था।

इसे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा अवलोकन पर ध्यान दिया गया है। हालांकि, पथ प्रमंडल, आरा (पैकेज संख्या 53) से संबंधित तकनीकी स्वीकृति अभी तक प्रदान नहीं की गई थी। इस संबंध में विभाग द्वारा कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया है।

3.2.3.2 सेवा स्तर परीक्षण का प्रावधान/पालन नहीं होना

• एम.बी.डी.⁹¹ की सामान्य शर्तों के धारा 24.1 के अनुसार, संवेदक को विनिर्देशों में निर्धारित सेवा स्तर को प्राप्त करने और यथा स्थिति रखने के लिए सामान्य अनुरक्षण सेवाओं को निष्पादित करना आवश्यक था। निर्दिष्ट सेवा गुणवत्ता स्तर को प्राप्त करने के लिए पांच साल की अवधि में अनुबंधित सभी पथों में ओएम काम किया जाना था। हालांकि आई.आर.आई. (इन्टरनेशनल रफनेस इन्डेक्स⁹²) परीक्षण, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पथ ओ एस के तहत सेवा स्तरों का अनुपालन करती है, के बारे में विशिष्ट प्रावधान अनुबंध में नहीं किया गया था।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि एम.बी.डी. की धारा ई 4 के अन्तर्गत, सामान्य अनुरक्षण के अधीन पूरे पथ के लिए औसत आई.आर.आई. 4000 मि.मी. प्रति कि.मी. से अधिक नहीं होनी चाहिए। सामान्य अनुरक्षण के अधीन पथ के किसी भी भाग के लिए यह 4500 मि.मी. प्रति कि.मी. से अधिक नहीं होना चाहिए।

उत्तर मान्य नहीं है, क्योंकि एम.बी.डी. का अनुभाग पाँच भाग ई 4 सामान्य अनुरक्षण कार्यों के लिए नहीं अपितु सावधिक अनुरक्षण कार्यों के लिए विशिष्टताओं को वर्णित करता है।

• एम.बी.डी. के अनुभाग-पाँच, भाग-ई 4 के अनुसार यह अपेक्षित है कि समय-समय पर नवीकरण प्राप्त करने वाले किसी भी एक कि.मी. पथ खंड के लिए पथ खुरदरापन का औसत मान 3500 आई.आर.आई. की सीमा से कम होगा। यद्यपि, पथ प्रमंडल, बक्सर और शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के प्रतिवेदनों के नमूना-जाँच से उद्घाटित हुआ कि बम्प इंटीग्रेटर के माध्यम से किए गए सेवा-स्तर परीक्षण के संबंध में आई.आर.आई. मान के निष्कर्ष सड़कों की कुछ श्रृंखलाओं में अनुमान्य स्तर (अनुबंध के अनुसार) से अधिक थे (परिशिष्ट-3.6 (अ) और 3.6 (ब))। यह भी देखा गया कि शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के अधीन सेवा स्तर की रिपोर्ट न तो संवेदक द्वारा हस्ताक्षरित था और न ही नियोक्ता द्वारा प्रमाणित था। इसके अतिरिक्त, नूतन राजधानी पथ प्रमंडल, पटना और पथ प्रमंडल, मोतिहारी में, प्रतिवेदन केवल संवेदक द्वारा हस्ताक्षर किया गया था। इस प्रकार, सेवा-स्तरीय परीक्षण प्रतिवेदन अविश्वसनीय थे।

इस संबंध में सुधार प्रतिवेदन भी उपलब्ध नहीं थी, यद्यपि इसमें संवेदक द्वारा एम.बी.डी. की धारा 5, भाग ई 5 के अनुसार सुधार किया जाना था। इसलिए, आई.आर., पी.एम. और

⁹⁰ मोतिहारी, नूतन राजधानी पटना, आरा, बक्सर, बेतिया, मधुबनी, किशनगंज, अररिया, सीतामढ़ी एवं पिपरा (सुपौल)

⁹¹ मॉडल बिड डॉक्यूमेंट (आदर्श संविदा दस्तावेज), ओ.पी.आर.एम.सी के संविदा दस्तावेज का नाम (अनुभाग-5, भाग C5.3)

⁹² आई. आर. आई. तय किए गए पहिया पथ की देशांतरीय विशेषता बतलाता है तथा खुरदरापन का मापन करता है

वांछित सेवा स्तर सुनिश्चित नहीं किया जा सका

एम.आई. कार्यों के निष्पादन के बाद वांछित सेवा स्तर की उपलब्धि सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

3.2.3.3 वास्तविक सीमा रेखा से अधिक दर पर अनुबंध का अनियमित निस्तारण

एम.बी.डी. की निविदादाता को निर्देश के अनुच्छेद 27.5 के अनुसार, प्रारंभिक सुधार, सावधिक अनुरक्षण, लघु सुधार और सामान्य अनुरक्षण कार्यों के लिए उद्धृत संयुक्त मूल्य की निम्नलिखित सीमा होगी:

- उच्चतर सीमा— (i) [आई.आर. + पी.एम. + एम.आई.] की अनुमानित लागत से 5 प्रतिशत ऊपर, सभी करें और उपकर सहित;
(ii) [ओ.एम. + आई.आर. + पी.एम. + एम.आई.] की अनुमानित लागत से 10 प्रतिशत ऊपर, सभी करें और उपकर सहित;
- निम्नतम सीमा —[ओ.एम. + आई.आर. + पी.एम. + एम.आई.] की अनुमानित लागत से 15 प्रतिशत कम सभी करें और उपकर सहित ।

इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना (मार्च 2012) के कण्डिका-13 के अनुसार, निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत, परिवर्तन, नवीनीकरण और जीर्णोद्धार सामान्य जनता द्वारा उपयोग के लिए बहाल की गई पथ सेवाओं को सेवा कर की वसूली से छूट दी गई है।

लेखापरीक्षा ने देखा कि सेवा कर से छूट के प्रावधान के बावजूद, अनुरक्षण और मरम्मत कार्यों में विभाग द्वारा 12.36 प्रतिशत सेवा कर सहित सीमा-रेखा की गणना की गई थी। वास्तविक सीमा-रेखा⁹³ की गणना लेखापरीक्षा द्वारा तकनीकी स्वीकृति को अनुमानित लागत मूल्य के रूप में की गई थी और जहाँ तकनीकी स्वीकृति को ओ.पी.आर.एम.सी. के एकल पैकेज⁹⁴ के लिए मान्य किया गया था। इस आधार पर यह देखा गया कि दो प्रमंडलों यथा पथ प्रमंडल, बक्सर और पथ प्रमंडल, किशनगंज के अन्तर्गत कार्य के दो पैकेजों के लिए सीमा-रेखा की तुलना में ₹5.43 करोड़ अधिक दर पर कार्य आवंटित किया गया (परिशिष्ट-3.7)।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि ये गतिविधियाँ पारंपरिक पथ निर्माण और अनुरक्षण संविदाओं के अंतर्गत नहीं आती हैं। वित्त अधिनियम, 1994 के अधीन दिनांक 17 मार्च 2012 को जारी अधिसूचना द्वारा केंद्र सरकार ने कुछ सेवाओं यथा निर्माण, अनुरक्षण, मरम्मत, परिवर्तन, नवीनीकरण एवं जीर्णोद्धार या आम जनता द्वारा उपयोग के लिए पथ बहालीकरण, पथ परिवहन, पुल या टर्मिनल की बहाली के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाओं को छूट दी है। सेवा-संबंधित शीर्ष “प्रबंधन” को छूट की सूची में शामिल नहीं किया गया है, इसलिए, पथ के प्रबंधन से संबंधित सेवा सेवा-कर के दायरे में आती है, अतः इसे अनुमानित लागत मूल्य में शामिल किया गया था।

विभाग ने आगे कहा कि प्रदान की जा रही सेवाएं वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 एफ के तहत यथा परिभाषित बंडल सेवाओं के रूप में दी जा रही हैं, जिसमें पथ संपत्ति का

⁹³ वास्तविक सीमा-रेखा की गणना सेवा कर 12.36 प्रतिशत को छोड़कर तकनीकी स्वीकृति के आधार पर की गई थी जिसे पथ के अनुरक्षण और मरम्मत के तहत नहीं लगाया जाना था।

⁹⁴ चूंकि जहाँ तकनीकी स्वीकृति एकल पैकेज के लिए दिया गया था केवल वहीं ओ.एम., आई.आर., पी.एम. और एम.आई. कार्यों के लिए अलग-अलग डेटा उपलब्ध थे।

प्रबंधन और संरक्षण मुख्य सेवा है। इसलिए, बंडल सेवाओं की कर योग्यता के कराधान अधिनियम की धारा 66 एफ के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार निर्धारित की जाएगी। अधिनियम के उपरोक्त अनुभाग को देखते हुए, सेवा कर का प्रावधान प्राक्कलनों में किया गया था और निविदाओं को सेवा कर का समावेश करने के पश्चात प्राप्त सीमा-रेखा के अनुसार तय किया गया था।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि ओ.पी.आर.एम.सी. उत्पादन और प्रदर्शन आधारित एक दीर्घकालीन पथ संपत्ति अनुरक्षण संविदा है। संविदा के अधीन प्रदान किए जाने वाले कार्य क्षेत्र के अनुसार, परियोजना का उद्देश्य चयनित पथों पर सामान्य अनुरक्षण, प्रारंभिक सुधार, सावधिक अनुरक्षण कार्य, लघु सुधार कार्य और आपातकालीन कार्य करना है। अनुरक्षण के काम में क्रॉस ड्रेनेज कार्य, पुलों पर मामूली काम और पथ-सीमा के भीतर पथ-किनारे अनुरक्षण शामिल हैं। संविदा के अनुसार, परियोजना में विभिन्न पथों का अनुरक्षण शामिल है। इसलिए, ओ.पी.आर.एम.सी. मुख्य रूप से एक अनुरक्षण अनुबंध है और पथ के अनुरक्षण के काम को उपर्युक्त अधिसूचना के द्वारा सेवा कर से छूट दी गई है। अतः, ओ.पी.आर.एम.सी. के तहत सेवा कर देय नहीं था।

3.2.3.4 ओ.पी.आर.एम.सी. के तहत इनपुट आधारित अनुबंधों का प्रावधान

एम.बी.डी. के अनुभाग पॉच/ भाग ए 1 (5) के प्रावधान के अनुसार, संवेदक को कार्य करने के लिए स्वतंत्र रूप से निर्धारित करना था कि (i) क्या करना है, (ii) इसे कहाँ करना है, (iii) इसे कैसे करना है, और (iv) इसे कब करना है। आगे, संवेदक को पथ अनुरक्षण के प्रकार और मात्रा के संबंध में नियोक्ता से निर्देश प्राप्त नहीं करना था। कार्यों की सटीक प्रकृति, उनके समय, उनकी लागत और उनके कार्यान्वयन का निर्धारण संवेदक के निर्णय पर छोड़ दिया गया था।

एम.बी.डी. की जाँच में उद्घाटित हुआ कि आई.आर. और पी.एम. के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्यों के मद नियोक्ता द्वारा निविदा दस्तावेज में दर्शाए गए थे, जिसका अर्थ था कि निष्पादित किए जाने वाले कार्य संवेदक को पता थे। साथ ही, निष्पादित कार्यों का भुगतान किए गए कार्य की वास्तविक मापी के आधार पर किया जा रहा था। अतः, ओ.पी.आर.एम.सी. संविदा की प्रकृति पारंपरिक इनपुट-आधारित संविदाओं के समान थी।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि वित्तीय निविदा और एम.बी.डी. में आई.आर. का कार्य और मूल्य अनुसूची को भुगतान के लिए मात्र सेवा-स्तर अनुपालन अपेक्षित है। एम.बी.डी. में आई.आर. के लिए उल्लिखित शेष विशिष्टियाँ मात्र सांकेतिक हैं। इसलिए, आई.आर. का भुगतान पूरी तरह से निष्पादन और प्रदर्शन मानदंड पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, संवेदक को पी.एम. कार्यों का एक स्वतंत्र प्राक्कलन, जो उसके विचार में पथ को वांछित माइलस्टोन पर अपेक्षित सेवा-स्तर प्राप्त करने हेतु आवश्यक हो, तैयार करना है और इन कार्यों की लागत को पी.एम. कार्यों में शामिल करना है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि संविदा के अन्तर्गत निष्पादित किए जाने वाले कार्य मदों, जैसे आई.आर. और पी.एम. कार्य, को नियोक्ता द्वारा निविदा दस्तावेज में इंगित किया गया था जिसमें निहित था कि निष्पादित किए जाने वाले कार्य के मद संवेदक को पता थे। इसके अलावा, ओ.पी.आर.एम.सी. के अन्तर्गत संवेदकों को सीधे इनपुट या भौतिक कार्यों के लिए नहीं, वरन् विनिर्दिष्ट सेवा स्तर, जैसे पथों के आई.आर. और पी.एम. को पूर्व निर्धारित मानक, पथों पर कुछ सेवा स्तर को सुनिश्चित करने के लिए

सामान्य अनुरक्षण सेवाओं और विशिष्ट सुधारों को प्राप्त करने के लिए भुगतान किया जाना था जो सभी निष्पादन और परिणामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। अतः, इस संविदा के अन्तर्गत संवेदक द्वारा किए जाने वाले कार्य मदों को निर्दिष्ट करना ओ.पी.आर. एम.सी. की भावना के विरुद्ध था। इसके अतिरिक्त, एम.बी.डी.की सामान्य शर्तों के अनुच्छेद 46.3 के अनुसार, आई.आर. और पी.एम. कार्य को संविदा की अवधि में कराए जाने वाले मापी योग्य निष्पादन का उल्लेख करते हुए एकमुश्त भुगतान किया जाना था। भुगतान उन निष्पादनों के क्रियान्वयन के अनुसार किया जाना था। लेखापरीक्षा ने देखा कि आई.आर. और पी.एम. कार्यों का भुगतान किए गए कार्य की वास्तविक मापी के आधार पर किया जा रहा था जो पारंपरिक इनपुट आधारित संविदाओं के अन्तर्गत प्रचलित था।

3.2.3.5 पथ मार्किंग कार्य पर अधिक भुगतान

पथ प्रमंडल, मधुबनी में पथ मार्किंग कार्य का निष्पादन अनुपूरक अनुबंधों के अधीन किए जाने से अधिक भुगतान हुआ।

पथ प्रमंडल, मधुबनी के ओ.पी.आर.एम.सी. पैकेज संख्या 11, 12 और 13 से संबंधित अभिलेखों की नमूना-जांच (फरवरी 2019) के दौरान यह देखा गया कि सावधिक अनुरक्षण (पी.एम.) कार्यों के निष्पादन के लिए 25 मि.मी. मोटी सेमी डेन्स बिटुमीनस कंक्रीट (एस. डी.बी.सी.), टैक कोट और पथ मार्किंग के साथ पी.एम. कार्य के लिए प्राक्कलन तैयार किया गया था। संविदा को तदनुसार क्रमशः 09 एम.बी.डी. / 13-14, 10 एम.बी.डी. / 13-14 और 11 एम.बी.डी. / 13-14 के तहत संवेदक (एस.वी.एस.वी.एस. प्रोजेक्ट प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद) के साथ कार्यान्वित किया गया था (जनवरी 2014)।

यह देखा गया कि विभिन्न लेनों के लिए पी.एम. कार्य किया गया था और संवेदक को ₹55.09 करोड़ के भुगतान (सितंबर और अक्टूबर 2018) किए गए थे। अभिलेखों की जांच से उद्घाटित हुआ कि ओ.पी.आर.एम.सी. पैकेज नंबर 11, 12 और 13 में पथ मार्किंग कार्य के संबंध में एक ही संवेदक से ₹4.17 करोड़ के तीन अनुपूरक अनुबंध किए गए थे (दिसंबर 2017) और संवेदक को कार्य के विरुद्ध ₹3.57 करोड़ का भुगतान (सितंबर-अक्टूबर 2018) किया गया था (**परिशिष्ट-3.8**)। चूंकि, पी.एम. के अन्तर्गत पथ मार्किंग की लागत पहले से ही संवेदक के साथ मूल अनुबंध में पी.एम. कार्य की अनुमानित लागत में शामिल थी, अनुपूरक अनुबंधों के माध्यम से पथ मार्किंग कार्यों के लिए अलग से किए गए भुगतान के परिणामस्वरूप संवेदक को ₹3.57 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

विभाग ने लेखापरीक्षा अवलोकन को स्वीकार किया (अक्टूबर 2019) और कहा कि संवेदक से अधिक भुगतान की वसूली शुरू की गई है। विभाग ने पहले ही दोषी अधिकारियों को उनके खिलाफ उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया है।

3.2.3.6 पी.एम. कार्य के निष्पादन पर अधिक भुगतान

समतुल्य लंबाई की त्रुटिपूर्ण गणना के कारण पथ प्रमंडल मोतिहारी और सीतामढ़ी में पी.एम. के अन्तर्गत अधिक भुगतान हुआ।

एम.बी.डी. के प्रावधानों के अनुसार, सावधिक अनुरक्षण के कार्य के निविदा सारांश अनुसूची 3 के 3.1.1 के तहत, एकल लेन वर्ष-वार दर (ढुलाई मार्ग की चौड़ाई 3.75 मीटर के बराबर और कम) 3750 वर्ग मीटर प्रति किमी कारपेट एरिया मानकर उद्धृत की जानी थी एवम् भुगतान को वास्तविक क्षेत्र के अनुसार आनुपातिक रूप से बढ़ाया या घटाया जाना था।

पथ प्रमंडल, मोतिहारी और पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के अभिलेखों की जांच (जनवरी-फरवरी 2019) में उद्घाटित हुआ कि एकल लेन पथ के लिए समतुल्य लंबाई की गणना कारपेट एरिया को 3750 व.मी. के बजाय 3050 व.मी.से विभाजित करके की गई थी जो संविदा के प्रावधानों का उल्लंघन था। इसके परिणामस्वरूप ₹99.05 लाख का अधिक भुगतान हुआ (परिशिष्ट-3.9)।

विभाग ने लेखापरीक्षा टिप्पणी को स्वीकार करते हुए कहा (अक्टूबर 2019) कि चलंत विपत्रों में इस तरह की असावधानी की त्रुटियों को संबंधित प्रमंडलों द्वारा संवेदक के अंतिम विपत्र में समायोजन किया जाएगा।

3.2.3.7 पी.एम. कार्य पर अनियमित भुगतान

पी.एम. के अंतर्गत किए गए कार्य अनुबंधित मात्रा से परे थे।

नूतन राजधानी पथ प्रमंडल पटना, पथ प्रमंडल मोतिहारी, पथ प्रमंडल, बक्सर और पथ प्रमंडल, पिपरा (सुपौल) के अभिलेखों की जाँच से प्रकट हुआ कि नमूना-जांचित चार पैकेजों के तहत पी.एम. के संबंध में किए गए कार्य अनुबंध की मात्रा से परे थे जिसके परिणामस्वरूप ₹3.38 करोड़ का अनियमित भुगतान हुआ (परिशिष्ट-3.10)।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि ओ.पी.आर.एम.सी. चरण-1 में, सभी पैकेजों के लिए संयुक्त प्रशासनिक स्वीकृति मिलने के बाद पैकेज बनाये गये थे जिसमें प्रत्येक प्रमंडल के लिए राशि अलग-अलग उल्लिखित है। इस प्रकार, सभी पैकेजों के लिए पी.एम. राशि अभी भी संयुक्त प्रशासनिक अनुमोदन के अधीन है। संहितागत प्रावधान के अनुसार, कार्यपालक अभियंता को मद-वार अनुबंध की मात्रा के 10 प्रतिशत तक मात्रा को निष्पादित करने की शक्ति है।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि यह अनुबंध के तहत किए गए कार्य के मद-वार मात्रा में वृद्धि का मामला नहीं था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि वास्तव में पी.एम. के तहत किए गए कार्य की लंबाई संविदा के अन्तर्गत निर्दिष्ट कार्य की लंबाई से अधिक थी जो सुसंगत नहीं थी।

3.2.3.8 प्रारंभिक सुधार कार्य पर परिहार्य भुगतान

उन पथों में आई.आर. कार्य पर परिहार्य भुगतान किया गया था जो पहले से ही डी.एल.पी. में थे।

पथ प्रमंडल, मोतिहारी, नूतन राजधानी पथ प्रमंडल, पटना, पथ प्रमंडल, बक्सर और पथ प्रमंडल, किशनगंज के अभिलेखों की जाँच में पता चला कि पथ के क्रस्ट की मरम्मत और अनुरक्षण आई.आर. कार्यों के अधीन पथों के तीन पैकेजों में किया गया था जो पहले से ही दोषपूर्ण देयता अवधि (डी.एल.पी.) के अधीन थे। इसके परिणामस्वरूप आई.आर. कार्य के तहत इन पथों पर ₹92.72 लाख परिहार्य भुगतान हुआ (परिशिष्ट-3.11)।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि आई.आर. कार्यों का भुगतान पूरी तरह से प्रदर्शन मानदंड पर अर्थात् अनुबंध में उल्लिखित सभी पथों के सेवा स्तर की उपलब्धि पर निर्भर करता है। संवेदक ने उल्लिखित "कि.मी." के सेवा-स्तर की उपलब्धि के लिए केवल एकमुश्त राशि उद्धृत की है।

उत्तर लेखापरीक्षा टिप्पणी के अनुरूप नहीं था। लेखापरीक्षा में देखा गया कि पथ की क्रस्ट की मरम्मत और अनुरक्षण उन पथों में आई.आर. के अन्तर्गत किया गया था जो पहले से ही डी.एल.पी. के अधीन थे, जिसके परिणामस्वरूप संवेदक को ₹92.72 लाख का परिहार्य भुगतान करना पड़ा।

3.2.3.9 आपातकालीन कार्य के तहत अनियमित भुगतान

आपातकालीन कार्य के तहत चहारदीवारी खंभा, साइन बोर्ड, पथ मार्किंग इत्यादि के लिए कार्य किए गए और उचित जल निकासी न होने के कारण क्षतिग्रस्त पथ की मरम्मत की गई।

संविदा के अनुसार, आपातकालीन कार्यों की पथ पर उन नुकसानों को ठीक करने के लिए रचना की गयी थी जो कि अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाओं के कारण हुए थे। पथ प्रमंडल किशनगंज और पथ प्रमंडल, बक्सर के अभिलेखों की जाँच में उद्घाटित हुआ कि स्क्रू पाइल पुल की मरम्मत, चहारदीवारी खंभे का निर्माण, साइन बोर्ड, उचित जल निकासी प्रणाली की कमी के कारण क्षतिग्रस्त हुई। पथ की मरम्मत आदि जैसे कार्य आपातकालीन कार्यों के तहत निष्पादित किए गए थे जो एम.बी.डी. के अनुभाग पाँच भाग जी-1 के तहत प्रावधानों, जिसमें कार्य की प्रकृति को आपातकालीन कार्यों के रूप में निर्धारित किया गया है, का उल्लंघन थे। इस प्रकार कार्य के दो नमूना-जांचित पैकेजों के तहत ₹86.28 लाख का अनियमित भुगतान हुआ (*परिशिष्ट-3.12*)।

विभाग ने उत्तर दिया (अक्टूबर 2019) कि ओ.पी.आर.एम.सी. संविदा की मूल्य अनुसूची 5 अनंतिम राशि है जिसमें आपातकालीन कार्यों के साथ-साथ आकस्मिक कार्य भी शामिल हैं। अनुच्छेद ए 12, प्रस्तावना के अनुच्छेद 9, जीसी 60, 61 और 62 में विहित है कि अनंतिम राशि के तहत आकस्मिक कार्यों का भी भुगतान किया जाना है। अतः स्वीकृत सभी कार्य या तो आकस्मिक या आपातकालीन प्रावधान के अधीन हैं।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि आपातकालीन कार्य के तहत क्रियान्वित कार्य के प्रकार संविदा के सेक्शन पाँच भाग जी 1 के अन्तर्गत निर्धारित आपातकालीन कार्य के अंतर्गत अप्रत्याशित प्राकृतिक घटनाओं की श्रेणियों के अन्तर्गत नहीं थे।

3.2.4 निष्कर्ष

पथ परिसंपत्तियों के अनुरक्षण और मरम्मत के लिए बिहार पथ आस्तियाँ अनुरक्षण नीति 2013 ने इनपुट आधारित संविदा की वर्तमान प्रणाली के स्थान पर ओ.पी.आर.एम.सी. प्रणाली को अपनाया। संवीक्षा से ज्ञात हुआ है कि आई.आर. और पी.एम. कार्यों के संबंध में निष्पादित होने वाले कार्यमद और उनके निष्पादन का समय अनुबंध में नियोक्ता (पथ निर्माण विभाग) द्वारा इंगित किया गया था। यह इंगित करता है कि इनपुट आधारित संविदाओं के अन्तर्गत पथों के अनुरक्षण के लिए पुरानी प्रणाली अभी भी निष्पादन-आधारित अनुबंधों (ओ.पी.आर.एम.सी.) के अन्तर्गत जारी है।

पथ प्रमंडल, बक्सर और शाहाबाद पथ प्रमंडल, आरा के तहत सेवा-स्तर के परीक्षण की प्रतिवेदन में उद्घाटित हुआ कि सेवा स्तर के संबंध में आई.आर.आई. मान के निष्कर्ष पथों के कुछ हिस्सों में अनुमान्य स्तर (3500 आई.आर.आई.) से अधिक थे, जिससे पथ उपयोगकर्ताओं के लिए पथ के वांछित सेवा स्तर के प्राप्ति नहीं होने का संकेत मिलता है।

अनियमित/अधिक भुगतान के मामले पाए गए थे। नमूना-जाँच किए गए प्रमंडलों के अधीन 13 पैकेजों में तकनीकी स्वीकृति प्राप्त किए बिना ₹424.67 करोड़ मूल्य के कार्यों को शुरू किया गया था। पथ प्रमंडल, मधुबनी में तीन पैकेजों के तहत पथ मार्किंग कार्य पर ₹3.57 करोड़ का अधिक भुगतान किया गया और पथ प्रमंडल, मोतिहारी और पथ प्रमंडल, सीतामढ़ी के तहत पी.एम. कार्य पर ₹99.05 लाख का अधिक भुगतान किया गया। चार नमूना जांचित प्रमंडलों में पी.एम. कार्य पर ₹3.38 करोड़ और दो नमूना-जांचित प्रमंडलों में आपातकालीन कार्य पर ₹86.28 लाख के अनियमित भुगतान के अतिरिक्त ₹92.72 लाख के परिहार्य भुगतान आई.आर. कार्यों के तहत चार नमूना-जांचित प्रमंडलों में उन पथों में किये गये थे जो पहले से ही डी.एल.पी. में थे।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग तथा ग्रामीण विकास विभाग

3.3 कपटपूर्ण निकासी

वित्तीय नियमों के अनुपालन की विफलता के कारण ₹ 2.89 करोड़ का गबन।

बिहार वित्तीय नियमावली, 2005 (बि.वि.नि.) का नियम 34 सह-पठित नियम 452 विहित करता है कि सरकारी धन के व्यय के लिए उत्तरदायी प्रत्येक पदाधिकारी को समस्त वित्तीय लेन-देनों का विवरणी सहित समुचित लेखा संधारण सुनिश्चित करना चाहिए। प्रत्येक सरकारी सेवक कपट अथवा कर्तव्य के प्रति लापरवाही के कारण सरकार को हुई हानि के लिए वैयक्तिक रूप से उत्तरदायी होंगे। आगे, वित्त विभाग का पत्र⁹⁵ सह-पठित बि.वि.नि. का नियम 475 यह विहित करता है कि प्रत्येक माह में एक बार बैंक विवरणी के साथ रोकड़ पंजी का मिलान किया जाना चाहिए।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, बिहार सरकार के अधीन जिला कल्याण पदाधिकारी (जि.क.पदा.) के अभिलेखों के नमूना-जाँच (दिसम्बर 2017 से मार्च 2018) ने उद्घाटित किया कि शिक्षा विभाग ने, छात्रवृत्तियों के वितरण के लिए समस्त संबंधित विभागों⁹⁶ के लिए एक सम्मिलित आदेश में, समस्त जिलों के जि.क.पदाधिकारियों को कोषागार से प्री-मैट्रिक, पोस्ट-मैट्रिक एवं मेधा छात्रवृत्ति की राशियों की निकासी कर छात्रों को वितरित किए जाने हेतु उनके संबंधित विद्यालयों के बैंक खाते में चेक के माध्यम से हस्तांतरित करने का निर्देश दिया। जि.क. पदा., बाँका ने कोषागार से राशि आहरित कर उसे अपने कार्यालयीय बैंक खाता में रखा। वर्तमान निर्देशों के विपरीत, चेकों में लाभुक विद्यालयों के नाम एवं उनका बैंक खाता संख्या अंकित करने के बदले, जि.क.पदा., बाँका ने तत्कालीन रोकड़पाल, उसकी पत्नी एवं अन्य का नाम दर्ज किया। वैसे सभी चेक, जिनकी कुल राशि ₹1.43 करोड़ थी, जिला कल्याण पदाधिकारी, बाँका द्वारा हस्ताक्षरित थे तथा नवंबर 2012 से सितंबर 2013 की अवधि के बीच के थे। साथ ही, उक्त अवधि के दौरान बैंक विवरणियों से रोकड़-पंजियों का मिलान नहीं किया गया था जिसने कपट को सुगम किया।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित (फरवरी 2018) किए जाने पर, जि.क.पदा., बाँका ने बाँका पुलिस थाना में ₹1.43 करोड़ के सरकारी राशि के गबन के लिए प्राथमिकियाँ दर्ज करायी एवं गबन राशि की वसूली हेतु रोकड़पाल के विरुद्ध सर्टिफिकेट अभियोग⁹⁷ भी दर्ज कराया। इसके अलावा, जि.क.पदा., बाँका ने शाखा प्रबंधक भारतीय स्टेट बैंक, बाँका (मुख्य शाखा) से रोकड़पाल के तीन खातों एवं अन्य के दो खातों को जब्त करने का भी आग्रह किया। बैंक विवरणियों की संवीक्षा ने आगे उद्घाटित किया कि अधिकांश गबन राशि रोकड़पाल के उन दो खातों में स्थानांतरित किए गए थे जिनके जब्त किए जाने हेतु जि.क.पदा. द्वारा आग्रह नहीं किया गया था।

जिलाधिकारी, बाँका ने लेखापरीक्षा आपत्ति के अनुसंधान के लिए एक त्रि-सदस्यीय समिति का भी गठन (फरवरी 2018) किया। समिति ने भी अपने प्रतिवेदन में (जून 2018)

⁹⁵ पत्रांक 7838 दिनांक 25.10.2018

⁹⁶ पत्रांक 782 दिनांक 18.12.2012, जो संबंधित है (i) पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, (ii) अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग, (iii) अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, बिहार सरकार।

⁹⁷ जि.क.पदा. बाँका के पत्रांक 148 दिनांक 21.03.2018

लेखापरीक्षा निष्कर्षों का समर्थन किया एवं तत्कालीन रोकड़पाल एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों को कपटपूर्ण निकासियों में उनकी संदिग्ध संलिप्तता हेतु दोषी ठहराया।

इस प्रकार, संबंधित विद्यालयों के माध्यम से आर्हता प्राप्त बच्चों को वितरित की जाने वाली ₹1.43 करोड़ की छात्रवृत्ति राशि को गैर-कानूनी तरीके से तत्कालीन रोकड़पाल एवं अन्य व्यक्तियों के खातों में विपथित कर, गबन कर लिया गया।

रोकड़पाल के व्यक्तिगत खाते की बैंक विवरणियों की लेखापरीक्षा द्वारा अग्रेतर संवीक्षा एवं भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, चांदन द्वारा अनुवर्ती लेखा परीक्षा (सितंबर-अक्टूबर 2018) के दौरान प्रदत्त सूचनाओं से उजागर हुआ कि प्रखंड विकास पदाधिकारी, चांदन द्वारा ₹1.46 करोड़ के विभिन्न चेक भी उसी रोकड़पाल के प्रति जारी किए गए थे एवं उसके व्यक्तिगत खाते में जमा किए गए थे जो प्र. वि. पदा. चांदन के कार्यकाल जनवरी 2009 से अक्टूबर 2012 तथा अक्टूबर 2013 से नवंबर 2017 के दौरान के थे। ज्ञातव्य है कि इनमें से ₹0.40 करोड़ के कीमत के आठ चेकों पर प्र.वि.पदा. ने चेक के पृष्ठ भाग पर राशि के नकदीकरण हेतु रोकड़पाल का हस्ताक्षर अभिप्रमाणित किया था, परंतु रोकड़पाल के आग्रह पर बैंक ने उसके व्यक्तिगत खाते में राशि को जमा कर दिया। इस प्रकार, बैंक कर्मियों की मिली-भगत से इंकार नहीं किया जा सकता है। साथ ही, कपट की अवधि के दौरान बैंक विवरणियों से रोकड़ पंजी का भी मिलान नहीं किया गया था।

इंगित किए जाने पर, प्र.वि.पदा. चांदन ने लेखा परीक्षा प्रेक्षकों को स्वीकार किया और बताया (अक्टूबर 2018) कि रोकड़पाल के नाम से धारक चेकों को जारी किया गया था परन्तु उसने कपटपूर्ण तरीके से अपने व्यक्तिगत खाते में राशि को जमा करा दिया। यह गबन लम्बे समय से किया जाता रहा था। उन्होंने आगे बताया कि गबन का पता चलने के बाद एक प्राथमिकी दर्ज की गयी थी एवं एक सर्टिफिकेट केस भी आरम्भ किया गया था।

इस प्रकार, जि.क.पदा., बाँका एवं प्र.वि.पदा. चान्दन द्वारा अनुश्रवण के अभाव, असावधानी एवं चेकों पर राशि व नाम की जाँच करने एवं बैंक के साथ प्रति जाँच किए जाने में विफलता के कारण रोकड़पाल एवं अन्यो के वैयक्तिक खातों में राशि का हस्तांतरण सुगम हुआ जिसके कारण ₹2.89 करोड़⁹⁸ की राशि का गबन हुआ।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2018)। स्मार पत्रों (जनवरी एवं अगस्त 2019) के बावजूद उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

समाज कल्याण विभाग

3.4 सरकार को हानि

स्वीप खाता को बचत खाता में परिवर्तित करने संबंधी महिला विकास निगम के अविवेकपूर्ण निर्णय के कारण सरकार को ₹5.15 करोड़ की हानि हुई।

कन्या भ्रूणहत्या को रोकने, लिंग अनुपात में सुधार लाने एवं बाल-कन्या के जन्म को प्रोत्साहित करने हेतु बिहार सरकार ने एक महत्वाकांक्षी योजना यथा “मुख्यमंत्री कन्या

⁹⁸ जि.क.पदा. बाँका: ₹ 1.43 करोड़, प्र.वि.पदा. चांदन – ₹ 1.46 करोड़

सुरक्षा योजना" (मु.क.सु.यो.) को आरंभ (जून 2008) किया। योजना⁹⁹ का लाभ गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में 0-3 वर्षों के आयुवर्ग की दो कन्या प्रति परिवार को देय था। मंत्रिमंडल अनुमोदन (जून 2014) के पश्चात समाज कल्याण विभाग (स.क.वि.) के माध्यम से राज्य सरकार, महिला विकास निगम (म.वि.नि.) एवं दो बैंकों (यूको बैंक तथा आई.डी.बी.आई. बैंक) के मध्य एक त्रि-पक्षीय 'मेमोरैंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग'¹⁰⁰ (एम.ओ.यू.) हस्ताक्षरित (सितंबर 2014) किया गया जिसके द्वारा म.वि.नि. को इन बैंकों में स्वीप खाता खोलना था और इसमें स.क.वि. द्वारा प्राप्त राशि को हस्तांतरित करना था।

मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना से संबंधित महिला विकास निगम के अभिलेखों के नमूना जाँच (सितंबर 2018) ने उजागर किया कि विभाग ने इस योजना के लिए महिला विकास निगम को ₹132 करोड़ स्वीकृत (सितंबर 2014) तथा ₹90 करोड़ विमुक्त (सितंबर 2014) किया था। इसमें से ₹84.06 करोड़¹⁰¹ यूको बैंक एवं आई.डी.बी.आई. बैंक को हस्तांतरित (दिसंबर 2014) किए गए और ₹5.94 करोड़ बैंक ऑफ इंडिया के बचत खाते में रख लिए गए। आगे यह भी पाया गया कि एम.ओ.यू. के प्रावधानों के विपरीत प्रबंध निदेशक, म.वि.नि. ने बैंक प्रतिनिधियों से विचारोपरांत 15 जनवरी 2015 तक राशि का 75 प्रतिशत बैंकों के स्वीप खातों¹⁰² में एवं 25 प्रतिशत बचत खाता में रखने एवं तत्पश्चात समस्त राशि को बचत खातों में रखे जाने का निर्णय (दिसंबर 2014) लिया। इसे सचिव, स.क.वि. की अध्यक्षता में हुई बैठक की कार्यवाही द्वारा समाज कल्याण विभाग के संज्ञान (फरवरी 2015) में लाया गया। बाद में पाया गया कि दोनों बैंकों से ₹64.08 करोड़¹⁰³ की निकासी (मार्च 2016) कर बैंक ऑफ इंडिया, पटना के बचत खाता में जमा कर दिया गया था जबकि महिला विकास निगम द्वारा बैंक ऑफ इंडिया से इस उद्देश्य हेतु कोई एम.ओ.यू. प्रतिपादित नहीं किया गया था।

परिणामस्वरूप म.वि.नि. 15 जनवरी 2015 तक 25 प्रतिशत राशि पर मात्र 4 प्रतिशत की वार्षिक दर से ब्याज अर्जित किया। तत्पश्चात समस्त राशि पर 4 प्रतिशत¹⁰⁴ की दर से ब्याज अर्जित किया गया। इसके परिणामस्वरूप म.वि.नि. एवं सरकार को ₹5.15 करोड़ (परिशिष्ट-3.13) की हानि हुई।

इंगित किए जाने पर विभाग ने म.वि.नि. के जबाब को अग्रसारित (मार्च 2019) कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि बैंकों को स्वीप सुविधा द्वारा कार्य करने में व्यवहारिक बाधाएँ थी, क्योंकि उन्हें प्रत्येक बार पटना के नोडल ब्रांच (शीर्ष शाखा) से उन शाखाओं में निधियों को हस्तांतरित करना पड़ता था जहाँ से लाभुकों को बॉन्ड जारी किए जाने थे। बैंकों के दिए गए सुझावों के बाद स्वीप खाते से बचत खाते में परिवर्तित करने का अनुमोदन दिया गया था।

⁹⁹ इस योजना के तहत बिहार सरकार को अपने शीर्ष क्रियान्वयन एजेन्सी महिला विकास निगम (म.वि.नि.) के माध्यम से प्रति बाल कन्या ₹2000 का अंशदान देना था जिसे यूको एवं आईडीबीआई बैंकों में सुनिश्चित जमा खाते में निवेश करना था।

¹⁰⁰ यूको बैंक के साथ 22 सितम्बर 2014 में तथा आईडीबीआई बैंक के साथ 26 सितम्बर 2014 में।

¹⁰¹ बैंक ऑफ इंडिया में रखे गए खाते में से ₹47.94 करोड़ आई.डी.बी.आई. बैंक में तथा ₹36.12 करोड़ यूको बैंक में।

¹⁰² स्वीप खाते अधिक ब्याज 4 से 8 प्रतिशत दर का प्रदान करते हैं जबकि बचत खाते 3 से 4 प्रतिशत का ही ब्याज प्रदान करते हैं।

¹⁰³ आई.डी.बी.आई. बैंक: ₹38.10 करोड़ (16 मार्च 2016) तथा यूको बैंक: ₹25.98 करोड़ (16 मार्च 2016)

¹⁰⁴ 30 नवम्बर 2017 से 24 मार्च 2018 तक आई.डी.बी.आई. बैंक एवं 4 नवम्बर 2017 से 11 अप्रैल 2017 तक यूको बैंक से 3.5 प्रतिशत दर की अवधि छोड़कर।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि राशि के स्थानान्तरण के तरीकों को त्रिपक्षीय समझौता करते समय ही विमर्श किया जाना चाहिए था। आगे, म.वि.नि. ने बैंकों से ब्याज हानि की क्षतिपूर्ति करने को कहा (फरवरी 2019) और बताया कि स्वीप खाते उपबंध को अच्छे अभिप्रेत हेतु रद्द किया गया था परंतु बैंकों ने शुद्ध वाणिज्यिक उद्देश्यों पर कार्य किया जिसके परिणामस्वरूप सरकार को ब्याज की हानि हुई।

इस प्रकार स्वीप खाते से बचत खाते में परिवर्तित करने के म.वि.नि. के अविवेकपूर्ण फैसले के परिणामस्वरूप सरकार को ₹5.15 करोड़ की हानि हुई।

जल संसाधन विभाग

3.5 संवेदक को अधिक भुगतान

रेल मार्ग के स्थान पर सड़क मार्ग से लीड की अनियमित स्वीकृति दिये जाने कारण ₹ 12.04 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

जल संसाधन विभाग, बिहार सरकार (ज.सं.वि.) के दरों की अनुसूची¹⁰⁵ में विहित है कि वैसे स्थान जहाँ रेल मार्ग से सामग्रियों की ढुलाई संभव हो, वहाँ सड़क एवं रेल मार्ग से दर की तुलना के बाद, दोनों में जो कम हो, उसे प्रयोग किया जाना चाहिए।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.), बाढ़ नियंत्रण प्रमंडल, गोपालगंज के अभिलेखों की जाँच (दिसम्बर 2017) में प्रकट हुआ कि पतहरा-छड़की के 0.00 कि.मी. से 4.90 कि.मी. के बीच और विष्णुपुर-छड़की के 0.00 किमी से 4.60 कि.मी. के बीच कटाव निरोधक कार्य एवं गोपालगंज-बेतिया पुल के खंभा संख्या 13-15 और 17-18 के बीच मौजूदा पायलट चैनल सहित नदी ट्रेनिंग कार्य हेतु ज0स0वि0 द्वारा ₹69.33 करोड़ का प्रशासनिक अनुमोदन (फरवरी 2017) प्रदान किया गया। कार्य की तकनीकी स्वीकृति ₹69.33 करोड़ की दी गयी जिसे बाद में संशोधित कर ₹62.39 करोड़¹⁰⁶ किया गया।

प्राक्कलन¹⁰⁷ (मार्च 2017) में बोल्टर ढुलाई की दर का प्रावधान रेल मार्ग से किया गया था। का. आ. ने दस ग्रुपों के कार्य हेतु निविदा आमन्त्रित (मार्च 2017) किया। निविदा का निष्पादन (मार्च 2017) विभागीय निविदा समिति ने किया और एजेंसियों के साथ कुल ₹22.07 करोड़ लागत के चार अनुबंध किए (अप्रैल 2017)। कार्य की आकस्मिकता के कारण अतिरिक्त निष्पादित अनिवार्य कार्य को नियमित करने हेतु का.अ. ने संबंधित एजेंसियों के साथ मूल अनुबंधों के संगत ₹37.72 करोड़ का पुरक अनुबंध (नवम्बर 2017) किया।

अभियंता-प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निःसरण/(बा.नि. एवं ज.नि.) ने मुख्य अभियंता, बा.नि. एवं ज.नि., गोपालगंज को निदेशित किया (13 अप्रैल, 2017) कि रेल रैक की अनुपलब्धता के मद्देनजर बोल्टर की ढुलाई सड़क मार्ग से की जा सकती है। लेखापरीक्षा ने देखा कि वाणिज्यिक मंडल प्रबंधक, इलाहाबाद ने का.अ. को चुनार से मीरगंज तक रेल रैक की उपलब्धता संपुष्ट किया (24 अप्रैल 2017) था और का.अ. ने तत्संबंधित जानकारी मुख्य अभियंता एवं अधीक्षण अभियंता, बा.नि. एवं ज.नि., गोपालगंज को दिया (25 अप्रैल,

¹⁰⁵ 18 अक्टूबर 2016 से प्रभावी

¹⁰⁶ अनुसूची दर से 10 प्रतिशत एवं आकस्मिक शुल्क घटाने के बाद

¹⁰⁷ दर विश्लेषण में परिमाण विपन्न और प्राक्कलन के अनुसार- खदान से रेल यार्ड चुनार सड़क से, रेल यार्ड चुनार से हथुआ (मीरगंज) रेल से और हथुआ से कार्य स्थल सड़क द्वारा

2017) था। यद्यपि, मुख्य अभियंता ने का.अ. और अधीक्षण अभियंता को सड़क मार्ग से बोल्टर डुलाई का निर्देश दिया (29 अप्रैल 2017) और सड़क मार्ग से बोल्टर डुलाई हेतु लीड प्लान को अनुमोदित (2 जून 2017) किया।

अग्रेतर जाँच में प्रकट हुआ कि मापी पुस्त के अनुसार इन चार अनुबंधों में ₹41.94 करोड़¹⁰⁸ का कार्य पूर्ण (जुलाई 2017) किया गया। इन चार कार्यों में 38496.71 घन मीटर बोल्टर बिछाने और रखने का कार्य सम्मिलित था। संवेदकों द्वारा सड़क मार्ग से 391 कि.मी. का दावा किया गया, जिसके लिए एजेंसी कों प्राक्कलन में अनुसूचित दर से प्रावधानित 306 कि.मी. (रेल एवं सड़क सहित) के लिए ₹9.05 करोड़ की जगह ₹21.09 करोड़ दिया गया। इस प्रकार संवेदकों को ₹ 12.04 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान किया गया (परिशिष्ट-3.14)।

विभाग ने उत्तर दिया (फरवरी 2019) कि कटाव-निरोधी कार्य में बोल्टर की अत्यधिक मात्रा लगभग 76000 घनमीटर की आवश्यकता होती है। का.अ. ने रेलवे से बोल्टर डुलाई हेतु रेल रैक उपलब्ध कराने के संबंध में पूछा था और रेलवे ने बताया कि लगभग 35 रैक बोल्टर डुलाई हेतु उपलब्ध हैं। आगामी बाढ़ के पूर्व कार्य पूर्ण करने की अनिवार्यता को देखते हुए यह निश्चय किया गया कि सड़क मार्ग से यथाशीघ्र बोल्टर लाया जाए। इसलिए मु.अ., ज.स.वि., गोपालगंज के अनुरोध पर राज्य तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा विनिर्देशों में परिवर्तन किया गया। परिणामतः, यह निश्चय किया गया कि केवल 42000 घन मीटर बोल्टर का उपयोग किया जाए तथा शेष कार्य को पी.पी. रोप गैवियन में भरे हुए जियो बैग का उपयोग कर किया जाए।

विभाग का जवाब तर्कसंगत नहीं है क्योंकि कार्य के विनिर्देशों में परिवर्तन के पश्चात केवल 42000 घनमीटर (लगभग) बोल्टर आवश्यक था। 35 रैक द्वारा 49119 घन मीटर¹⁰⁹ (लगभग) बोल्टर लाया जा सकता था जो आवश्यक मात्रा से अधिक था। इस प्रकार, अनियमित रूप से बोल्टर डुलाई हेतु लीड प्लान रेल मार्ग के स्थान पर सड़क मार्ग से स्वीकृति दिये जाने कारण ₹12.04 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग

3.6 निष्फल व्यय

संबंधित भवन प्रमंडलों द्वारा पूर्ण किए गए छात्रावास भवनों को अधिकार में लेने के प्रति जिला कल्याण पदाधिकारियों द्वारा लापरवाही के कारण उनके निर्माण पर व्यय तथा बाद में छात्रावास भवनों के नवीकरण पर व्यय की गई कुल ₹ 3.47 करोड़ की राशि निष्फल हुई।

बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता (बि.लो.नि.वि.संहिता) का नियम 187 यह विहित करता है कि अन्य विभागों के लिए किए जा रहे कार्यों को उसकी संस्वीकृति एवं अनुमोदनानुसार कार्य पूर्ण किए जाने पर स्थानीय विभागाध्यक्ष को कार्यपालक अभियंता (का.अभि.) द्वारा

¹⁰⁸ कार्य पूर्ण किया गया लेकिन अनुबंध को बंद नहीं किया गया (जून-2018)

¹⁰⁹ रेल मंत्रालय, भारत सरकार के परिपत्र (फरवरी-2009) के अनुसार एक वैगन न्यूनतम 65 एम.टी. बोल्टर ढो सकता है। एक रैक में न्यूनतम 38 वैगन होता है। इसलिए 35 रैक में $38 \times 65 \times 35$ अर्थात् 86450 एम.टी. या 49119 घनमीटर (01 घनमीटर = 1.76 एम. टी) डुलाई किया जा सकता है।

लिखित रूप से इस आशय की सूचना दी जाएगी। वैसी औपचारिक अधिसूचना को उस विभाग को कार्य हस्तांतरण करना समझा जाएगा जिसके लिए उसे पूर्ण किया गया था।

पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, बिहार सरकार (पि.व. एवं अ.पि.व.) के अभिलेखों के नमूना जाँच (अप्रैल 2017) में उद्घाटित हुआ कि कल्याण विभाग ने 14 नामांकित¹¹⁰ जगहों पर अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व.) के लिए 100 शय्या वाले छात्रावास के निर्माण के लिए ₹16 करोड़ (₹1.15 करोड़ की दर से) का प्रशासनिक अनुमोदन¹¹¹ दिया। राशि को वर्ष 2003-04 के दौरान कल्याण विभाग द्वारा विमुक्त किया गया था।

जिला कल्याण पदाधिकारी, बाँका के अभिलेखों (मार्च 2018) एवं जिला कल्याण पदाधिकारियों आरा, बेगूसराय और तत्संबंधित भवन निर्माण प्रमण्डलों (भ.नि.प्र.) से संग्रहित अनुवर्ती सूचनाओं (मई 2018) में की नमूना जाँच में उद्घाटित हुआ कि इन तीन जिलों में कार्य का अनुबंध¹¹² मूल्य ₹2.99 करोड़¹¹³ था। संबंधित (भ.नि.प्र.) द्वारा विभिन्न अभिकरणों¹¹⁴ को कार्य आवंटित किए गए। आरा, बाँका और बेगूसराय के लिए कार्य के शुरुआत की निर्धारित तिथियां क्रमानुसार फरवरी 2007, दिसम्बर 2005 और नवम्बर 2005 थी। छात्रावासों को भवन निर्माण प्रमण्डल द्वारा बनाया जाना था और कार्य के प्रारंभ से 18 महीनों के भीतर पूरा किया जाना था। आरा, बाँका और बेगूसराय छात्रावासों का निर्माण क्रमानुसार अक्टूबर 2009, फरवरी 2009 और जनवरी 2007 में पूरा किया गया और कुल ₹2.82 करोड़¹¹⁵ तीन छात्रावास भवनों पर व्यय किया गया।

संबंधित जि.क.प. (आरा, बाँका और बेगूसराय) ने भ.नि.प्र. के संबंधित कार्यपालक अभियंताओं (का.अ.) द्वारा विधिवत सूचना दिए जाने (2007 से 2014) के बावजूद भवनों को अधिकार में नहीं लिया। यह उल्लेखनीय है कि बि.वि.वि. के प्रावधानों के अनुसार, संबंधित जि.क.प. को का.अ., भ.नि.प्र. द्वारा कार्य के सम्पादन की सूचना को भवन के सौंपने के रूप में समझा गया। तथापि संबंधित जि.क.प. ने छात्रावास भवन को औपचारिक रूप से अधिकार में नहीं लिया और उसे इच्छित उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल नहीं किया। सभी तीन छात्रावास भवन क्षतिग्रस्त थे जो भ.नी.वि. को कल्याण विभाग के पत्र से पुष्टि किया गया (अगस्त 2015)।

कल्याण विभाग के निर्देशों के आलोक में (अगस्त 2015) संबंधित जिलों के जि.क.प. और का.अ., भ.नि.प्र. ने संयुक्त भौतिक सत्यापन¹¹⁶ किया और सूचित भी किया कि सभी तीन भवन क्षतिग्रस्त थे।

¹¹⁰ (1) मुजफ्फरपुर (2) पूर्वी चम्पारण (3) पश्चिम चम्पारण (4) सारण (5) बेगूसराय (6) मधेपुरा (7) भोजपुर (8) बाँका (9) नवादा (10) लखीसराय (11) जमुई (12) शेखपुरा (13) कटिहार (14) जहानाबाद

¹¹¹ पत्र संख्या 50 दिनांक 30.03.2004

¹¹² आरा (नवम्बर 2006), बाँका (फरवरी 2006), (अक्टूबर 2008) और बेगूसराय (दिसम्बर 2005)

¹¹³ ₹0.99 करोड़ (आरा), + ₹1.02 करोड़ (बाँका), + ₹0.98 करोड़ (बेगूसराय)

¹¹⁴ (i) आरा में मेसर्स सी. के कंस्ट्रक्शन एण्ड कम्पनी (ii) बाँका में श्री राजेन्द्र प्रसाद यादव तथा (iii) बेगूसराय में मेसर्स सुरेन्द्र प्रसाद सिंह

¹¹⁵ आरा - ₹0.92 करोड़, बाँका - ₹0.93 करोड़ तथा बेगूसराय - ₹0.97 करोड़

¹¹⁶ आरा (जून 2016), बाँका (मई 2016) तथा बेगूसराय (दिसंबर 2016)

आगे, यह पाया गया कि ₹2.26 करोड़ को मई 2016 से दिसम्बर 2016 तक सभी तीन भवनों के नवीकरण के लिए विभाग द्वारा स्वीकृत¹¹⁷ किया गया। सचिव, कल्याण विभाग ने अपने प्रतिवेदन (नवम्बर 2017) में उल्लेख किया कि नवीकरण कार्य को अंजाम देने के लिए आरा और बेगूसराय के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर नहीं किया गया था। उन्होंने कार्यों को एक सप्ताह के लिए अस्थायी रूप से बंद करने का आदेश दिया और कब्जा लेने/सौंपने की अपूर्ण प्रक्रिया के लिए जिम्मेदार अधिकारियों की पहचान करने का आदेश दिया। दिलचस्प रूप से बाँका छात्रावास के नवीकरण कार्य को ₹0.65 करोड़ (मार्च 2018) के व्यय के साथ अंजाम दिया गया। विभाग ने कहा (दिसम्बर 2019) कि उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों/कर्मचारियों की पहचान कर ली है और इस मामले में उनसे स्पष्टीकरण के लिए उनके पतों को प्रस्तुत करने लिए उनके वर्तमान कार्यालयों को कहा।

यह ध्यान देने योग्य है कि आरा में छात्रावास भवन को बिना किसी नवीकरण के जि.क.प. को सौंप दिया गया (जनवरी 2018)। यद्यपि, सभी तीन भवनों को अभी तक इस्तेमाल नहीं किया गया। साथ ही, अन्य दो भवनों को अधिकार में नहीं लेने के कारणों को अभी तक जि.क.प. द्वारा अभिलेख में दर्ज नहीं किया गया है।

इसलिए, संबंधित भ.नि.प्र. द्वारा पूर्णता प्रतिवेदन (2007 से 2009) के बाद भी पूर्ण छात्रावास भवन को कब्जा में लेने में संबंधित जि.क.प. द्वारा लापरवाही के कारण मूल निर्माण एवं छात्रावास भवनों के नवीकरण के लिए बाद में व्ययित राशि ₹3.47 करोड़¹¹⁸ निष्फल हुआ।

मामले को सरकार को सूचित किया गया (दिसम्बर 2018)। स्मार पत्रों (फरवरी और अगस्त 2019) के बावजूद जवाब अभी तक प्रतीक्षित है।

शिक्षा विभाग

3.7 आधार-सक्षम बाल अभिलेख डिजिटलीकरण पर निष्फल व्यय

शिक्षा विभाग द्वारा आधार सक्षम बाल अभिलेख डिजिटलीकरण के रोके जाने के निर्णय के कारण खर्च हुए ₹1.98 करोड़ निष्फल हुआ।

अपर सचिव (विद्यालय शिक्षा), मानव संसाधन विकास मंत्रालय (मा.स.वि.म.), प्रारम्भिक शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, भारत सरकार ने राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ हुई बैठक (जुलाई 2012) में शिक्षा के लिए एकीकृत जिला सूचना प्रणाली (यू-डाईस) के अन्तर्गत प्रत्येक बच्चे की जानकारी इकट्ठा करना प्रस्तावित किया एवं निर्देश दिया (अगस्त 2012) कि एक ऑफलाइन डाटा अभिग्रहण प्रारूप को परीक्षण के आधार पर इस्तेमाल किया जाएगा। प्रबंधन सूचना प्रणाली (प्र.सू.प्र.) इकाई, तकनीकी सहायता समूह, सर्व शिक्षा अभियान, भारत सरकार द्वारा कक्षा प्रथम से कक्षा आठ तक में नामांकित बच्चों के डेटा के डिजिटलीकरण हेतु एवं बाद के वर्षों में उन पर नजर रखने हेतु माइक्रोसॉफ्ट-एक्सेस में एक सॉफ्टवेयर प्रदान (अक्टूबर 2012) किया गया था। हालाँकि राज्यों को स्वयं युक्तिसंगत प्रारूप अपनाने की अनुमति प्रदान की गयी थी।

¹¹⁷ आरा (मार्च 2017)–₹0.70 करोड़, बाँका (मई 2017)–₹1.07 करोड़ तथा बेगूसराय (फरवरी 2017)–₹0.49 करोड़ = ₹2.26 करोड़

¹¹⁸ ₹2.82 करोड़ + ₹0.65 करोड़ = ₹3.47 करोड़

बिहार शिक्षा परियोजना परिषद (बि.शि.परि.प.) के अभिलेखों की संवीक्षा (अगस्त 2017) एवं सूचना संग्रहण (जनवरी 2019) से उजागर हुआ कि राज्य योजना निदेशक (रा.यो.नि.) बि.शि.परि.प. ने विद्यालय में नामांकित एवं विद्यालय से बाहर के बच्चों (ओ.ओ.एस.सी.) का 2012-13 के दौरान यू-डाईस के साथ माइक्रोसॉफ्ट-एक्सेल में आधार सक्षम बाल अभिलेख डिजिटलीकरण प्रारम्भ करने का निर्णय लिया था।

इस पहल के अन्तर्गत 2013-14 एवं 2014-15 में लक्षित बच्चों के क्रमशः 94 प्रतिशत¹¹⁹ एवं 74 प्रतिशत¹²⁰ डेटा का डिजिटलीकरण किया गया तथा इस पहल पर ₹1.98 करोड़ व्यय (मार्च 2018) हुआ। भारत सरकार के निर्देशानुसार बि.शि.परि.प. ने आधार सक्षम बाल अभिलेख को बंद कर राष्ट्रीय शैक्षिक योजना एवं प्रशासन विश्वविद्यालय (रा.यो.प.वि.) भारत सरकार के छात्र डेटा प्रबंधन सूचना प्रणाली (छा.डे.प्र.सू.प्र.) को नए सिरे से शुरू किया। छा.डे.प्र.सू.प्र. में डेटा प्रविष्टि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल टेम्पलेट में भी की गई थी। छा.डे.प्र.सू.प्र. पर इस हेतु ₹1.76 करोड़ की राशि का व्यय (मई 2018) हुआ जहाँ 11 अतिरिक्त क्षेत्र जिसमें कुछ क्षेत्र विशिष्ट वर्गों (IX से XII) तथा कुछ गैर अनिवार्य डेटा यथा बच्चे का बैंक खाता विवरण, ई-मेल आई.डी., मोबाईल नंबर आदि सम्मिलित थे। लेखापरीक्षा प्रेक्षण के अनुसार मौजूदा आधार-सक्षम डेटाबेस में इन आवश्यक डेटा को सम्मिलित किया जा सकता था। रा.यो.प.वि. ने भी आश्वस्त किया था (मई 2016) कि यदि उपलब्ध हों तो मौजूदा छात्र-वार डेटा को नए डेटाबेस में मैप एवं संकलित किया जाएगा। हालांकि बि.शि.परि.प. द्वारा सम्पूर्ण आधार सक्षम डेटाबेस को निरस्त कर मूल डेटा को नए सिरे से इकट्ठा करना चुना गया जिससे आधार सक्षम बाल अभिलेख पर ₹1.98 करोड़ का सम्पूर्ण व्यय निष्फल साबित हुआ।

इंगित किए जाने पर, विभाग ने उत्तर (अप्रैल, 2019) दिया कि डिजिटलीकरण एवं बच्चों की ट्रेकिंग का साफ्टवेयर रा.यो.प.वि. द्वारा प्रदान किया जाना था जो 2015-16 तक प्रदान नहीं किया जा सका एवं जिस एक्सेल टेम्पलेट में डेटा डिजिटलीकृत थे उसमें प्रत्येक बच्चे के लिए विशिष्ट आई.डी. बनाने का कोई अंतर्निर्मित तंत्र विद्यमान नहीं था। 2016-17 में छा.डे.प्र.सू.प्र. की शुरुआत होने तक एन.आई.सी. से सहायता भी प्राप्त नहीं थी। पूर्व से ही मौजूद, बच्चों की किसी विशिष्ट आई.डी. के अभाव में मौजूदा साफ्टवेयर में बच्चों के अभिलेखों को सम्मिलित कर इसे अद्यतन करना एक बहुत ही अधिक थकाऊ, समय लेने वाली एवं मंहगी प्रक्रिया होती। आगे यह कहा गया कि 2012-15 की अवधि में एकत्र किए गए आँकड़े, 2016-17 में छा.डे.प्र.सू.प्र. की शुरुआत के बाद, पूर्व के डिजिटलीकृत डेटा को अद्यतन एवं स्थानांतरित कर सकने वाले विशिष्ट तंत्र के अभाव में वैसे भी व्यर्थ ही था।

विभाग का उत्तर न्यायसंगत नहीं था क्योंकि बि.शि.परि.प. द्वारा अपनी कठिनाईयों से रा.यो.प.वि. को कभी अवगत नहीं कराया गया। हालांकि एन.आई.सी. से सहायता मांगी गई थी परन्तु इसका परिणाम फलदायक नहीं रहा। इसके अलावा छात्र-वार डी.सी. एफ. 2012-13 के अनुदेश नियमावली में यह अनुदेशित है कि छात्रों की क्रम संख्या तत्सम्बन्धित सभी प्रारूप पूर्ण करने के पश्चात ही लिखी जानी चाहिए जिससे यह सुनिश्चित होगा कि विद्यालय के प्रत्येक बच्चे को एक विशिष्ट आई.डी. प्रदान की गई है। हाँलाकि, आधार सक्षम बाल अभिलेख डिजिटलीकरण परियोजना होने के बावजूद,

¹¹⁹ 2012-13 में 1.93 करोड़ बच्चों में 1.81 करोड़ बच्चों के डेटा का डिजिटलीकरण किया गया।

¹²⁰ 2013-14 में 31.29 लाख बच्चों में 23.25 लाख बच्चों के डेटा का डिजिटलीकरण किया गया।

विभाग ने सम्पूर्ण डेटाबेस को आधार संख्या के आधार पर तैयार करना सुनिश्चित नहीं किया जो स्वयं में एक विशिष्ट आई.डी. नहीं बन पाई जिससे राज्य स्तर पर डेटा का संकलन नहीं हो पाया। यह मौजूदा डेटाबेस को फलदायक तरीके से उपयोग कर पाने में सरकार की असफलता को इंगित करता है।

इस प्रकार, विभाग के आधार-सक्षम बाल अभिलेख डिजिटलीकरण को रोकने के निर्णय तथा मौजूदा डेटा के स्थानांतरण नहीं हो पाने के कारण ₹1.98 करोड़ का निष्फल व्यय हुआ।

ऊर्जा विभाग

3.8 राजकीय कोष पर अतिरिक्त भार

बिहार नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) के द्वारा बिना परफॉरमेंस गारंटी प्राप्त किए अनुबंध निष्पादित करने की कार्रवाई एवं एजेंसी के विरुद्ध परफॉरमेंस गारंटी वसूली की दिशा में बिना किसी कानूनी कार्यवाही किए पुनः निविदा करने के कारण राजकीय कोष पर ₹5.93 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। पुनः, ब्रेडा ₹2.94 करोड़ की परफॉरमेंस गारंटी एजेंसी से वसूल नहीं सका।

बिहार वित्तीय (संशोधित) नियमावली, 2005 का नियम 131(पी) यह विहित करता है कि अनुबंध के उचित अनुपालन हेतु अनुबंधित मूल्य के पांच से दस प्रतिशत तक की राशि सफल निविदादाता से प्राप्त की जानी है। परफॉरमेंस सुरक्षा, खाता में देय डिमांड ड्राफ्ट के रूप में, वाणिज्यिक बैंको में जमा फिक्स्ड डिपॉजिट रसीदों, वाणिज्यिक बैंको द्वारा जारी बैंक गारंटी के रूप में दी जा सकती है जो खरीदारों के हितों की सुरक्षा के लिए स्वीकार्य रूप में होता है। आगे, धारा 3.6(i) अनुबंध की सामान्य शर्तों के अनुसार निविदादाता को अनुबंध की अधिसूचना जारी होने के चौदह दिनों के अंदर अपने दायित्वों के उचित निर्वहन हेतु परफॉरमेंस गारंटी के रूप में अनुबंध मूल्य के दस प्रतिशत के लगभग राशि स्वामी को देय होगी। धारा 3.6(iii) के अनुसार यदि संवेदक अनुबंध के अन्तर्गत अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है, तो अनुबंध के अन्तर्गत विभिन्न दायित्वों को पूरा करने में संवेदक की विफलता के परिणामस्वरूप हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के रूप में अनुबंधित परफॉरमेंस गारंटी/सिक्यूरिटी राशि, स्वामी के द्वारा आत्मसात कर ली जायेगी।

ऊर्जा विभाग, बिहार सरकार के अधीन बिहार नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी (ब्रेडा) के अभिलेखों के नमूना-जांच (जुलाई 2017) में पाया गया कि मुख्यमंत्री के नए एवं नवीकरणीय उर्जा योजना के अंतर्गत गैर-पारंपरिक उर्जा स्रोत परियोजना लागू करने के उद्देश्य से ब्रेडा के द्वारा बिहार राज्य के विभिन्न जिलों के समाहरणालयों, परिसदनों एवं चार प्रक्षेत्रों के सदर अस्पतालों (प्रत्येक प्रक्षेत्र में 20 स्थल) में 25 किलोवाट के पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु राष्ट्रीय स्तर पर निविदा आमंत्रित की गयी (जनवरी 2014)। निविदा दाताओं को उद्धृत मूल्य के अलावा अपने प्रक्षेत्र की प्राथमिकता प्रस्तुत करनी थी। निविदा मूल्यांकन समिति के द्वारा तकनीकी निविदा में छः में से पांच निविदा दाताओं को सफल घोषित किया गया (जनवरी 2014)। वित्तीय निविदा खोली गयी (फरवरी 2014) एवं कार्यादेश एल-1 निविदादाता मेसर्स एच.बी.एल. पावर सिस्टम लिमिटेड (एजेंसी) को जारी किया गया (मार्च

2014)। अनुबंध मूल्य ₹29.40¹²¹ करोड़ के दस प्रतिशत की राशि, ₹2.94 करोड़ को बिना परफॉरमेंस गारंटी प्राप्त किये ही एजेंसी से अनुबंध¹²² किया गया (अप्रैल 2014)।

अग्रेतर जांच में पाया गया कि एजेंसी के द्वारा अनुबंध के अन्तर्गत कोई भी काम नहीं किया गया। तदनुसार, ब्रेडा के द्वारा कार्यारंभ में देरी एवं परफॉरमेंस गारंटी नहीं जमा करने के संबंध में एजेंसी को नोटिस जारी किया गया (मई, जून एवं जुलाई 2014) परंतु एजेंसी के द्वारा कोई भी प्रतिक्रिया नहीं दी गयी। एजेंसी के साथ हुए अनुबंध¹²³ को रद्द करने के पूर्व ब्रेडा द्वारा पुनः निविदा आमंत्रित की गयी (जुलाई 2014) एवं कार्यादेश एक अन्य एजेंसी¹²⁴ को ₹35.33 करोड़¹²⁵ की लागत पर दिया गया जो कि पूर्व के अनुबंध मूल्य से ₹5.93 करोड़ अधिक था। अक्टूबर 2014 में ब्रेडा द्वारा मेसर्स एच. बी. एल. पावर सिस्टम से हुए अनुबंध को रद्द करने का आदेश दिया गया एवं अर्नेस्ट मनी डिपोजिट के रूप में जमा राशि ₹8.00 लाख को आत्मसात करते हुए एजेंसी को काली सूची में डाल दिया गया। पुनः ब्रेडा के द्वारा यह कहते हुए कि एजेंसी द्वारा काली सूची के तहत पर्याप्त समय बीता लिया गया है, एजेंसी के प्रतिबंध को रद्द कर दिया गया (अप्रैल 2017)।

इंगित किए जाने पर विभाग के द्वारा बताया गया (जनवरी 2019) कि एजेंसी ने अनुबंध के साथ परफॉरमेंस गारंटी जमा करने का आश्वासन दिया था। हालाँकि एजेंसी के द्वारा परफॉरमेंस गारंटी जमा नहीं किया गया। आगे यह भी कहा गया कि भविष्य के निविदाओं में अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित दायित्वों के निर्वहन में चूक हेतु दंडात्मक प्रावधानों को शामिल किया जायेगा।

उत्तर तर्कसंगत नहीं था क्योंकि अनुबंध के पूर्व परफॉरमेंस गारंटी की राशि को नहीं प्राप्त करना एवं दायित्वों के निर्वहन में हुई चूक हेतु एजेंसी के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई नहीं करना एजेंसी को बिना अपने दायित्वों के निर्वहन किए भागने का एक मार्ग प्रदान करता है। दंडात्मक प्रावधानों को शामिल करने का प्रश्न ही नहीं उठता है, जबकि अनुबंध के सामान्य नियमों में कानूनी कार्रवाई की शर्त पहले से मौजूद है।

इस प्रकार, बिहार नवीकरणीय उर्जा विकास एजेंसी के द्वारा बिना परफॉरमेंस गारंटी प्राप्ति के अनुबंध निष्पादित करने की कार्रवाई एवं एजेंसी के विरुद्ध परफॉरमेंस गारंटी पुनःप्राप्ति की दिशा में बिना किसी कानूनी कार्रवाई किए पुनः निविदा करने के कारण राजकीय कोष पर ₹5.93 करोड़ का अतिरिक्त वित्तीय भार पड़ा। पुनः, ब्रेडा के द्वारा ₹2.94 करोड़ की परफॉरमेंस गारंटी एजेंसी से वसूल नहीं की जा सकी।

¹²¹ ₹36.75 लाख प्रति यूनिट जिसमें पांच साल की अवधि तक व्यापक रख-रखाव शामिल था।

¹²² कार्यादेश के अनुसार, एजेंसी को जारी करने (1 मार्च 2014) के 14 दिनों के भीतर (14 मार्च 2014) परफॉरमेंस गारंटी जमा करना था। अनुबंध कार्यादेश निर्गत करने के 53 दिनों के बाद बिना किसी परफॉरमेंस गारंटी प्राप्त किए निष्पादित किए गये थे (22 अप्रैल 2014)।

¹²³ ब्रेडा ने अगस्त 2014 में निविदा रद्द करने का आदेश दिया एवं अक्टूबर 2014 में एजेंसी के साथ हुए अनुबंध को रद्द करने का आदेश दिया।

¹²⁴ चार एजेंसियों, प्रत्येक को 20 कार्यस्थल आवंटित किए गये थे।

¹²⁵ इसमें से, अंकेक्षण की तिथि तक ₹31.38 करोड़ का भुगतान किया गया था और अगले पांच सालों में प्लांट के रख रखाव पर अभी ₹3.95 करोड़ रुपये व्यय किए जाने थे।

नगर विकास एवं आवास विभाग

3.9 नगरपालिका राजस्व का दुर्विनियोजन

कार्यपालक पदाधिकारी के पर्यवेक्षण व नगर परिषद् के लेखाओं के मिलान में कमी तथा निकाय-राजस्व के कुप्रबन्धन के कारण ₹ 85.45 लाख का दुर्विनियोजन।

बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली (बि.न.ले.नि.), 2014 के नियम 22(1) में विहित प्रावधानों के अनुसार, सभी प्राप्त धनराशि को उसी दिन अथवा अगले कार्यदिवस में कोषागार या राष्ट्रीयकृत बैंक में अपराह्न के पूर्व जमा करना होगा। बि.न.ले.नि. के नियम 30(1) के अनुसार, रोकड़पाल दैनिक संग्रहण की सार-विवरणी तैयार करेगा व लेखापाल को समर्पित करेगा। आगे, बि.न.ले.नि., 2014 का नियम 29(5) यह प्रावधान करता है कि कार्यपालक पदाधिकारी सप्ताह में कम-से-कम एक बार संग्रहण सूची की जाँच करेगा ताकि स्वयं संतुष्ट हो सके कि वास्तव में सभी प्राप्त धनराशि बिना बिलंब के कोषागार/ बैंक में जमा कर लिया गया है। बि.न.ले.नि. के नियम 32(6) के अनुसार, यह लेखापाल का कर्तव्य होगा कि मासिक आधार पर बैंक विवरणी को प्राप्त करें व सुनिश्चित करें कि प्रेषित राशि को बैंक खाता में पूर्णतः जमा कर लिया गया है। बि.न.ले.नि. के नियम 33 में यह उल्लेखित है कि यदि निकाय को धनराशि के दुर्विनियोजन का पता चलता है तो कार्यपालक पदाधिकारी 24 घंटे के भीतर इस दुर्विनियोजन की सूचना सशक्त स्थायी समिति, निदेशक, स्थानीय निकाय एवं स्थानीय लेखापरीक्षक को प्रदान करेगा एवं सशक्त स्थायी समिति के अनुमति से एफ.आई.आर. दर्ज करेगा।

नगर परिषद् (न.प.) खगड़िया के 2014-15 से 2016-17 (21 जुलाई 2017 तक) के अवधि के दस्तावेजों/अभिलेखों¹²⁶ की संवीक्षा में यह पाया गया कि 27 अगस्त 2016 से 21 जुलाई 2017 तक की अवधि से संबंधित संपत्ति कर व अन्य मदों के अन्तर्गत आय-प्राप्तियों के रूप में विभिन्न राजस्व एवं गैर-राजस्व कर के रूप में प्राप्त ₹85.45 लाख की राशि को रोकड़पाल द्वारा विविध प्राप्तियों के अन्तर्गत नकदी¹²⁷ के रूप में संग्रहित किया गया एवं रोकड़-पंजी में इसकी प्रविष्टि की गई। इस राशि को नगर निकाय कोष में अक्टूबर 2018 तक जमा नहीं किया गया। रोकड़पाल के रूप में नियुक्त व्यक्ति 20 अप्रैल 2012 से प्रभार में था। न.प. के लेखापाल ने राशि प्राप्तियों की सार-विवरणी का बैंक विवरणी से लेखा-मिलान नहीं किया जिससे दुर्विनियोजन का पता नहीं लगाया जा सका। रोकड़पाल को प्राप्त हुई सभी धनराशि को नगर निकाय कोष में वास्तव में जमा कर लिया गया इसे सुनिश्चित करने हेतु कार्यपालक पदाधिकारी ने जरूरी जाँच¹²⁸ नहीं किया। हालाँकि, न.प. के कार्यपालक पदाधिकारी ने रोकड़पाल द्वारा रोकड़ बही में प्रविष्ट प्रत्येक प्राप्ति मद के विरुद्ध हस्ताक्षर ना कर रोकड़ बही के पृष्ठ के निचले स्थान पर हस्ताक्षर किया तथा रोकड़ बही के रिक्त कॉलम (कॉलम 29) के बारे में रोकड़पाल से व बैंक में रोकड़पाल द्वारा राशि के जमा होने के समर्थन में बैंक चालान संख्या के उल्लेख हेतु कोई छानबीन नहीं की। परिणामतः, राजस्व के नगर निकाय कोष में जमा

¹²⁶ विविध रसीद खाता, दैनिक संग्रहण पंजी, रोकड़पाल/लेखापाल रोकड़-बही, बैंक खाता इत्यादि।

¹²⁷ न.प. खगड़िया द्वारा करें व शुल्कों का ऑनलाईन संग्रहण की शुरुआत नहीं हुई थी। राज्य में, 141 में से 55 नगर निकायों में ही करें व शुल्कों के ऑनलाईन संग्रहण की शुरुआत हुई थी।

¹²⁸ संग्रहण सूची, संग्रहण पंजी एवं सभी सहायक प्रपत्रों व पंजियों के साथ रोकड़ बही।

न होने के मामले का पता नहीं लगाया जा सका जो उनकी ओर से पर्यवेक्षण में बरती गई शिथिलता एवं घोर लापरवाही को दर्शाता है।

लेखापरीक्षा द्वारा इस बिन्दु के उठाए जाने पर न.प. के कार्यपालक पदाधिकारी ने दिनांक 28 अगस्त 2017 को इस मामले की जानकारी विभाग को दी व विभाग ने संग्रहित राजस्व के दुर्विनियोजन के इस मामले की जाँच हेतु एक समिति का गठन (11 सितंबर 2017) किया गया। समिति के रिपोर्ट के आधार पर विभाग ने जिलाधिकारी, खगड़िया को तत्कालीन रोकड़पाल के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने का निर्देश दिया व बि.न. ले.नि. के अनुरूप अपने कर्तव्यों का निर्वहन नहीं किये जाने का स्पष्टीकरण तत्कालीन लेखापाल व पूर्व के कार्यपालक पदाधिकारियों से मांगा। आगे, जिलाधिकारी, खगड़िया के निर्देशानुसार, रोकड़पाल के खिलाफ एक एफ.आई.आर. दर्ज किया गया (25 अक्टूबर 2017) तथा न.प. ने तत्कालीन रोकड़पाल से दुर्विनियोजित राशि ₹85.45 लाख की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस दायर किया (दिसंबर 2017) जिसके लिए स्मार भी जारी (अगस्त 2018) किया गया। कार्यपालक पदाधिकारी, न.प., खगड़िया ने बताया (अप्रैल 2019) कि ₹5.66 लाख राशि का समायोजन तत्कालीन रोकड़पाल द्वारा यथासमर्पित अभिश्रवों से कर ली गई है।

इस तरह, रोकड़ बही में दर्ज प्राप्तियों का बैंक विवरणी के साथ लेखा-मिलान नहीं होने व कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा पर्यवेक्षण में बरती गई शिथिलता के परिणामस्वरूप ₹85.45 लाख राशि के नगरपालिका राजस्व का दुर्विनियोजन किया गया।

3.10 कपटपूर्ण भुगतान

एल.ई.डी. लाइट के क्रय हेतु वित्तीय बोली के मूल्यांकन के दौरान न्यूनतम दर वाले निविदाकार द्वारा दिये गए दर को नगर परिषद् अरवल द्वारा जान-बूझकर नहीं लिए जाने के परिणामस्वरूप ₹ 50.33 लाख राशि का अधिक व परिहार्य भुगतान।

बिहार वित्तीय नियमावली(बि.वि.नि.), 2005 के नियम 126 के अनुसार, प्रत्येक प्राधिकारी जिन्हें जनहित में सामान क्रय करने की वित्तीय शक्तियाँ प्रदत्त की गई हैं, की सार्वजनिक क्रय से संबंधित मामलों में दक्षता, मितव्ययिता एवं पारदर्शिता लाने व आपूर्तिकर्ताओं से निष्पक्ष व न्यायसंगत व्यवहार के साथ ही सार्वजनिक क्रय में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने का उत्तरदायित्व व जवाबदेही होगी। आगे, उपरोक्त नियमावली के नियम 131 आर. (xiv) के अनुसार संविदा सामान्य तौर पर न्यूनतम मूल्यांकित निविदाकार को ही प्रदान किया जाना चाहिए जिसकी बोली उचित पायी जाय तथा जो संविदा संबंधी दस्तावेज में विहित नियम व शर्तों के अनुरूप संविदा का संतोषप्रद तरीके से निष्पादन करने हेतु योग्य व कुशल हो।

नगर परिषद् (न.प.), अरवल के अभिलेखों की संवीक्षा (जनवरी 2017) में यह ज्ञात हुआ कि नगरपालिका वार्डों के मौजूद खंभों पर 45 वाट के एल.ई.डी. लाइट के अधिष्ठापन हेतु पेशा-कर, स्टॉप शुल्क एवं चतुर्थ राज्य वित्त आयोग मद के अन्तर्गत उपलब्ध निधि से न.प. के द्वारा एल.ई.डी. लाइट के क्रय हेतु निविदा आमंत्रित (अगस्त 2015) किया गया। न.प. के सशक्त स्थायी समिति (स.स्था.स.)¹²⁹ की बैठक (27 अगस्त 2015) में पाँच

¹²⁹ (1) अध्यक्ष-सह-मुख्य पार्षद (2) उप-मुख्य पार्षद (3) सशक्त स्थायी समिति के तीन सदस्य एवं (4) कार्यपालक पदाधिकारी, न.प. अरवल

फर्मों से प्राप्त तकनीकी बोलियों का मूल्यांकन किया गया तथा उनमें से तीन फर्मों को एल.ई.डी. लाईट की आपूर्ति हेतु तकनीकी रूप से उपयुक्त पाया गया। परन्तु, वित्तीय बोलियों के मूल्यांकन के दौरान (27 अगस्त 2015) उपर्युक्त तकनीकी रूप से तीनों सफल फर्मों¹³⁰ में से 10,850 प्रति एल.ई.डी. की न्यूनतम दर वाले फर्म का उल्लेख निविदा को अंतिम रूप प्रदान किए जाने के दौरान तुलनात्मक विवरणी में नहीं किया गया। तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी (का.प.) के द्वारा तुलनात्मक विवरणी एवं स.स्था.स. के उल्लेखित बैठक के कार्यवृत्त में यह दर्ज किया गया कि उक्त न्यूनतम निविदाकार के द्वारा वित्तीय संविदा संबंधी अभिलेखों में दर उद्धृत नहीं किया गया। जैसा कि न्यूनतम दर उद्धृत करने वाले निविदाकार के दर को छिपाया गया था, स.स्था.स. के द्वारा अन्य दो फर्म को उनके उद्धृत दरों¹³¹ पर आगे के मूल्य-संबंधी निर्धारण हेतु बुलाने का निर्णय लिया गया। परिणामस्वरूप, 20,000 प्रति एल.ई.डी. के तयशुदा दर पर निविदा द्वितीय न्यूनतम दर वाले फर्म¹³² को प्रदान किया गया साथ ही ₹1.10 करोड़¹³³ राशि का व्यय (फरवरी-मई 2016) कर 550 एल.ई.डी. लाईट का क्रय (जनवरी-मार्च 2016) किया गया। इस प्रकार, वित्तीय बोली के मूल्यांकन के दौरान न.प. के कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा कपटपूर्ण तरीके से न्यूनतम दर वाले निविदाकार के दर को छिपाकर एल.ई.डी. लाईट के क्रय पर ₹50.33 लाख¹³⁴ राशि का अतिरिक्त एवं परिहार्य भुगतान किया गया।

इस मामले को सरकार को प्रतिवेदित किया गया (जुलाई 2017) तथा विभाग द्वारा जवाब दिया गया (अक्टूबर 2017) कि संबंधित राशि की वसूली करने एवं मुख्य पार्षद, तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी व सभी संबंधित व्यक्तियों पर एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु जिलाधिकारी, अरवल को निर्देश (जुलाई 2017) दिया गया है। विभाग द्वारा आगे यह जवाब दिया गया (फरवरी 2019) कि बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 25(5) के तहत मुख्य पार्षद को उनके पद से हटाया जा चुका है।

इस तरह, स.स्था.स. के सदस्यों एवं न.प. के तत्कालीन कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा न्यूनतम निविदाकार के दर को जान-बूझकर तुलनात्मक विवरणी में दर्ज नहीं किए जाने के साथ ही संगत वित्तीय नियमों के पालन नहीं किये जाने एवं फर्मों से निष्पक्ष व न्यायसंगत व्यवहार करने में विफल रहने के कारण एल.ई.डी. लाईट के क्रय पर ₹50.33 लाख की राशि का कपटपूर्ण भुगतान हुआ।

¹³⁰ इलेक्ट्रॉन इन्फ्रासर्विस प्राइवेट लिमिटेड-₹10,850 प्रति इकाई; पैन्थर यूनिट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड-₹21,565 प्रति इकाई तथा माँ जगदम्बा कंस्ट्रक्शन-₹22,500 प्रति इकाई

¹³¹ पैन्थर यूनिट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड-₹21,565 प्रति इकाई तथा माँ जगदम्बा कंस्ट्रक्शन-₹22,500 प्रति इकाई

¹³² पैन्थर यूनिट इन्फ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड

¹³³ ₹20,000 X 550 = ₹1,10,00,000

¹³⁴ ₹(20,000-10,850) X 550 = ₹50,32,500

3.11 विद्युत शुल्क का अस्वीकार्य भुगतान

विद्युत शुल्क की छूट लेने में नगर निगमों के विफल रहने के फलस्वरूप ₹5.14 करोड़ राशि का अस्वीकार्य भुगतान।

बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम 1948 की धारा 3(2)(एफ) यह प्रावधान करता है कि अधिसूचना के द्वारा वैसे किसी उद्देश्य जिसे सार्वजनिक उद्देश्य घोषित किया गया हो, पर उपयोग हुए ऊर्जा की इकाईयों पर राज्य सरकार कोई शुल्क नहीं लगाएगी एवं इस तरह की छूट वैसी शर्तों व छूटों के अधीन होगी जैसा उक्त अधिसूचना में उल्लेख किया गया है, यदि ऐसा कोई है। परिणामस्वरूप, बिहार सरकार ने अधिसूचना जारी किया था जिसमें यह घोषित किया गया कि सार्वजनिक गलियों में रोशनी देने के प्रयोजनार्थ स्थानीय प्राधिकार द्वारा खपत किए गए ऊर्जा को सार्वजनिक उद्देश्य हेतु उपयोग किया गया माना जाएगा व इस तरह के उद्देश्यों को विद्युत शुल्क के भुगतान से मुक्त रखा जाएगा।

पाँच नगर निगमों¹³⁵ द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए विद्युत विपत्रों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (अप्रैल 2017–सितंबर 2018) में यह ज्ञात हुआ कि सभी लेखापरीक्षित नगर निगमों ने फरवरी 2013 से जुलाई 2018 की अवधि के दौरान उन विद्युत संयोजनों (स्ट्रीट लाईट सेवा श्रेणी के अन्तर्गत) जिनका उपयोग गलियों की रोशनी हेतु किया गया था, के निहितार्थ ऊर्जा विपत्रों का भुगतान विद्युत शुल्क को सम्मिलित करते हुए किया। लेखापरीक्षित नगर निगमों ने ₹5.14 करोड़¹³⁶ राशि की विद्युत शुल्क के छूट को ना प्राप्त कर मार्च 2014 से अगस्त 2018 के दौरान इसका भुगतान साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड व नार्थ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को किया। यद्यपि, राज्य स्तर पर पूर्वोक्त दोनों पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों ने वर्ष 2013–18 के दौरान एस.एस.-1 व एस.एस.-2 उपभोक्ता श्रेणी¹³⁷ के ₹9.84 करोड़ राशि का विद्युत शुल्क शहरी स्थानीय निकायों (श.स्था.नि.) को भारित किया।

लेखापरीक्षा के द्वारा इस बिन्दु को उठाए (जून-जुलाई 2017) जाने पर, नगर आयुक्त आरा, दरभंगा, कटिहार तथा पूर्णियाँ ने जवाब दिया (जून-जुलाई 2017) कि बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम व नियमावली में विहित प्रावधानों एवं राज्य सरकार के इस पर जारी अधिसूचना की जानकारी के अभाव के कारण ऊर्जा विपत्रों के भुगतान के समय विद्युत शुल्क की छूट नहीं ली जा सकी। नगर आयुक्तों द्वारा दिया गया जवाब स्वीकार्य नहीं है चूँकि स्थानीय प्राधिकार द्वारा सार्वजनिक गलियों में रोशनी देने के निहितार्थ उपभुक्त हुए ऊर्जा प्रभार पर विद्युत शुल्क की छूट के प्रावधान के बावजूद, नगर निगम विद्युत शुल्क की छूट लेने में विफल रहे। अधिनियम, नियमावली के विहित प्रावधानों व राज्य सरकार के अधिसूचना की अनभिज्ञता को अस्वीकार्य भुगतान हेतु न्यायोचित नहीं ठहराया जा सकता है।

आगे, नगर आयुक्त, पटना ने जवाब दिया (अप्रैल 2017) कि विद्युत शुल्क के समायोजन के संबंध में साउथ बिहार पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड के साथ पत्राचार किया जा रहा है। हालाँकि, भुगतान किये गए विद्युत शुल्क का समायोजन नगर निगम पटना द्वारा नहीं किया गया था (अप्रैल 2018)।

¹³⁵ आरा, दरभंगा, कटिहार, पटना एवं पूर्णियाँ

¹³⁶ आरा—₹3.10 लाख, दरभंगा—₹14.50 लाख, कटिहार— ₹75.97 लाख, पटना— ₹418.47 लाख एवं पूर्णियाँ — ₹1.53 लाख

¹³⁷ एस0एस0-1 व एस0एस0-2 स्ट्रीट लाईट विद्युत की उपभोक्ता श्रेणियाँ हैं।

लेखापरीक्षा अवलोकनों के अनुपालन में, नगर विकास एवं आवास विभाग, बि.स. ने बिहार विद्युत शुल्क संशोधन अधिनियम, 2002 की धारा 2 (एफ) के अन्तर्गत यह अधिसूचित किया (27 जून 2018) कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईट को सार्वजनिक उद्देश्य हेतु माना जाएगा। विभाग की कार्रवाई स्वीकार्य नहीं है चूँकि सरकार ने पहले ही यह अधिसूचित किया (1 अक्टूबर 1948) था कि नगरपालिका क्षेत्र के अन्तर्गत अधिष्ठापित स्ट्रीट लाईट को सार्वजनिक उद्देश्य हेतु माना जाएगा। स्ट्रीट लाईट में प्रयुक्त हुए विद्युत के निहितार्थ ऊर्जा प्रभार के भुगतान पर, पूर्व अधिसूचना के तिथि से विद्युत शुल्क की छूट लेने में विभाग विफल रहा।

इस तरह, पूर्वोक्त पाँचों लेखापरीक्षित नगर निगमों के साथ-साथ विभाग भी बिहार विद्युत शुल्क अधिनियम के सुसंगत प्रावधानों के अनुपालन में विफल रहा साथ ही स्ट्रीट लाईट हेतु उपभोग में लाए गए विद्युत के निहितार्थ ऊर्जा प्रभार के भुगतान पर विद्युत शुल्क की छूट लेने में विफल रहे व पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनियों को विद्युत शुल्क की वजह से ₹5.14 करोड़ का अस्वीकार्य भुगतान किया।

बिहार के 12 नगर निगमों, 45 नगर परिषदों एवं 85 नगर पंचायतों में से पाँच नगर निगमों का नमूना जाँच लेखापरीक्षा ने किया जिसमें विद्युत शुल्क पर ₹5.14 करोड़ राशि का अस्वीकार्य भुगतान पाया गया। अतएव, विभाग विद्युत शुल्क पर अन्य श.स्था.नि. द्वारा किए गए अस्वीकार्य भुगतान की जाँच कर सकती है।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (25 जुलाई 2017)। चार स्मार पत्रों (27 अक्टूबर 2017, 11 दिसंबर 2017, 6 अप्रैल 2018 एवं 17 जनवरी 2020) के बावजूद, उनका जवाब प्रतीक्षित है।

3.12 जान-बूझकर बरती गई लापरवाही के परिणाम स्वरूप कूड़ेदान के क्रय पर हानि

कूड़ेदान के क्रय में वित्तीय प्रावधानों का पालन न किये जाने एवं मूल्य संबंधी मोल-भाव में बरती गई अनियमितता के परिणामस्वरूप दो शहरी स्थानीय निकायों को ₹6.98 करोड़ की हानि।

बिहार वित्तीय नियमावली (बि.वि.नि.), 2005 के नियम 9 एवं 10 के अनुसार, सार्वजनिक धनराशि से व्यय करने वाले अथवा व्यय को प्राधिकृत करने वाले प्रत्येक सरकारी सेवक को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों द्वारा मार्गदर्शित होना चाहिए तथा वित्तीय अनुशासन व विशुद्ध मितव्ययिता को प्रवर्तित करने के साथ ही यह देखना चाहिए कि सभी संगत वित्तीय नियमों व विनियमों का पालन हो। आगे, नियम 126(1) यह अनुबंधित करता है कि क्रेता-संस्थाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्रय किए जाने वाले सामग्री की गुणवत्ता, प्रकार इत्यादि विशिष्ट विवरण के साथ ही परिमाण (संख्या/मात्रा) का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय व यह ध्यान रखा जाय कि आवश्यकता से अधिक मात्रा में क्रय करने से बचे जिससे कि रखरखाव के लागत से बचा जा सके।

नगर परिषद् (न.प.), सिवान (फरवरी 2018) व नगर निगम (न.नि.), बिहारशरीफ (दिसंबर 2017-जनवरी 2018) के अभिलेखों की संवीक्षा में यह ज्ञात हुआ कि दोनों शहरी स्थानीय निकायों ने अगस्त 2014 से अगस्त 2017 के बीच 6,760 कूड़ेदान (सिन्टेक्स GBRW 24-04) का क्रय किया।

न.नि., बिहारशरीफ में 1760 में से 800 कूड़ेदानों के क्रय हेतु सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन नहीं प्राप्त किया गया था। दोनों श.स्था.नि. हेतु प्रकाशित निविदा आमंत्रण सूचना में क्रय के निहितार्थ कूड़ेदानों की वांछित संख्या व विशिष्ट विवरण का उल्लेख

नहीं था। आगे, दोनों श.स्था.नि. ने निविदा आमंत्रण सूचना के विज्ञापन के पूर्व कूड़ेदानों की आवश्यकता का आकलन नहीं किया साथ ही कूड़ेदानों के अधिष्ठापन हेतु जगह का चयन नहीं कर सके थे। निविदा संबंधी दस्तावेजों को जमा करने हेतु निविदाकार को न्यूनतम तीन सप्ताह के वांछित समय के स्थान पर नौ दिनों से भी कम का समय प्रदान किया गया। आगे, अप्रैल 2019 को न.प. सिवान में क्रय किए गए कूड़ेदानों का दस प्रतिशत अप्रयुक्त पड़े मिले।

न.प., सिवान एवं न.नि., बिहारशरीफ के द्वारा क्रमशः ₹18,700 एवं ₹15,000 प्रति इकाई मूल्य निर्धारित किया गया था। दोनों श.स्था.नि. ने सिन्टेक्स निर्मित 6,760 कूड़ेदानों के क्रय पर अगस्त 2014 एवं अगस्त 2017 के बीच ₹11.99 करोड़¹³⁸ की राशि का व्यय किया।

अभिलेखों की संवीक्षा से यह ज्ञात हुआ कि श.स्था.नि. ने सामग्रियों के क्रय से जुड़े हुए मानदंडों का पालन नहीं किया। आगे, फर्म के द्वारा दिए गए दरों का विश्वसनीयता की जाँच भी उनके द्वारा नहीं की गई। लेखापरीक्षा ने कूड़ेदानों के सुविख्यात निर्माता सिन्टेक्स के अधिकृत वितरक से समान मॉडल के कूड़ेदान के दर को प्राप्त (दिसंबर 2017) किया। यद्यपि, समान मॉडल एवं मानक के कूड़ेदान जिनका अधिकतम खुदरा मूल्य ₹7,415 प्रति इकाई था, हेतु अधिकृत-वितरक ने ₹4,115 प्रति इकाई के दर की पेशकश की। अधिकृत वितरक ने यह भी प्रमाणित किया कि समान मॉडल के कूड़ेदान का वो अधिकतम खुदरा मूल्य सितंबर 2013 से ही लागू है। इसके अतिरिक्त, ₹7,415 प्रति इकाई के अधिकतम खुदरा मूल्य के विरुद्ध उसी मॉडल व मानक के कूड़ेदान की तयशुदा दर भारत सरकार द्वारा स्थापित सरकारी ई-बाजार में ₹4,620 प्रति इकाई (12 दिसंबर 2018) निदिष्ट थी। अतएव, न0प0 सिवान एवं न.नि. बिहारशरीफ ने प्रत्येक कूड़ेदान पर अधिकतम खुदरा मूल्य से ₹7,585 से ₹11,285 की ज्यादा राशि की दर पर कूड़ेदानों का क्रय किया। परिणामस्वरूप, श.स्था.नि. ने समान ब्रांड एवं मानक के कूड़ेदानों का क्रय अधिकतम खुदरा मूल्य के दोगुना से भी ज्यादा दर पर किया। इस प्रकार, क्रय से जुड़े हुए संगत वित्तीय नियमों के पालन करने व प्रचलित बाजार दर के अनुसार कूड़ेदानों के मूल्य की तर्कसंगतता को सुनिश्चित करने में दोनों श0स्था0नि0 के प्राधिकारियों की ओर से हुई विफलता के फलस्वरूप 6,760 कूड़ेदानों के क्रय में ₹6.98 करोड़ (परिशिष्ट-3.15) की हानि हुई।

न.प. सिवान ने यह जवाब दिया (फरवरी 2018) कि निविदा आमंत्रण के पश्चात न्यूनतम दर वाले निविदाकार से कूड़ेदानों का क्रय किया गया। इस प्रकार, कूड़ेदान के अधिकतम खुदरा मूल्य के तर्कसंगतता की जाँच/सत्यापन नहीं की गई। आगे यह बताया गया (अक्टूबर 2018) कि समयाभाव के कारण एक सप्ताह के अन्दर ही निविदा को अंतिम रूप दिया गया। नगर आयुक्त बिहारशरीफ ने यह जवाब दिया (जनवरी 2018) कि तत्कालीन नगर आयुक्त द्वारा कूड़ेदानों का क्रय क्रय-समिति द्वारा अनुमोदित दर पर किया गया था तथा निविदा व क्रय से संबंधित संगत नियमों का भविष्य में पालन किया जाएगा। दिए गए जवाब लेखापरीक्षा अवलोकनों की पुष्टि करते हैं। आगे, निविदा को एक सप्ताह के भीतर अंतिम रूप दिये जाने का कारण न.प. सिवान के संबंधित संचिकाओं में दर्ज नहीं था साथ ही न.प. के कार्यपालक पदाधिकारी समयाभाव के औचित्य को लेखापरीक्षा के समक्ष सिद्ध नहीं कर सके।

¹³⁸ न.प. सिवान- 5,000 @ ₹18,700 प्रति कूड़ादान (₹9.35 करोड़) 12 मार्च 2016 एवं 31 दिसंबर 2016 के बीच तथा न.नि. बिहारशरीफ 1,760 कूड़ादान ₹15,000 से ₹15,100 (₹2.64 करोड़) 29 अक्टूबर 2016 एवं 9 सितंबर 2017 के बीच।

इस तरह, दोनों शहरी स्थानीय निकायों द्वारा वित्तीय प्रावधानों का पालन न करने व कूड़ेदानों के क्रय के मोल-भाव में बरती गई अनियमितताओं के फलस्वरूप ₹6.98 करोड़ राशि की हानि हुई।

मामला सरकार को प्रतिवेदित किया गया (मार्च 2019)। स्मार पत्र (जनवरी 2020) के बावजूद उनका उत्तर प्रतीक्षित है।

(नीलोत्पल गोस्वामी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), बिहार
पटना

पटना

दिनांक : 29 जुलाई, 2020

प्रतिहस्ताक्षरित

(राजीव महर्षि)

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

नई दिल्ली

दिनांक : 31 जुलाई, 2020



परिशिष्ट-1.1
(संदर्भ: कंडिका-1.3.; पृष्ठ-2)
लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों / कंडिकाओं को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

वर्ष	सामान्य प्रक्षेत्र			सामाजिक प्रक्षेत्र			आर्थिक प्रक्षेत्र		
	नि. प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि	नि. प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि	नि. प्र. की सं.	कंडिकाओं की सं.	राशि
2008-09	125	424	202.34	458	2,965	3,569.04	338	1,889	2,463.75
2009-10	90	387	368.81	550	3,089	6,197.38	352	1,798	1,732.50
2010-11	85	314	553.46	484	2,542	7,445.63	261	1,283	4,877.26
2011-12	03	15	10.12	83	565	7,132.91	83	529	11,893.71
2012-13	51	388	3,015.79	441	2,680	31,793.65	98	690	6,368.24
2013-14	154	1,140	1,604.23	546	3,267	13,287.75	169	1,155	16,283.32
2014-15	149	781	5,507.39	529	3,500	11,830.10	223	1,413	24,891.96
2015-16	178	881	1,845.30	583	4,364	13,914.64	188	1,289	11,003.89
2016-17	228	1,356	7,404.22	556	5,253	26,069.72	211	1,426	20,188.53
2017-18	97	553	940.79	356	3,713	26,490.11	91	718	12,533.89
कुल	1,160	6,239	21,452.45	4,586	31,938	1,47,730.93	2,014	12,190	1,12,237.05

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: कंडिका-1.3; पृष्ठ-2)

निरीक्षण प्रतिवेदनों के लंबित कंडिकाओं में अनियमितताओं के विभिन्न प्रकार को दर्शाती विवरणी

वर्ष	नि.प्र. की संख्या	लेखापरीक्षा में पाए गए खोखलई / दुरुवियोजन / गबन / हानि	लेखापरीक्षा में पाए गए वसूली एवं अधिक भुगतान के मामले	संवित्तात्मक दृष्टिकोण का उल्लंघन एवं संवेदकों को अनदेखा करना	परिहार्य / अधिकांश व्यय	व्यय / निरर्थक व्यय	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना किए गए व्यय	एक योजना से दूसरे को ढ़ींसे से एक ढ़ींसे से दूसरे में निधियों का विचलन	निधियों के व्ययगत होने से बचने के लिए वित्तीय वर्ष के अंत में निधियों का एक साथ आहरण	सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन के बिना प्रतिबंध लगा दिए गए वसूली एवं विशेष प्रकृति की वसूली पर व्यय	निधियों के व्ययगत होने से बचने के लिए वास्तविक लक्ष्य से अधिक भंडार / सामग्रियों का क्रय	धन का निष्क्रिय निवेश / निष्क्रिय स्थानांतरण / निधियों का अवरोधन	निष्क्रिय कर्मचारियों को मजदूरी का भुगतान	उपकरणों की अधिखपन में देशी / विदेशी उपकरण और तत्संबंधी परिणाम	उद्देश्यों की तैर-उपलब्धि / निष्फल व्यय	विविध अवलोकन	कुल कंडिकाएँ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2008-09	921	119	330	108	85	317	39	222	3	4	12	326	17	5	215	3476	5278
2009-10	992	154	297	163	141	310	48	234	3	3	1	286	25	21	306	3282	5274
2010-11	830	57	315	66	84	214	19	164	1	6	16	242	19	17	244	2675	4139
2011-12	169	9	62	51	20	53	6	24	2	0	4	70	5	2	78	723	1109
2012-13	590	21	197	85	204	183	51	128	8	27	9	284	25	36	219	2281	3758
2013-14	869	102	213	145	231	284	43	119	13	73	13	434	32	39	319	3502	5562
2014-15	901	129	364	210	184	242	31	112	12	7	13	458	11	32	309	3580	5694
2015-16	949	57	271	203	316	392	106	205	25	11	61	532	17	22	444	3872	6524
2016-17	995	65	184	348	410	388	86	194	68	97	79	640	25	40	595	4816	8035
2017-18	544	39	110	338	151	292	33	34	50	11	8	748	19	10	333	2808	4984
कुल	7760	752	2343	1717	1826	2675	462	1436	185	239	216	4020	195	224	3062	31015	50367

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: कड़िका-1.5; पृष्ठ-4)

मार्च 2018 को समाप्त होने वाली लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए निष्पादन लेखापरीक्षा / विषयगत लेखापरीक्षा / दीर्घ कड़िका से संबंधित लेखापरीक्षा ज्ञापनों की स्थिति

क्र.सं.	नि.ले.प./ वि.ले.प.	निष्पादन लेखापरीक्षा / विषयगत लेखापरीक्षा का नाम	नि.ले.प./वि.ले.प. जिनका उत्तर विभाग से प्राप्त हुआ	लेखापरीक्षित इकाईयों की सं.	संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत नहीं करने वाले इकाईयों की सं.	जारी किए गए ज्ञापनों की सं.	ज्ञापनों की सं. जिनका पूरा उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं. जिनका आंशिक उत्तर प्राप्त हुआ	ज्ञापनों की सं. जिनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ
1	नि.ले.प.	बिहार में चिकित्सा शिक्षा	नहीं	34	22	298	185	17	96
2		दीर्घकालीन आउटपुट एवं प्रदर्शन -आधारित पथ आस्तियां अनुक्षण अनुबंध (ओ.पी.आर.एम. सी.) चरण-1 के तहत पथों का अनुक्षण	हाँ	07	00	13	12	00	01
3	अनु.ले.प.	स्थानीय निकायों द्वारा सिफारिशों का कार्यान्वयन और चौदहवें वित्त आयोग अनुदानों का उपयोग	पंचायती राज विभाग-हाँ शहरी विकास एवं आवास विभाग-नहीं	94	52	1229	977	34	218
		कुल		135	74	1540	1174	51	315

परिशिष्ट-1.4

(संदर्भ: कंडिका-1.8; पृष्ठ-5)

राज्य विधानमंडल में स्वायत्त निकायों की पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति दर्शाती विवरणी

क्रम सं.	स्वायत्त निकायों के नाम	लेखा परीक्षा सौंपे जाने की स्थिति	लेखा परीक्षा को लेखों का प्रस्तुतीकरण	लेखों का वर्ष	पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन का निर्गमन	विधान मंडल में पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों की प्रस्तुतीकरण की स्थिति	टिप्पणी
1	बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार, पटना	स्थायी	2015-16 और 2016-17	22.02.2018 और 15.10.2018	2015-16 22.06.2018	उपलब्ध नहीं	वर्ष 2016-17 से प्रमाणित वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं। बिहार राज्य विविध सेवा प्राधिकार का वर्ष 2016.17 के वार्षिक लेखा का लेखापरीक्षा किया जाना है।
2	बिहार राज्य आवास बोर्ड, पटना	2015-16 तक	2011-12	03/04/2014	2008-09 तक 27/08/2014	विधान मंडल में प्रस्तुत नहीं किया गया	वर्ष 2009-10 से वर्ष 2011-12 तक की अवधि के लिए पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को अंतिम रूप नहीं दिया गया है। वर्ष 2012-13 से प्रमाणित वार्षिक लेखे प्राप्त नहीं हुए हैं।
3	बिहार राज्य खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, पटना	2009-10	2009-10	12/09/13	2009-10 21/04/2014	2001-02 तक	वर्ष 2010-11 से धारा 19 (3) के तहत लेखापरीक्षा सौंपा नहीं गया था।
4	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर	2013-14	2012-13 2013-14	21/06/2016	2012-13 26/07/2017	2013-14 तक	वर्ष 2010-11 तक के लिए लेखापरीक्षा नवम्बर 2006 में सौंपा गया। लेखापरीक्षा सौंपने का कार्य मार्च 2016 में विस्तारित किया गया। हालांकि, सौंपे जाने की अवधि का उल्लेख पत्र में नहीं किया गया है और प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। विश्वविद्यालय को 7 अक्टूबर 2016 से डॉ राजेंद्र प्रसाद केन्द्रीय विश्वविद्यालय में परिवर्तित कर दिया गया है।
5	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर	2014-15	2013-14	13/07/2015	2012-13 28/10/2016	2013-14 तक	वर्ष 2015-16 से लेखापरीक्षा सौंपा नहीं गया है और प्राप्त करने की कोशिश की जा रही है। वित्तीय वर्ष 2014-15 के अनुमोदित वार्षिक लेखे को मांग की गई है, जो अभी तक अप्राप्त है।

स्रोत: इस कार्यालय के विभिन्न प्रक्षेत्रों से संकलित सूचना

परिशिष्ट- 2.1
(संदर्भ: कंडिका- 2.6; पृष्ठ-9)
निष्पादन लेखापरीक्षा हेतु चयनित इकाईयों की सूची

क्रम सं०	वर्ग/संकाय	संस्थान का नाम
1	एलोपैथ-चिकित्सा	दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा (डी.एम.सी. दरभंगा)
2	एलोपैथ-चिकित्सा	राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेतिया (जी.एम.सी. बेतिया)
3	एलोपैथ-चिकित्सा	इंदिरा गंधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना (आई.जी.आई.एम.एस. पटना)
4	एलोपैथ-चिकित्सा	नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना (एन.एम.सी. पटना)
5	एलोपैथ-चिकित्सा	पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना (पी.एम.सी. पटना)
6	एलोपैथ-दन्त (चिकित्सा)	पटना दंत महाविद्यालय, पटना (पी.डी.सी. पटना)
7	एलोपैथ-फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनल थेरापी (चिकित्सा)	बिहार कॉलेज ऑफ फिजियोथेरापी एवं अकुपेशनल थेरापी, पटना (बी.सी.पी.ओ. पटना)
8	आयुष- होमियोपैथी	राजकीय आर.बी.टी.एस. होमियोपैथिक मेडिकल कॉलेज, मुजफ्फरपुर (आर.बी.टी. एस. मुजफ्फरपुर)
9	आयुष- यूनानी	राजकीय तिब्बि महाविद्यालय, पटना (जी.टी.सी. पटना)
10	आयुष- आयुर्वेदिक	राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय, पटना (जी.ए.सी. पटना)
11	आयुष- आयुर्वेदिक	राजकीय अयोध्या शिवकुमारी आयुर्वेदिक महाविद्यालय, बेगूसराय (जी.ए.सी. बेगूसराय)
12	नर्सिंग- बी.एस.सी.(नर्सिंग) एवं जी.एन.एम.	कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई.जी.आई.एम.एस. पटना
13	नर्सिंग- जी.एन.एम.	जी.एन.एम. स्कूल डी.एम.सी.एच. दरभंगा (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच.)
14	नर्सिंग- जी.एन.एम.	जी.एन.एम. स्कूल एन.एम.सी.एच. पटना (जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच.)
15	नर्सिंग- जी.एन.एम.	जी.एन.एम. स्कूल पी.एम.सी.एच. पटना (जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच.)
16	नर्सिंग- ए.एन.एम.	ए.एन.एम. स्कूल, बेगूसराय
17	नर्सिंग- ए.एन.एम.	ए.एन.एम. स्कूल, भागलपुर
18	नर्सिंग- ए.एन.एम.	ए.एन.एम. स्कूल, बिहारशरीफ, नालंदा
19	नर्सिंग- ए.एन.एम.	ए.एन.एम. स्कूल, छपरा (सारण)
20	नर्सिंग- ए.एन.एम.	ए.एन.एम. स्कूल, गया
21	नर्सिंग- ए.एन.एम.	ए.एन.एम. स्कूल, समस्तीपुर
22	नर्सिंग- ए.एन.एम.	ए.एन.एम. स्कूल, सीतामढ़ी
23	नर्सिंग- ए0एन0एम0	ए0एन0एम0 स्कूल, सहरसा

परिशिष्ट-2.2

(संदर्भ: कंडिका-2.7.1.6; पृष्ठ-15)

सात निश्चय के तहत 126 संस्थानों के निर्माण की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्रम सं.	संस्थान का नाम	ए.ए./प्र.स्वी. राशि	कार्य आदेश की तिथि	भौतिक प्रगति 15.11.18 को (% में)	व्यय अगस्त 2018 तक
1.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, रोहतास	998.00	05.08.2017	100	838.63
2.	ए.एन.एम. स्कूल, जगदीशपुर	630.72	06.09.2017	100	192.43
	कुल	1628.72			1031.06
3.	जी.एन.एम. स्कूल, कटिहार	1335.38	26.04.2017	0	0
4.	जी.एन.एम. स्कूल, खगड़िया	1335.38	24.03.2017	57	646.83
5.	जी.एन.एम. स्कूल, मुंगेर	1335.38	24.03.2017	77	844.19
6.	जी.एन.एम. स्कूल, अररिया	1335.38	24.03.2017	10	0
7.	जी.एन.एम. स्कूल, महुली, जमुई	1335.38	12.02.2018	55	337.02
8.	जी.एन.एम. स्कूल, राजापाकड़, वैशाली	1335.38	25.09.2018	10	0
9.	जी.एन.एम. स्कूल, हथुआ, गोपालगंज	1335.38	01.02.2018	20	0
10.	जी.एन.एम. स्कूल, बुधौल, नवादा	1335.38	29.01.2018	20	104.97
11.	जी.एन.एम. स्कूल, अरवल	1335.38	28.02.2018	30	542.04
12.	जी.एन.एम. स्कूल, बरका कटरा, भभुआ	1335.38	04.05.2018	25	0
13.	जी.एन.एम. स्कूल, भोजपुर	1335.38	29.05.2018	15	0
14.	जी.एन.एम. स्कूल, सुखपुर, सुपौल	1335.38	29.05.2018	12	198.5
15.	जी.एन.एम. स्कूल, राघोपुर बलाथ, मधुबनी	1335.38	17.07.2018	15	0
16.	जी.एन.एम. स्कूल, महाराजगंज, सिवान	1335.38	08.05.2018	35	354
17.	जी.एन.एम. स्कूल, किशनगंज	1335.38	31.03.2018	0	0
18.	जी.एन.एम. स्कूल, पावापुरी, नालंदा	1335.38	28.04.2018	22	286.09
19.	ए.एन.एम. स्कूल, अररिया	630.72	24.03.2017	11	0
20.	ए.एन.एम. स्कूल, फारबिसगंज, अररिया	630.72	24.07.2017	98	229.82
21.	ए.एन.एम. स्कूल, उदा किशनगंज, मधेपुरा	630.72	05.05.2017	55	200.38
22.	ए.एन.एम. स्कूल, जयनगर, मधुबनी	630.72	28.06.2017	90	255.64
23.	ए.एन.एम. स्कूल, तारापुर, मुंगेर	630.72	16.06.2017	90	122.25
24.	ए.एन.एम. स्कूल, सिमरी बख्तियारपुर, सहरसा	630.72	14.07.2017	25	68.27
25.	ए.एन.एम. स्कूल, निर्मली, सुपौल	630.72	16.06.2017	32	86.22
26.	ए.एन.एम. स्कूल, बगहा, पश्चिम चम्पारण	630.72	17.05.2017	60	307.74
27.	ए.एन.एम. स्कूल, सोनपुर, सारण	630.72	20.07.2017	65	170
28.	ए.एन.एम. स्कूल, वीरपुर, सुपौल	630.72	20.07.2017	85	372.89
29.	ए.एन.एम. स्कूल, बिरौल, दरभंगा	630.72	02.11.2017	0	0
30.	ए.एन.एम. स्कूल, नीमचक बथानी, गया	630.72	04.01.2018	60	229.45
31.	ए.एन.एम. स्कूल, टेकारी, गया	630.72	07.11.2017	50	200.65

क्रम सं.	संस्थान का नाम	ए.ए./प्र.स्वी. राशि	कार्य आदेश की तिथि	भौतिक प्रगति 15.11.18 को (% में)	व्यय अगस्त 2018 तक
32.	ए.एन.एम. स्कूल, मनिहारी, कटिहार	630.72	21.09.2017	98	257
33.	ए.एन.एम. स्कूल, गोगरी, खगड़िया	630.72	12.01.2018	40	129
34.	ए.एन.एम. स्कूल, धमदाहा, पूर्णिया	630.72	18.08.2017	0	0
35.	ए.एन.एम. स्कूल, पटोरी, समस्तीपुर	630.72	09.10.2017	60	140.4
36.	ए.एन.एम. स्कूल, महनार, वैशाली	630.72	28.12.2017	17	65
37.	ए.एन.एम. स्कूल, पीरो, भोजपुर	630.72	10.07.2018	32	0
38.	ए.एन.एम. स्कूल, शेरघाटी, गया	630.72	02.11.2017	35	111.04
39.	ए.एन.एम. स्कूल, झंझारपुर, मधुबनी	630.72	07.11.2017	90	329.1
40.	ए.एन.एम. स्कूल, बनमंखी, पूर्णिया	630.72	29.01.2018	95	243.05
41.	ए.एन.एम. स्कूल, बिक्रमगंज, रोहतास	630.72	27.02.2018	60	117
42.	ए.एन.एम. स्कूल, खैरेल, सुपौल	630.72	22.10.2017	0	0
43.	ए.एन.एम. स्कूल, महुआ (सी.एच.सी. राजापाकड़), वैशाली	630.72	25.09.2018	10	0
44.	ए.एन.एम. स्कूल, नरकटियागंज, पश्चिम चम्पारण	630.72	07.11.2017	75	371
45.	ए.एन.एम. स्कूल, दलसिंहसराय, समस्तीपुर	630.72	09.10.2017	50	137.37
46.	ए.एन.एम. स्कूल, अरैराज, पूर्वी चम्पारण	630.72	02.12.2017	10	125.11
47.	ए.एन.एम. स्कूल, अरवल	630.72	28.02.2018	28	0
48.	ए.एन.एम. स्कूल, कहलगांव, भागलपुर	630.72	15.03.2018	50	114.03
49.	ए.एन.एम. स्कूल, बेनीपट्टी, मधुबनी	630.72	17/05/2018	22	0
50.	ए.एन.एम. स्कूल, फुलपरास, मधुबनी	630.72	28.04.2018	0	0
51.	ए.एन.एम. स्कूल, बेनीपुर, दरभंगा	630.72	17.05.2018	48	0
52.	ए.एन.एम. स्कूल, मनझौल, बेगुसराय	630.72	13.02.2018	0	0
53.	ए.एन.एम. स्कूल, बखरी, बेगुसराय	630.72	13.02.2018	2	0
54.	ए.एन.एम. स्कूल, बलिया, बेगुसराय	630.72	12.02.2018	18	0
55.	ए.एन.एम. स्कूल, सिकरहना, पूर्वी चम्पारण	630.72	01.02.2018	60	309.04
56.	ए.एन.एम. स्कूल, चकिया, पूर्वी चम्पारण	630.72	31.03.2018	16	67.19
57.	ए.एन.एम. स्कूल, रोसड़ा, समस्तीपुर	630.72	29.06.2018	18	0
58.	ए.एन.एम. स्कूल, पुपरी, सीतामढ़ी	630.72	17.05.2018	0	0
59.	ए.एन.एम. स्कूल, बैकुण्ठपुर, गोपालगंज.	630.72	15.03.2018	25	0
60.	ए.एन.एम. स्कूल, मधेपुरा	630.72	31.03.2018	10	0
61.	बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, (ए.एन.एम.सी.एच., गया)	2649.76	05.05.2017	58	669.21
62.	बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, डी.एम.सी.एच., दरभंगा	2649.76	31.03.2017	65	1052.29
63.	बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, जी.एम.सी., बेतिया	2649.76	10.07.2017	13	0

क्रम सं.	संस्थान का नाम	ए.ए./प्र.स्वी. राशि	कार्य आदेश की तिथि	भौतिक प्रगति 15.11.18 को (% में)	व्यय अगस्त 2018 तक
64.	बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, जी.एम.सी., पूर्णिया	2649.76	31.03.2017	28	274.23
65.	बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, जे.एल.एन.एम.सी. एच., भागलपुर	2649.76	31.03.2017	92	726.26
66.	बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, पी.एम.सी.एच., पटना	2649.76	18.08.2017	0	0
67.	बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, एस.के.एम.सी.एच., मुजफ्फरपुर	2649.76	31.03.2017	42	373.36
68.	बी.एससी. नर्सिंग कॉलेज, भी.आई.एम.एस., पावापुरी, नालंदा	2649.76	31.03.2017	95	1081.92
69.	पारा मेडिकल संस्थान, अररिया	998	24.03.2017	11	0
70.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल (पुराना परिसर), बांका	998	05.05.2017	93	550.26
71.	पारा मेडिकल संस्थान, एस.डी.एच. हथवा, गोपालगंज	998	31.03.2017	65	400
72.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, कटिहार	998	26.04.2017	0	0
73.	पारा मेडिकल संस्थान, पुराना अनुमंडलीय अस्पताल, खगड़िया	998	24.03.2017	57	0
74.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, मधुबनी	998	09.05.2017	0	0
75.	पारा मेडिकल संस्थान, लेप्रोसी अस्पताल, मुंगेर	998	24.03.2017	77	0
76.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, पूर्णिया	998	31.03.2017	28	0
77.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, सहरसा	998	31.03.2017	28	187.67
78.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, पश्चिम चम्पारण	998	10.07.2017	13	0
79.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, बक्सर	998	07.08.2017	85	457.52
80.	पारा मेडिकल संस्थान, महुली, जमुई	998	12.02.2018	55	0
81.	पारा मेडिकल संस्थान, राजापाकड़, वैशाली	998	25.09.2018	10	0
82.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, छपरा, सारण	998	04.05.2018	18	0
83.	पारा मेडिकल संस्थान, नुनगढ़, लखीसराय	998	12.09.2018	28	0
84.	पारा मेडिकल संस्थान, सुपौल	998	29.11.2018	0	0
85.	पारा मेडिकल संस्थान, बुढ़ौल, नवादा	998	29.01.2017	20	0
86.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, अरवल	998	28.02.2018	30	0
87.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, भोजपुर	998	29.05.2018	15	0

क्रम सं.	संस्थान का नाम	ए.ए./प्र.स्वी. राशि	कार्य आदेश की तिथि	भौतिक प्रगति 15.11.18 को (% में)	व्यय अगस्त 2018 तक
88.	पारा मेडिकल संस्थान, पावापुरी मेडिकल कॉलेज परिसर, नालंदा	998	28.04.2018	22	0
89.	पारा मेडिकल संस्थान, पटकोइकला, कोचाधमन, किशनगंज	998	31.03.2018	0	0
90.	पारा मेडिकल संस्थान, मधेपुरा	998	31.03.2018	8	0
91.	पारा मेडिकल संस्थान, अनुमंडलीय अस्पताल, महाराजगंज, सिवान	998	08.05.2018	30	0
92.	पारा मेडिकल संस्थान, सारंगपुर, भभुआ	998	26.10.2018	2	0
	कुल	93,006.40			13,845.00
93.	जी.एन.एम. स्कूल, अशोकधाम बलगुदार, लखीसराय	1335.38	कार्य आदेश जारी नहीं किया गया		
94.	जी.एन.एम. स्कूल, औरंगाबाद	1335.38			
95.	जी.एन.एम. स्कूल, ग्राम— मिर्जापुर, बेगूसराय	1335.38			
96.	जी.एन.एम. स्कूल, सीतामढ़ी	1335.38			
97.	जी.एन.एम. स्कूल, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण	1335.38			
98.	जी.एन.एम. स्कूल, शिवहर	1335.38			
99.	ए.एन.एम. स्कूल, मढ़ौरा, सारण	630.72			
100.	ए.एन.एम. स्कूल, पालीगंज, पटना	630.72			
101.	ए.एन.एम. स्कूल, पकड़ीदयाल, पूर्वी चम्पारण	630.72			
102.	ए.एन.एम. स्कूल, हवेली, खड़गपुर, मुंगेर	630.72			
103.	ए.एन.एम. स्कूल, नवगछिया, भागलपुर	630.72			
104.	ए.एन.एम. स्कूल, रक्सौल, पूर्वी चम्पारण	630.72			
105.	ए.एन.एम. स्कूल, बेलसंड, सीतामढ़ी	630.72			
106.	ए.एन.एम. स्कूल, बरसोई, कटिहार	630.72			
107.	ए.एन.एम. स्कूल, वयासी, पूर्णिया	630.72			
108.	ए.एन.एम. स्कूल, तेघरा, बेगूसराय	630.72			
109.	पारा मेडिकल संस्थान, ग्राम— जमुआवां (घोसी), जहानाबाद	998			
110.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, औरंगाबाद	998			
111.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, शिवहर	998			
112.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, पूर्वी चम्पारण	998			
113.	पारा मेडिकल संस्थान, सदर अस्पताल, सीतामढ़ी	998			
114.	पारा मेडिकल संस्थान, मखदुमपुर पी.एच.सी., शेखपुरा	998			

क्रम सं.	संस्थान का नाम	ए.ए./प्र.स्वी. राशि	कार्य आदेश की तिथि	भौतिक प्रगति 15. 11.18 को (% में)	व्यय अगस्त 2018 तक
115.	जी.एन.एम. स्कूल, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर	1335.38	निविदा आमंत्रित नहीं की गयी		
116.	ए.एन.एम. स्कूल, डुमरांव, बक्सर	630.72			
117.	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेगुसराय	2649.76			
118.	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, आरा, भोजपुर	2649.76			
119.	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, छपरा	2649.76			
120.	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधेपुरा	2649.76			
121.	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, मधुबनी	2649.76			
122.	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, महुआ, वैशाली	2649.76			
123.	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, समस्तीपुर	2649.76			
124.	बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज, राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय, बेगुसराय	2649.76			
125.	पारा मेडिकल संस्थान, शेरपुर, बेगुसराय	998			
126.	पारा मेडिकल संस्थान, समस्तीपुर	998			

नोट:- कटिहार, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, नवादा, नालंदा एवं सिवान में जी.एन.एम. और पारा मेडिकल के लिए संयुक्त भवन था, अररिया एवं अरवल में जी.एन.एम., ए.एन.एम. और पारा मेडिकल के लिए संयुक्त भवन था तथा पूर्णिया में बी.एस.सी. नर्सिंग और पारा मेडिकल के लिए संयुक्त भवन था, इसलिए जी.एन.एम. स्कूल/ बी.एस.सी. नर्सिंग कॉलेज के विरुद्ध संयुक्त व्यय दिखाया गया है।

परिशिष्ट-2.3
(संदर्भ: कड़िका-2.7.2.1; पृष्ठ-16)
केन्द्र प्रायोजित योजना के तहत स्नातकोत्तर सीटों की बढ़ोतरी

(राशि ₹ करोड़ में)										
क्रम सं.	विभाग	कॉलेज का नाम	बढ़ायी जाने वाली सीट (ओं)	बढ़ायी गयी सीट (सीटें)	कमी	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि			व्यय की गयी राशि
							केन्द्रांश	राज्यांश	ब्याज	
1	निश्चेतना (एनेस्थेसिया)	डी.एम.सी. दरभंगा	3	0	3	0.60	2.66	0.67	0.50	0.00
2	शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी)		4	0	4	0.09				0.00
3	जीव रसायन (बायो केमिस्ट्री)		1	0	1	0.00				0.00
4	सामुदायिक चिकित्सा		4	0	4	0.57				0.20
5	विधि चिकित्सा शास्त्र		2	0	2	0.65				0.12
6	सामान्य चिकित्सा		6	5	1	0.25				0.25
7	सामान्य सर्जरी		1	0	1	1.30				0.00
8	सूक्ष्म जीवविज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी)		1	0	1	0.55				0.49
9	स्त्री एवं प्रसव रोग		4	4	0	1.30				0.89
10	हड्डी रोग		2	2	0	0.72				0.20
11	शिशु रोग		4	2	2	0.86				0.50
12	फार्माकोलॉजी		2	0	2	0.00				0.00
13	मनोरोग		1	0	1	0.00				0.00
14	शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी)		2	0	2	0.20				0.00
15	रेडियोलॉजी		2	0	2	0.00				0.00
कुल जोड़ डी.एम.सी.			39	13	26	7.09	2.66	0.67	0.50	2.65

(राशि ₹ करोड़ में)

क्रम सं.	विभाग	कॉलेज का नाम	बढ़ायी जाने वाली सीट (ओं)	बढ़ायी गयी सीट (सीटें)	कमी	स्वीकृत राशि	उपलब्ध राशि		व्यय की गयी राशि	
							केन्द्रांश	राज्यांश		
1	निश्चेतना (एनेस्थेसिया)	एन.एम.सी. पटना	7	0	7	2.20	7.05	1.76	1.83	0.02
2	शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी)		4	0	4	0.43				0.02
3	नाक, कान एवं गला रोग		4	2	2	0.50				0.46
4	विधि चिकित्सा शास्त्र		1	0	1	0.07				0.00
5	सामान्य चिकित्सा		9	9	0	3.00				0.07
6	सामान्य सर्जरी		4	4	0	1.50				1.09
7	सूक्ष्म जीवविज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी)		3	0	3	0.32				0.00
8	स्त्री एवं प्रसव रोग		2	2	0	0.50				0.48
9	नेत्र विज्ञान		4	0	4	0.25				0.15
10	हड्डी रोग		4	4	0	1.02				0.67
11	शिशु रोग		4	4	0	2.14				0.14
12	विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी)		4	0	4	0.50				0.00
13	मनोरोग		1	0	1	0.00				0.00
14	रेडियोलॉजी		3	0	3	6.00				3.17
15	चर्म एवं रति रोग		3	1	2	0.06				0.16
16	टी.बी. एवं चेस्ट		1	0	1	0.30				0.00
कुल जोड़ एन.एम.सी.			58	26	32	18.79	7.05	1.76	1.83	6.43
1	शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी)	पी.एम.सी. पटना	2	0	2	0.75	1.00	0.25	0.24	0.34
2	सूक्ष्म जीवविज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी)		1	0	1	0.88				
3	शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी)		1	0	1	1.06				
कुल जोड़ पी.एम.सी.			4	0	4	2.69	1.00	0.25	0.24	0.34
कुल योग			101	39	62	28.57	10.71	2.68	2.57	9.42

परिशिष्ट-2.4

(संदर्भ: कंडिका-2.7.4; पृष्ठ-19)

वर्ष 2013-18 के दौरान उपयोग की गयी सीटों का कॉलेज-वार विवरण

स्नातक पाठ्यक्रम					
कॉलेज का नाम	स्वीकृत प्रवेश क्षमता	रिक्त सीटों की संख्या	बीच में कोर्स छोड़ने की संख्या	अनुपयोगी सीटों की कुल संख्या	उपयोग की गयी सीटों की कुल संख्या
पी.एम.सी. पटना	750	0	2	2	748
जी.एम.सी. बेतिया	500	38	17	55	445
आई.जी.आई.एम.एस. पटना	500	2	2	4	496
डी.एम.सी. दरभंगा	500	14	2	16	484
एन.एम.सी. पटना	500	10	1	11	489
ए.एन.एम.एम.सी. गया	500	10	2	12	488
एस.के.एम.सी. मुजफ्फरपुर	500	9	0	9	491
जे.एल.एन.एम.सी. भागलपुर	500	9	0	9	491
भी.आई.एम.एस. पावापुरी	500	15	0	15	485
बी.सी.पी.ओ. पटना	200	0	76	76	124
पी.डी.सी. पटना	160	15	77	92	68
कुल एलोपैथ (क)	5110	122	179	301	4809
जी.ए.सी. पटना	160	2	35	37	123
आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर	300	30	59	89	211
जी.टी.सी. पटना	200	29	5	34	166
कुल आयुष (ख)	660	61	99	160	500
कुल योग (क)+(ख)	5770	183	278	461	5309
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम					
पी.एम.सी. पटना	1103	65	290	355	748
आई.जी.आई.एम.एस. पटना	98	2	0	2	96
डी.एम.सी. दरभंगा	816	47	233	280	536
एन.एम.सी. पटना	239	42	41	83	156
ए.एन.एम.एम.सी. गया	24	4	4	8	16
एस.के.एम.सी. मुजफ्फरपुर	50	27	0	27	23
जे.एल.एन.एम.सी. भागलपुर	74	0	14	14	60
पी.डी.सी. पटना	10	0	0	0	10
कुल एलोपैथ (क)	2414	187	582	769	1645
जी.ए.सी. पटना	32	2	1	3	29
आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर	10	0	0	0	10
कुल आयुष (ख)	42	2	1	3	39
कुल योग (क)+(ख)	2456	189	583	772	1684

परिशिष्ट-2.5
(संदर्भ: कंडिका-2.8.1; पृष्ठ-20)
शिक्षण एवं गैर-शिक्षण कर्मियों के स्वीकृत बल एवं उपलब्धता

क्रम सं.	संस्थान का नाम	शिक्षण						गैर-शिक्षण					
		स्वीकृत बल	कार्यरत व्यक्ति			कमी (प्रतिशत में)	स्वीकृत बल	कार्यरत व्यक्ति			कमी (प्रतिशत में)		
			नियमित	संविदात्मक	कुल			नियमित	संविदात्मक	कुल			
1	पी.एम.सी. पटना	576	280	45	325	251	43.6	86	11	97	175	64.3	
2	एन.एम.सी. पटना	546	185	32	217	329	60.3	51	28	79	81	50.6	
3	डी.एम.सी. दरभंगा	507	198	16	214	293	57.8	72	22	94	91	49.2	
4	जी.एम.सी. बेतिया	235	11	165	176	59	25.1	2	30	32	124	79.5	
	कुल	1864	674	258	932	932	50	211	91	302	471	60.9	
5	बी.सी.पी.ओ. पटना	18	8	0	8	10	55.6	0	0	0	0	0	
6	पटना डेन्टल कॉलेज, पटना	50	4	43	47	3	6	31	30	61	44	41.9	
	कुल	68	12	43	55	13	19	31	30	61	44	41.9	
7	आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर	58	35	0	35	23	39.7	33	0	33	115	77.7	
8	जी.टी.सी. पटना	67	36	8	44	23	34.3	39	1	40	106	72.6	
9	जी.एस.सी. पटना	81	46	0	46	35	43.2	36	0	36	36	50	
10	जी.एस.सी. बेगुसराय	71	25	0	25	46	64.8	19	0	19	48	71.6	
	कुल	277	142	8	150	127	46	127	1	128	305	70.4	

क्रम सं.	संस्थान का नाम	शिक्षण						गैर-शिक्षण					
		स्वीकृत बल	कार्यरत व्यक्ति			कमी	कमी (प्रतिशत में)	स्वीकृत बल	कार्यरत व्यक्ति			कमी	कमी (प्रतिशत में)
			नियमित	संविदात्मक	कुल				नियमित	संविदात्मक	कुल		
11	कॉलेज ऑफ नर्सिंग, आई.जी. आई.एम.एस. पटना	41	19	0	19	22	53.7	29	4	6	10	19	65.5
12	जी.एन.एम., पी.एम.सी.एच., पटना	14	1	3	4	10	71.4	2	1	6	7	-5	-250
13	जी.एन.एम., डी.एम.सी.एच., दरभंगा	11	3	2	5	6	54.5	14	2	1	3	11	78.6
14	जी.एन.एम., एन.एम.सी.एच., पटना	14	3	7	10	4	28.6	10	3	25	28	-18	-180
15	ए.एन.एम. स्कूल, गया	7	2	1	3	4	57.1	16	17	0	17	-1	-6.25
16	ए.एन.एम. स्कूल, भागलपुर	2	0	2	2	0	0	3	4	1	5	-2	-66.7
17	ए.एन.एम. स्कूल, छपरा	4	2	1	3	1	25	9	11	1	12	-3	-33.3
18	ए.एन.एम. स्कूल, बेगुसराय	4	3	1	4	0	0	12	12	0	12	0	0
19	ए.एन.एम. स्कूल, बिहारशरीफ	8	0	4	4	4	50	9	6	1	7	2	22.2
20	ए.एन.एम. स्कूल, समस्तीपुर	8	1	2	3	5	62.5	8	7	1	8	0	0
21	ए.एन.एम. स्कूल, सीतामढ़ी	4	2	2	4	0	0	13	4	5	9	4	30.8
22	ए.एन.एम. स्कूल, सहरसा	4	1	1	2	2	50	14	5	5	10	4	28.6
	कुल	121	37	26	63	58	48	139	76	52	128	11	7.91
	कुल योग	2330	865	335	1200	1130	48	1450	445	174	619	831	57.3

परिशिष्ट-2.6

(संदर्भ: कंडिका-2.8.1.1; पृष्ठ-22)

नमूना-जाँचित मेडिकल कॉलेजों में शिक्षण समय (घंटे)

विभाग	कॉलेज का नाम	अपेक्षित शिक्षण समय (घंटे)	औसतन अपेक्षित शिक्षण समय (घंटे)	2013	2014	2015	कुल	औसत	प्रतिशत	कमी %
शरीर रचना विज्ञान-I (एनाटॉमी-I)	डी.एम.सी. दरभंगा	650		385	452	463	1300			
जैव रसायन-I (बायो केमिस्ट्री-I)	डी.एम.सी. दरभंगा	240		141	176	175	492			
विधि चिकित्सा शास्त्र	डी.एम.सी. दरभंगा	100		112	100	106	318			
सूक्ष्म जीवविज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी)	डी.एम.सी. दरभंगा	250		149	-	118	267			
विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी)	डी.एम.सी. दरभंगा	300		146	115	131	392			
फार्माकोलॉजी	डी.एम.सी. दरभंगा	300		161	144	143	448			
शरीर क्रिया विज्ञान-I (फिजियोलॉजी-I)	डी.एम.सी. दरभंगा	480		232	282	306	820			
	कुल	2320	331.43	1326	1269	1442	4037	201.85	60.90	39.10
शरीर रचना विज्ञान-I (एनाटॉमी-I)	जी.एम.सी. बेतिया	650		382	339	347	1068			
जैव रसायन-I (बायो केमिस्ट्री-I)	जी.एम.सी. बेतिया	240		-	126	116	242			
विधि चिकित्सा शास्त्र	जी.एम.सी. बेतिया	100		60	58	91	209			
सूक्ष्म जीवविज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी)	जी.एम.सी. बेतिया	250		150	118	156	424			
विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी)	जी.एम.सी. बेतिया	300		-	136	200	336			
फार्माकोलॉजी	जी.एम.सी. बेतिया	300		-	198	208	406			
शरीर क्रिया विज्ञान-I (फिजियोलॉजी-I)	जी.एम.सी. बेतिया	480		-	153	108	261			
	कुल	2320	331.43	592	1128	1226	2946	173.29	52.29	47.71
शरीर रचना विज्ञान-I (एनाटॉमी-I)	आई.जी.आई.एम. एस., पटना	650		537	484	611	1632			
जैव रसायन-I (बायो केमिस्ट्री-I)	आई.जी.आई.एम. एस., पटना	240		189	219	248	656			
विधि चिकित्सा शास्त्र	आई.जी.आई.एम. एस., पटना	100		106	94	83	283			
सूक्ष्म जीवविज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी)	आई.जी.आई.एम. एस., पटना	250		149	138	154	441			
विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी)	आई.जी.आई.एम. एस., पटना	300		254	256	272	782			
फार्माकोलॉजी	आई.जी.आई.एम. एस., पटना	300		252	229	279	760			
शरीर क्रिया विज्ञान-I (फिजियोलॉजी-I)	आई.जी.आई.एम. एस., पटना	480		256	318	246	820			
	कुल	2320	331.43	1743	1738	1893	5374	255.90	77.21	22.79

विभाग	कॉलेज का नाम	अपेक्षित शिक्षण समय (घंटे)	औसतन अपेक्षित शिक्षण समय (घंटे)	2013	2014	2015	कुल	औसत	प्रतिशत	कमी %
शरीर रचना विज्ञान-I (एनाटॉमी-I)	एन.एम.सी. पटना	650		451	388	-	839			
जीव रसायन-I (बायो केमिस्ट्री-I)	एन.एम.सी. पटना	240		173	192	201	566			
विधि चिकित्सा शास्त्र	एन.एम.सी. पटना	100		79	72	87	238			
सूक्ष्म जीवविज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी)	एन.एम.सी. पटना	250		181	182	247	610			
विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी)	एन.एम.सी. पटना	300		192	150	206	548			
फार्माकोलॉजी	एन.एम.सी. पटना	300		167	216	228	611			
शरीर क्रिया विज्ञान-I (फिजियोलॉजी-I)	एन.एम.सी. पटना	480		231	248	237	716			
कुल		2320	331.43	1474	1448	1206	4128	196.57	59.31	40.69
शरीर रचना विज्ञान-I (एनाटॉमी-I)	पी.एम.सी. पटना	650		340	343	460	1143			
जैव रसायन-I (बायो केमिस्ट्री-I)	पी.एम.सी. पटना	240		148	134	145	427			
विधि चिकित्सा शास्त्र	पी.एम.सी. पटना	100		65	99	79	243			
सूक्ष्म जीवविज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी)	पी.एम.सी. पटना	250		130	118	117	365			
विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी)	पी.एम.सी. पटना	300		178	169	186	533			
औषध विज्ञान (फार्माकोलॉजी)	पी.एम.सी. पटना	300		192	219	209	620			
शरीर क्रिया विज्ञान-I (फिजियोलॉजी-I)	पी.एम.सी. पटना	480		216	201	217	634			
कुल		2320	331.43	1269	1283	1413	3965	188.81	56.97	43.03

परिशिष्ट-2.7

(संदर्भ: कंडिका-2.8.2; पृष्ठ-23)

नमूना-जाँचित चिकित्सा संस्थानों में अपर्याप्त बुनियादी ढांचे का विवरण
क. चिकित्सा महाविद्यालय

क्रम सं.	चिकित्सा महाविद्यालय के न्यूनतम मानक आवश्यकता विनियम 1999 की धारा के अनुसार अवसंरचना	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	परिसर: (धारा ए.1.1): चिकित्सा महाविद्यालय को शिक्षण अस्पताल के पास एकल परिसर में रखा जाना चाहिए।	जी.एम.सी. बेतिया को एकात्मक परिसर में नहीं रखा गया था।
2	प्रशासनिक ब्लॉक: (धारा ए.1.2): एक प्रशासनिक ब्लॉक, महाविद्यालय परिषद का कमरा, कार्यालय अधीक्षक का कमरा, छात्र एवं छात्राओं के लिए अलग कॉमन कमरा संलग्न शौचालय के साथ, कैफेटेरिया इत्यादि आवास होना चाहिए।	डी.एम.सी. दरभंगा एवं जी.एम.सी. बेतिया में छात्रों एवं छात्राओं के लिए अलग कॉमन रूम सुविधाओं एवं कैफेटेरिया के साथ उपलब्ध नहीं थे। पी.एम.सी. पटना में कॉलेज परिषद का कमरा एवं कार्यालय अधीक्षक का कमरा उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त, डी.एम.सी. दरभंगा में कार्यालय अधीक्षक का कमरा भी उपलब्ध नहीं था।
3	व्याख्यान थियेटर: (धारा ए.1.5): ई-क्लास में रूपांतरण के लिए सुविधाओं के साथ अच्छी तरह से सुसज्जित व्याख्यान थियेटर होना चाहिए।	नमूना-जाँचित तीन मेडिकल कॉलेजों (डी.एम.सी. दरभंगा, एन.एम.सी. पटना एवं जी.एम.सी. बेतिया) में शिक्षण हेतु ई-क्लास/वर्चुअल क्लास में रूपांतरण के लिए कोई सुविधाएं नहीं थी।
4	पुस्तकालय: (धारा ए.1.4): कम से कम 200/300 के बैठने की व्यवस्था के साथ एक वातानुकूलित केन्द्रीय पुस्तकालय एवं क्रमशः 100/150 के प्रवेश के लिए 7000/110000 पुस्तकों की सुविधाएँ होनी चाहिए।	दो मेडिकल कॉलेजों (पी.एम.सी. पटना एवं डी.एम.सी. दरभंगा) में बैठने की क्षमता अपर्याप्त थी तथा यह कमी 25 से 56 प्रतिशत तक थी। जी.एम.सी. बेतिया में अपर्याप्त किताबें थी एवं कमी 79 प्रतिशत थी। इसके अतिरिक्त, डी.एम.सी. दरभंगा में नये पुस्तकालय में वातानुकूलन नहीं लगाया गया था, कंप्यूटर रूम में कुर्सी/टेबल/कंप्यूटर/नोड्स/अन्य फर्निचर/ वातानुकूलन इत्यादि नहीं थे। केन्द्रीय पुस्तकालय भवन के भीतर एक ई-लाइब्रेरी रूम था जिसमें कुछ भी नहीं था एवं चिकित्सा शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी के लिए कोई सुविधा नहीं थी।
5	प्रयोगशालाएँ: (धारा ए.1.19-ए.): छः प्रयोगशालाएँ (प्रत्येक 150 वर्गमीटर क्षेत्र) होनी चाहिए।	नमूना-जाँचित दो मेडिकल कॉलेजों (डी.एम.सी. दरभंगा एवं पी.एम.सी. पटना) में छः प्रयोगशालाओं का क्षेत्र मानकों से कम था।
	केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएँ: (धारा ए.1.19-बी)	नमूना-जाँचित तीन मेडिकल कॉलेजों (डी.एम.सी. दरभंगा, पी.एम.सी. पटना एवं जी.एम.सी. बेतिया) में कोई केन्द्रीय अनुसंधान प्रयोगशालाएँ नहीं थी।
	केन्द्रीय प्रयोगशालाएँ: (धारा बी.4.)	नमूना-जाँचित तीन मेडिकल कॉलेजों (डी.एम.सी. दरभंगा, एन.एम.सी. पटना एवं जी.एम.सी. बेतिया) में ऐसी कोई प्रयोगशालाएँ नहीं थी हालाँकि उनके पास विभाग स्तर पर अलग-अलग प्रयोगशालाएँ थी।
6	छात्रावास: (धारा बी.12.): कॉलेज में कुल दाखिले का कम से कम 75 प्रतिशत छात्रों हेतु छात्रावास का प्रावधान निश्चित समय पर होना चाहिए जो निर्दिष्ट सुविधाओं से सुसज्जित हो।	जी.एम.सी. बेतिया में खुद की छात्रावास की सुविधा नहीं थी जबकि दो जी.एम.सी. (डी.एम.सी. दरभंगा एवं पी.एम.सी. पटना) में मनोरंजन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। डी.एम.सी. दरभंगा में नवनिर्मित एक कन्या छात्रावास को छोड़कर, छात्रावासों की स्थिति बहुत खराब थी। आई.जी.आई.एम.एस. पटना में आगंतुक कक्ष, रोगी के लिए कमरा, मनोरंजन कक्ष, कपड़े धोने का कमरा और सामान रखने का कमरा छात्राओं के छात्रावास में उपलब्ध नहीं थे। चार से आठ छात्राएँ एक कमरे में रह रही थी।
7	केन्द्रीय रसोई: (धारा बी.7): केन्द्रीय रसोई होनी चाहिए जो विस्तृत, हवादार, धूप एवं साफ फर्श निकास प्रणाली के साथ हो।	तीन मेडिकल कॉलेजों (पी.एम.सी. पटना, डी.एम.सी. दरभंगा एवं एन.एम.सी. पटना) में ऐसी कोई केन्द्रीय रसोई नहीं थी।
8	केन्द्रीय कार्यशाला: (धारा ए.1.8): मरम्मत एवं रख-रखाव हेतु एक केन्द्रीय कार्यशाला होनी चाहिए	नमूना जाँचित तीन मेडिकल कॉलेजों (डी.एम.सी. दरभंगा, एन.एम.सी. पटना एवं पी.एम.सी. पटना) में ऐसी कोई केन्द्रीय कार्यशाला नहीं थी।

क्रम सं.	चिकित्सा महाविद्यालय के न्यूनतम मानक आवश्यकता विनियम 1999 की धारा के अनुसार अवसंरचना	लेखापरीक्षा टिप्पणी
9	डे केयर सेंटर: (धारा ए.1.22)	नमूना जॉंचित आई.जी.आई.एम.एस पटना को छोड़कर किसी भी मेडिकल कॉलेजों में डे केयर सेंटर नहीं था।
10	कर्मचारी आवास: (धारा बी.10.2): शिक्षित एवं गैर शिक्षित कर्मचारियों हेतु पर्याप्त संख्या में आवास होना चाहिए।	जी.एम.सी. बेतिया में ऐसी सुविधा उपलब्ध नहीं थी जबकि पी.एम.सी. पटना में आवास की संख्या पर्याप्त नहीं थी। हालांकि, डी.एम.सी. दरभंगा में निर्बाध जल आपूर्ति, बिजली आपूर्ति आदि जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएँ नहीं रखी गयी थी।
11	परीक्षा भवन: (धारा ए.1.6): 250 वर्गमीटर क्षेत्र में 250 की क्षमता वाली एक परीक्षा भवन होनी चाहिए।	डी.एम.सी. दरभंगा में एक गैर-कार्यात्मक परीक्षा भवन था।
12	इंटरकॉम नेटवर्क: (धारा ए.1.15): विभिन्न वर्गों, अस्पतालों एवं कॉलेजों के बीच पेजिंग एवं ब्लीप सिस्टम सहित इंटरकॉम नेटवर्क बेहतर सेवाओं, समन्वय और रोगी देखभाल के लिए उपलब्ध होना चाहिए।	डी.एम.सी. दरभंगा में इंटरकॉम नेटवर्क की सुविधा उपलब्ध नहीं थी।
13	बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अटेंडेंस मशीन: (धारा ए.1.23-ए): काउंसिल सभी मेडिकल कॉलेजों में फैंकल्टी के अटेंडेंस हेतु बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट अटेंडेंस मशीन लगायेगी।	डी.एम.सी. दरभंगा में स्थापित 25 मशीनों में से 16 कार्य नहीं कर रही थी।
14	सी.सी.टी.वी. कैमरा: (धारा ए.1.23-बी): प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में सीसीटीवी सिस्टम होगा और शिक्षण अस्पताल में कक्षा शिक्षण और रोगी देखभाल दोनों की लाइव स्ट्रीमिंग प्रदान करेगा।	डी.एम.सी. दरभंगा में सभी असुरक्षित स्थानों पर सी.सी.टी.वी. की सुविधा नहीं थी।
15	प्रदर्शन कक्ष: (धारा ए.2 (1)-बी): न्यूनतम मानक के अनुसार प्रदर्शन कक्ष होना चाहिए जिसमें कम से कम 50 से 60 छात्रों को समायोजित किया जा सके।	डी.एम.सी. दरभंगा में इस तरह के विनिर्देश के साथ कोई प्रदर्शन कक्ष उपलब्ध नहीं थी।

ख. डेन्टल कॉलेज

क्रम सं.	संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियमन 2007 के धारा के अनुसार अवसंरचना और एंटी-रैगिंग उपायों के लिए मानदंड	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	प्रशासनिक ब्लॉक: (धारा 1): कॉलेज में न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ एक प्रशासनिक ब्लॉक होना चाहिए।	प्रशासनिक ब्लॉक में प्रशासनिक अधिकारी का कमरा और पैट्री उपलब्ध नहीं थे।
2	व्याख्यान हॉल: (सामान्य सुविधाओं की धारा 3): कॉलेज में निर्दिष्ट न्यूनतम आवश्यक बुनियादी ढांचे के साथ चार व्याख्यान हॉल होना चाहिए।	कॉलेज में तीन क्लासरूम (75 प्रतिशत) उपलब्ध थे, जिनमें से दो क्लासरूम एसी, ऑडियो विजुअल सिस्टम आदि से लैस नहीं थे।
3	पुस्तकालय: (सामान्य सुविधाओं की धारा 2): कॉलेज में वांछित सुविधा के साथ एक पुस्तकालय होना चाहिए।	206 छात्रों के 50 प्रतिशत की न्यूनतम आवश्यक क्षमता के मुकाबल 34 (33 प्रतिशत) व्यक्तियों के बैठने की क्षमता थी। इसके अलावा कॉलेज में पुस्तकालय में आवश्यक सुविधाओं का अभाव था।
4	छात्रावास की सुविधा: (धारा 1): छात्रावास की सुविधा प्रदान की जानी चाहिए।	कॉलेज में खुद का आवास की सुविधा नहीं थी। वैकल्पिक व्यवस्था के बावजूद, कॉलेज अधिकांश छात्रों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करने में विफल रहा।
5	सभागार: (धारा 16): 400 क्षमता वाली एक सभागार होनी चाहिए।	सभागार में 100 छात्रों की बैठने की व्यवस्था थी, जो कॉलेज में बिना ऑडियो/वीडियो की सुविधा, रिकॉर्डिंग काउंटर, ग्रीन रूम, लॉबी एरिया के थी।

क्रम सं.	संशोधित बीडीएस पाठ्यक्रम विनियमन 2007 के धारा के अनुसार अवसंरचना और एंटी-रैगिंग उपायों के लिए मानदंड	लेखापरीक्षा टिप्पणी
6	कर्मचारी आवास: (सामान्य सुविधाओं की धारा 14): संस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारियों शिक्षित एवं गैर शिक्षित को पर्याप्त आवास प्रदान किया जायेगा।	कॉलेज में कर्मचारी आवास नहीं था।
7	कलाकार कक्ष: (सामान्य सुविधाओं की धारा 6)	कॉलेज में कलाकार कक्ष नहीं था।
8	दंत कुर्सीयां और इकाइयां: (दंत कुर्सीयां और इकाइयों के बारे में धारा)	विभागवार कमी शून्य से 37.5 प्रतिशत तक था।
9	परीक्षा भवन: एक समय में 125 छात्रों को समायोजित करने के लिए विश्वविद्यालय एवं अन्य परीक्षाओं के लिए एक अलग हॉल जिसमें कुर्सीयां और व्यक्तिगत टेबल हो।	कॉलेज में अलग परीक्षा भवन उपलब्ध नहीं था।
10	क्रीड़ा स्थल: (सामान्य सुविधाओं की धारा 15): परिसर में डोर और आउटडोर गेम दोनों के लिए सुविधाएं होंगी।	कॉलेज में क्रीड़ा स्थल उपलब्ध नहीं था।
11	प्रदूषण नियंत्रण के उपाय: (सामान्य सुविधाओं की धारा 10): सभी डेन्टल संस्थानों को गर्भाधान संयंत्र, सीवेज जल उपचार संयंत्र, परिसर का भू-निर्माण आदि प्रदान करके पर्याप्त प्रदूषण नियंत्रण उपाय करने चाहिए।	मानक के अनुसार प्रदूषण नियंत्रण के उपाय कॉलेज में उपलब्ध नहीं थे।
12	प्रयोगशालाएं: (सामान्य सुविधाओं की धारा-17): निर्दिष्ट क्षेत्र के साथ दंत चिकित्सा विषय, चिकित्सा विषय और नैदानिक विषय के लिए प्रयोगशालाएं होनी चाहिए।	कॉलेज में, चिकित्सा विषयों के लिए प्रयोगशालाएं पी. एम.सी. पटना में चल रही थी क्योंकि कॉलेज के पास अपना नहीं था। हालांकि दंत और नैदानिक विषयों की प्रयोगशालाएं के उपलब्ध क्षेत्रों से संबंधित रिकॉर्ड/ जानकारी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करायी गयी।
13	आसवित जल संयंत्र: (सामान्य सुविधाओं की धारा 18)	कॉलेज में आसवित जल संयंत्र उपलब्ध नहीं था।

ग. आयुष कॉलेज:

क्रम सं.	आयुर्वेदिक कॉलेज और संलग्न अस्पताल और होमियोपैथिक कॉलेज, सी.सी.आई.एम और एंटी-रैगिंग उपायों के लिए मानदंड आदि के लिए एम.एस.आर.	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	केन्द्रीय पुस्तकालय: (अनुसूची II की धारा 4): एक केन्द्रीय पुस्तकालय में निर्दिष्ट आवश्यकताओं वाले कम से कम 100 छात्रों के बैठने की क्षमता होनी चाहिए।	जी.ए.सी. पटना में, कॉलेज में मानदंडों के मुकाबले 50 प्रतिशत बैठने की क्षमता थी और केन्द्रीय पुस्तकालय में कोई पुस्तकालय अध्यक्ष नहीं था। इसके अलावा, पुस्तकों का अद्यतन संस्करण भी उपलब्ध नहीं था।
2	हर्बल गार्डन: (धारा अनुसूची II): औषधीय पौधों की 250 प्रजातियों के साथ एक अच्छी तरह से विकसित औषधीय पादप उद्यान कॉलेज के पास उपलब्ध नहीं था।	हर्बल गार्डन में रख-रखाव बहुत खराब था। अवांछित खर-पतवारों और पौधों पर ध्यान दिया गया और पौधों की 250 प्रजातियों के खिलाफ केवल 212 उपलब्ध थे।

घ. जी.एन.एम. स्कूल

क्रम सं.	पाठ्यक्रम और जी.एन.एम. के नियम और एंटी-रैगिंग उपायों के लिए नियम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	शिक्षण ब्लॉक: (भौतिक सुविधा की धारा शिक्षण ब्लॉक): 20000 वर्गफीट का एक शिक्षण ब्लॉक होना चाहिए जिसमें निर्दिष्ट सुविधाओं के साथ व्याख्यान हॉल, प्रयोगशालाएं, लैब्स, हॉल, अलग कॉमन रूम, फ़ैकल्टी रूम आदि शामिल है। (धारा 5ए से 5डी, 6 एवं 7)	दो जी.एन.एम. स्कूल (जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच. और जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच.) में शिक्षण क्षेत्र के लिए कम क्षेत्रफल (क्रमशः 8787 वर्गफीट और 2506 वर्गफीट) है। कॉमन रूम, स्टाफ रूम, मल्टीपरपस हॉल, ए.वी. रूम एवं स्टोर रूम सीएचएन एवं न्यूट्रीशन लैब, पीडियाट्रिक्स लैब्स, प्री-क्लीनिकल साइंस लैब जी.एन.एम. डी.एम.सी. एच में उपलब्ध नहीं थे।

क्रम सं.	पाठ्यक्रम और जी.एन.एम. के नियम और एंटी-रैगिंग उपायों के लिए नियम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		हालांकि, प्रधानाचार्य के लिए एक बहुत छोटा कक्ष था और प्रधानाचार्य ने कंप्यूटर लैब से अपने कर्तव्यों का निर्वहन किया (फलस्वरूप कंप्यूटर लैब गैर कार्यात्मक था)। नमूना जांचित जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच. को छोड़कर किसी भी जी.एन.एम. स्कूल में उप-प्रधानाचार्य के लिए कक्ष नहीं था। जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच. में, शिक्षण ब्लॉक में कोई सुविधाएँ नहीं थी। नर्सिंग कॉलेज आई.जी.आई.एम.एस. पटना में कॉमन रूम और मल्टीपरपस हॉल आई.जी.आई.एम.एस. पटना के साथ साझा किए गए थे।
2	कक्षाएँ: (भौतिक सुविधा की धारा 1 एवं 7): पर्याप्त आवास क्षमता, उचित बिजली, अच्छी तरह से वेंटिलेशन, अपेक्षित फर्निचर और मानदंडों के अनुसार उपकरण के साथ कम से कम तीन कक्षाएँ होनी चाहिए। इसके अलावा, स्कूल में ऑडियो विजुअल उपकरण भी होनी चाहिए और इसके सुरक्षित भंडारण के लिए जगह होनी चाहिए।	जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में, मानदंडों के अनुसार न्यूनतम तीन की आवश्यक संख्या के खिलाफ केवल दो व्याख्यान कक्ष थे। व्याख्यान हॉल का आकार मानदंडों के विपरीत कम था और कक्षाओं के संचालन के लिए आवश्यक सुविधाओं भी घाटे में थी। इसके अलावा, जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच. में बेसिक के साथ साथ एडवांस ट्रेनिंग ऐड के लिए ऑडियो विजुअल उपकरण रूम और स्टोर रूम नहीं था।
3	पुस्तकालय: (भौतिक सुविधा की धारा 4): स्कूल में एक अलग पुस्तकालय होना चाहिए जिसमें निर्दिष्ट आवश्यक आवास हों।	तीन जी.एन.एम. स्कूल (कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई.जी.आई.एम.एस. पटना, जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच. जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच.) में बैठने की क्षमता कम थी और कमी 85 से 100 प्रतिशत के बीच और बिना निर्दिष्ट सुविधाओं के थी। सभी नमूना जांचित जी.एन.एम. स्कूलों में पुस्तकालय के लिए अलग से कोई बजट नहीं था। सभी नमूना जांचित जी.एन.एम. स्कूलों में कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई.जी.आई.एम.एस. पटना को छोड़कर पुस्तकों का कोई अद्यतन संस्करण नहीं था। जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में कोई पुस्तकालय समिति नहीं थी, पुस्तकालय में कोई इंटरनेट सुविधा नहीं थी, बिना वेंटिलेशन खराब रोशनी की सुविधा, लाइब्रेरियन के लिए कोई केबिन नहीं था, कोई इंटरकॉम सुविधा नहीं थी, कैबलिंग कैबिनेट के लिए कोई प्रावधान नहीं था, छात्र बैग के लिए रैक, पुस्तक प्रदर्शन रैक, बुलेटिन बोर्ड और स्टेशनरी इंडेक्स कार्ड, उधारकर्ता कार्ड, लेबल और रजिस्टर, स्टील के रैक के साथ कोई अलग रिकॉर्ड रूम, बिल्ट इन अलमारी और रैक, और कॉलेज से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण कागजात/दस्तावेज के उचित भंडारण के लिए अलग अलमारियाँ और फाइलिंग कैबिनेट नहीं था तथा कोई लाइब्रेरियन पदास्थापित नहीं था।
4	छात्रावास: (भौतिक सुविधा की धारा): छात्रावास के कमरे, शौचालय और बाथरूम, मनोरंजन सुविधाएँ, आगंतुकों के कमरे, रसोई और भोजन कक्ष, पेंट्री, धुलाई और इस्त्री के लिए जगह, वार्डन कक्ष, टेलीफोन की सुविधा, कैंटीन, परिवहन आदि के संबंध में आवश्यक सुविधाएँ और बुनियादी सुविधाओं के साथ लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग छात्रावास होना चाहिए।	दो जी.एन.एम. स्कूल (कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई.जी.आई.एम.एस. पटना, जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच.) में पर्याप्त सीटों के बिना छात्रावास था। जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में लड़कियों को एक ही कमरे में 6 से 8 की सं० में एक साथ रहना पड़ता था क्योंकि अनधिकृत कब्जे के कारण उपलब्ध खाली कमरों की संख्या कम थी। दो जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. और जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच.) में मानदंड के अनुसार आवश्यक फर्निचर नहीं थे। उनमें से किसी के पास इंटरकॉम, वाशिंग और इस्त्री की सुविधा नहीं थी, तीन जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच., जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच. और जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच.) के पास कोई परिवहन और पेंट्री की सुविधा नहीं थी,

क्रम सं.	पाठ्यक्रम और जी.एन.एम. के नियम और एंटी-रैगिंग उपायों के लिए नियम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
		तीन जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच., जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच और कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई.जी.आई.एम.एस. पटना,) में कोई कैंटीन नहीं थी, दो जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. और जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच.) में कोई गीजर सुविधा नहीं थी, तीन जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच., जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच और कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई.जी.आई.एम.एस. पटना,) के भोजन कक्ष में अपर्याप्त स्थान था और जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में गैर कार्यात्मक / गैर-सुसज्जित भोजन हॉल था, दो जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच. और जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच.) के पास कोई मनोरंजन कक्ष नहीं था जबकि दो जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. और जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच.) में कोई वाचनालय नहीं था। जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में आंगंतुक कक्ष उपलब्ध नहीं था।
5	मल्टीपरपस हॉल: (सामान्य सुविधाओं की धारा 3): मल्टीपरपस हॉल (एम.पी. हॉल) के उपकरण के लिए शर्त	जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में मल्टीपरपस हॉल नहीं था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई.जी.आई.एम.एस. पटना में अलग से एम.पी. हॉल नहीं था। जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच. में बहु-उद्देशीय भवन था परन्तु निर्धारित आयामों के साथ नहीं था।
6	अन्य सुविधा: (सामान्य सुविधाओं की धारा 8): अलग से पुरुष और महिलाओं के लिए सुरक्षित पेयजल और पर्याप्त सैनेटरी/शौचालय की सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए	दो जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. और जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच.) में ऐसी सुविधाएं मानदंडों के विपरीत थी, जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में पर्याप्त शौचालय उपलब्ध थे, लेकिन स्टाफ नर्सों द्वारा बंद रखे गये थे, जो अकादमिक भवन के अन्य कमरों में रहते थे।
7	प्रयोगशालाएं: (धारा 2 एवं 6): निर्दिष्ट उपकरणों के साथ कम से कम छह प्रयोगशालाएं होनी चाहिए (1. नर्सिंग अभ्यास प्रयोगशाला, 2. सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग और पोषण प्रयोगशाला, 3. अग्रिम नर्सिंग कौशल प्रयोगशाला, 4. कंप्यूटर प्रयोगशाला, 5. ओबीजी और बाल चिकित्सा प्रयोगशाला, 6. पूर्व नैदानिक विज्ञान प्रयोगशाला)	<p>1. कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई.जी.आई.एम.एस. को छोड़कर सभी जी.एन.एम. स्कूलों में प्रदर्शन बेड-छात्रों का अनुपात 1:6 के न्यूनतम मानदंडों के खिलाफ 1:33 से 1:66 तक था, कॉलेज ऑफ नर्सिंग आई.जी.आई.एम.एस. पटना (1:5), जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. (1:50), जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच. (1:66) और पी.एम.सी.एच. (1:33)</p> <p>2. दो जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. और जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच.) में कोई सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग और पोषण प्रयोगशाला नहीं थी, जबकि जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच. की प्रयोगशाला में निर्धारित मानदंडों के खिलाफ लेख और उपकरण कमियां थी।</p> <p>3. लेखापरीक्षा में पाया गया कि जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में नमूना जांचित चार जी.एन.एम. स्कूलों में जगह की कमी के कारण रिकल लैब कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से नहीं चल रही थी।</p> <p>4. दो जी.एन.एम. स्कूलों (जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. और जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच.) में प्रयोगशाला में कंप्यूटर की सं० कम थी। जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में कंप्यूटर प्रयोगशाला का उपयोग कार्यालय कक्ष के रूप में किया जाता था और प्रधानाचार्य, शिक्षक और अन्य कर्मचारी विभिन्न अधिकारिक उद्देश्यों के लिए उस कक्ष का उपयोग करते थे।</p>
8	क्रीड़ा स्थल: (भौतिक सुविधा की धारा 11): मानदंडों के अनुसार क्रीड़ा स्थल में वॉलीबॉल, फुटबॉल, बैडमिंटन और एथलेटिक्स जैसे आइटम खेलों के लिए विशाल होना चाहिए।	जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच. में क्रीड़ा स्थल उपलब्ध नहीं थे।

क्रम सं.	पाठ्यक्रम और जी.एन.एम. के नियम और एंटी-रैगिंग उपायों के लिए नियम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
9	कड़ी निगरानी: संस्थान उन सभी स्थानों की पहचान करेगी जो ज्ञात घटनाओं रैगिंग जैसी घटनाओं के प्रति संवेदनशील हों को रोशन करेगी और उस पर कड़ी निगरानी रखेगी।	जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच और जी.एन.एम. एन.एम.सी. एच में सीसीटीवी की सुविधा नहीं थी।

ड. ए.एन.एम स्कूल

क्रम सं.	पाठ्यक्रम और ए.एन.एम. के नियम और एंटी-रैगिंग उपायों के लिए नियम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
1	कक्षा और ऑडियो विजुअल उपकरण: (भौतिक सुविधा की धारा): आवश्यक ऑडियो विजुअल सहायता और अन्य उपकरण और लेखों के साथ पर्याप्त आवास क्षमता वाले दो पर्याप्त बड़े वर्ग होने चाहिए।	तीन ए.एन.एम. स्कूलों (छपरा, भागलपुर और सीतामढ़ी) में केवल एक कक्षा थी। सात ए.एन.एम. स्कूलों में कक्षाओं में बहुत भीड़ थी (बिहारशरीफ में 95 छात्रों को 50 क्षमता वाले कक्षा में समायोजित किया गया था जबकि छपरा और गया में कमशः 90 और 140 छात्रों को 40-60 छात्रों के मानदंड से कम क्षेत्र वाले क्लासरूम में समायोजित किया गया था। चार ए.एन.एम. स्कूल (समस्तीपुर, सहरसा, सीतामढ़ी और बेगुसराय) में न्यूनतम मानक से कम क्षेत्र था। इसके अलावा पांच ए.एन.एम. स्कूलों (बेगुसराय, छपरा, गया, सहरसा और सीतामढ़ी) में ऑडियो विजुअल उपकरण उपलब्ध नहीं थी। ए.एन.एम. समस्तीपुर में इसतरह की ऑडियो विजुअल सहायता सुविधाएं उपलब्ध थी परन्तु स्थापित नहीं की गयी थी और कार्यरत नहीं थी जबकि ए.एन.एम. बिहारशरीफ में यह कार्यरत नहीं थी तथा 2015-16 से कोई विजुअल कक्षाएं आयोजित नहीं की गयी थी। ए.एन.एम छपरा में शिक्षक ब्लॉक के दो कमरों में क्षेत्रीय अतिरिक्त निदेशक, स्वास्थ्य विभाग सारण, छपरा के कार्यालय का कब्जा था।
2	पुस्तकालय: (भौतिक सुविधा की धारा): पर्याप्त संख्या में पुस्तकों और सुविधाओं के साथ 40 छात्रों को समायोजित करने के लिए पर्याप्त आकार का एक पुस्तकालय कक्ष होना चाहिए। इसके अलावा पुस्तकालय में पाठ्यपुस्तकों, रेफरल पुस्तकों, कुछ पेशेवर पत्रिकाओं और सामान्य ज्ञान पत्रिकाओं के साथ-साथ कहानी पुस्तकों आदि के अद्यतन संस्करण पर्याप्त संख्या में होने चाहिए।	ए.एन.एम. सीतामढ़ी में पुस्तकालय की सुविधा नहीं थी। नमूना जांचित सात ए.एन.एम. स्कूलों में पुस्तकालय शून्य से 20 बैठने की क्षमता वाले बहुत ही छोटे कमरे में संचालित की जा रही थी (बिहारशरीफ (शून्य), बेगुसराय (शून्य), छपरा (शून्य), भागलपुर (7), सीतामढ़ी (शून्य), सहरसा (20) और समस्तीपुर (12)) और यह कमी 50 से 100 प्रतिशत तक थी। इसके अलावा पाँच नमूना जांचित ए.एन.एम. स्कूलों (बिहारशरीफ, समस्तीपुर, सीतामढ़ी, सहरसा और भागलपुर) में पुस्तकों का अद्यतन संस्करण उपलब्ध नहीं थे।
3	नर्सिंग प्रयोगशाला: (भौतिक सुविधा की धारा)	छह ए.एन.एम. स्कूल (सीतामढ़ी, बिहारशरीफ, भागलपुर, छपरा, गया और समस्तीपुर) बिना नर्सिंग प्रयोगशाला के चल रहे थे जबकि ए.एन.एम. स्कूल सीतामढ़ी में नर्सिंग प्रयोगशाला की स्थिति निंदनीय थी।
4	पोषण प्रयागशाला: (भौतिक सुविधा की धारा)	पांच ए.एन.एम. स्कूल (बिहारशरीफ, भागलपुर, छपरा, गया और सीतामढ़ी) में पोषण प्रयोगशाला उपलब्ध नहीं थे जबकि ए.एन.एम. स्कूल समस्तीपुर में प्रयोगशाला कुशलतापूर्वक और प्रभावी ढंग से चलाने के लिए बहुत कम जगह में चल रही थी।

क्रम सं.	पाठ्यक्रम और ए.एन.एम. के नियम और एंटी-रैगिंग उपायों के लिए नियम	लेखापरीक्षा टिप्पणी
5	छात्रावास की सुविधा: (छात्रों के लिए आवासीय सुविधाएं): ए.एन.एम. प्रशिक्षण स्कूल एक आवासीय कार्यक्रम है, इसमें छात्रों के लिए निर्दिष्ट सुविधाओं के साथ पर्याप्त छात्रावास है।	किसी भी स्कूल (सहरसा और छपरा को छोड़कर) में स्कूल और छात्रावास के लिए अलग-अलग इमारत नहीं थी और सभी छात्रों को शैक्षणिक भवन में समायोजित किया गया था। सभी जांचित स्कूलों (सीतापढ़ी को छोड़कर) में प्रत्येक कमरे में छः से 14 छात्रों तक के कुछ कमरों में छात्रों को समायोजित किया गया था। इसके अलावा, दो ए.एन.एम. स्कूलों (भागलपुर और सीतामढ़ी) में छात्रों को एक हॉल में 35 से 40 छात्रों के समूह में समायोजित किया गया। दो ए.एन.एम. स्कूलों (बेगूसराय और गया) में छात्रावास उद्देश्य के लिए उपयोग की जाने वाली इमारत बुरी तरह क्षतिग्रस्त थी जबकि ए.एन.एम. स्कूल, सीतापढ़ी में स्कूल का भवन जर्जर स्थिति में था और इसकी निंदा की गयी थी। दो ए.एन.एम. स्कूलों (बिहारशरीफ और समस्तीपुर) में 20 आवास क्षमता वाला एक भोजन कक्ष उचित बैठने की व्यवस्था और शुद्ध पानी की सुविधा के बिना था, एक बहुत छोटा स्टोर रूम, बिना मनोरंजन कक्ष, गर्म और ठंडे पानी के बिना सुविधा वाले और बिना टेलिफोन कनेक्शन की उपलब्धता वाली थी। इसके अलावा ए.एन.एम. स्कूल, बिहारशरीफ में कोई रोगी कमरा और आगंतुक कक्ष नहीं था। दो की बैठने वाली रोगी कक्ष (वर्तमान में प्रधानाचार्य द्वारा प्राचार्य कक्ष के रूप में उपयोग किया जा रहा) और एक आगंतुक कक्ष बिना सुविधाओं के ए.एन.एम. स्कूल, समस्तीपुर में उपलब्ध था। ए.एन.एम. स्कूल समस्तीपुर में अपर्याप्त शौचालय (70 प्रतिशत) उपलब्ध थे। ए.एन.एम. स्कूल छपरा में छात्रावास के स्नानघर के आसपास और छात्रावास के आसपास में जल भराव और अस्वच्छता की स्थिति थी।
6	परिवहन सुविधाएं: (भौतिक सुविधा की धारा): सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग अभ्यास के लिए परिवहन सुविधाएं होनी चाहिए।	नमूना-जांचित किसी भी ए.एन.एम. स्कूल के पास अपनी परिवहन सुविधाएं नहीं थी।
7	शौचालय की सुविधा: मानदंडों के अनुसार, छात्रों और शिक्षकों के लिए कम से कम 1:10 के अनुपात में स्कूल भवन में पर्याप्त शौचालय की सुविधा होनी चाहिए	ए.एन.एम. स्कूल बिहारशरीफ में शिक्षकों और शिक्षिकाओं, अधिकारिक कर्मचारी, गार्ड और 200 छात्रों के लिए स्कूल भवन में केवल एक शौचालय उपलब्ध था। इस प्रकार 1:10 की तुलना में अनुपात 1:214 था। ए.एन.एम. स्कूल छपरा के शिक्षक ब्लॉक में केवल एक स्नानघर उपलब्ध था।
8	सी.सी.टी.वी. कैमरा	चार ए.एन.एम. स्कूलों (बेगूसराय, सहरसा, बिहारशरीफ और समस्तीपुर) में एंटी-रैगिंग उपायों पर कड़ी नजर रखने हेतु सीसीटीवी की सुविधा नहीं थी।
9	कर्मचारी आवास: अस्पताल/सी.एच.सी. ग्रामीण स्वास्थ्य उपचार केन्द्र के परिसर में या उसके आस-पास शिक्षण कर्मचारी के 80 प्रतिशत हेतु पारिवारिक आवास उपलब्ध होना चाहिए। छात्रावास में वार्डन हेतु एक पारिवारिक आवास प्रदान की जानी चाहिए ताकि वह छात्रों के देखभाल के लिए आवासीय हो सके, और आपातकाल के समय उपलब्ध हो सके।	दो ए.एन.एम. स्कूल (बिहारशरीफ और समस्तीपुर) में ऐसे आवास उपलब्ध नहीं थे।

परिशिष्ट-2.8

(संदर्भ: कंडिका-2.8.4; पृष्ठ-27)

चिकित्सा महाविद्यालयों में उपकरणों की कमी

क्रम सं.	विभाग	आवश्यकता	आई.जी. आई.एम. एस. पटना	जी.एम.सी. बेतिया	डी.एम.सी. दरभंगा	एन.एम.सी. पटना	पी.एम.सी. पटना	कुल
			मानक से कम (प्रतिशत में)	मानक से कम (प्रतिशत में)	मानक से कम (प्रतिशत में)	मानक से कम (प्रतिशत में)	मानक से कम (प्रतिशत में)	मानक से कम (प्रतिशत में)
1	शरीर रचना विज्ञान (एनाटॉमी)	38	45	71	18	42	68	49
2	शरीर क्रिया विज्ञान (फिजियोलॉजी)	85	72	76	95	54	86	77
3	जीव रसायन (बायो-केमेस्ट्री)	32	44	91	91	62	-	72
4	विकृति विज्ञान (पैथोलॉजी)	82	51	100	51	70	-	68
5	सूक्ष्म जीवविज्ञान (माइक्रोबायोलॉजी)	52	48	94	-	50	79	68
6	सामुदायिक चिकित्सा (कम्यूनिटी मेडिसिन)	76	78	97	92	80	92	88
7	विधि चिकित्सा शास्त्र (फॉरेंसिक मेडिसिन)	91	77	100	88	75	92	86
8	फार्माकोलॉजी	14	-	93	64	71	86	78
9	मेडिसिन	53	89	100	70	79	87	85
10	शिशु रोग	49	65	98	-	10	-	58
11	सर्जरी	42	69	95	76	76	-	79
12	हड्डी रोग	25	16	100	80	-	-	65
13	ऑटोरहीनओलरींगोलॉजी	178	25	99	60	-	62	61
14	स्त्री एवं प्रसव रोग	97	27	69	-	56	77	57
15	निश्चेतना (एनेस्थेसिया)	51	25	96	75	-	94	72
16	टी.बी. एवं चेस्ट	13	85	100	-	69	85	85
17	डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी एवं लेप्रोसी	8	100	100	88	50	25	73
18	मनोरोग	13	100	100	100	85	77	92
19	ओप्थाल्मोलॉजी	39	8	-	62	44	-	38
20	रेडियो डायग्नोसिस	10	10	100	90	40	-	60

परिशिष्ट-2.9

(संदर्भ: कंडिका-2.8.5 पृष्ठ-29)

ग्रामीण प्रशिक्षण/सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग कार्यक्रम

नियामक संस्था का नाम	पायी गयी कमी
एम. सी. आई. निर्धारित करता है कि सामुदायिक चिकित्सा के लिए दो महीने का समय सहित एक वर्ष की अनिवार्य घुर्णन इंटरनशिप का सफल समापन एम. बी. बी. एस. डिग्री के लिए आवश्यक है सामुदायिक चिकित्सा में प्रशिक्षु प्रतिरक्षा कार्यक्रमों, परिवार कल्याण योजना प्रक्रियाएं स्थानिक रोग, राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम, अन्य अभिकरणों यथा जलापूर्ति, खाद्यान्न वितरण तथा पर्यावरणिक/सामाजिक अभिकरणों के साथ समन्वय, व्यक्तिक/सामाजिक स्तर पर स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना तथा प्रबंधकीय कौशल प्राप्त करना, पारामेडिकल कर्मचारी तथा अन्य स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कर्तव्यों का प्रतिनिधिमंडल। इसके लिए उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, जिला अस्पतालों प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों तथा कम से कम एक सप्ताह का ग्रामीण जुड़ाव यथा ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, आशा उप केंद्र इत्यादि से संलग्न होना आवश्यक है। इस हेतु प्रत्येक चिकित्सा महाविद्यालय से तीन प्राथमिक स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों/ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्रों को संलग्न करना था।	<ul style="list-style-type: none"> पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना तथा नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के प्रशिक्षुओं को स्थानीय स्तर पर होने वाली बीमारियों के रोकथाम तथा नियंत्रण, पोषण संबंधी विकार तथा स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों से वर्ष 2013-18 में अवगत नहीं कराया गया था। पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के प्रशिक्षुओं को मात्र एक दिन हेतु ग्राम से संलग्न किया गया था क्योंकि उनके आवागमन की व्यवस्था महाविद्यालय नहीं करा सका। नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना तथा इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना के प्रशिक्षुओं को वर्ष 2013-18 में ग्राम से संलग्न नहीं किया गया, फलस्वरूप वे ग्रामीण सामुदायिक स्वास्थ्य समस्याओं, आशा के कार्यों इत्यादि से अवगत नहीं हो सके। वर्ष 2013-18 के दौरान किसी भी चिकित्सा महाविद्यालय द्वारा प्रशिक्षुओं के लिए अन्य अभिकरणों यथा जलापूर्ति, खाद्यान्न वितरण तथा अन्य पर्यावरणिक/सामाजिक अभिकरणों से समन्वय दर्शाता किसी प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया गया था। तीन¹ चिकित्सा महाविद्यालयों से संलग्न ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षुओं के आवासन हेतु सुविधाएं उपलब्ध नहीं थी। यद्यपि दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा से संलग्न ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र कल्याणपुर में आवासीय सुविधा उपलब्ध थी किन्तु विद्यार्थी वहां नहीं रुके। नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय, पटना में ग्रामीण तथा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्रों के दौरे हेतु आवागमन की सुविधा उपलब्ध नहीं थी। पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के सभी नमूना-जांचित 16 प्रशिक्षु तथा नालंदा चिकित्सा महाविद्यालय के 15 नमूना-जांचित में से पांच प्रशिक्षु जो एक माह के लिए ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र फतुहा (2016-17) तथा ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र सम्पतचक (2014-18) से संलग्न थे, वे प्रशिक्षण तय कार्यक्रम के अनुसार पूर्ण नहीं किये। इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना से संलग्न ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र, मनेर में एक विद्यार्थी की उपस्थिति (सितम्बर-अक्टूबर 2017) मात्र पांच दिनों में ही अंकित थी किन्तु ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र ने इंदिरा गाँधी आयुर्विज्ञान संस्थान, पटना की अनुपस्थिति 'शून्य' प्रतिवेदित किया। एक विद्यार्थी (अक्टूबर-नवंबर 2017) उपस्थिति पंजी में अंकित नहीं पाया गया किन्तु ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र द्वारा उस विद्यार्थी का अनुपस्थिति 'शून्य' प्रतिवेदित किया गया। दरभंगा चिकित्सा महाविद्यालय, दरभंगा से संलग्न ग्रामीण स्वास्थ्य केन्द्र, कल्याणपुर में दो विद्यार्थी की उपस्थिति पंजी (नवंबर 2016) में चार दिनों में अंकित नहीं पाई गयी किन्तु ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केंद्र द्वारा अनुपस्थिति 'शून्य' प्रतिवेदित किया गया। चिकित्सा पदाधिकारी, ग्रामीण स्वास्थ्य प्रशिक्षण केन्द्र, कल्याणपुर द्वारा उत्तर दिया गया कि उपस्थिति गलती से अंकित नहीं हो पाया। यह पाया गया कि पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना के 11 प्रशिक्षुओं को ग्रामीण प्रशिक्षण हेतु अप्रैल 2016 से सितम्बर 2016 के दौरान प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतुहा से संलग्न किया गया था। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतुहा के अभिलेखों के प्रतिपरीक्षण (नवम्बर 18) से यह ज्ञात हुआ कि ये प्रशिक्षु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र फतुहा में प्रशिक्षण हेतु उपस्थित नहीं हुए तथा वे सामुदायिक चिकित्सा से अवगत हुए बिना ही स्नातक उत्तीर्ण हो गए। प्रधानाचार्य, पटना चिकित्सा महाविद्यालय, पटना ने जवाब (फरवरी 2019) दिया कि जाँच की जाएगी तथा तथ्यों से अवगत कराया जायेगा।

¹ जी.एम.सी. बेतिया, एन.एम.सी. पटना एवं पी.एम.सी. पटना।

नियामक संस्था का नाम	पायी गयी कमी
डी.सी.आई के अनुसार, समुदाय से संबंधित दंत स्वास्थ्य पहलुओं के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए इंटरन को तीन महीने की ग्रामीण सेवाओं का लक्ष्य रखना था।	<ul style="list-style-type: none"> पटना दंत महाविद्यालय पटना में 2013-17 के दौरान प्रशिक्षु तीन माह के ग्रामीण सेवा को पूर्ण नहीं किये। इसके अतिरिक्त, प्रशिक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को महाविद्यालय से मात्र 2017-18 में ही संलग्न किया गया था।
जी.एन.एम. शिक्षा के मानदंडों को सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग अनुभव के लिए छात्रों के लिए पर्याप्त बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है।	<ul style="list-style-type: none"> चार नमूना जांचित जी.एन.एम. विद्यालय/नर्सिंग महाविद्यालय में से तीन² में ग्रामीण स्वास्थ्य नर्सिंग केन्द्र पर विद्यार्थियों के आवास हेतु सुविधा उपलब्ध नहीं थी, जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्सिंग क्षेत्र कार्यक्रम के इच्छित उद्देश्य और लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। इसके अतिरिक्त धन की कमी के कारण, जी.एन.एम. पटना चिकित्सा महाविद्यालय में बैच 2013 तथा 2014 के 76 विद्यार्थी ग्रामीण प्रशिक्षण पूर्ण नहीं कर पाए, फलस्वरूप वे आवश्यक अनावरण से वंचित रह गए। इसके अतिरिक्त, जी.एन.एम., एन. एम. सी. एच. पटना से तीन प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र संलग्न थे। इन तीन में से लेखापरीक्षा द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्पतचक के अभिलेखों का नमूना जाँच किया गया और पाया गया कि 165 विद्यार्थियों जिन्हें समुदाय भ्रमण (2015-16 से 2017-18) हेतु भेजा गया था वे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सम्पतचक में कार्यक्रम में भाग नहीं लिए।
आई.एन.सी. के ए.एन.एम. दिशानिर्देश के प्रावधान	<ul style="list-style-type: none"> लेखापरीक्षा में ज्ञात हुआ कि आठ नमूना जांचित ए.एन.एम. विद्यालयों में से पांच³ में एक बैच में चार से पांच विद्यार्थियों के बदले छह से 24 विद्यार्थी उपकेन्द्र/प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में पदस्थापित थे। दो ए.एन.एम. विद्यालयों (समस्तीपुर तथा गया) में विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण कार्यक्रम से अवगत नहीं कराया गया। इसके अतिरिक्त किसी भी नमूना जांचित ए.एन.एम. विद्यालय (सीतामढ़ी को छोड़कर) से संलग्न प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आवासीय सुविधा उपलब्ध नहीं थी। ए.एन.एम. विद्यालय सहरसा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर सामुदायिक स्वास्थ्य परिचर्या 28/07/2016 के बाद नहीं चल रहा था।

² जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच., जी.एन.एम. एन.एम.सी.एच. एवं जी.एन.एम. पी.एम.सी.एच.।

³ ए.एन.एम. स्कूल, बिहारशरीफ (6 से 15), ए.एन.एम. स्कूल, भागलपुर (8 से 24), ए.एन.एम. स्कूल, गया (13), ए.एन.एम. स्कूल, समस्तीपुर (22) एवं ए.एन.एम. स्कूल, सीतामढ़ी (6 से 7)।

परिशिष्ट-2.10
(संदर्भ: कड़िका-2.9 पृष्ठ-31)
चिकित्सा संस्थानों के निर्माण/प्रबंधन में वित्तीय अनियमितताएं

क्रम सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	संवेदक/परामर्शी का नाम	एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान का प्रकार
1	वर्धमान इन्स्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पावापुरी	मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैदराबाद	बी.आर.पी.एन.एल	5.21	अनुबंध के अनुच्छेद के अनुसार वस्तु पर लगने वाले बिक्री कर, खरीद कर, कारोबार कर, सेवा कर, वैट, ओक्ट्रॉई अथवा अन्य कर का वहन सविदाकार द्वारा किया जायेगा तथा इस संबंध में बी.आर.पी.एन.एल द्वारा किसी दावे को नहीं माना जायेगा। इस उपखंड के विरुद्ध बी.आर.पी.एन.एल द्वारा संवेदक को क्रमशः स्टील पर उत्पाद शुल्क तथा वैट के प्रतिपूर्ति हेतु ₹0.93 करोड़ तथा ₹4.28 करोड़ का भुगतान किया गया।
2	वर्धमान इन्स्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पावापुरी	मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैदराबाद	बी.आर.पी.एन.एल	23.29	अनुबंध की सामान्य शर्त का अनुच्छेद 11 निर्धारित करता है कि अनुबंध की निर्धारित अवधि के दौरान मूल्य वृद्धि के लिए मुआवजा होगा। विस्तारित अनुबंध अवधि में निष्पादित कार्य के लिए किसी भी वृद्धि का भुगतान नहीं किया जायेगा, भले ही समय का विस्तार बिना किसी कार्रवाई के दिया गया हो। इस खंड के विपरीत बी.आर.पी.एन.एल ने संवेदक को समय की निर्धारित अवधि के बाद किये गए कार्य के लिए मूल्य वृद्धि के लिए भुगतान किया।
3	वर्धमान इन्स्टीच्युट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पावापुरी	मेसर्स नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड हैदराबाद	बी.आर.पी.एन.एल	45.41	बिहार लोक निर्माण विभाग संहिता के नियम 159 (vii) में कहा गया है कि केवल असाधारण मामलों में ही समय बढ़ाने की अनुमति दी जा सकती है। अनुबंध के खंड 5.3 में यह भी कहा गया है कि घटनाओं के होने के 14 दिनों के भीतर आवेदन प्राप्त होने पर समय बढ़ाने के अनुरोध पर विचार किया जा सकता है। इसके विपरीत अनियमित सिफारिश के साथ कार्यकारी एजेंसी द्वारा सविदाकार को समय विस्तार देने के कारण, सरकार को परिनिर्धारित क्षति प्रभार से वंचित रहना पड़ा जो संवेदक के निविदा मूल्य का अधिकतम 10 प्रतिशत था।

क्रम सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	संवेदक / परामर्शी का नाम	एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान का प्रकार
4	वर्धमान इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, पावापुरी	मेसर्स डी.डी.एफ. कन्सलटेंट प्राइवेट लिमिटेड	बी.आर.पी.एन.एल	0.63	समझौते के अनुच्छेद के अनुसार, परामर्शी को पर्यवेक्षण शुल्क निष्पादित कार्य की वास्तविक लागत के साथ जोड़ा गया था और निष्पादित कार्य मूल्य का 0.75 प्रतिशत तय किया गया था। 1. ठेकेदार को भुगतान की गई सकल राशि ₹539.59 करोड़ थी, जिसके खिलाफ पर्यवेक्षण शुल्क 0.75 प्रतिशत दर से ₹4.05 करोड़ आता है। इसके विरुद्ध, परामर्शी को ₹4.64 करोड़ का भुगतान किया गया था। 2. इसके अलावा, अतिरिक्त वैट और केंद्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹5.21 करोड़ की राशि का भुगतान अमान्य था, इसलिए इस राशि पर डीपीआर तैयार करने के लिए शुल्क और पर्यवेक्षण शुल्क भी अमान्य होगा। इस प्रकार, ठेकेदार को इन अमान्य भुगतानों को छोड़कर निष्पादित कार्यों के लिए सकल भुगतान रु. 534.38 करोड़ और पर्यवेक्षण शुल्क 0.75 प्रतिशत दर से ₹4.64 करोड़ के भुगतान किए गए राशि के मुकाबले ₹4.01 करोड़ पर आता है, जिसके परिणामस्वरूप ₹0.63 करोड़ का अतिरिक्त भुगतान होता है।
5	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मधेपुरा	मेसर्स एल एंड टी लिमिटेड	बी.एम.एस.आई. सी.एल.	3.55	अनुबंध के अनुच्छेद के अनुसार, एस.बी.आई. पी.एल.आर. के समतुल्य ब्याज दर के साथ ठेकेदार को दी गई मोबिलिटी एडवांस की वसूली की जानी थी। हालांकि, यह एस.बी.आई. पी.एल.आर. के विपरीत 10 प्रतिशत दर से वसूल किया गया जो कि उस अवधि के दौरान 13.40 से 14.75 प्रतिशत तक था। ब्याज की इस कम वसूली के कारण, ठेकेदार को अतिरिक्त भुगतान किया गया था।
			कुल	78.09	
6	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मधेपुरा		बी.एम.एस.आई. सी.एल.	1.79	पी पी आर, डी पी आर, डिजाईन और ड्राइंग की तैयारी के अलावा, निष्पादन एजेंसियां संवेदक के बिलों की जाँच और माप की रिकॉर्डिंग सहित कार्यों की देखरेख के लिए परामर्शियों को भी नियुक्त करती हैं। इन कार्यों का कार्यकारी एजेंसियों द्वारा निष्पादित किया जाना था, जिसके लिए वे सरकार को सेंटेज चार्ज कर रहे थे। इसलिए पर्यवेक्षण परामर्शी को भुगतान सेंटेज से ही मिलना चाहिए था, लेकिन कार्यकारी एजेंसी ने इन्हें कार्य व्यय को प्रभावित किया, जिससे सरकारी खजाने को नुकसान हुआ।
7	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बतिया		बी.एम.एस.आई. सी.एल.	0.48	
8	वर्धमान इन्स्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी		बी.आर.पी.एन.एल	5.08	
			कुल	7.35	

क्रम सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	संवेदक / परामर्शी का नाम	एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान का प्रकार
9	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मधेपुरा		बी.एम.एस.आई. सी.एल.	10.97	25.01.2016 को सेंटेज चार्ज में संशोधन के बावजूद, बी.आर.पी.एन.एल ने पुरानी दर पर सेंटेज चार्जिंग जारी रखा और बी.एम.एस.आई.सी.एल. ने संशोधित दर पर चार्जिंग 25.01.2016 के बजाय अगस्त 2017 से चालू किया जिसके परिणामस्वरूप अधिक सेंटेज लिया गया।
10	वर्धमान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी		बी.आर.पी.एन.एल	7.54	
11	वर्धमान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी		बी.आर.पी.एन.एल	2.44	अमान्य भुगतान पर सेंटेज जो कि ऊपर क्रमांक 1 तथा 2 पर संदर्भित है, स्वीकार्य नहीं था। जनवरी 2016 से पूर्व ₹23.29 करोड़ की मूल्य वृद्धि का भुगतान किया गया था तथा वैट और अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति के संबंध में जनवरी 2016 के पहले कुल ₹. 5.21 करोड़ में से ₹3.84 करोड़ का भुगतान नहीं किया गया था। इसलिए ₹27.13 (23.29 + 3.84) करोड़ पर 9 प्रतिशत के दर से ₹2.44 करोड़ भी अमान्य था।
12	वर्धमान इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी		बी.आर.पी.एन.एल	0.46	बी.आर.पी.एन.एल ने पर्यवेक्षण परामर्शी को भुगतान की गयी फीस पर भी सेंटेज चार्ज लगाया। उपरोक्त क्रमांक 08 के अनुसार कार्य व्यय के लिए पर्यवेक्षण परामर्शी को किये गये शुल्क का भुगतान अनुचित था। इसलिए इन पेशेवर फीसों पर लगाया गया सेंटेज शुल्क भी अनुचित था।
13	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया		कुल बी.एम.एस.आई. सी.एल.	21.41 45.71	नवंबर 2012 में बी.एम.एस.आई.सी.एल. को काम सौंपा गया था। हर चरण में देरी हुई थी। अगस्त 2013 में पहला एन.आई.टी. आमंत्रित किया गया था। एन.आई.टी. को तीन बार रद्द कर दिया गया था। चौथा एन.आई.टी. को जून 2016 में आमंत्रित किया गया था, नवंबर 2016 में स्वीकृति पत्र जारी किया गया था और मई 2017 में एकरारनामा किया गया था। दूसरे एन.आई.टी. में तकनीकी और वित्तीय बोली का मूल्यांकन, एजेंसी का चयन और दर की बातचीत जैसी सभी निविदा मूल्यांकन औपचारिकता पूर्ण कर ली गयी थी लेकिन इस एन.आई.टी. को मनमाने ढंग से और आकस्मिक रूप से रद्द कर दिया गया था जिसके परिणामस्वरूप लागत में वृद्धि के अलावा निष्पादन में देरी हुई क्योंकि तीसरे एन.आई.टी. में बी.ओ.क्यू. के दर को 2014 के एस.ओ.आर. के आधार पर संशोधित करना पड़ा जो कि पहले 2013 के एस.ओ.आर. पर आधारित था जिसके कारण बी.ओ.क्यू. की राशि में रुपये 45.71 करोड़ की वृद्धि हुई। दूसरे एन.आई.टी. में चयनित एजेंसी अपने उद्धृत मूल्य पर कार्य निष्पादित करने के लिए सहमत थी। आगे चौथे एन.आई.टी. में कार्य के दायरे में कमी करके बी.ओ.क्यू. की राशि को कम किया गया। तब भी बी.ओ.क्यू. में कुछ मदों के नमूना जांच से पता चला कि लगभग 10 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

क्रम सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	संवेदक/परामर्शी का नाम	एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान का प्रकार
14	10 ए एन एम विद्यालयों का निर्माण		बी.एम.एस.आई. सी.एल.	3.20	बी.एम.एस.आई.सी.एल. ने सी.एस.एस. के तहत 10 ए.एन.एम. विद्यालयों के निर्माण के लिए ₹45.42 करोड़ प्राप्त किये तथा योजना के तहत ₹42.22 करोड़ खर्च किये। सभी कार्यों को पूरा कर सौंप दिया गया (मई 2018) किन्तु बी.एम.एस.आई.सी.एल. ने बिहार सरकार को ₹3.20 करोड़ का बकाया राशि वापस नहीं किया।
15	वर्धमान इस्टिच्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पावापुरी एवं गवर्नमेंट मेडिकल एवं अस्पताल बेतिया			190.5	मधेपुरा, बेतिया तथा नालंदा (पावापुरी) में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए प्रशासनिक स्वीकृति मार्च 2007 में इस शर्त के साथ दी गयी थी कि महाविद्यालय शुल्क तथा उपयोगकर्ता शुल्क इस प्रकार से तय किया जाय आवर्ती व्यय का कोई बोझ सरकार पर नहीं हो। पावापुरी में चिकित्सा महाविद्यालय यानि वी.आई.एम.एस. 2013-14 से कार्यरत था। बेतिया में चिकित्सा महाविद्यालय तथा अस्पताल यानि जी.एम.सी.एंड.एच. बेतिया 2013-14 से काम कर रहा था। वी.आई.एम.एस. पावापुरी तथा जी.एम.सी.एंड.एच. बेतिया ने 2013-18 के दौरान क्रमशः ₹83.58 करोड़. तथा 108.01 करोड़ का आवर्ती व्यय किया। वी.आई.एम.एस. पावापुरी ने 2013-18 के दौरान ₹1.09 करोड़ की फीस और उपभोक्ता शुल्क प्राप्त किया। इसका तात्पर्य यह है कि महाविद्यालय तथा अस्पताल अपने आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए पर्याप्त राजस्व उत्पन्न नहीं कर रहे थे जैसाकि उनकी प्रशासनिक स्वीकृति में परिकल्पित किया गया था, जिससे राज्य के खजाने पर अतिरिक्त बोझ पड़ा।
16	दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा, गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना, आर. बी.टी.एस. होमियोपैथी कॉलेज मुजफ्फरपुर एवं नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना			7.30	बिहार ट्रेजरी नियम, 2011 ए.सी. बिलों के आहरण के महीने से छह महीनों के भीतर डी.सी. बिल जमा करने का प्रावधान करता है। ₹43.88 करोड़ में से ₹7.29 करोड़ के डी.सी. बिल एक से 12 वर्षों तक लंबित थे जिसका कारण था कि राशि विभिन्न एजेंसियों को हस्तांतरित की गयी थी तथा बाद में निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उन एजेंसियों से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त करने में विफल रहे। डी.एम.सी. दरभंगा में ₹1.18 करोड़, एन.एम.सी.पटना. में ₹2.23 करोड़, आर.बी.टी.एस. मुजफ्फरपुर में ₹0.46 करोड़ तथा जी.एम.सी. पटना में ₹3.42 करोड़ के डी.सी. बिल लंबित थे।

क्रम सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	संवेदक/परामर्शी का नाम	एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान का प्रकार
17	पटना मेडिकल कॉलेज पटना एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा			0.15	पी.जी. छात्रों को पाठ्यक्रम के बीच में छोड़ने से हतोत्साहित करने के लिए, बिहार सरकार ने (अप्रैल 2017) निर्णय लिया कि सत्र 2017-18 से पी.जी. पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाला प्रत्येक छात्र एक बन्ध पत्र समर्पित करेगा कि अगर वे पाठ्यक्रम को बीच में छोड़ते हैं तो ₹. 15 लाख का भुगतान करेंगे और सभी प्राप्त वजीफे की पूर्ण राशि वापस कर ली जाएगी। विभाग ने बन्ध राशि के रूप में छात्र से प्राप्त राशि के जमा या उपयोग के तरीके को निर्धारित नहीं किया। परिणामस्वरूप, पी.एम.सी. में बैच 2017-18 के एक छात्र से प्राप्त राशि ₹15.00 लाख (अप्रैल-2018), जिसने बीच में पाठ्यक्रम छोड़ दिया था, बैंक खाते में बेकार पड़ा हुआ था। इसके अतिरिक्त, डी.एम.सी. महाविद्यालय अधिकारियों ने कुल 107 प्रवेश प्राप्त छात्रों में से मात्र 09 छात्रों से बन्ध पत्र लिया था।
18	पटना मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना, दरभंगा मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पटना, ए.एन.एम मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल गया, एस.के. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मुजफ्फरपुर, जे.एन. मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल भागलपुर			2.76	छह: सरकारी महाविद्यालयों में पी.जी. की सीटें बढ़ाने के लिए केन्द्र प्रायोजित योजना (सी. एस.एस.) 2009-10 में शुरू की गयी थी, जिसमें भारत सरकार द्वारा 75 प्रतिशत तथा बिहार सरकार द्वारा 25 प्रतिशत भुगतान किया जाना था। भारत सरकार द्वारा ₹29.06 करोड़ (मार्च 2010 से सितम्बर 2012 तक) जारी किया गया जिसके विरुद्ध राज्य सरकार ₹9.69 करोड़ के स्थान पर मात्र ₹6.93 करोड़ (19 प्रतिशत) जारी कर सका।

क्रम सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	संवेदक/परामर्शी का नाम	एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान का प्रकार
19	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना			2.95	सी.एस.एस. में मॉडल आयुर्वेदिक संस्थानों/उन्नत अध्ययन केन्द्र के विकास के लिए यह निर्देश दिया गया था कि अनुदान प्राप्त संस्थान अनुसूचित राष्ट्रीय बैंक के साथ प्राप्त अनुदान का एक अलग खाता रखेगा। इस योजना के तहत जी.ए.सी.पी. ने 2010-13 के दौरान भारत सरकार से ₹2.95 करोड़ प्राप्त किये लेकिन अलग बैंक खाता नहीं रखा बल्कि महाविद्यालय के पहले से मौजूद बैंक खाते में धन रखा। इसके अतिरिक्त इस फण्ड के लिए कोई रोकड़बंदी नहीं रखी गयी थी। उपयोगिता प्रमाण पत्र से पता चला कि महाविद्यालय ने इस फण्ड से ₹1.80 करोड़ व्यय किये। बैंक स्टेटमेंट की जाँच से पता चला कि बैंक में ₹1.15 करोड़ के स्थान पर मात्र ₹0.82 करोड़ उपलब्ध थे (सितम्बर 2018), जो ₹0.33 करोड़ के अल्प शेष को दर्शाता है। ₹0.33 करोड़ के अल्प शेष इस कारण से था कि इस राशि को वेतन भुगतान हेतु व्यय किया गया था क्योंकि वेतन के बैंकर चेक बैंक को जमा नहीं किये गए थे। राशि का अभी तक (सितम्बर 2018) प्रतिपूर्ति नहीं किया गया था। बैंक में वास्तविक शेष राशि की जाँच के लिए बैंक समाशोधन विवरणी तैयार किया जाना था, किन्तु महाविद्यालय द्वारा (सितम्बर 2018) बैंक शेष राशि का कोई बैंक समाशोधन विवरणी तैयार नहीं किया गया।
20	पटना मेडिकल कॉलेज पटना, नालंदा मेडिकल कॉलेज पटना एवं दरभंगा मेडिकल कॉलेज दरभंगा			15.18	सी.एस.एस. के तहत पी.जी. सीटें बढ़ाने के लिए तीन नमूना जांचित चिकित्सा महाविद्यालयों में भारत सरकार द्वारा कुल ₹28.57 करोड़ (डी.एम.सी.- ₹7.09 करोड़, एन.एम.सी.- ₹18.79 करोड़ तथा पी.एम.सी.- ₹2.69 करोड़) अनुमोदित (अगस्त 2010) किया गया था जिसमें 2.57 करोड़ की ब्याज की राशि सहित कुल ₹15.96 करोड़ (डी.एम.सी.- ₹3.83 करोड़, एन.एम.सी.- ₹10.64 करोड़ तथा पी.एम.सी.- ₹1.49 करोड़) उपलब्ध कराया गया था। पी.एम.सी. ने (अगस्त 2015 तथा मार्च 2018) ₹1.14 करोड़ की राशि वापस कर दी क्योंकि यह इस राशि का उपयोग नहीं कर सका। महाविद्यालयों को ₹15.96 करोड़ की उपलब्धता के बावजूद वे मात्र ₹9.42 करोड़ (नवंबर 2018) व्यय कर सके। पूर्व में जारी धन का उपयोग नहीं करने के कारण महाविद्यालयों को ₹15.18 करोड़ की राशि जारी नहीं की जा सकी।

क्रम सं.	चिकित्सा महाविद्यालय का नाम	संवेदक/परामर्शी का नाम	एजेंसी का नाम	राशि (₹ करोड़ में)	भुगतान का प्रकार
21	गवर्नमेंट टिब्बी कॉलेज पटना	मेसर्स न्यू पाटलिपुत्र सिक्कूरिटी सर्विसेज, पटना	संबंधित कॉलेज	0.17	सुरक्षा, सफाई एवं अन्य हाउस कीपिंग सेवाओं के लिए नियुक्त बाह्य एजेंसी को सेवाकर के रूप में अतिरिक्त भुगतान किया गया यद्यपि मेगा एक्जेंप्शन अधिसूचना सं. 25/2012-एस.टी. दिनांक 20.06.2012 के क्रम सं. 09 यथा संशोधित अधिसूचना सं. 06/2014-एस.टी. दिनांक 11.07.2014 एवं 10/2017-एस.टी. दिनांक 08.03.2017 द्वारा इन सेवाओं को जुलाई 2012 से मार्च 2017 की अवधि में सेवाकर से छूट दी गई थी।
22	गवर्नमेंट आयुर्वेदिक कॉलेज पटना	मेसर्स प्रगति कंस्ट्रक्शन पटना		0.04	
23	पटना डेन्टल कॉलेज पटना	मेसर्स इलीट फ्लकोस पटना एवं इटेलिजेंस सर्विसेज पटना		0.02	
24	गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया	मेसर्स लाहरी इंटरप्राइजेज बेतिया एवं मेस गोस्वामी सिक्कूरिटी सर्विसेज मुजफ्फरपुर		0.15	
				0.38	
			कुल	374.98	

परिशिष्ट-2.11
(संदर्भ: कड़िका-2.10.5; पृष्ठ-35)
आई. एन. सी. की स्वीकृत प्रवेश क्षमता से अतिरिक्त प्रवेश/नामांकन

क्रम सं.	संस्थान का नाम	2015-16		2016-17		2017-18	
		आई. एन. सी. द्वारा स्वीकृत सीट	प्रवेश प्राप्त	आई. एन. सी. द्वारा स्वीकृत सीट	प्रवेश प्राप्त	आई. एन. सी. द्वारा स्वीकृत सीट	प्रवेश प्राप्त
1	जी.एन.एम., पी.एम.सी.एच.	40	65	40	65	40	65
2	जी.एन.एम. डी.एम.सी.एच.	40	50	40	50	40	50
3	जी.एन.एम. स्कूल, गया	30	135	30	134	30	123
4	जी.एन.एम. स्कूल, भागलपुर	30	99	30	98	30	91
5	ए.एन.एम. स्कूल, छपरा	50	66	50	83	50	87
6	ए.एन.एम. स्कूल, बेगुसराय	20	50	-	-	20	50
7	ए.एन.एम. स्कूल, बिहारशरीफ	48	100	30	95	30	95
8	ए.एन.एम. स्कूल, सीतामढ़ी	20	49	20	46	20	45
9	ए.एन.एम. स्कूल, सहरसा	20	51	20	49	20	51
	कुल	298	665	260	620	280	657

(स्रोत- बीसीईसीई बोर्ड एवं नर्सिंग स्कूल द्वारा प्रदत्त आंकड़े)

परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ: कंडिका-3.1.4; पृष्ठ-40)

(अ) चयनित इकाईयों की सूची दर्शाती विवरणी (पं.रा.सं.)

जिला (जि.प.)	पंचायत समिति (पं.स.)	ग्राम पंचायत (ग्रा.पं.)
बेगूसराय	भगवानपुर	बनवारीपुर, जोकिया, किरतपुर, संजात
	मटिहानी	मटिहानी, सोनापुर, रामदिली-2, जी.पी. मनियप्पा
गया	बोधगया	कुरमावां, बारा, पररिया, बकरौर
	खिजरसराय	नौडिहा, हथियावां, हेमारा, होरमा
किशनगंज	कोचाधामन	पुरंदाहा, बुआलदह, मोधो, कुट्टी, मजकुरी, कठामाठा
	टेरागाछ	खनियाबाद, झुनकी मुशहरा, मटियारी
नालंदा	एकंगरसराय	मंडाछ, ग्यासपुर, एकंगरसराय, धुरगांव, औंगारी
	नूरसराय	मुजफ्फरा, अंधना, अजयपुर, जगदीशपुर तियारी
समस्तीपुर	खानपुर	कानुबिशनपुर, पुरुषोत्तमपुर अन्नू, सिवैसिंगपुर, रेबरा, श्रीपुर गाहर पश्चिम
	सरायरंजन	बाजितपुर मेयारी, भागवतपुर, गंगसारा, जितवारपुर, मुसापुर, रूपौली बुजुर्ग
वैशाली	गोरौल	महमदपुर पोझा, रसलपुर तुर्की, इस्माइलपुर, गोरौल भगवानपुर
	राजापाकर	रामपुर रत्नाकर, राजापाकर दक्षिण, बिशनपुर बलभद्र
कुल- 6 जि.प.	12 पं.स.	52 ग्रा.पं.

(ब) चयनित इकाईयों की सूची दर्शाती विवरणी (श.स्था.नि.)

नगर निगम (न.नि.)	नगर परिषद (न.प.)	नगर पंचायत (न.पं.)
छपरा	औरंगाबाद	अरेराज
गया	फतुहा	बोधगया
	खगौल	खुसरूपुर
	किशनगंज	इस्लामपुर
	मोकामा	नासरीगंज
	मसौढ़ी	नवगछिया
	सहरसा	शेरघाटी
	सिवान	वारसलीगंज
2 न.नि.	8 न.प.	8 न.पं.

परिशिष्ट-3.2
(संदर्भ: कंडिका-3.1.6; पृष्ठ-43)
राज्य द्वारा अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति

क्र. सं.	कंडिका संख्या	अनुशंसाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
1	9.56	अनुदानों का व्यय स्थानीय निकायों (स्था.नि.) को प्रासंगिक कानूनों के अंतर्गत सौंपे गए कार्यों के तहत केवल बुनियादी सेवाओं पर किया जाना चाहिए। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	पं०रा०सं०: पं.रा.वि. ने ग्रा.पं. द्वारा चौ.वि.आ. अनुदानों के अंतर्गत केवल बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने हेतु कार्यों को लिए जाने का निर्देश निर्गत किया था। परंतु, 2015-18 की अवधि के दौरान ग्रा.पं. द्वारा कार्यों के योजना एवं क्रियान्वयन से संबंधित वार्षिक योजना, परिप्रेक्ष्य योजना, मासिक प्रगति प्रतिवेदन (मा.प्र.प्र.) आदि पं.रा.वि. को प्रेषित नहीं किए गए थे। अतः पं.रा.वि., ग्रा.पं. द्वारा क्रियान्वित किए गए कार्यों के प्रकार के बारे में अनभिज्ञ था। यद्यपि, सभी नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में बुनियादी सेवाओं से संबंधित कार्य लिए गए थे। श.स्था.नि.: 18 नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं में, न०प० सिवान को छोड़कर जहां भूमि क्रय के लिए ₹3.15 करोड़ का व्यय किया गया था, चौ.वि.आ. अनुदानों का उपयोग बुनियादी सेवाएं उपलब्ध कराने पर किया गया था। लागू किया गया।
2	9.61	स्था.नि. के लेखाबहियों में स्व-करों एवं गैर करों, सौंपे गए करों, राज्य से प्राप्त प्रतिनिधायन एवं अनुदानों के मद में आय तथा वि.आ. से अनुदानों और केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए किसी एजेंसी कार्य के लिए प्राप्त अनुदानों को पृथक् रूप में दर्शाया जाना चाहिए। सी.ए.जी. के द्वारा टी.जी.एस. व्यवस्था को जारी रखा जाना चाहिए। राज्यों को स्था. नि. द्वारा लेखाओं के संकलन एवं उसके ससमय अंकक्षण की सुविधा के लिए कदम उठाने चाहिए। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	नमूना-जाँचित स्था.नि. द्वारा लेखाबहियों का संधारण नहीं किया गया था। इसके बजाए प्रत्येक योजना के लिए एकल प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित अलग सहायक रोकड़बही का संधारण किया गया था। पं. रा.सं. ने अपने लेखाओं का संधारण सी.ए.जी. द्वारा निर्धारित एवं राज्य सरकार द्वारा अपनाए गए (अप्रैल 2010) आठ एम.ए.एस. प्रपत्रों (नकद आधारित द्वि-प्रविष्टि प्रणाली पर आधारित) में नहीं किया था जबकि श.स्था.नि. ने बिहार नगरपालिका लेखा नियमावली (राष्ट्रीय नगरपालिका लेखा नियमावली पर आधारित) में विहित कोडिफिकेशन पैटर्न पर लेखाओं का संधारण नहीं किया था। न.वि.आ.वि. ने एक्रुअल आधारित द्वि-प्रविष्टि लेखांकन प्रणाली (द्वि.प्र.ले.प्र.) में नगरपालिकाओं के लेखाओं के संकलन के लिए सी.ए. फर्मों को नियुक्त (जून 2014 से अक्टूबर 2016) किया था। पं.रा.वि. ने पं.रा.सं. के लेखाओं के अंकक्षण (योजनावार एवं इकाईवार) एवं 2015-18 की अवधि के दौरान विमुक्त अनुदानों के उ.प्र. के संकलन के लिए सी.ए. फर्मों को नियुक्त (अगस्त 2017) किया था। सी.ए. फर्मों ने जिलों एवं पं.रा.वि. को अंकक्षण प्रतिवेदन समर्पित (दिसंबर 2018) नहीं किया था। हालांकि, नमूना-जाँचित ग्रा.पं. में, 2015-17 की अवधि के लिए ग्रा.पं. द्वारा प्रत्येक अनुदान मद का प्राप्ति एवं व्यय विवरणी तैयार किया गया था तथा सी.ए. द्वारा प्रमाणित किया गया था।

क्र. सं.	कड़िका संख्या	अनुशंसाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			<p>न.वि.आ.वि. ने 2014-17 की अवधि हेतु नगरपालिकाओं के लेखाओं के आंतरिक अंकेक्षण के लिए सी.ए. फर्मों को नियुक्त (मार्च 2016) किया था तथा 2014-16 की अवधि के लिए अंकेक्षण पूर्ण (दिसंबर 2018) किया गया था।</p> <p>बिहार में, सी.ए.जी. द्वारा टी.जी.एस. व्यवस्था के अंतर्गत स्था.नि. के लेखाओं का लेखापरीक्षा जनवरी 2017 से प्रारंभ हुआ था। स्था.नि. के लेखापरीक्षा के लिए प्राथमिक लेखापरीक्षक की भूमिका वित्त विभाग, बिहार सरकार के अंतर्गत गठित स्थानीय निधि अंकेक्षण निदेशालय (डी.एल.एफ.ए.) को स्थानांतरित किया गया था। डी.एल.एफ.ए. के द्वारा अंकेक्षण प्रारंभिक अवस्था में था एवं स्था.नि. के लेखाओं पर इसका प्रथम वार्षिक प्रतिवेदन प्रतीक्षित था।</p> <p>पं.रा.वि. ने पं.रा.सं. के लेखाओं के संकलन की सुविधा के लिए कदम नहीं उठाए थे जबकि न.वि.आ.वि. ने नगरपालिकाओं के लेखाओं के संकलन के लिए सी.ए. को नियुक्त किया था। स्था.नि. के पास मानव संसाधन एवं लेखांकन अवसरचना की कमी थी। बड़े पैमाने पर (60 प्रतिशत) पद रिक्त थे तथा वर्तमान मानवबल लेखाओं के संकलन के लिए पर्याप्त दक्ष नहीं थे एवं उन्हें लेखाओं के संकलन के लिए प्रशिक्षण नहीं दिया गया था।</p> <p>लागू नहीं किया गया।</p>
3	9.64	राज्यों को अनुदानों के वितरण में 2011 की जनसंख्या के आंकड़ों के 90 प्रतिशत भारांक एवं क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भारांक का प्रयोग किया जाएगा। (भारत सरकार द्वारा लागू किया जाएगा)	—
4	9.69	स्था.नि. के लिए 2015-20 की अवधि के लिए कुल अनुदान ₹ 2,87,436 करोड़ है। इसमें से, पंचायतों के लिए अनुसंधित अनुदान ₹ 2,00,292.20 करोड़ एवं नगरपालिकाओं के लिए ₹ 87,143.80 करोड़ के अनुदान की अनुशंसा की गई थी। (भारत सरकार द्वारा लागू किया जाएगा)	—
5	9.70	अनुदान दो भागों में हैं— एक बुनियादी अनुदान (बु.अ.) एवं एक निष्पादन अनुदान (नि.अ.)। ग्राम पंचायतों (ग्रा.पं.) के मामले में, अनुदानों का 90 प्रतिशत बु.अ. होगा एवं 10 प्रतिशत नि.अ. होगा। नगरपालिकाओं के मामलों में, यह अनुपात 80:20 का है। (भारत सरकार द्वारा लागू किया जाएगा)	—

क्र. सं.	कंडिका संख्या	अनुशंसाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
6	9.72	<p>पंचायती राज संस्थाओं में केवल ग्रा.पं. को अनुदान दिए गए हैं जबकि नगरपालिकाओं के सभी स्तरों को अनुदान दिए गए हैं। अनुदानों के वितरण में संसाधनों के वितरण के लिए नवीनतम रा.वि.आ. के फार्मूले का उपयोग किया जाएगा।</p> <p>(राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)</p>	<p>चौ.वि.आ. की अनुशंसा के अनुसार, राज्य ने अनुदानों की विमुक्ति ग्रा.पं. को एवं नगरपालिकाओं के सभी स्तरों को किया था। वर्ष 2015-16 के लिए ग्रा.पं. को अनुदानों का वितरण चतुर्थ रा.वि.आ. के फार्मूले (उस समय पंचम रा.वि.आ. का प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुआ था) का प्रयोग कर किया गया था जबकि वर्ष 2016-17 के बाद से अनुदानों का वितरण पंचम रा.वि.आ. के फार्मूले (संशोधन के साथ) के अनुसार किया गया था। पंचम रा.वि.आ. ने ग्रा.पं. को अनुदानों का वितरण संबंधित प्रखंड के हिस्से (50 प्रतिशत भारांक जनसंख्या के साथ एवं 50 प्रतिशत भारांक प्रखंड के निम्न विकास सूचकांक के साथ) से समान रूप से किए जाने की अनुशंसा किया था परंतु राज्य ने अनुदानों का वितरण केवल जनसंख्या के आधार पर किया था।</p> <p>नगरपालिकाओं के मामले में, चतुर्थ रा.वि.आ. ने निधियों का वितरण जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं गरीबी रेखा से नीचे (बी.पी.एल.) परिवारों की संख्या के आधार पर क्रमशः 60:20:20 के समानुपात में करने का अनुशंसा किया था जबकि पंचम रा.वि.आ. ने निधियों का वितरण जनसंख्या, क्षेत्रफल एवं बी.पी.एल. परिवारों की संख्या के आधार पर क्रमशः 70:10:20 के समानुपात में किए जाने का अनुशंसा किया था तथा यदि अद्यतन बी0पी0एल0 आंकड़े उपलब्ध नहीं हो, तो बी.पी.एल. के भारांक को जनसंख्या के भारांक में जोड़ा जाना था। बिहार सरकार ने 2015-18 की अवधि के लिए नगरपालिकाओं को चौ.वि.आ. अनुदानों का वितरण जनसंख्या (90 प्रतिशत) एवं क्षेत्रफल (10 प्रतिशत) के अनुपात में किया था क्योंकि राज्य के पास अद्यतन बी.पी.एल. आंकड़े उपलब्ध नहीं थे।</p> <p>आंशिक रूप से लागू किया गया।</p>
7	9.73	<p>रा.वि.आ. फार्मूला के उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में, प्रत्येक ग्रा.पं. एवं प्रत्येक नगरपालिका के हिस्से का वितरण 2011 की जनसंख्या के 90 प्रतिशत भारांक एवं क्षेत्रफल के 10 प्रतिशत भारांक का प्रयोग करके किया जाएगा।</p> <p>(राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)</p>	<p>बिहार में, ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं को अनुदानों के वितरण के लिए रा.वि.आ. फार्मूला उपलब्ध था तथा राज्य ने स्था.नि. को अनुदानों के वितरण में इसका प्रयोग किया था।</p> <p>लागू किया गया।</p>
8	9.75	<p>नि.अ. निम्नांकित मुद्दों के समाधान हेतु उपलब्ध कराए गए हैं: (i) अंकक्षित लेखाओं के माध्यम से स्था.नि. की प्राप्तियों एवं व्यय पर विश्वसनीय आंकड़े उपलब्ध कराना; तथा (ii) स्व-राजस्व में वृद्धि।</p> <p>(राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)</p>	<p>राज्य के ग्रा.पं. ने लेखाबहियों का संधारण नहीं किया था। वर्तमान में लेखाओं का संधारण नकद आधारित एकल प्रविष्टि प्रणाली में किए गए थे जिसमें ग्रा.पं. की संपूर्ण परिसंपत्तियां शामिल नहीं थी। 2015-18 की अवधि के लिए दिसंबर 2018 तक सी.ए. द्वारा लेखापरीक्षा पूरा नहीं किया गया था। ग्रा0पं0 के पास स्वयं के स्रोत से कोई राजस्व नहीं था क्योंकि उन्होंने करों का अध्यारोपण नहीं किया था। राज्य के नगरपालिकाओं ने भी बिहार नगरपालिका अधिनियम (बि.न.अ.), 2007 के अंतर्गत आवश्यक वित्तीय विवरणी तैयार नहीं किए थे। हालांकि, सी.ए. ने 2014-16 की अवधि के लिए नगरपालिकाओं द्वारा नकद आधारित एकल प्रविष्टि प्रणाली में संधारित लेखाओं का अंकक्षण किया था।</p>

क्र. सं.	कंडिका संख्या	अनुशंसाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
			न.वि.आ.वि. ने 26 पात्र नगरपालिकाओं (18 नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं में से 3 सहित) को वर्ष 2016-17 के लिए नि.अ. विमुक्त किया था। राज्य ने वर्ष 2017-18 के लिए नगरपालिकाओं हेतु जनवरी 2020 तक नि.अ. प्राप्त नहीं किया था जबकि वर्ष 2017-18 के लिए 140 नगरपालिकाओं में से केवल 15 नि.अ. प्राप्त करने के लिए पात्र थे। लागू नहीं किया गया।
9	9.76	नि.अ. की पात्रता हेतु, पंचायतों को अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे जो दो वर्षों से पूर्व के नहीं होंगे। उन्हें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में स्व-राजस्व में भी वृद्धि करनी होगी और यह वृद्धि अंकेक्षित लेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित होनी चाहिए। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	ग्रा.पं. नि.अ. के लिए पात्र नहीं थे क्योंकि उनके पास अंकेक्षित लेखा नहीं थे तथा उनके पास राजस्व का कोई स्वयं स्रोत नहीं था। पं.रा.वि. ने वर्ष 2015-18 के लिए पं.रा.सं. के अंकेक्षण हेतु सी.ए. को नियुक्त किया था परंतु दिसंबर 2018 तक अंकेक्षण पूरा नहीं किया गया था। लागू नहीं किया गया।
10	9.77	राज्य सरकार द्वारा ग्रा.पं. को नि.अ. के संवितरण के लिए राजस्व में वृद्धि पर आधारित विस्तृत प्रक्रिया को मार्च 2016 तक अधिसूचित किया जाना चाहिए। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	राज्य सरकार द्वारा इस प्रकार का कोई अधिसूचना जारी नहीं किया गया था। लागू नहीं किया गया।
11	9.78	नि.अ. की पात्रता हेतु, नगरपालिकाओं को अंकेक्षित वार्षिक लेखा प्रस्तुत करने होंगे, जो दो वर्षों से पूर्व के नहीं होंगे। उन्हें पूर्ववर्ती वर्ष की तुलना में स्व-राजस्व में भी वृद्धि करनी होगी और यह वृद्धि अंकेक्षित लेखाओं के माध्यम से प्रदर्शित होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त, उन्हें प्रतिवर्ष बुनियादी सेवाओं से संबंधित सेवा स्तर मानकों (एस.एल.बी.) को आकलित एवं प्रकाशित करना आवश्यक होगा। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	वर्ष 2014-16 के लिए नगरपालिकाओं के लेखाओं का आंतरिक अंकेक्षण सी.ए. द्वारा पूर्ण किया गया था। कुल 140 नगरपालिकाओं में से केवल 26 एवं 15 ने क्रमशः वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 के लिए नि.अ. की अनिवार्य षट्तां को पूरा किया था। हालांकि, 18 नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं में से 12 में, स्वयं के स्रोतों से राजस्व में वृद्धि हुई थी जबकि केवल तीन नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं ने वर्ष 2015-16 एवं 2016-17 के लिए एस.एल.बी. को प्रकाशित किया था। आंशिक रूप से लागू किया गया।
12	9.79	केंद्र सरकार, राज्यों के द्वारा नि.अ. के संवितरण के लिए तैयार किए गए विस्तृत प्रक्रिया को स्वीकार कर सकता है। (भारत सरकार द्वारा लागू किया जाएगा)	—

क्र. सं.	कंडिका संख्या	अनुशंसाएं	कार्यान्वयन की स्थिति																									
13	9.80	चौ.वि.आ. द्वारा इंगित किए गए शर्तों या निर्देशों के अलावा केंद्र एवं राज्यों द्वारा अन्य कोई शर्त या निर्देश अध्यारोपित नहीं किया जाना चाहिए। (भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	भारत सरकार ने ग्रा.पं. के लिए नि.अ. की प्राप्ति हेतु पात्रता मानदंड निर्धारित (सितंबर 2017) किया था जिसमें प्लानप्लस पोर्टल पर ग्रा.पं.वि.यो. को अपलोड किया जाना एवं मंत्रालय के वेबसाइट/ डैशबोर्ड पर प्रक्षेत्रवार व्यय को अपलोड किया जाना शामिल था। <i>आंशिक रूप से लागू किया गया।</i>																									
14	9.81	अनुदान प्रत्येक वर्ष जून एवं अक्टूबर में दो किस्तों में विमुक्त किया जाएगा। राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा जारी की गई राशि उनके खाते में प्राप्त होने के 15 दिनों अंदर ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं को विमुक्त कर देना चाहिए। विलंब की स्थिति में, राज्यों को अपनी निधियों से ब्याज का भुगतान करना है। (भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>वर्ष</th><th>किस्त</th><th>ग्रा0पं0 के लिए प्राप्ति की तिथि</th><th>नगर—पालिकाओं के लिए प्राप्ति की तिथि</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="2">2015-16</td><td>प्रथम</td><td>02.07.2015</td><td>01.07.2015</td></tr> <tr> <td>द्वितीय</td><td>23.03.2016</td><td>11.12.2015</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2016-17</td><td>प्रथम</td><td>21.12.2016</td><td>30.06.2016</td></tr> <tr> <td>द्वितीय</td><td>09.03.2017</td><td>21.12.2016</td></tr> <tr> <td rowspan="2">2017-18</td><td>प्रथम</td><td>21.06.2017</td><td>28.07.2017</td></tr> <tr> <td>द्वितीय</td><td>24.11.2017</td><td>23.01.2018</td></tr> </tbody> </table> <p>भारत सरकार ने राज्य को चौ.वि.आ. अनुदानों को ससमय (सिवाय प्रत्येक ग्रा.पं. एवं नगरपालिकाओं को दो किस्तों) विमुक्त नहीं किया था। विलंब से अनुदानों की विमुक्ति का कारण राज्य द्वारा विलंब से उ.प्र. प्रेषित किया जाना था। बिहार सरकार ने स्था.नि. को अनुदानों की विमुक्ति 15 दिनों के अंदर नहीं किया था तथा 2015-18 के दौरान ग्रा.पं. को अनुदानों की विमुक्ति में 11 से 261 दिनों का विलंब था। बिहार सरकार ने वर्ष 2015-16 के लिए अनुदानों के प्रथम किस्त की विलंब से विमुक्ति हेतु ग्रा.पं. को ₹8.12 करोड़ के दंडात्मक ब्याज की विमुक्ति किया था जबकि 2016-18 के लिए अनुदानों के विलंब से विमुक्ति के लिए ₹37.32 करोड़ के दंडात्मक ब्याज का भुगतान ग्रा.पं. को नहीं किया था। वर्ष 2015-16 में, नगरपालिकाओं को अनुदानों की प्रथम किस्त की विमुक्ति 21 से 39 दिनों के विलंब से किया गया था परंतु, अनुदानों की विलंब से विमुक्ति के लिए नगरपालिकाओं को ₹59.37 लाख के दंडात्मक ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। <i>आंशिक रूप से लागू किया गया।</i></p>	वर्ष	किस्त	ग्रा0पं0 के लिए प्राप्ति की तिथि	नगर—पालिकाओं के लिए प्राप्ति की तिथि	2015-16	प्रथम	02.07.2015	01.07.2015	द्वितीय	23.03.2016	11.12.2015	2016-17	प्रथम	21.12.2016	30.06.2016	द्वितीय	09.03.2017	21.12.2016	2017-18	प्रथम	21.06.2017	28.07.2017	द्वितीय	24.11.2017	23.01.2018
वर्ष	किस्त	ग्रा0पं0 के लिए प्राप्ति की तिथि	नगर—पालिकाओं के लिए प्राप्ति की तिथि																									
2015-16	प्रथम	02.07.2015	01.07.2015																									
	द्वितीय	23.03.2016	11.12.2015																									
2016-17	प्रथम	21.12.2016	30.06.2016																									
	द्वितीय	09.03.2017	21.12.2016																									
2017-18	प्रथम	21.06.2017	28.07.2017																									
	द्वितीय	24.11.2017	23.01.2018																									
15	9.82	यदि निधियों के अनुप्रयोग में अनियमितता पाई जाती है या इंगित की जाती है तो कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	लेखापरीक्षा द्वारा कई अनियमितताएं इंगित की गई थीं। संबंधित लेखापरीक्षित इकाईयों एवं प्राधिकारियों द्वारा अनुपालन प्रतीक्षित थे। <i>लागू नहीं किया गया।</i>																									

क्र. सं.	कंडिका संख्या	अनुशंसाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
16	9.84	राज्य सरकार को राज्य वित्त आयोग (रा.वि.आ.) को मजबूत करना चाहिए। इसमें रा.वि.आ. का ससमय गठन करना, समुचित प्रशासनिक सहयोग तथा सुचारु कामकाज के लिए पर्याप्त संसाधन एवं कार्रवाई टिप्पणी के साथ रा.वि.आ. के प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के समक्ष ससमय प्रस्तुत करना शामिल है। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	पंचम रा.वि.आ. का गठन दिसंबर 2013 में किया गया था तथा इसे अपना प्रतिवेदन 31 मार्च 2015 तक समर्पित करना था। परंतु, आयोग ने अपना प्रतिवेदन 2 फरवरी 2016 को समर्पित किया था। बिहार सरकार ने पंचम रा.वि.आ. की अनुशंसाओं को आंशिक संशोधनों के साथ लागू करने के लिए गजट के माध्यम से संकल्प निर्गत (24 फरवरी 2016) किया था। हालांकि, रा.वि.आ. को प्रशासनिक सहयोग एवं संसाधन उपलब्ध कराए गए थे। रा.वि.आ. की अनुशंसाओं पर कार्रवाई टिप्पणियों के साथ रा.वि.आ. के प्रतिवेदन को राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया था। आंशिक रूप से लागू किया गया।
17	9.90	संपत्ति कर के अध्यारोपण की सुगमता के लिए वर्तमान नियमों की समीक्षा की जानी चाहिए। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	पं.रा.सं.: बिहार पंचायत राज अधिनियम में संपत्ति कर के अध्यारोपण का प्रावधान है परंतु, ग्रा.पं. ने करों का अध्यारोपण नहीं किया था क्योंकि बिहार सरकार ने करारोपण के लिए नियमावली तैयार नहीं किया गया था। शं.स्था.नि.: बि.न.अ., 2007 में निहित संपत्ति कर के अध्यारोपण से संबंधित प्रावधान को वर्ष 2013 में और अधिक संशोधित किया गया था तथा क्षेत्रफल के आधार पर संपत्ति कर के स्व-मूल्यांकन की प्रणाली को प्रारंभ किया गया था। संपत्ति कर के अध्यारोपण को सरलीकृत (प्रत्येक कमरे, बरामदा, शौचालय, किचेन आदि के क्षेत्रफल की बजाए अब निर्मित क्षेत्रफल के 70 प्रतिशत को करारोपण के लिए विचार किया जाता है।) किया गया था। आंशिक रूप से लागू किया गया।
18	9.91	उप-नगरीय पंचायतों द्वारा रिक्त भूमि कर के अध्यारोपण पर विचार किया जाना चाहिए। राज्य सरकार द्वारा भूमि परिवर्तन शुल्कों के एक भाग को स्था.नि. के साथ साझा किया जा सकता है। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	बि.न.अ. की धारा 127(1)(अ), नगरपालिकाओं द्वारा रिक्त भूमि कर के अध्यारोपण का प्रावधान करता है। परंतु, बिहार सरकार ने उप-नगरीय पंचायतों द्वारा रिक्त भूमि कर के अध्यारोपण पर विचार नहीं किया था। यद्यपि बिहार सरकार ने बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2010 तैयार किया था तथा रूपांतरण शुल्क अध्यारोपित किया था परंतु इसे स्था.नि. के साथ साझा करने के लिए नीति तैयार नहीं किया था। लागू नहीं किया गया।
19	9.92	राज्यों द्वारा बेटरमेंट कर के अध्यारोपण के लिए नियमों की रूपरेखा तैयार किया जाना चाहिए। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	बिहार सरकार ने बेटरमेंट कर के अध्यारोपण के लिए नियम तैयार नहीं किए थे। हालांकि, विभाग द्वारा बताया गया था कि नियमावली तैयार किया जाना प्रक्रियाधीन है। लागू नहीं किया गया।

क्र. सं.	कंडिका संख्या	अनुशंसाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
20	9.93	राज्य, विज्ञापन शुल्क के अध्यारोपण एवं इस स्रोत से स्व-राजस्व में वृद्धि के लिए स्था.नि. को सशक्त बनाने हेतु कदम उठा सकते हैं। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	पं.रा.वि.: बिहार सरकार ने पं.रा.सं. को विज्ञापन कर के अध्यारोपण के लिए सशक्त नहीं किया था। शं.स्था.नि.: बि.न.अ. की धारा 127(1)(एफ) में विज्ञापन कर के अध्यारोपण से संबंधित प्रावधान है। परंतु, राज्य में केवल पटना नगर निगम ने विज्ञापन कर के अध्यारोपण के लिए नियमावली बनाया (जुलाई 2012) था। लागू नहीं किया गया।
21	9.94	राज्य, मनोरंजन कर के क्षेत्र को विस्तृत करने के लिए राज्य कदम उठा सकते हैं। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	पं.रा.वि.: बिहार सरकार ने पं.रा.सं. को मनोरंजन कर के अध्यारोपण के लिए सशक्त नहीं किया था। शं.स्था.नि.: बि.न.अ. की धारा 127(1)(जी) में नगरपालिकाओं द्वारा मनोरंजन कर के अध्यारोपण से संबंधित प्रावधान है परंतु नगरपालिकाओं द्वारा करों का अध्यारोपण नहीं किया गया था। राज्य ने कर के अध्यारोपण की सुविधा के लिए कदम नहीं उठाए थे। लागू नहीं किया गया।
22	9.97	पेशाकर की सीमा को ₹2,500 से ₹12,000 प्रतिवर्ष किया जा सकता है। राज्यों द्वारा पेशाकर के अध्यारोपण की सीमा को बढ़ाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 276(2) में संशोधन किया जा सकता है। (भारत सरकार द्वारा लागू किया जाएगा)	—
23	9.98	पंचायतों को स्थानीय उत्पादक परिसंपत्तियों को सौंपने हेतु राज्य सरकार कदम उठा सकती है। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	नमूना-जांचित ग्रा.पं. के क्षेत्राधिकार में, कोई स्थानीय उत्पादक परिसंपत्तियां नहीं थी। हालांकि, बिहार सरकार ने स्था.नि. के क्षेत्राधिकार में उत्पादक परिसंपत्तियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करने हेतु सर्वेक्षण नहीं किया था तथा इस संबंध में नियमावली नहीं बनाया था। लागू नहीं किया गया।
24	9.99	नगरपालिकाओं को अपने सेवा शुल्कों को इस तरीके से तर्कसंगत बनाना चाहिए कि वे लाभुकों से कम-से-कम प्रचालन एवं रखरखाव लागतों की वसूली कर सकें। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	यद्यपि बिहार सरकार ने लाभुकों से उपभोक्ता/सेवा शुल्कों की वसूली के लिए दर अधिसूचित किया था, 18 नमूना-जांचित नगरपालिकाओं में से दो ने जलापूर्ति सेवा एवं एक नगरपालिका ने अपशिष्ट प्रबंधन के लिए घर-घर सेवा उपलब्ध कराया था परंतु उनके द्वारा सेवा शुल्कों की वसूली नहीं की गई थी। आंशिक रूप से लागू किया गया।
25	9.101	रॉयल्टी से प्राप्त आय का कुछ भाग उन स्था.नि. के साथ साझा किया जाना चाहिए जिनके क्षेत्राधिकार में खनन किया जाता है। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	बिहार सरकार ने स्था.नि. के साथ रॉयल्टी से प्राप्त आय को साझा करने के लिए नियमावली तैयार नहीं किया था। हालांकि, नमूना-जांचित स्था.नि. इकाईयों के क्षेत्राधिकार में खनन का स्रोत नहीं था। लागू नहीं किया गया।

क्र. सं.	कंडिका संख्या	अनुशंसाएं	कार्यान्वयन की स्थिति
26	9.102	केंद्र एवं राज्य सरकारों को स्था.नि. द्वारा सरकारी संपत्तियों को उपलब्ध कराए गए नागरिक सेवाओं के लिए समुचित क्षतिपूर्ति के मुद्दे पर विचार करना चाहिए। (भारत सरकार एवं राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	बिहार नगरपालिका संपत्ति कर नियमावली 2013 राज्य एवं केंद्र सरकार के गैर-वाणिज्यिक कार्यालयों एवं प्रतिष्ठानों को संपत्ति कर के भुगतान से छूट का प्रावधान करता है परंतु उन्हें सेवा शुल्क का भुगतान करना होगा जो सामान्य संपत्ति कर का 75 प्रतिशत होगा। यह प्रावधान 11 नवंबर 2013 से लागू किया गया था। तदनुसार, नमूना-जाँचित नगरपालिकाओं ने राज्य एवं केंद्र सरकार से सेवा शुल्क संग्रहित किया था। परंतु, नगरपालिका क्षेत्रों में अवस्थित रेलवे भवनों से संबंधित सेवा शुल्क का संग्रहण रेलवे से नहीं किया जा रहा था। यद्यपि, पं.रा.सं. ने सेवा शुल्क का अध्यारोपण नहीं किया था तथा इस संबंध में बिहार पंचायत राज अधिनियम, 2006 में प्रावधान नहीं किया गया था। आंशिक रूप से लागू किया गया।
27	9.107	स्था.नि. तथा राज्यों को केंद्र सरकार के उपयुक्त सहयोग से राजस्व के एक स्रोत के रूप में म्युनिसिपल बांड के निर्गमन पर विचार करना चाहिए। (राज्यों द्वारा लागू किया जाएगा)	नगरपालिकाओं ने राजस्व के एक स्रोत के रूप में म्युनिसिपल बांड के निर्गमन पर विचार नहीं किया था। बिहार सरकार को नगरपालिकाओं द्वारा ऋण प्राप्त किए जाने की स्थिति में एक व्यापक ऋण सीमा नीति तैयार करना था जिसे दिसंबर 2018 तक तैयार नहीं किया गया था। हालांकि, न.वि.आ. वि. ने ई.सी.आर.ए. एवं इंडिया रेटिंग एजेंसियों से 27 नगरपालिकाओं (अमृत योजनांतर्गत आच्छादित नगर) के क्रेडिट रेटिंग के लिए पहल किया गया था तथा केवल पटना नगर निगम को निवेश की संभावित निवेश के लिए रेटिंग दिया गया था। लागू नहीं किया गया।
28	9.110	केंद्र सरकार को प्रशासनिक उन्नयन के साथ-साथ संविधान के अनुच्छेद 275(1) के तहत आच्छादित क्षेत्रों तथा टी.ओ.आर. में वित्त आयोग के विचारण से छूट गए क्षेत्रों के विकास के लिए एक वृहद, निरंतर एवं अधिक प्रभावी प्रत्यक्ष हस्तक्षेप के बारे में विचार करना चाहिए। (भारत सरकार द्वारा लागू किया जाएगा)	—

(स्रोत: चौ.वि.आ. का प्रतिवेदन तथा पं.रा.वि. तथा न.वि. एवं आ.वि. द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना)

परिशिष्ट-3.3

(संदर्भ: कंडिका-3.1.9.3; पृष्ठ-56)

मु.मं.नि.यो. के अंतर्गत बिना नाली के पी.सी.सी. सड़कों के निर्माण को दर्शाती
विवरणी

(₹ करोड़ में)

जिला	ग्रा.पं. का नाम	वार्ड संख्या	कार्यों की संख्या	व्यय
गया	बारा	4	1	4.96
	बकरौर	14	1	6.00
	कुरमावां	12	1	4.24
		9	1	4.62
		11	1	2.99
	होरमा	1	2	7.59
वैशाली	गोरौल भगवानपुर	4	1	8.68
समस्तीपुर	जितवारपुर	8	1	0.00
किशनगंज	कुमिहारा बुआलदह	3	1	1.35
		3	1	3.32
		3	1	1.30
		3	1	3.60
		3	1	2.27
		12	6	7.70
	मजकुरी	7	1	4.00
		12	1	2.45
बेगूसराय	जोकिया	9	1	1.64
	मटिहानी-1	17	2	9.80
कुल	10 ग्रा.पं.	18 वार्ड	25	76.51

(स्रोत: नमूना जांचित इकाईयों के अभिलेख)

परिशिष्ट-3.4

(संदर्भ: कंडिका-3.1.11; पृष्ठ-60)

कार्यों के भौतिक निरीक्षण के दौरान पायी गयीं गंभीर अनियमितताओं को दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

अनियमितताओं की प्रकृति	इकाईयों का नाम (जिला)	योजना संख्या/वर्ष	प्राक्कलित राशि	व्यय	अभियुक्ति
मा.पु. में जाली प्रविष्टि	ग्रा0पं0 धुरगांव (नालंदा)	23/15-16 (चौ0वि0आ0)	2.73	2.55	कार्य उस स्थल पर नहीं पाया गया जिसके लिए प्राक्कलन तैयार किया गया था। बजाए इसके किसी अन्य स्थल के कार्य को लेखापरीक्षा को दिखाया गया तथा यह बताया गया कि कार्य का नाम लिखने में गलती हुई थी। मा.पु. में कार्य की प्रविष्टि की गई थी परंतु, संबंधित क.अ. ने बताया कि यह एक जाली मा.पु. है तथा उसने किए गए कार्य के मूल्य की मापी नहीं की थी एवं मा.पु. में उसका जाली हस्ताक्षर किया गया था।
मा.पु. में दर्ज कार्य मूल्य की तुलना में कम मात्रा में कार्य	ग्रा.पं. औंगारी (नालंदा)	3/15-16 (चौ. वि.आ.)	4.00	3.96	राम प्रसाद महतो के दुकान से सतेन्द्र प्रसाद के घर तक 601 फीट में से लगभग 500 फीट में पी0सी0सी0 कार्य नहीं किया गया था।
	ग्रा.पं. धुरगांव (नालंदा)	6/15-16 (चौ. वि.आ.)	0.52	0.44	ईट सोलिंग का कार्य 900 वर्गफीट जिसके लिए भुगतान किया गया था, में से केवल 240 वर्गफीट में किया गया था।
		7/15-16 (चौ. वि.आ.)	0.52	0.48	ईट सोलिंग का कार्य 900 वर्गफीट जिसके लिए भुगतान किया गया था, में से केवल 175 वर्गफीट में किया गया था।
	ग्रा.पं. अजयपुर (नालंदा)	5/15-16 (चौ0वि0आ0)	0.62	0.62	उस स्थल पर ट्यूबवेल नहीं पाया गया जहां संबंधित योजना संचिका में कार्य का क्रियान्वयन दर्शाया गया था।
	न.पं. बोधगया (गया)	5/15-16 (चौ. वि.आ.)	5.15	4.59	सड़क का निर्माण 550 वर्गफीट, जिसके लिए भुगतान किया गया था, के बजाए केवल 515 वर्गफीट में किया गया था। ₹ 29,188 मूल्य के 35 वर्गफीट में कार्य नहीं किया गया था।
		6/16-17 (चौ. वि.आ.)	4.09	3.68	पक्का नाला का निर्माण 350'×3'6" के बजाए केवल 350'×2'8" में किया गया था। ₹ 97,745 मूल्य के 350'×10" में कार्य नहीं किया गया था।
	न.पं. शेरघाटी (गया)	45/17-18	4.35	3.84	सड़क का निर्माण 160 वर्गफीट, जिसके लिए भुगतान किया गया था, के बजाए केवल 120 वर्गफीट में किया गया था। ₹ 96,104 मूल्य के 40 वर्गफीट में कार्य नहीं किया गया था।
कार्यों की अतिव्यापि	ग्रा.पं. मोधो (किशनगंज)	1/15-16 (चौ0वि0आ0)	4.33	4.30	चौ.वि.आ. अनुदान से फरवरी 2016 में शकुलरानी हुसैन के घर से कादिर के घर तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण किया गया था। उक्त पी.सी. सी. कार्य को आर.डब्ल्यू.डी. द्वारा 2017 में तोड़ दिया गया था तथा आर.डब्ल्यू.डी. द्वारा ₹ 30 लाख के प्राक्कलित राशि से मुख्यमंत्री ग्रामीण टोला संपर्क योजना के अंतर्गत शकुलरानी से ईदगाह तक पी.सी.सी. सड़क का निर्माण किया गया था जिसमें ग्रा.पं. द्वारा चौ.वि.आ. अनुदान से कराया गया कार्य शामिल था।

अनियमितताओं की प्रकृति	इकाईयों का नाम (जिला)	योजना संख्या/वर्ष	प्राक्कलित राशि	व्यय	अभियुक्ति
बिना समुचित अनुमोदन के कार्यों का क्रियान्वयन	ग्रा.पं. मुजफ्फरपुर (नालंदा)	33/15-16 (चौ.वि.आ.)	2.90	2.89	पी.सी.सी. कार्य दो व्यक्तियों (अर्जुन सिंह एवं संजय सिंह) के आवास में किया गया था।
कार्यों का क्रियान्वयन नहीं/पूर्ण नहीं किया जाना	ग्रा.पं. जोकिया (बेगूसराय)	5/15-16 (चौ.वि.आ.)	3.14	3.03	कार्य का नाम “अभय सिंह के घर से राम किशोर पासवान के घर तक पी.सी.सी. कार्य” था परंतु संयुक्त भौतिक सत्यापन के दौरान कार्य स्थल का पता नहीं चल सका।
	ग्रा.पं. बिशनपुर बलभद्र (वैशाली)	2/17-18 (चौ.वि.आ.)	4.21	1.07	प्राक्कलन के अनुसार पी.सी.सी. सड़क का निर्माण 250’ लंबाई में किया जाना था। परंतु, पी.सी.सी. कार्य नहीं पाया गया तथा स्थल पर केवल ईंटों के टुकड़े बिखरे हुए पाए गए। कार्य को अधूरा छोड़ दिया गया था।
	ग्रा.पं. गाहर पश्चिम (समस्तीपुर)	2017-18 (मु.मं.नि.यो.) नल जल वार्ड-05	13.11	6.95	विगत छः माह से कार्य बंद था। जल मीनार का निर्माण नहीं किया गया था तथा पानी की टंकी का क्रय नहीं किया गया था। स्थानीय लोगों ने बताया कि पानी के साथ बालू आ रहा था। वा.क्रि.प्र.स. के अध्यक्ष एवं सचिव ने बताया कि उद्घाटन समारोह पर ₹ 45,000 व्यय किए गए थे।
		2017-18 (मु.मं.नि.यो.) नली गली वार्ड-01	5.25	—	सड़क के किनारे 190’ लंबाई में नाले का निर्माण पूर्व में ही किया गया था। इसमें से 20’ लंबाई में नाला नष्ट था। शेष 170’ लंबाई में, नाली के निकासी की कोई व्यवस्था नहीं थी। कार्य की प्राक्कलित राशि ₹ 5.25 लाख थी जबकि कार्य के लिए ₹ 7.75 लाख की निकासी की गई थी।
कुल		14 कार्य			

(स्रोत: भौतिक सत्यापन प्रतिवेदन)

परिशिष्ट-3.5
(संदर्भ: कंडिका-3.2.3.1; पृष्ठ-67)
तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने में विलंब

(राशि करोड़ में)

प्रमंडल का नाम	अनुबंध संख्या	पैकेज संख्या	तकनीकी स्वीकृति की तिथि	अनुबंध की तिथि	अनुबंध की राशि	भुगतान
पथ प्रमंडल मोतिहारी	17 एम.बी.डी./13-14	03	03.06.2014	07.12.13	40.41	38.39
—वही—	-	04	03.06.2014	4.1.14	29.57	25.27
नूतन राजधानी पथ प्रमंडल पटना	01 एम.बी.डी./13-14	64	26.06.2016	02.12.13	38.25	38.21
शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा	04 एम.बी.डी./13-14	53	स्वीकृत नहीं	29.11.13	41.80	38.20
पथ प्रमंडल बक्सर	11 एम.बी.डी./13-14	57	08.05.2015	31.12.13	25.76	19.49
पथ प्रमंडल बेतिया	01 एम.बी.डी./13-14	01	16.1.14	9.12.13	42.37	45.21
	02 एम.बी.डी./13-14	02	16.1.14	10.12.13	37.48	35.82
पथ प्रमंडल मधुबनी	09 एम.बी.डी./13-14	11	22.1.14	22.1.14	29.02	26.60
	10 एम.बी.डी./13-14	12	22.1.14	22.1.14	24.26	22.77
पथ प्रमंडल किशनगंज	8 एमबीडी/13-14	31	21.1.14	25.11.13	32.05	27.11
पथ प्रमंडल सीतामढ़ी	20 एमबीडी/13-14	6	20.1.14	26.12.13	36.23	31.53
पथ प्रमंडल अररिया	12 एम.बी.डी./13-14	30	10.1.14	7.12.13	25.11	22.22
पथ प्रमंडल पीपरा	12 एम.बी.डी./13-14	24	23.1.14	15.1.14	22.36	21.66
योग					424.67	392.48

परिशिष्ट-3.6(अ)
(संदर्भ: कडिका-3.2.3.2; पृष्ठ-67)
 सेवा स्तर के लिए मॉर्थ (एम.ओ.आर.टी.एच.) विशिष्टियों का अनुपालन नहीं होना
 प्रमंडल का नाम: पथ प्रमंडल बक्सर/पैकेज संख्या 57 अनुबंध संख्या 11/13-14

पथ का नाम	किमी	जॉच की तिथि	चैनज	आई.आर.आई. का विस्तार	अभ्युक्ति
पुराना बाईपास रोड	0 से 1.6	अंकित नहीं	0 से 1.2 और 1.4 से 1.6	3670.6 से 7962.6	आई.आर.आई.का मान अनुमत सीमा (3500 आई.आर.आई.) से अधिक
धनसोई-दिनारापथ	0 से 13.6	वही	0 से 0.6, 1.6 से 1.8, 2.8 से 3.0, 4.2 से 4.6, 4.8 से 5.0, 5.4 से 5.8, 6.0 से 6.4, 8.0 से 10.2, 10.4 से 10.6, 11.4 से 13.6	3786.6 से 9296.6	
इटाली-धनसोईदिनारा पथ	0 से 14	वही	0.4 से 2.0, 6.0 से 6.2, 6.8 से 7.0, 7.2 से 7.4, 13, 2 से 13.4	3670.60 से 9702.6	
परासी-सोनबरसा पथ	0 से 7	वही	0.0 से 1.6, 6.6 से 7.0	3612.6 से 7382.6	
आरा-बक्सर	0 से 2.6	वही	2.2 से 2.6	4308.6 से 4424.6	
चौसाचुन्नी-पवनईकर्मपुर	0 से 10.69	वही	1.0 से 1.4, 5.2 से 5.4, 7.0 से 7.4, 9.2 से 9.4, 10.8 से 11.0	4482.6 से 5758.6	
भोजपुर-सिमरी	0 से 9.3	वही	0.0 से 0.4, 2.8 से 3.0, 6.4 से 6.6, 6.8 से 7.2	3670.6 से 5758.6	
ब्रह्मपुर-कोरनसराय	0 से 23.7	वही	0.0 से 0.2, 0.4 से 0.6, 1.0 से 1.4, 17.8 से 18.0, 19.2 से 19.4, 22.6 से 22.8, 23.2 से 23.4	3612.6 से 4598.6	आई.आर.आई.का मान अनुमत सीमा (3500 आई.आर.आई.) से अधिक
रघुनाथपुर-तुलसीस्थान पथ	0 से 1.25	वही	0.4 से 0.6 और 0.8 से 1.2	4192.6 से 4772.6	
भोजपुर-डुमरी पथ	0 से 7	वही	0.0 से 1.0, 4.0 से 4.2	4076.6 से 6396.6	

परिशिष्ट-3.6 (ब)
(संदर्भ: कडिका-3.2.3.2; पृष्ठ-67)
 सेवा स्तर के लिए मॉर्थ (एम.ओ.आर.टी.एच.) विशिष्टियों का अनुपालन नहीं होना
 शाहाबाद पथ प्रमंडल आरा पैकेज संख्या 53/अनुबंध संख्या 04 एमबीडी/13-14

पथ का नाम	किमी	चैनज	आई.आर.आई.का विस्तार	अभ्युक्ति
आरा-सासाराम रोड	0-46.446	16.6 से 17.4, 17.6 से 18, 27.00 से 27.2, 27.4 से 27.6, 36.4 से 36.6, 37.0 से 37.4, 45.8 से 46.2	3554.6-7150.6	आई.आर.आई.का मान अनुमत सीमा (3500 आई.आर.आई.) से अधिक। जॉच की तिथि अंकित नहीं तथा रिपोर्ट न तो संवेदक और न ही नियोक्ता द्वारा हस्ताक्षरित थे।
पिरो-सिकरहट्टा-बिहटा रोड	0-22.2	13.0 से 13.2, 22.8 से 23	4772.6-6396.6	
नोनार-तरारी रोड	13-22	13.8 से 14, 16.2 से 16.4, 17.2 से 17.6, 20.8 से 21	3670.6-4714.6	

परिशिष्ट-3.7

(संदर्भ: कड़िका-3.2.3.3; पृष्ठ-68)

वास्तविक सीमा रेखा से अधिक दर पर अनुबंध का निस्तारण

(राशि रुपये में)

प्रमंडल का नाम	पैकेज संख्या / अनुबंध संख्या	अनुमानित लागत मूल्य की गणना (तकनीकी स्वीकृति के आधार पर)					अनुबंध का दर		वास्तविक सीमा-रेखा से अधिक राशि	संवेदक का नाम
		[आई.आर. + पी. एम.+एम.आई.] से 5 प्रतिशत ऊपर, सेवाकर छोड़कर	3	4	[ओएम+आईआर +पी. एम.+एम. आई.] से 10 प्रतिशत ऊपर, सेवाकर छोड़कर	[ओएम+आईआर +पी. एम.+एम. आई.] से 10 प्रतिशत ऊपर, सेवाकर सहित	आई.आर.+ पी. एम.+एम.आई.	ओ. एम.+आई. आर. +पी. एम.+एम.आई.		
1		2			5	6	7	8=7-4	9	
पथ प्रमंडल बक्सर	57 ओ.पी.आर.एम. सी. /11 एम.बी.डी./13-14	180792534	203138492	204336422	229592404	176985006	229500000	25163578		मेसर्स अमहारा कंस्ट्रक्शन प्राईवेट लिमिटेड पटना
पथ प्रमंडल किशनगंज	31 ओ.पी.आर.एम.सी. /08 एम.बी.डी./13-14	207369527	233000401	246415567	276872531	232102985	275579903	29164336		मेसर्स एम के गुप्ता एण्ड कंपनी, पश्चिम बंगाल
							योग	54327914		

परिशिष्ट-3.8

(संदर्भ: कंडिका-3.2.3.5; पृष्ठ-70)

रोड मार्किंग कार्य पर अधिक भुगतान

चैकेज संख्या	मूल अनुबंध संख्या	पी.एम. कार्य	भुगतान	एम.बी. सं./पृष्ठ एवं तिथि	पूरक अनुबंध संख्या	पूरक अनुबंध की राशि	भुगतान	एम.बी. सं./पृष्ठ एवं तिथि
चैकेज-11	09 एम.बी.डी./13-14	एकल लेन	14999350	1586/37/ 01.09.18	09 (एस-2)/13-14	14286305	12934900	1586/44 /01.09.18
		इंटरमीडिएट लेन	73970950	1586/38/ 01.09.18				
		डबल लेन	116217000	1586/38/ 01.09.18				
		योग	205187300					
चैकेज -12	10 एम.बी.डी./13-14	एकल लेन	54758669	1517/62/ 04.09.18	10(एस-1)/13-14	12698562	11052661	1517/64/ 04.09.18
		इंटरमीडिएट लेन	26417800	1517/62/ 04.09.18				
		डबल लेन	75817950	1517/62/ 04.09.18				
		योग	156994419					
चैकेज -13	11 एम.बी.डी./13-14	एकल लेन	24702350	1598/61/ 09.10.18	11(एस-1)/13-14	14756825	11697737	1598/64/ 09.10.18
		इंटरमीडिएट लेन	79437515	1598/60/ 09.10.18				
		डबल लेन	84581630	1598/60/ 09.10.18				
		योग	188721495					
		कुल योग	550903214			41741692	35685298	

परिशिष्ट-3.9

(संदर्भ: कंडिका-3.2.3.6; पृष्ठ-71)

पी.एम.कार्य पर अधिक भुगतान

प्रमंडल का नाम	पैकेज/अनुबंध संख्या	कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर) मापी पुस्त में अंकित कार्य की कुल मात्रा	मापी पुस्त के अनुसार किमी जिसका भुगतान किया गया (3050 व.मी. से विभाजित कर)	भुगतान हेतु अनुमत किमी (3750 व.मी. से विभाजित कर)	अतिरिक्त किमी	दर	अतिरिक्त भुगतान
पथ प्रमंडल मोतिहारी	04 /ओपीआरएमसी	6112.25	2.00	1.63	0.37		
		16646.15	5.46	4.44	1.02		
		7714	2.53	2.06	0.47		
		19232	6.31	5.13	1.18		
		8936	2.93	2.38	0.55		
		13731.5	4.50	3.66	0.84		
		1982.50	0.65	0.53	0.12		
		11529	3.78	3.07	0.71		
पथ प्रमंडल सीतामढ़ी	06 ओ.पी.आर.एम.सी. /20 एम.बी.डी (13-14)	6067.50	2.00	कुल 1.62	5.26	1607000	8452820
		6180.80	2.05	1.65	0.38		
		2287.5	0.75	0.61	0.40		
				कुल	0.14		
				कुल	0.92	1578658	1452365
योग							9905185

परिशिष्ट-3.10
(संदर्भ: कंडिका-3.2.3.7; पृष्ठ-71)
पी.एम.कार्य पर अनियमित भुगतान

(राशि रुपये में)

प्रमंडल का नाम (पैकेज संख्या)/ अनुबंध संख्या	लेन / वर्ष	अनुबंध के अनुसार मात्रा (किमी में)	किया गया कार्य (किमी में)	अतिरिक्त मात्रा (किमी में)	अनुबंध में अंकित प्रति किमी दर	अनियमित भुगतान
नूतन राजधानी पथ प्रमंडल पटना (64/ ओ.पी.आर.एम.सी.)/ अनु. सं. 01 एम.बी.डी./ 13-14	प्रथम वर्ष	12.7125	12.716	0.0035	4200000	14700
	द्वितीय वर्ष	12.7125	14.3046	1.5921	4500000	7164450
	तृतीय वर्ष	12.7125	13.99989	1.28739	4700000	6050733
	चतुर्थ वर्ष	12.7125	12.7078		4900000	
	योग	50.85	53.72829			13229883
पथ प्रमंडल मोतिहारी (03/ओ.पी.आर.एम.सी.) / अनु. सं. 17 एम.बी. डी./13-14	प्रथम वर्ष	13.00	-	-	3000700	-
	द्वितीय वर्ष	15.75	-	-	3000700	-
	तृतीय वर्ष	13.37	-	-	3000700	-
	चतुर्थ वर्ष	3.95	-	-	3000700	-
	योग	46.07	47.436	1.366		4098956
पथ प्रमंडल बक्सर (57/ओ.पी.आर.एम. सी.)/ अनु. सं. 11 एम. बी.डी. /13-14	प्रथम वर्ष	0.735	0.763	0.028	2579000	72212
	द्वितीय वर्ष	0.95	1.04	0.09	2579000	232110
	योग	1.685	1.803			304322
पथप्रमंडल पीपरा (सुपौल) (24ओ.पी. आर.एम.सी. / अनु. सं. 12एम.बी.डी. /13-14)	प्रथम वर्ष	30.36	30.583	0.223	1678989	374415
	द्वितीय वर्ष	3.50	8.60	5.10	1678989	8562844
	चतुर्थ वर्ष	28.58	32.89	4.31	1678989	7236443
	योग	62.44	72.073	9.633		16173702
					कुल योग	33806863

परिशिष्ट-3.11

(संदर्भ: कंडिका-3.2.3.8; पृष्ठ-71)

आरंभिक सुधार के मद संख्या 2.1 के अंतर्गत दोष पूर्ण देयता वाले पथों पर परिहार्य भुगतान

दोषपूर्ण देयता वाले पथ	दोष पूर्ण देयता की अंतिम तिथि	आरंभिक सुधार कार्य करने की तिथि	चैनेज (किमी में)		पथ की लंबाई	किया गया कार्य		अनुबधित दर (दर/पथ की लंबाई)	भुगतान (रुपये में)
			से	तक		चैनेज	किमी में		
पथ प्रमंडल मोतिहारी/पैकेज संख्या 3 / अनुबंध संख्या 17 एम.बी.डी./13-14									
मेन सर्विस रोड	31.07.16	11.06.14	0.00	9.25	9.25	1,4मी, 7,9	3.5	16100700/113.4	496935
आर्य समाज मंदिर रोड	31.03.15 01.03.16	11.06.14	0.00	3.00	3.00		1	16100700/113.4	141981
लेक रोड	19.04.16	11.06.14	0.00	3.50	3.50	3मी, 4मी	1.4	16100700/113.4	198774
								योग	837690
नूतन राजधानी पथ प्रमंडल पटना									
पैकेज संख्या 64 / अनुबंध संख्या 01 एमबीडी/13-14									
शहीद भगत सिंह चौक से बीएमपी-16	10.04.16	28.01.14	0.00	1.20	1.20	-	0.5	6900000/34.99	98600
बांकीपुरन दौल रोड	02.04.14	28.01.14	0.00	1.71	1.71	-	0.065		12818
								योग	111418
पथप्रमंडल बक्सर									
पैकेज संख्या 57 / अनुबंध संख्या 11 एमबीडी/13-14									
पुराना बाई पास रोड	15.01.16	28.11.14	0.00	1.60	1.60		1.6	2540000/23.355	174010
								योग	174010

दोषपूर्ण देयता वाले पथ	दोष पूर्ण देयता की अंतिम तिथि	आरंभिक सुधार कार्य करने की तिथि	चैनेज (किमी में)		पथ की लंबाई	किया गया कार्य		अनुबधित दर (दर/पथ की लंबाई)	भुगतान (रुपये में)
			से	तक		चैनेज	किमी में		
पथप्रमंडल किशनगंज पैकेज संख्या 31/अनुबंध संख्या 08 एम.बी.डी/13-14									
किशनगंज बहादुरगंज रोड	25.09.15	12.07.14	0-19.30 किमी		19.30 किमी	0.00-19.30	19.30 किमी	15247308/157.05	1873753.82
किशनगंज तैयबपुर ठाकुरगंज गलगलिया रोड	27.06.16	02.05.14	47.50-50.4 और 55.6-60.2		7.50 किमी	47.50-50.4 और 55.6-60.2	7.50 किमी	15247308/157.05	728142.67
कॉलेज चूड़ी पट्टी रोड	26.03.16	12.07.14	0-3.10 किमी		3.10 किमी	0-3.10 किमी	3.10 किमी	15247308/157.05	300965.63
बगलबाड़ी-रहमपुरा -अल्टा-बरबल्ला रोड	04.07.15	10.03.14	0-20.70 किमी		20.70 किमी	0-20.70 किमी	20.70 किमी	15247308/157.05	2009673.78
बैसी-अमौर-बहादुरगंज -दिघल बैंक रोड	29.09.16	10.03.14	56.6-73.84 किमी तथा 76.5-77.0		18.74 किमी	58-73.84 किमी तथा 76.5-77.0 किमी	17.34 किमी	15247308/157.05	1683465.86
किशनगंज-तैयबपुर-ठाकुरगंज -गलगलिया रोड	मार्च 2017	02.05.14 02.06.14	किमी 6ठे, 9वें, 11वें, 15वें, 16वें, 23वें, 26वें, 29वें से 32वें तथा 34वें से 43.5		21.5 किमी	किमी 9वें, 15वें, 16वें, 23वें, 26वें, 29वें से 32वें, 34वें से 38वें किमी 6ठे तथा 11वें	16 किमी	15247308/157.05	1553371.04
								योग	8149372.77
								कुल योग	9272490.77

परिशिष्ट-3.12

(संदर्भ: कंडिका-3.2.3.9; पृष्ठ-72)

आपात कालीन कार्य के तहत अनियमित भुगतान

राशि रुपये में)

प्रमंडल का नाम/ पैकेज/ अनुबंध संख्या	पथ का नाम	प्राक्कलित राशि	भुगतान	कार्य करने का कारण/ कार्य मद का नाम
पथ प्रमंडल बक्सर /57 / 11 एम.बी.डी./13-14	पुराना बाईपास रोड	311400	263464	वर्षा के कारण पथपरत को क्षति
	ब्रह्मपुर-कोरनसराय पथ	254600	247863	जल निकासी के अभाव के कारण जल जमाव
	भोजपुर-सिमरीपथ	2212000	2165383	लगातार वर्षा के कारण
	स्टेशन-रामरेखा घाट पथ	996300	921231	जल जमाव तथा भारी वाहनों का आवागमन
	स्टेशन-रामरेखा घाट पथ तथा पुराना बाईपास रोड	656300	637661	शहर के सौन्दर्यीकरण हेतु रोड मार्किंग जेबरा क्रॉसिंग तथा यातायात सूचनापट्ट
	स्टेशन-रामरेखा घाट पथ	274000	76189	पथ के 2रे किमी पर पथ के चौड़ीकरण हेतु पथपरत की मरम्मत
पथ प्रमंडल किशनगंज /31/08 एम.बी.डी./ 13-14	योग	4704600	4311791	
	बगलबाड़ी-रहमपुरा-अल्टा-बरबत्ता रोड	8,10,952/-	7,36,934/-	15वें किमी पर स्कक्रूपाईलब्रिज की मरम्मत
	ओ.पी.आर.एम.सी. पैकेज संख्या 31 के अंतर्गत विभिन्न पथ	3,86,710/-	3,68,295/-	सूचनापट्ट लगाना
	पोठिया लिंक रोड एवं बगलबाड़ी-रहमपुरा रोड में प्लैक में हार्ड शॉल्डरिंग तथा सिमलीबारी-डैराबारी रोड में डीएलसी एवं पी.क्यू.सी कार्य	25,48,146/-	24,24,781/-	प्लैक में हार्ड शॉल्डरिंग तथा डीएलसी एवं पीक्यूसी कार्य
	(i) विभिन्न पथों में बाउन्ड्री पिलर लगाना (ii) के टीटीजी रोड एवं पोठिया लिंक रोड में बाउन्ड्री पिलर लगाना (iii) बी ए बीडी रोड में बाउन्ड्री पिलर लगाना	3,81,042/- 4,93,788/- 5,67,439/-	7,85,928/-	बाउन्ड्री पिलर लगाना
	योग	51,88,077/-	43,15,938/-	
	कुल योग	98,18,884/-	8,62,729/-	

परिशिष्ट-3.13

(संदर्भ: कड़िका-3.4, पृष्ठ-75)

स्वीप खाते को बचत खाते में परिवर्तित करने के कारण सरकार को हुई हानि का विवरण

(राशि करोड़ में)

बैंक का नाम	दिनांक	बचत खाते का ब्याज प्रतिशत	बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज के रूप में दी गई राशि	स्वीप खाते के ब्याज का दर	स्वीप खाते पर ब्याज के रूप में दी गई राशि	अन्तर
1	2	3	4	5	6 (4÷3×5)	7 (6-4)
आई.डी.बी.आई. पटना	31/3/2015	4	4944849	8 (91-6 माह)	9889698	4944849
	30/9/2015	4	9557516	7.6 (181-270 दिन)	18159280	8601764
	31/3/2016	4	8414791	6.75 (61-90 दिन)	14199960	5785169
	25/6/2016	4	281923	6.5 (61-90 दिन)	458125	176202
	24/9/2016	4	578380	6.5 (61-90 दिन)	939868	361488
	24/12/2016	4	682736	6 (61-90 दिन)	1024104	341368
	25/3/2017	4	364963	5.75 (61-90 दिन)	524634	159671
	24/6/2017	4	405095	8 (91-6 माह)	531687	126592
	23/9/2017	4	1297373	7.6 (181-270 दिन)	1702802	405429
	29/11/2017	4	895104	6.75 (61-90 दिन)	1174824	279720
	23/12/2017	3.5	1977	6.5 (61-90 दिन)	2401	424
	24/3/2018	3.5	8999	6.5 (61-90 दिन)	13499	4500
	कुल		27433706		48620882	21187176
यूको बैंक	6/1/2015	4	6431606	6.75 (15-29)	10853335	4421729
	5/1/2016	4	6602842	7.75 (1 वर्ष)*	12793006	6190164
	7/4/2016	4	2671554	6.5 (61-90)	4341275	1669721
	4/7/2016	4	477904	6.5 (61-90)	776594	298690
	3/1/2017	4	2895	6.75 (151-180)	4885	1990
	11/4/2017	3.5	36191	6.75 (91-120)	69797	33606
	3/7/2017	4	67672	6.5 (61-90)	109967	42295
	10/10/2017	4	143308	6.5 (61-90)	232876	89568
	15/11/2017	4	63528	5.5 (30-45)	87351	23823
	5/4/2018	4	61414	6.75 (91-120)	103636	42222
	कुल		16558914		29372722	12813808

बैंक का नाम	दिनांक	बचत खाते का ब्याज प्रतिशत	बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज के रूप में दी गई राशि	स्वीप खाते के ब्याज का दर	स्वीप खाते पर ब्याज के रूप में दी गई राशि	अन्तर
1	2	3	4	5	6 (4÷3×5)	7 (6-4)
बैंक ऑफ इण्डिया	12/2014 से 3/2015 *	4	552000	8 (91-180)	1104000	552000
	4/2015 से 3/2016 *	4	1656000	7.75 (12-24 माह)*	3208500	1552500
	4/2016 से 3/2018 *	4	3312000	6.4 (12-24 माह)*	5299200	1987200
	16/3/2016 से 12/6/2016 (89 दिन)	4	6249995	6.75 (61-90)	10546867	4296872
	13/6/2016 से 26/6/2016 (14 दिन)	4	829721	4 (14 दिन) बचत	829721	0
	27/6/2016 से 31/7/2016 (35 दिन)	4	2074301	5.25 (31-45)	2722520	648219
	1/8/2016 से 30/9/2016 (61 दिन)	4	3615211	6.5 (61-90) बचत	5874718	2259507
	1/10/2016 से 3/10/2016 (3 दिन)	4	177797	4 (3 दिन)	177797	0
	4/10/2016 से 20/11/2016 (48 दिन)	4	2318729	6.25 (46-60)	3623014	1304285
	21/11/2016 से 29/12/2016 (39 दिन)	4	1883967	5 (31-45)	2354959	470992
	30/12/2016 से 21/2/2017 (54 दिन)	4	2608570	5.5 46-60)	3586784	978214
	22/2/2017 से 28/3/2017 (35 दिन)	4	1690740	5 (31-45)	2113425	422685
	29/3/2017 से 31/3/2017 (3 दिन)	4	128482	4 (3 दिन) बचत	128482	0

बैंक का नाम	दिनांक	बचत खाते का ब्याज प्रतिशत	बैंक द्वारा बचत खाते पर ब्याज के रूप में दी गई राशि	स्वीप खाते के ब्याज का दर	स्वीप खाते पर ब्याज के रूप में दी गई राशि	अन्तर
1	2	3	4	5	6 (4÷3×5)	7 (6-4)
बैंक ऑफ इण्डिया	1/4/2017 से 4/4/2017 4 दिन)	4	171310	4 (4 दिन) बचत	171310	0
	5/4/2017 से 30/6/2017 (87 दिन)	4	3725984	5.52 (61-90)*	4890354	1164370
	1/7/2017 से 30/11/2017(153 दिन)	4	3326597	5.25 (271दिनों से एक वर्ष)*	5197808	1871211
	कुल		34321404		51829459	17508055
	कुल योग		78314024		129823063	51509039

* न्यूनतम ब्याज दर पर परिकलित ब्याज ₹ 4.14 करोड़ ₹ 5.94 करोड़ - ₹ 1.80 करोड़ (90 करोड़ का दो प्रतिशत प्रशासनिक व्यय हेतु विमुक्त)

परिशिष्ट-3.14
(संदर्भ-3.5, पृष्ठ-77)
रेल के बजाय सड़क मार्ग से बोल्लर दुलाई के कारण हुए अतिरिक्त व्यय का विवरण

क्र.स.	अनुबंध सं. (तिथि)	ग्रुप सं.	अनुबंध की राशि (करोड़ में)	पूरक अनुबंध की राशि (करोड़ में)	संशोधित टी. एस. की राशि (करोड़ में)	मापी पुस्त (जुलाई-2017) के अनुसार किया गया भुगतान (नवम्बर-2017)	व्यवहृत बोल्लर की मात्रा (घन मी0)	संवेदक को दी गई राशि (दर 6085.20 / घन मी0 की दर से)	देय राशि (2608.93 / घन मी0 की दर से)	अतिरिक्त व्यय (करोड़ में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10 (8x9)
1	01/एस.बी.डी.	9	6.06	0	6.19	बोल्लर कार्य नहीं				
2	02/एस.बी.डी.	1	6.06	0	5.67					
	07/एस.बी.डी.	10	8.30	0	8.59					
3	03/एस.बी.डी. (04/04/2017)	4+8	5.13	12.35	12.93	12.93	13263.89	8.07	3.46	4.61
4	04/एस.बी.डी. (04/04/2017)	5+7+8	4.52	8.34	8.98	8.98	10104.79	6.15	2.64	3.51
5	05/एस.बी.डी.	2+3	7.14	11.24	13.15	13.15	11156.18	6.79	2.91	3.88
6	01/एस.बी.डी.	6+7	5.28	5.79	6.88	6.88	3971.85	2.42	1.04	1.38
	कुल		42.49	37.72	62.39	41.94	38496.71	23.43	10.05	13.38
						अनुबंध के अनुसार 10 प्रतिशत कम-				12.04

* ग्रुप 2 में कोई बीड प्राप्त नहीं हुआ और ग्रुप 7 एवं 8 के सफल निविदा को फर्जी बैंक गारंटी के कारण रद्द कर दिया गया।

परिशिष्ट-3.15
(संदर्भ: कंडिका संख्या 3.12 पृष्ठ-88)
कूड़ेदानों के क्रय में हानि

(राशि ₹ में)

क्रम सं.	श.स्था.नि. के नाम	कूड़ेदानों की संख्या	प्रति इकाई कूड़ेदान की दर	बिल की राशि	अधिकतम खुदरामूल्य ₹ 7415 के अनुसार राशि	हानि
1	2	3	4	5	6	7 (5-6)
1.	नगर परिषद सिवान	1000	18700	1,87,00,000	74,15,000	1,12,85,000
		1000	18700	1,87,00,000	74,15,000	1,12,85,000
		1000	18700	1,87,00,000	74,15,000	1,12,85,000
		2000	18700	3,74,00,000	1,48,30,000	2,25,70,000
2.	नगर निगम बिहारशरीफ	460	15100	69,46,000	34,10,900	35,35,100
		250	15000	37,50,000	18,53,750	18,96,250
		250	15000	37,50,000	18,53,750	18,96,250
		250	15000	37,50,000	18,53,750	18,96,250
		50	15000	7,50,000	3,70,750	3,79,250
		400	15000	60,00,000	29,66,000	30,34,000
		100	15000	15,00,000	7,41,500	7,58,500
कुल		6760		11,99,46,000	5,01,25,400	6,98,20,600

(स्रोत:-नगर परिषद सिवान एवं नगर निगम बिहारशरीफ के अभिलेख)

© भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
www.saiindia.gov.in

प्रतिवेदन डाउनलोड
करने हेतु
क्यू0 आर0
कोड स्कैन करें



www.ag.bih.nic.in